चतुर्दश माला, खंड 21, अंक 10

शुक्रवार, 4 अगस्त, 2006
13 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 60
Dated 30 Oct. 2007

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)
अंक 10, शुक्रवार, 4 अगस्त, 2006/13 श्रावण, 1928 (शक)

विषय **कॉलम**

सदस्यों द्वारा निवेदन

न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक जांच प्राधिकरण के प्रतिवेदन के कथित रूप से लीक हो जाने के बारे में 1-2

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी 2-13

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 200 14-154

अतारांकित प्रश्न संख्या 1377 से 1519 155-582

सभा पटल पर रखे गए पत्र 582-588

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

नौवां और दसवां प्रतिवेदन 588

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन 588

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन 588-589

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन 589

याचिका का प्रस्तुतीकरण 589

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक 589-590

कार्य मंत्रणा समिति

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन 590

सभा का कार्य 590-593

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 593-594

अध्यक्षपीठ द्वारा टिप्पणी 594-596

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 597-598

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 598-602

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 603

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 604-606

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 4 अगस्त, 2006/13 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 181, डा. चिन्ता मोहन।

...*(व्यवधान)*

सदस्यों द्वारा निवेदन

न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक जांच प्राधिकरण के कथित रूप से लीक हो जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सरकार को यह बताना पड़ेगा कि पाठक समिति की रिपोर्ट किस प्रकार लीक हुई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक-एक करके सुनने दीजिए। प्रतिपक्ष के माननीय नेता कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। प्रतिपक्ष के नेता हमारे सम्मान के अधिकारी हैं। वे अपने विचार रख सकते हैं। परन्तु हमें भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके बोलने के बाद सभा स्थगित हो जाए। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि हममें से प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका दिया जाएगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे सुनने दीजिए कि वे क्या कहना चाहते हैं। श्री दासगुप्त, मुझे नहीं पता की वे क्या बोलेंगे। मुझे श्री आडवाणी ने कोई नोटिस नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष जी, दो पहलू हैं जिनके बारे में सदन को इस समय तुरन्त विचार करना चाहिए। पहला तो यह है कि संसद का अधिवेशन चल रहा है। पिछले साल अक्तूबर के महीने में जब वोल्कर समिति की रिपोर्ट आई तब सदन में उस पर चर्चा हुई और सब लोग चिन्तित थे कि दुनियाभर में हमारे देश का नाम बदनाम हुआ क्योंकि यहां की कांग्रेस पार्टी का नाम वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट में है, उसमें एक पूर्व विदेश मंत्री का नाम है और इसकी पूरी चर्चा होनी चाहिए। यह सारे सदन ने मांग की और सरकार ने उसके बाद कमीशन ऑफ इन्क्वायरी तो नहीं बैठाया, लेकिन कमीशन ऑफ इन्क्वायरी के पूरे अधिकार प्राप्त एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जिसके अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश श्री आर.एस. पाठक थे और उन्हें कहा गया और एक समय-सीमा दी गई कि वे तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट सरकार को दें। कल शाम अचानक हम हैरान हो गए कि संसद को कुछ पता नहीं, लेकिन एक चैनल पर खबर आने लग गई।

[अनुवाद]

सी.एन.एन-आई.बी.एन पहला चैनल था जिसने यह खबर दी कि न्यायमूर्ति पाठक ने अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को सौंप दी है तथा कांग्रेस पार्टी को दोषमुक्त कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: हम समाचार पत्र की खबर पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। कृपया मुझे टिप्पणी करने दें। क्या आप यह कहेंगे कि अध्यक्ष को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है? कृपया थोड़ा शिष्टाचार बरतें।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: संसद सत्र चल रहा है। यदि रिपोर्ट सौंपनी ही थी तो इसे पहले सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था। इसे टीवी चैनल को नहीं दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं टिप्पणी कर सकता हूं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे यकीन है कि आप सरकार से जवाब तलब करेंगे।

पूर्वाह्न, 11.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही इसका संकेत दिया है। मुझे यकीन है कि आपके माननीय उपनेता यह बात जरूर समझेंगे, कि मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रतिवेदन को आधिकारिक

रूप से पहले सभा पटल पर नहीं रखा गया है उसके प्रकाशित होने पर मैं अध्यक्षपीठ से कड़ा रोष प्रकट करूंगा। मैं अध्यक्ष पीठ से ऐसा कर रहा हूं। परन्तु जहां तक प्रतिवेदन की विषय वस्तु का संबंध है मैं समाचारपत्र की रिपोर्ट पर नहीं दे सकता। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने दें, निश्चित ही, संपूर्ण सभा का इस पर चर्चा करने का अधिकार है। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें पिछली संध्या को ही यह प्राप्त हुई है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आप इस देश के मंत्री रह चुके हैं। इसे हास्यास्पदता की सीमा तक न ले जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रहे हैं कि सभा में प्रतिवेदन रखे जाने पर ही हम इस पर उचित रूप से चर्चा कर सकते हैं। परन्तु देखें कि क्या हो गया। एक ही चैनल नहीं परन्तु देश का समूचा मीडिया यह कह रहा है कि कांग्रेस प्राटी को दोषमुक्त करार दे दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: श्री नटवर सिंह को दोषी करार दिया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैंने पहले ही इसकी भर्त्सना की है तथा अध्यक्षपीठ से इस विषय पर रोष प्रकट कर चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: परन्तु सरकार द्वारा सभा पटल पर प्रतिवेदन रखे जाने के विषय पर आपकी भर्त्सना...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं हो सकता है। कल रात को ही रिपोर्ट सौंपी गई है। मैं कैसे आशा कर सकता हूं कि इसे आज सभा पटल पर रख दिया जाएगा?

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, सरकार की ओर से कभी भी कोई लीकेज नहीं हुआ, न तो प्रधानमंत्री कार्यालय से और न ही वित्त मंत्री कार्यालय से। मैं केवल यह बता सकता हूं कि जब राजग सरकार सत्तारूढ़ थी, तो सुब्रह्मणयम समिति की रिपोर्ट चर्चा पूर्व ही सरकार द्वारा लीक कर दी गई थी तथा इस पर कभी भी चर्चा नहीं होने दी गई।...*(व्यवधान)* प्रतिपक्ष के नेता, जो कि इस समय गृह मंत्री थे, इस प्रकार बात कर रहे हैं। सरकार को निर्देश देना उन्हें शोभा नहीं हेता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, श्री लाल कृष्ण आडवाणी के विचार सुनें। कृपया अपने नेता को डिस्टर्ब न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय संसदीय कार्य मंत्री मामले को अन्य के लिए जांच खोल रहे हैं कि यह किस प्रकार लीक हुई। क्या आप ऐसा करने के इच्छुक हैं? मैं आपके समक्ष सभी तथ्य रख सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमने सरकार की ओर से कोई सूचना अथवा रिपोर्ट की विषय वस्तु लीक नहीं की है। यह कैसे लीक हुई यह एक अलग मुद्दा है। कोई भी व्यक्ति जांच कर सकता है तथा पता लगा सकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मलहोत्रा, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई आरोप नहीं, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, वोल्कर समिति के प्रतिवेदन में मुख्य रूप से दो नाम - कांग्रेस पार्टी और श्री नटवर सिंह का नाम पाकर पूरा राष्ट्र चिंतित था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस कथित रिपोर्ट पर न जाएं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: नकली चेहरा मत दिखाओ, असली चेहरा दिखाओ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री लाल कृष्ण आडवाणी, स्वार्थ प्रकट कर रहे हैं; प्रतिपक्ष के नेता स्वार्थ प्रकट कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे नहीं पता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब प्रतिवेदन रख दिया जाएगा, आप यह सब मुद्दे उठा सकते हैं। आप चर्चा के समय यह सब मुद्दे उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप समाचारपत्र की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: रिपोर्ट की जांच नहीं की गई है, की गई कार्यवाही प्रतिवेदन तैयार नहीं हो पाया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वापस प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न सं. 181 डा. चिन्ता मोहन।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): न्यूज में जो आया है, क्या वह गलत है? सरकार को इस बारे में बयान देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक-एक करके बोलिए। गीते जी आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रतिपक्ष के माननीय नेता, मुझे आपसे यह आशा नहीं थी। मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूं। मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने अपना रोष व्यक्त किया था। सत्र चल रहा है। जब संसद सत्र चल रहा है तो उस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था तथा किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए था। इस समय प्रश्न यह है कि यह किसने किया तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है। निश्चित ही सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा। परन्तु आप तुरंत उत्तर की आशा नहीं कर सकते हैं। श्री लालकृष्ण आडवाणी, आप भली भांति जानते हैं कि समाचारपत्र को विषय वस्तु के आधार पर इस पर आज चर्चा नहीं की जा सकती है। आप इसे किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं; सभा भी इसका किस प्रकार संज्ञान ले सकती है? एक सुस्थापित प्रक्रिया है। पहले भी, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब इसे सभा के समक्ष रखा जाएगा, तो इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट में सीधे-सीधे...*(व्यवधान)* मैं उसकी मैरिट पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे जो पूर्व मंत्री...* उस रिपोर्ट में सीधे-सीधे आया था। उस पर जो कमेटी एपाइण्ट की गई,...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं मैं उस भाग को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दिया है।

[हिन्दी]

हमने एक्सपंज कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे पहले ही कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, जो खबरें, जो न्यूज आज अखबारों में आई हैं, यदि ये गलत हैं तो सरकार को बयान देना चाहिए कि खबरें गलत हैं। सरकार को कहना चाहिए था कि सारी खबरें गलत हैं। यदि ये न्यूजपेपर में खबरें गलत हैं तो सरकार को यहां पर स्टेटमेंट देना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने बोल दिया। आप बयान मांगते हैं, आप स्टेटमेंट मांगते हैं, ठीक है। प्रभुनाथ सिंह जी, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह भाग, कार्यावही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता आडवाणी जी ने जो सवाल उठाया है और आपने जो उस पर नियमन दिया है, उस पर सहमति व्यक्त करते हुए मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आपने भी यह महसूस किया है, आसन ने भी यह महसूस किया है कि सदन में चलते सत्र में बिना सदन में प्रतिवेदन आये हुए, बिना प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन दिये हुए डेढ़ घंटे पहले टी.वी. चैनलों पर चला। यह बात प्रमाणित कर रही है कि जिन लोगों ने प्रतिवेदन दिया है, कहीं न कहीं उस प्रतिवेदन को लिखवाने में कोई न कोई हावी है और यह मामला भी सामने आ चुका है कि...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस भाग को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों उत्तेजित हैं?

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात हो गयी।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, मैं मामले के गुणावगुण में नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री किन्जरपु येरननायडु: आज, समाचारपत्रों में यह छपा है कि कल न्यायमूर्ति पाठक ने माननीय प्रधान मंत्री जी को रिपोर्ट सौंप दी है। यदि सभी समाचारपत्रों में छपे समाचार की विषय वस्तु सही नहीं है, तो सरकार को उसकी निन्दा करनी चाहिए। यह रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री जी के पास है। जब यह रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री जी के पास है, तो यह लीक कैसे हुई? इसे किसने लीक किया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए जांच होनी चाहिए तथा कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

दूसरे, की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन सहित रिपोर्ट बिना किसी विलम्ब के सभा पटल पर रखी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि रिपोर्ट का लीक होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री गुरुदास दासगुप्त का नाम बोलने के लिए पुकारा है। केवल उन्हीं की टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित की जाएंगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त: रिपोर्ट लीक होने का निरनुमोदन किया जाना चाहिए। यह पूर्णतया लीकेज संसदीय प्रणाली, संसदीय मानदंडों का उल्लंघन है, क्योंकि जब संसद सत्र चल रहा हो, तो इन सभी संवेदनशील बातों को संसद में रखा जाना चाहिए। परन्तु यह भी रूल है कि जैसे ही रिपोर्ट सौंपी गई यह लीक कर दी गई। इसमें कोई षड्यंत्र है। जैसे ही यह रिपोर्ट सौंपी गई उसके साथ ही अथवा कुछ क्षण या मिनटों के भीतर इसे प्रेस को भेज दिया गया या प्रेस को पूर्व-सूचना थी अथवा उसके पास इसकी प्रति अथवा पहले से ही रिपोर्ट का सारांश था। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपे जाने तथा इसे समाचार चैनलों को लीक किए जाने के बीच एक असमान्य संयोग प्रतीत होता है - मैं इसे मिलीभगत का नाम नहीं दूंगा।

निस्संदेह सरकार को संसद को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही ऐसा कह दिया है। आपको इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मेरा यह अंतिम प्वाइंट है। वास्तव में मैं क्यों कहूं कि मैं संतुष्ट हूं अथवा वास्तव में ही प्रसन्न हूं - माननीय वित्त मंत्री जी ने तुरंत इसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय आवश्यक कदम उठाएगा तथा कानून अपना काम करेगा। सरकार से ऐसे वक्तव्य की आशा रहती है।

अध्यक्ष महोदय: श्री चिदम्बरम के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आपने उन्हें प्रमाणपत्र दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप काफी कुछ कह चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: जी हां। मैं इसे समाप्त करता हूं। मैं एक मिनट का समय और लूंगा।...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग छोड़िए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। केवल श्री गुरुदास दासगुप्त का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। इसे वाद-विवाद का विषय न बनाइये।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं केवल यह सुझाव दे रहा हूं कि यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। सभा को यह जरूर जानना चाहिए और सभा में इस पर बहस भी होनी चाहिए तथा कानून को बिना किसी का पक्ष लिए और बिना किसी भय के आपना कार्य करना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल को पहले ही 15 मिनट का समय बीत चुका है। और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। यदि आपने इस विषय को मध्याह्न 12 बजे उठाया होता, तो क्या देश में प्रलय हो जाता?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण पिछले साल आया था। उस समय यह आशंका व्यक्त की गयी कि एक बड़े राजनैतिक भ्रष्टाचार का मामला देश और दुनिया के सामने आने वाला है। इसके तथ्यों की सफाई के लिए या तो सी.बी.आई. इंक्वायरी हो या कोई हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनायी जाए। भारत सरकार ने एक जुडीशियल कमीशन मुकर्रर किया, यह अलग बात है। चिदंबरम जी ने कहा था कि इसका वही स्टैटस है, जो इंक्वायरी कमीशन के हमारे देश के कानून है, उसी के तहत इसकी भी जांच हो रही है। उस जांच रिपोर्ट के संबंध में हम लोगों ने मांग की थी कि बजट सत्र के अंतिम पखवाड़े में इसे सदन के सामने लाया जाए। अब अखबारों और मीडिया के जरिए खबर आयी है और जिसके अनुसार भारत के प्रधानमंत्री जी को जस्टिस पाठक ने वह रिपोर्ट सुपुर्द कर दी है। हमारी मांग है कि वह एक्शन टेकन रिपोर्ट है, इसी सत्र के भीतर सदन में रखी जाए।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में हम उसकी मेरिट पर बहस नहीं कर सकते, लेकिन देश के सामने परस्पर विरोधी खबरें आ गयी हैं, इसलिए सरकार को और कांग्रेस पार्टी को अपनी प्रतिष्ठा के बचाव में उसको सफाई देनी चाहिए कि उसके वस्तुत: कंटेंट्स क्या हैं? इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन लोगों ने प्रेस को यह खबर लीक की है और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? सदन में बहस के पहले किसी कमीशन की रिपोर्ट को मीडिया के जरिए देश में प्रसारित कर देना, मैं समझता हूं, यह सदन का कंटेम्पट है और इसके लिए सरकार भी अपने को निर्दोष नहीं मान सकती, ऐसा हम मानते हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): अध्यक्ष महोदय, जब संसद सत्र चल रहा हो इस प्रकार की लीकेज, जैसा कि बताया गया है, एक अत्यंत गंभीर मामला है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है तथा सरकार को इसके लिए एक वक्तव्य देना चाहिए। निस्संदेह, उन्हें सभा को यह बताना चाहिए कि यह कैसे हुआ तथा वे इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं। परन्तु, मैं नहीं जानता कि रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या है क्योंकि मुझे सभा

में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी-अभी यह सूचित किया कि कल रात ही एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री को प्रस्तुत की गई है। इसलिए, यह किसी अन्य स्थान से लीक की गई होगी तथा सरकार को इस संबंध में शीघ्र एक वक्तव्य देना चाहिए। सरकार को यह पता लगाने के लिए कि ऐसा किस प्रकार हुआ जांच कराने का आदेश देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, वोल्कर मामले की जांच के संबंध में बनी जस्टिस पाठक की अध्यक्षता में बनी कमेटी के गुण-दोष की चर्चा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट आयी है, वह सदन के सामने नहीं है। मीडिया के जरिए जो भी जानकारी लीक हुयी, यह बहुत गंभीर बात है। जब सदन चल रहा था, तब एक रिपोर्ट, जिसके बारे में सारे जनमानस को जानने की उत्सुकता बनी हुयी थी, ऐसे समय में यह संवेदनशील रिपोर्ट के जो अंश मीडिया के जरिए लीक हुए, उसकी जांच आवश्यक है। सरकार को इसकी जांच करने के साथ-साथ, यह सदन के चलते हुए लीक कैसे हुयी, इसकी भी जांच करनी आवश्यक है। सरकार को इस चीज को स्पष्ट करना चाहिए और रिपोर्ट को तुरंत पेश करना चाहिए, ताकि उस पर विस्तृत चर्चा हो सके।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत गंभीर मामला है। जब वोल्कर समिति की रिपोर्ट आई थी तो संपूर्ण सभा में और देश में आक्रोश था। वोल्कर समिति की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि सत्तारूढ़ दल इसमें शामिल था। तत्पश्चात्, इस सभा की मांग पर सरकार ने न्यायमूर्ति पाठक की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति का गठन करके सही किया है तथा हमें आशा है कि सर्वप्रथम सभा इस रिपोर्ट पर चर्चा करेगी।

अध्यक्ष महोदय: जब तक यह सामने नहीं आ जाती तब तक इस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: परन्तु, यह लीक कैसे हो गई...* समिति की रिपोर्ट को अभी तक सभा के समक्ष नहीं रखा गया है। परन्तु जबकि सत्र भी चल रहा है तब भी हमें मीडिया से ही सूचना प्राप्त हो रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं अध्यक्षपीठ से पहले ही ऐसा कह चुका हूं। जब मैंने यह टिप्पणी की थी, तब आप सभा में उपस्थित नहीं थे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: ...* ने जानबूझ कर मीडिया को रिपोर्ट लीक की है।

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सरकार पर मेरा यह आरोप है। उसे इसका जवाब देना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जांच करवाने को तैयार है...*(व्यवधान)*। उसे इसका उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। मैंने आपके लीडर को सुना है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, अत्यंत सम्मानपूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी ही टिप्पणी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यक्षपीठ से आपने कहा था कि इस पर गंभीरता से गौर किया जाना चाहिए, और आपने इस विषय पर अपना रोष भी प्रकट किया था। महोदय, मैंने आपके द्वारा व्यक्त किए गए रोष को नोट कर लिया है। सरकार इस विषय में कुछ जानने के लिए निश्चित रूप से कोई तरीका ढूंढेगी कि ऐसा किस प्रकार हुआ। परन्तु सरकार की ओर से मैं अपने दायित्व को देखते हुए कुछ नहीं कह सकता जब तक कि माननीय प्रधान मंत्री जी तब तक यह उत्तर न दे दें कि यह किसी स्रोत के माध्यम से लीक हुई है...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, सरकार की ओर से ऐसा हुआ है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के भाषण के अलावा कुछ कार्यावाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)...*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, स.प्र.ग. सरकार समुचित संवैधानिक ढंग से की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन तैयार करनी चाहिए तथा देश को इसका विवरण बताने के लिए इसे सभा में रखना चाहिए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: डा. चिन्ता मोहन जी। कृपया अपना पहला अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय, हम गैस, कोयले तथा नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं...(*व्यवधान*) विद्युत उत्पादन में एक अत्यंत असाधारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है...(*व्यवधान*) यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठाने की योजना बना रही है?...(*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.20 बजे

(इस समय श्री खारबेल स्वाईं और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...(*व्यवधान*)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वे महत्वपूर्ण विधायी कार्य में किस प्रकार व्यवधान डाल सकते हैं...(*व्यवधान*) महोदय, संपूर्ण राष्ट्र को देखने दीजिए कि वे किस प्रकार संसदीय कार्य में बाधा डालते हैं...(*व्यवधान*)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

***161. डा. चिन्ता मोहन:**

श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत की मांग में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में प्रति व्यक्ति बिजली की मांग और विभिन्न स्रोतों से राज्य-वार उसकी वास्तविक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ङ) देश में चल रही विद्युत परियोजनाओं और विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) इन चल रही परियोजनाओं से विद्युत का उत्पादन कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(छ) इससे किन-किन राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ऊर्जा की आवश्यकता एवं व्यस्ततम मांग के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

	ऊर्जा की आवश्यकता (मि.यू.)	पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि (%)	व्यस्ततम मांग (मि.यू.)	पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि (%)
2003-04	5,59,264	2.4	84,574	3.8
2004-05	5,91,373	5.7	87,906	3.9
2005-06	6,31,757	6.8	93,255	6.1

(ग) प्रति व्यक्ति मांग और विभिन्न स्रोतों से हुए वास्तविक उत्पादन से संबंधित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(घ) मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं:-

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(i) 10वीं योजना के दौरान उत्पादन क्षमता अभिवर्द्धन में तेज गति से वृद्धि। 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एस.टी.ए.) के समय, क्षमता में 36956 मेगावाट की वृद्धि किए जाने पर विचार किया गया था और 10वीं योजना के दौरान क्षमता में 34024 मेगावाट की वृद्धि करने की मॉनीटरिंग जा रही है जो कि लक्ष्य का लगभग 92% है।

(ii) 10वीं योजना में, केन्द्रीय आयोजना परिव्यय में 9वीं योजना की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा वृद्धि की गई है।

(iii) 11वीं योजना के दौरान, उत्पादन क्षमता अभिवर्द्धन के लिए पूर्व योजना। सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटी एवं सी) में कमी लाने की दिशा में प्रमुख कदम के रूप में, त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के तहत राज्यों में उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन।

(iv) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के तहत् देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को गति प्रदान करना।

(v) मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) में राष्ट्रीय औसत तक अभिवृद्धि करने के लिए बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एवं एम.) पद्धतियों को अपनाने हेतु "उत्कृष्टता भागीदारी" कार्यक्रम।

(vi) पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (ए.जी. एंड एस.पी.) के तहत् ऋणों पर ब्याज के सब्सिडी से, पुरानी एवं अक्षम उत्पादन इकाईयों का पुनरुद्धार आधुनिकीकरण तथा जीवन-विस्तार।

(vii) अंतः राज्यीय एवं अंतः क्षेत्रीय पारेषण संपर्क को मजबूत करते हुए (जो अंततः राष्ट्रीय ग्रिड की रचना की ओर अग्रसर है) अंतः राज्य तथा अंतः क्षेत्रीय विद्युत अंतरण को बढ़ावा देना।

(viii) तीव्र गति से जल विद्युत संभाव्यता का दोहन

(ix) मांग संबंधी प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को बढ़ावा देना।

(ङ) से (छ) देश में चल रही विद्युत परियोजनाओं का उनके चालू होने के संभावित समय और लाभार्थियों सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है। इस समय विश्व बैंक की सहायता से किसी भी विद्युत उत्पादन परियोजना का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

विवरण-I

2005-06 के लिए प्रति व्यक्ति उच्चतम विद्युत मांग और संस्थापित क्षमता (केवल यूटिलिटी)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	प्रति व्यक्ति उच्चतम विद्युत मांग प्रति व्यक्ति वॉट में	प्रति व्यक्ति संस्थापित क्षमता "प्रति व्यक्ति वॉट में
1	2	3
चंडीगढ़	239.04	118.67
दिल्ली	234.62	237.70
हरियाणा	189.34	181.97
हिमाचल प्रदेश	123.16	276.14
जम्मू-कश्मीर	139.64	144.42
पंजाब	299.15	242.48
राजस्थान	90.20	91.73
उत्तर प्रदेश	44.83	48.02
उत्तरांचल	108.25	164.60
उत्तरी क्षेत्र	**83.56**	**99.99**
छत्तीसगढ़	94.03	74.85
गुजरात	179.58	181.44
मध्य प्रदेश	98.96	96.83
महाराष्ट्र	155.24	159.94
दमन व दीव	1259.89	661.86
दादर व नागर हवेली	1579.59	1218.90
गोवा	242.42	200.99

1	2	3
पश्चिमी क्षेत्र	**127.66**	**141.74**
आन्ध्र प्रदेश	112.43	143.44
कर्नाटक	106.49	145.06
केरल	78.47	114.34
तमिलनाडु	144.21	196.80
पांडिचेरी	242.51	310.83
दक्षिणी क्षेत्र	**105.74**	**155.16**
बिहार	14.57	18.06
झारखंड	60.04	142.30
उड़ीसा	62.70	89.44
पश्चिम बंगाल	60.97	74.01
सिक्किम	81.60	198.23
पूर्वी क्षेत्र	**41.65**	**64.19**
अरुणाचल पर्देश	64.43	154.09
असम	25.44	44.95
मणिपुर	44.37	67.87
मेघालय	113.82	130.11
मिजोरम	80.08	134.69
नागालैंड	42.41	51.68
त्रिपुरा	50.26	73.03
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	**33.41**	**63.62**
अखिल भारत	84.27	111.86

नोट:-*31.03.2006 की स्थिति के अनुसार राज्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र, फर्म की परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की स्थापित क्षमता तथा केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र परियोजनाओं से राज्य/संघ राज्य का अनाबंटित हिस्सा तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता शामिल है।

विवरण-II

देश में निष्पादनाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य	मे.वा.	चालू होने का संभावित समय	लाभार्थी राज्य
1	2	3	4	5	6
			2006-07		
1.	दुलहस्ती (केन्द्रीय)	जम्मू व कश्मीर	390	12/06, 1/07, 2/07	उ.क्षे. राज्य
2.	टिहरी चरण-1 (केन्द्रीय)	उत्तरांचल	750	7/06, 8/06, 9/06	उ.क्षे. राज्य
3.	तीस्ता चरण-V (केन्द्रीय)#	सिक्किम	510	2/07, 3/07, 3/07	पू.क्षे. राज्य
4.	लारजी (राज्य)	हिमाचल प्रदेश	126	6/06, 6/06, 7/06	हिमाचल प्रदेश
5.	मनेरी भाली-II (राज्य)	उत्तरांचल	304	12/06, 1/07, 2/07, 3/07	उत्तरांचल
6.	माडीखेड़ा (राज्य)	मध्य प्रदेश	40	7/06, 8/06	मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5	6
7.	बाणसागर टोंस चरण-IV (राज्य)	मध्य प्रदेश	20	7/06, 8/06	मध्य प्रदेश
8.	घाटघर टोंस पी.एच.-IV (राज्य)	महाराष्ट्र	250	1/07, 3/07	महाराष्ट्र
9.	प्रियदर्शिनी जुराला (राज्य)	आन्ध्र प्रदेश	39	3/07	आन्ध्र प्रदेश
10.	विष्णु प्रयाग	उत्तरांचल	200	8/06, 10/06	उत्तरांचल
11.	कुट्टियाडी अतिरिक्त विस्तार (राज्य)#	केरल	100	2/07, 3/07	केरल
12.	भवानी बैराज-I (राज्य)	तमिलनाडु	30	6/06, 7/06	तमिलनाडु
13.	पुरलिया पी.एस.एस. (राज्य)	पश्चिम बंगाल	225	2/07	पश्चिम बंगाल
14.	कारबी लांगपी (राज्य)	असम	100	12/06, 2/07	असम
15.	बालीमेला विस्तार (राज्य)	उड़ीसा	150	2/07, 3/07	उड़ीसा
16.	बगलीहार-I (राज्य)#	जम्मू-कश्मीर	450	03/07	जम्मू-कश्मीर
17.	ओमकारेश्वर (केन्द्रीय)#	मध्य प्रदेश	260	03/07	मध्य प्रदेश
		कुल	**3944**		
			2007-08		
1.	तीस्ता लो डैम-III (केन्द्रीय)	पश्चिम बंगाल	132	1/08, 2/08, 3/08, 3/08	पश्चिम बंगाल
2.	सेवा-II (केन्द्रीय)	जम्मू-कश्मीर	120	7/07, 8/07, 9/07	उ.क्षे. राज्य
3.	प्रियदर्शिनी जुराला (राज्य)	आन्ध्र प्रदेश	195	2007-08	आन्ध्र प्रदेश
4.	पुरलिया पी.एस.एस. (राज्य)	पश्चिम बंगाल	675	6/07, 9/07, 12/07	पश्चिम बंगाल
5.	ओमकारेश्वर (केन्द्रीय)#	मध्य प्रदेश	260	03/07	मध्य प्रदेश
		कुल	**1382**		
			2008-09		
1.	कोटेश्वर (केन्द्रीय)	उत्तरांचल	400	12/08, 1/09, 2/09, 3/09	उ.क्षे. राज्य
2.	कोल डैम (केन्द्रीय)	हिमाचल प्रदेश	800	11/08, 1/09, 3/09, 4/09	उ.क्षे. राज्य
3.	यू.एच.आई.-III (राज्य)	हिमाचल प्रदेश	100	2008-09	हिमाचल प्रदेश
4.	वराही विस्तार (राज्य)	कर्नाटक	230	2008-09	कर्नाटक

1 2	3	4	5	6
5. मांटडू (राज्य)	मेघालय	84	2008-09	मेघालय
6. बुधी	हिमाचल प्रदेश	70	2008-09	हिमाचल प्रदेश
7. मलाना-II	हिमाचल प्रदेश	100	2008-09	हिमाचल प्रदेश
8. छुचाजैन	सिक्किम	99	2008-09	सिक्किम
	कुल	1883		
		2009-10		
1. पार्बती चरण-II (केन्द्रीय)	हिमाचल प्रदेश	800	6/09, 7/09, 8/09, 9/09	उ.क्षे. राज्य
2. उड़ी-II (केन्द्रीय)	जम्मू-कश्मीर	240	8/09, 9/09, 10/09, 11/09	उ.क्षे. राज्य
3. नागार्जुन सागर टी.आर. (राज्य)	आन्ध्र प्रदेश	50	2009-10	आन्ध्र प्रदेश
4. अथिरापल्ली (राज्य)	केरल	163	2009-10	केरल
5. भवानी बैराज-II (राज्य)	तमिलनाडु	30	2009-10	तमिलनाडु
6. भवानी बैराज-III (राज्य)	तमिलनाडु	30	2009-10	तमिलनाडु
7. तीस्ता लो डैम-IV (केन्द्रीय)	पश्चिम बंगाल	160	2009-10	पश्चिम बंगाल
	कुल	1473		
		2010-11		
1. चमेरा-III (केन्द्रीय)	हिमाचल प्रदेश	231	4/10, 6/10, 8/10	उ.क्षे. राज्य
2. पार्बती-III (केन्द्रीय)	हिमाचल प्रदेश	520	8/10, 9/10, 10/10, 11/10	उ.क्षे. राज्य
3. सुबानसिरी (लोअर)	आन्ध्र प्रदेश	2000	4/10 to 9/10	अभी निश्चित होना है
4. कामेंग (केन्द्रीय)	आन्ध्र प्रदेश	600	2010-11	अभी निश्चित होना है
5. अलायन दुहानगन	हिमाचल प्रदेश	192	2010-11	हिमाचल प्रदेश
6. करचम वांगटू	हिमाचल प्रदेश	1000	2010-11	हिमाचल प्रदेश
	कुल	4543		
		13225		

#अत्यधिक अनुकूल शेड्यूल

देश में वर्तमान निर्माणाधीन नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं समेत ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	राज्य	क्षमता (मे.वा.)	स्कीम आरंभन	लाभ प्राप्त करने वाले राज्य
1	2	3	4	5	6	7
			2006-07			
1.	विंध्याचल टी.पी.एस.-III	यू-10	मध्य प्रदेश	500	मार्च-07	प.क्षे. राज्य
2.	ऊंचाहार टी.पी.एस.-III	यू-5	उत्तर प्रदेश	210	जुलाई-06	उ.क्षे. राज्य
3.	सिपत एस.टी.पी.एस.-II	यू-4	छत्तीसगढ	500	फरवरी-06	प.क्षे. राज्य
4.	सिपत एस.टी.पी.एस.-II	यू-5	छत्तीसगढ	500	मार्च-07	प.क्षे. राज्य
5.	गुरू हरगोविंद टी.पी.एस.-II	यू-1	पंजाब	250	जनवरी-07	पंजाब
6.	गुरू हरगोविंद टी.पी.एस.-II	यू-2	पंजाब	250	मार्च-07	पंजाब
7.	गिराल टी.पी.पी.	यू-1	राजस्थान	125	सितम्बर-06	राजस्थान
8.	धोलपुर सी.सी.पी.पी. (चरण-1)	जीटी-1	राजस्थान	110	फरवरी-07	राजस्थान
9.	धोलपुर सी.सी.पी.पी. (चरण-1)	जीटी-2	राजस्थान	110	मार्च-07	राजस्थान
10.	धोलपुर सी.सी.पी.पी. (चरण-I)	एसटी	राजस्थान	110	नवम्बर-07	राजस्थान
11.	कहलगांव एस.टी.पी.एस.-II (चरण-I)	यू-5	बिहार	500	नवम्बर-06	अंतर्क्षेत्रीय राज्य
12.	कहलगांव एस.टी.पी.एस.-II (चरण-I)	यू-6	बिहार	500	मार्च-07	अंतर्क्षेत्रीय राज्य
13.	कहलगांव एस.टी.पी.एस.-II (चरण-II)	यू-7	बिहार	500	मार्च-07	अंतर्क्षेत्रीय राज्य
14.	मेजिया टी.पी.एस.	यू-5	पश्चिम बंगाल	250	जनवरी-07	डीवीसी
15.	मेजिया टी.पी.एस.	यू-6	पश्चिम बंगाल	250	मार्च-07	डीवीसी
16.	चंद्रपुरा टी.पी.एस. विस्तार	यू-7	झारखंड	250	मार्च-07	डीवीसी
17.	चंद्रपुरा टी.पी.एस. विस्तार	यू-8	झारखंड	250	मार्च-07	डीवीसी
18.	परीच्छा टी.पी.एस. विस्तार	यू-4	उत्तर प्रदेश	210	सितम्बर-06	उत्तर प्रदेश
19.	कोरबा पूर्वी टी.पी.एस. चरण-V	यू-1	छत्तीसगढ	250	जनवरी-07	छत्तीसगढ

1	2	3	4	5	6	7
20.	कोरबा पूर्वी टी.पी.एस. चरण-V	यू-2	छत्तीसगढ़	250	मार्च-07	छत्तीसगढ़
21.	अमरकंटक टी.पी.पी.	यू-5	मध्य प्रदेश	210	जून-07	मध्य प्रदेश
22.	धुवरण सी.सी.पी.पी. विस्तार	एसटी	गुजरात	40	सितम्बर-06	गुजरात
23.	कच्छ लिग्नाइट विस्तार	यू-4	गुजरात	75	नवम्बर-06	गुजरात
24.	न्यू पाली टी.पी.एस.	यू-1	महाराष्ट्र	250	अगस्त-06	महाराष्ट्र
25.	पारस टी.पी.एस. विस्तार	यू-1	महाराष्ट्र	250	जून-07	महाराष्ट्र
26.	बीरसिंहपुर टी.पी.एस. विस्तार (चरण-III)	यू-5	मध्य प्रदेश	500	सितम्बर-06	मध्य प्रदेश
27.	रायलसीमा टी.पी.एस.-II	यू-3	आन्ध्र प्रदेश	210	सितम्बर-06	आन्ध्र प्रदेश
28.	रायलसीमा टी.पी.एस.-II	यू-4	आन्ध्र प्रदेश	210	दिसम्बार-06	आन्ध्र प्रदेश
29.	ओ.पी. जिंदल टी.पी.पी. चरण-I	यू-1	छत्तीसगढ़	250	मार्च-07	छत्तीसगढ़
30.	बेलारी टी.पी.पी.	यू-1	कर्नाटक	500	दिसम्बर-06	कर्नाटक
31.	संतलदीह टी.पी.पी.	यू-1	पश्चिम बंगाल	250	मार्च-07	पश्चिम बंगाल
32.	सागरदीघी टी.पी.पी.	यू-1	पश्चिम बंगाल	300	जनवरी-06	पश्चिम बंगाल
33.	सागरदीघी टी.पी.पी.	यू-2	पश्चिम बंगाल	300	मार्च-07	पश्चिम बंगाल
34.	दुर्गापुर टी.पी.एस. विस्तार	यू-7	पश्चिम बंगाल	300	जनवरी-07	पश्चिम बंगाल
35.	बकरेश्वर टी.पी.एस. विस्तार	यू-4	पश्चिम बंगाल	210	मार्च-07	पश्चिम बंगाल
36.	सुजेन सी.सी.पी.पी.	ब्लॉक-1	गुजरात	365	मार्च-07	गुजरात
37.	दाभोल सी.सी.पी.पी.-II	जीटी + एसटी	महाराष्ट्र	704	नवम्बर-07	महाराष्ट्र
38.	दीमापुर डी.जी.पी.पी.	जीटी-1-4	नागालैंड	23	अनिश्चित #	नागालैंड
39.	गौतमी सी.सी.पी.पी.	जीटी-1	आन्ध्र प्रदेश	145	जुलाई-06	आन्ध्र प्रदेश
40.	गौतमी सी.सी.पी.पी.	जीटी-2	आन्ध्र प्रदेश	145	जुलाई-06	आन्ध्र प्रदेश
41.	गौतमी सी.सी.पी.पी.	एसटी	आन्ध्र प्रदेश	174	सितम्बर-06	आन्ध्र प्रदेश
42.	कोनासीमा सी.सी.पी.पी.	जीटी-1	आन्ध्र प्रदेश	140	जुलाई-06	आन्ध्र प्रदेश
43.	कोनासीमा सी.सी.पी.पी.	जीटी-2	आन्ध्र प्रदेश	140	जुलाई-06	आन्ध्र प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7
44.	कोनासीमा सी.सी.पी.पी.	एसटी	आन्ध्र प्रदेश	165	सितम्बर-06	आन्ध्र प्रदेश
			कुल	11731		
नाभिकीय विद्युत						
1.	कैगा ए.पी.पी.	यू-3	कर्नाटक	220	मार्च-07	द.क्षे. राज्य
2.	राजस्थान ए.पी.पी.	यू-5	राजस्थान	220	मार्च-07 #	उ.क्षे. राज्य
3.	कुदनकुलम	यू-1	तमिलनाडु	1000	मार्च-07 #	द.क्षे. राज्य
			कुल	1440		
			2007-08			
ताप विद्युत						
1.	भिलाई टी.पी.पी.	यू-1	छत्तीसगढ	250	फरवरी-08	प.क्षे. राज्य
2.	भिलाई टी.पी.पी.	यू-2	छत्तीसगढ	250	अगस्त-08	प.क्षे. राज्य
3.	सिपत एस.टी.पी.पी. चरण-I	यू-1	छत्तीसगढ	660	अक्तूबर-07	प.क्षे. राज्य
4.	यमुनानगर टी.पी.पी.	यू-1	हरियाणा	300	अक्तूबर-07	हरियाणा
5.	यमुनानगर टी.पी.पी.	यू-2	हरियाणा	300	जनवरी-08	हरियाणा
6.	बकरेश्वर टी.पी.एस. विस्तार	यू-5	पश्चिम बंगाल	210	जून-07	पश्चिम बंगाल
7.	ओ.पी. जिंदल टी.पी.पी. चरण-I	यू-2	छत्तीसगढ	250	जुलाई-07	छत्तीसगढ
8.	ओ.पी. जिंदल टी.पी.पी. चरण-I	यू-3	छत्तीसगढ	250	अक्तूबर-07	छत्तीसगढ
9.	ओ.पी. जिंदल टी.पी.पी. चरण-II	यू-4	छत्तीसगढ	250	जनवरी-08	छत्तीगसढ
10.	सुजेन सी.सी.पी.पी.	ब्लॉक-II	गुजरात	376	जून-07	गुजरात
11.	सुजेन सी.सी.पी.पी.	ब्लॉक-III	गुजरात	376	सितम्बर-07	गुजरात
			कुल	3472		
नाभिकीय विद्युत						
1.	कैगा ए.पी.पी.	यू-4	कर्नाटक	220	सितम्बर-07	प.क्षे. राज्य
2.	राजस्थान ए.पी.पी.	यू-6	राजस्थान	220	फरवरी-08	उ.क्षे. राज्य
			कुल	440		

1	2	3	4	5	6	7
				2008-09		
ताप विद्युत						
1.	सिपत एस.टी.पी.पी. चरण-I	यू-2	छत्तीसगढ़	660	अप्रैल-08	प.क्षे. राज्य
2.	सिपत एस.टी.पी.पी. चरण-I	यू-3	छत्तीसगढ़	660	अक्तूबर-08	प.क्षे. राज्य
3.	बाढ़ एस.टी.पी.पी.	यू-1	बिहार	660	मार्च-09	अंतर्क्षेत्रीय राज्य
4.	नेयवेली टी.पी.एस.-II विस्तार	यू-1	तमिलनाडु	250	अक्तूबर, 2009	द.क्षे. राज्य
5.	नेयवेली टी.पी.एस.-II विस्तार	यू-2	तमिलनाडु	250	फरवरी, 2009	द.क्षे. राज्य
6.	बारसिंगपुर लिग्नाइट टी.पी.पी.	यू-1	राजस्थान	125	जून, 2008	राजस्थान
7.	बारसिंगपुर लिग्नाइट टी.पी.पी.	यू-2	राजस्थान	125	अक्तूबर, 2008	राजस्थान
8.	विजयवाडा टी.पी.पी. चरण-IV	यू-1	आन्ध्र प्रदेश	500	अगस्त-08	आन्ध्र प्रदेश
	काकतीय (भोपालपल्ली)		आन्ध्र प्रदेश	500	अगस्त, 2008	आन्ध्र प्रदेश
9.	लानको अमरकंटक (पठाडी) मेगा टी.पी.एस.	यू-1	छत्तीसगढ़	300	सितम्बर-08	छत्तीसगढ़
10.	सूरत लिग्नाइट टी.पी.पी. विस्तार	यू-3, 4	गुजरात	250	नवम्बर, 08 एवं मार्च, 09	गुजरात
11.	गिराल लिग्नाइट चरण-II	यू-2	राजस्थान	125	दिसम्बर-08	राजस्थान
12.	छाबड़ा टी.पी.एस.	यू-1	राजस्थान	250	दिसम्बर-08	राजस्थान
13.	छाबड़ा टी.पी.एस.	यू-2	राजस्थान	250	मार्च-09	राजस्थान
14.	कोटा यू-7	यू-7	राजस्थान	195	अक्तूबर, 08	राजस्थान
15.	सूरतगढ़ विस्तार	यू-6	राजस्थान	250	अक्तूबर, 08	राजस्थान
16.	ट्रांबे विस्तार		महाराष्ट्र	250	जनवरी, 09	महाराष्ट्र
17.	लकवा डब्ल्यू.एच.			37		
			कुल	**5637**		
नाभिकीय विद्युत						
1.	कोठागुडम ए.पी.पी.			1000	दिसम्बर-08	द.क्षे. राज्य
			कुल	**1000**		

1	2	3	4	5	6	7
			2009-10 और 2010-11			
ताप विद्युत						
1.	बाढ़ एस.टी.पी.पी.	यू-2	बिहार	660	जनवरी-10	अंतरक्षेत्रीय राज्य
2.	बाढ़ एस.टी.पी.पी.	यू-3	बिहार	660	नवम्बर-10	अंतरक्षेत्रीय राज्य
3.	कोरबा एस.टी.पी.पी.	यू-7	छत्तीसगढ़	500	मई-09	प.क्षे. राज्य
4.	परिच्छा विस्तार		उत्तर प्रदेश	500	39 महीने	उत्तर प्रदेश
5.	हरदुआगंज विस्तार		उत्तर प्रदेश	500	41 महीने	उत्तर प्रदेश
			योग	**2820**		
			समग्र योग	**26540**		
			ताप विद्युत	**23660**		
			नाभिकीय विद्युत	**2880**		

#अत्यधिक अनुकूल शेड्यूल

श्रेणी	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	योग
तापीय विद्युत	11,731	3,472	5,637	2,160	660	23,660
जल विद्युत	3,944	1,382	1,883	1,473	4,543	13,225
नाभिकीय विद्युत	1,440	440	1,000	0	0	2,880
योग	17,115	5,294	8,520	3,633	5,203	39,765

एल.ओ.ए.: प्रदान-पत्र

एफ.सी.: वित्तीय परिसमाप्ति

प.क्षे. राज्य: पश्चिम क्षेत्र राज्य

उ.पू.क्षे. राज्य: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र राज्य

एल.ओ.आई.: आशय-पत्र

उ.क्षे. राज्य: उत्तरी क्षेत्र राज्य

द.क्षे. राज्य: दक्षिणी क्षेत्र राज्य

पू.क्षे. राज्य: पूर्वी क्षेत्र राज्य

[अनुवाद]

स्थानीय निकायों में स्वच्छ प्रशासन

***182. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुनियोजित और संतुलित शहरी नवीकरण हेतु स्थानीय शासन के स्तर पर स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने नियोजित और संतुलित शहरी नवीकरण हेतु स्थानीय स्तर पर स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), छोटे और मझोले नगरों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) शुरू किया है। इन स्कीमों के अन्तर्गत शहरी अवस्थापना और शासन में सुधार तथा शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए शहरों को सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता मुहैया की जाएगी। न स्कीमों हेतु सात वर्षों अर्थात् 2005-06 से 2011-12 तक की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान वर्ष के लिए बजट में 4595.93 करोड़ रुपए का प्रावधान (बिना विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर) किया गया है। इन स्कीमों के तहत धनराशि लेने के लिए राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को कुछ अनिवार्य तथा वैकल्पिक सुधार करने होंगे। राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इन सुधारों का उद्देश्य स्थानीय निकायों की वित्तीय हालत सुधारना, सृजित परिसंपत्तियों का उचित प्रचालन तथा रखरखाव और शहरी शासन तथा सेवा सुपुर्दगी को सुधारना है।

राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित हासिल करना है:-

1. स्थानीय स्व-शासनों को वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना।
2. समुदाय भागीदारी कानून बनाकर शहरी नियोजन और शासन में लोगों/समुदाय की भागीदारी।
3. सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेयता सुनिश्चित करना।
4. स्थानीय निकायों द्वारा आधुनिक लेखा तथा बजट प्रणाली अपनाना।
5. स्थानीय निकायों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए जी.आई.एस. और एम.आई.एस. जैसी सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए ई-प्रशासन शुरू करना।
6. स्थानीय निकायों के राजस्व में वृद्धि के लिए संपत्ति कर प्रशासन में सुधार करना।
7. स्थानीय निकायों द्वारा नागरिकों को मुहैया कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए तर्कसंगत उपभोक्ता प्रभार लगाना।
8. शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं का प्रावधान।

राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन सम्पन्न करना होगा जिसमें वे सुधार लागू करने का वचन देंगे।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

मिशन के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- नगर विकास प्लान (सी.डी.पी.) तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की निदर्शी सूची राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों को भिजवा दी गई है।
- नगर विकास प्लान तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए एजेंसियों का पैनल बनाया गया है।
- समझौता ज्ञापन में शामिल महत्वपूर्ण मदों की मानीटरिंग के लिए एजेंसियों का पैनल बनाया गया है।
- नगरपालिका अधिकारियों को जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया/किया जा रहा है।
- 22 नगर विकास प्लानों का मूल्यांकन किया गया है तथा 11 का मूल्यांकन किया जा रहा है।
- सात राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) तथा 18 नगरों के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न किए गए हैं।
- केन्द्रीय स्वीकृति तथा मानीटरिंग समिति की अब तक 7 बैठकें की गई हैं। इन बैठकों में कुल 2252.22 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत वाली 58 परियोजनाएं, स्वीकृत की गई हैं। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की प्रथम किश्त के रूप में 265.93 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से अब तक 205.22 करोड़ रु. दिए जा चुके हैं।

विवरण-I

1. अनिवार्य सुधार

अनिवार्य सुधारों के दो सेट होंगे। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर कोर सुधारों का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए कार्याविधि का पुनर्गठन करके पारदर्शी तरीके से अधिक कारगर, विश्वसनीय, सेवाएं समय पर उपलब्ध कराना है। सुधारों का दूसरा सेट राज्य स्तर पर संरचना से संबंधित है।

1.1 शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तर पर सुधार

(i) शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटलों में लेखांकन की नवीनतम, एक्रुयल बेस्ड डबल एंट्री सिस्टम अपनाना;

(ii) शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए जी.आई.एस. और एम.आई.एस. जैसी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ई-प्रशासन प्रणाली शुरू करना;

(iii) जी.आई.एस. के माध्यम से संपत्ति कर में सुधार करना ताकि यह शहरी स्थानीय निकायों के लिए आय का मुख्य स्रोत बन सके और इसके प्रभावी कार्यान्वयन की व्यवस्था करना ताकि आगामी सात वर्षों के अंदर कम से कम 85% उगाही संभव हो सके;

(iv) शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल द्वारा इस उद्देश्य से उपयुक्त उपभोक्ता प्रभार लगाना कि प्रचालन और अनुरक्षण की पूरी लागत अथवा आवर्ती लागत की वसूली अगले सात वर्षों के अंदर हो जाए। तथापि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अन्य विशेष श्रेणी राज्यों के शहर और कस्बे प्रारंभ में प्रचालन और अनुरक्षण लागत का कम से कम 50% वसूल सकते हैं। चरणबद्ध तरीके से ये शहर/कस्बे प्रचालन और अनुरक्षण की पूरी लागत वसूल करेंगे।

(v) शहरी गरीब व्यक्तियों को बुनियादी सेवाओं के लिए स्थानीय निकाय बजट में आंतरिक निर्धारण।

(vi) शहरी गरीबों के लिए किफायती कीमतों में टेन्योर की सुरक्षा सहित बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, बेहतर आवास, जल आपूर्ति, सफाई और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की पहले से विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना।

1.2 राज्य स्तर पर सुधार

(i) चौहतरवें संविधान संशोधन अधिनियम की संकल्पना के अनुरूप विकेन्द्रीकरण उपायों का कार्यान्वयन। राज्यों द्वारा, पैरा स्टेटलों के कार्यों की योजना तथा नागरिकों को सेवाओं की सुपुर्दगी में शहरी स्थानीय निकायों को सार्थक ढंग से शामिल करना/नियोजित करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) *शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम का निरसन।

(iii) *भू-स्वामियों और किरायेदारों के हितों में संतुलन कायम करते हुए किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार करना।

(iv) स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत बनाना ताकि अगले सात वर्षों में इसे कम करके 5% तक लाया जा सके।

(v) स्थानीय शहरी निकायों/पैरा स्टेटल की मध्यावधि वित्तीय योजना तैयार करने तथा सभी संबंधितों को तिमाही कार्य निष्पादन की सूचना देने के उद्देश्य से सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून बनाना;

(vi) नागरिक सहभागिता को मान्यता देने के लिए समुदाय सहभागिता कानून पारित करना और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा शुरू करना;

(vii) निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को "नगर नियोजन कार्य" देना अथवा इससे सहयोजित करना। सात वर्षों की अवधि में शहरी क्षेत्रों में सिविक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सभी विशेष एजेंसियों को शहरी स्थानीय निकायों के पास अंतरित करना और अंतरिम अवधि में सभी शहरी सिविक सेवा दाताओं की जिम्मेदारी ठहराने की व्यवस्था करना;

नोट: *जलापूर्ति और सफाई से संबंधित स्कीमों के संबंध में निम्नलिखित राज्य स्तरीय अनिवार्य सुधारों को वैकल्पिक सुधार माना जा सकता है।

(i) शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन

(ii) किराया नियंत्रण अधिनियम का सुधार

2. वैकल्पिक सुधार (जो राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटल के लिए एक समान है)

(I) भवनों के निर्माण, स्थलों के विकास आदि के लिए

अनुमोदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु उप नियमों में संशोधन।

(ii) कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु परिवर्तित करने के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक कार्यढांचों का सरलीकरण।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों में संपदा स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रणाली शुरू करना।

(iv) क्रास सब्सिडाइजेशन प्रणाली के साथ ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के लिए सभी आवास परियोजनाओं (सार्वजनिक और निजी एजेंसियों दोनों) में विकसित भूमि का कम से कम 20-25% निर्धारित करना।

(v) भूमि और संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया शुरू करना।

(vi) सभी भवनों में वर्षा जल संगर्हण को अनिवार्य बनाने और जल संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए उप नियमों में संशोधन।

(vii) रीसाइकल्ड पानी का पुनः उपयोग करने के लिए उप नियम।

(viii) प्रशासनिक सुधार अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमें शुरू करके, सेवानिवृत्ति इत्यादि के कारण खाली हुए पदों को न भरकर स्थापना में कटौती करना तथा इस संबंध में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करना।

(ix) संरचनात्मक सुधार।

(x) सार्जवनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

नोटः प्रत्येक वर्ष में राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटलों द्वारा मिलकर कोई दो वैकल्पिक सुधार कार्यान्वित किये जाने हैं।

विवरण-II

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का विवरण और इसके लक्ष्य

– इस मिशन के दो उप मिशन हैं नामतः शहरी अवस्थापना तथा शासन के लिए उप मिशन-I तथा शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं का उप मिशन-II

– मिशन में अनुलग्नक-I के अनुसार विभिन्न राज्यों के 63 चुनिन्दा नगरों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

– मिशन के तहत शामिल नहीं किए गये नगरों/कस्बों के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने छोटे और मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) शुरू की है जबकि शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) नामक स्कीम तैयार की है।

– शहरी विकास मंत्रालय और शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय की निम्नलिखित मौजूदा स्कीमों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. में शामिल किया गया है:-

(i) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास

(ii) छोटे और मझोले कस्बों का समन्वित विकास

(iii) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

(iv) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष

– केन्द्रीय सहायता का प्रावधान राज्य तथा शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तरों पर कुछ अनिवार्य तथा वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन से जुड़ा है।

– सभी अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों का कार्यान्वयन 2005-06 से आरंभ हुई 7 वर्षों की मिशन-अवधि के दौरान पूरा किया जाना है।

– केन्द्रीय सहायता शतप्रतिशत अनुदान के रूप में है, जो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाएगी।

– शहरों को शहर विकास योजनाएं तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करनी हैं।

– केन्द्रीय अनुदान अथवा वास्तविक जरूरत का 5 प्रतिशत जो भी कम हो, शहरी विकास योजनाएं, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, क्षमता निर्माण, सूचना, शिक्षा व संचार (आई.ई.सी.) क्रियाकलापों इत्यादि के लिए मुहैया कराया जाता है।

– राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटलों द्वारा केन्द्र सरकार के साथ त्रि-पक्षीय करार ज्ञापन सम्पन्न करना केन्द्रीय धनराशि प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। करार ज्ञापन में राज्य और

शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल स्तरों पर सुधारों के कार्यान्वयन में प्रतिबद्धता तथा लक्ष्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

- **वित्तपोषण का पैटर्न**

शहरों की आबादी, भौगोलिक स्थिति तथा शहर की श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित अनुसार धनराशि मुहैया कराई जाती हैं:-

(i) परियोजनाओं की लागत का 35%/ 50%/ 80%/ 90% प्रतिपोषण भारत सरकार द्वारा 100% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में किया जाएगा और

(ii) 65%/ 50%/ 20%/ 10% वित्तपोषण राज्य/शहरी स्थानीय निकायों/वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाएगा।

- धनराशि चार किस्तों में दी जाएगी।
- पहली किस्त करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तथा शहर विकास योजनाएं/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित होने के बाद दी जाएगी।
- बाद की किस्तें जारी किया जाना, सुधार/लक्ष्य प्राप्त करने और परियोजनाओं की प्रगति पर निर्भर करेगा।
- मिशन अवधि में केन्द्रीय सहायता के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के उद्देश्य इस प्रकार है:-

1. शहरों में अवसंरचना सेवाओं के समन्वित विकास पर अधिक ध्यान देना।
2. परिसंपत्ति सृजन और परिसंपत्ति प्रबंधन में कारगर सामंजस्य स्थापित करना ताकि शहरों में सृजित अवसंरचना सेवाओं का न केवल कुशलता से रखरखाव हो बल्कि ये सेवाएं समय के साथ-साथ स्वपोषित भी बन सकें।
3. शहरी क्षेत्र में कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश सुनिश्चित करना।
4. बाहरी-शहरी क्षेत्रों, विस्तार क्षेत्रों और शहरी कारीडोरों सहित चुनिंदा शहरों का नियोजित विकास करना।
5. शहरी गरीबों के लिए नागरिक सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान की सुलभता पर जोर देते हुए इनकी उपलब्धता बढ़ाना।
6. भीड़भाड़ कम करने के लिए शहरी नवीकरण कार्यक्रम अर्थात् अंदरूनी (पुराने) नगरीय क्षेत्र का पुनर्विकास शुरू करना।
7. जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत शामिल शहरों की सूची।

राज्य का नाम	नगर का नाम	आबादी (लाख में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	57.42
	विजयवाड़ा	10.39
	विशाखापट्टनम	13.45
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	0.35
असम	गुवाहाटी	8.19
बिहार	बोध गया	3.94
	पटना	16.98
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	चंडीगढ़	8.08
छत्तीसगढ़	रायपुर	7.00
दिल्ली	दिल्ली	128.77
गोवा	पणजी	0.99
गुजरात	अहमदाबाद	45.25
	राजकोट	10.03
	सूरत	28.11
	बड़ोदरा	14.91
हरियाणा	फरीदाबाद	10.56
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.45

1	2	3
जम्मू-कश्मीर	जम्मू	6.12
	श्रीनगर	9.88
झारखण्ड	धनबाद	10.65
	जमशेदपुर	11.04
	रांची	8.63
कर्नाटक	बंगलौर	57.01
	मैसूर	7.99
केरल	कोचीन	13.55
	तिरूवनंतपुरम	8.90
मध्य प्रदेश	भोपाल	14.58
	इंदौर	16.40
	जबलपुर	10.98
	उज्जैन	4.31
महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	164.34
	नागपुर	21.29
	नान्देड	4.31
	नासिक	11.52
	पुणे	37.60
मणिपुर	इम्फाल	2.50
मेघालय	शिलांग	2.68
मिजोरम	आईजोल	2.28
नागालैंड	कोहिमा	0.77
उड़ीसा	भुवनेश्वर	6.58
	पुरी	1.57
पांडिचेरी	पांडिचेरी	5.05
पंजाब	अमृतसर	10.03
	लुधियाना	13.98
राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	5.04
	जयपुर	23.27
सिक्किम	गंगटोक	0.29
तमिलनाडु	चेन्नै	65.60
	कोयम्बटूर	14.61
	मदुरै	12.03
त्रिपुरा	अगरतला	1.90
उत्तर प्रदेश	आगरा	13.31
	इलाहाबाद	10.42
	कानपुर	27.15
	लखनऊ	22.46
	मथुरा	3.23
	मेरठ	11.61
	वाराणसी	12.04
उत्तरांचल	देहरादून	5.30
	हरिद्वार	2.21
	नैनीताल	2.20
पश्चिम बंगाल	आसनसोल	10.67
	कोलकाता	132.06

केन्द्रीय बिक्री कर को धीरे-धीरे समाप्त करना

*183. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों की इस मांग का आकलन कर रही है कि उन्हें क्षतिपूर्ति पैकेज दिया जाएगा ताकि वे केन्द्रीय बिक्री कर को धीरे-धीरे समाप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) केन्द्रीय बिक्री कर वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्री पर लगाया जाने वाला कर है जो केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, परन्तु उद्गम राज्य, अर्थात वह राज्य जिससे वस्तुओं का संचलन शुरू होता है, द्वारा सम्पूर्ण रूप से एकत्रित और विनियोजित किया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर के मूल-आधारित कर होने के कारण वैट की अवधारणा के अननुरूप है, जो गंतव्य स्थान-आधारित कर है। इसके अलावा, केन्द्रीय बिक्री कर वैट के विरुद्ध छूट योग्य नहीं है और इसलिए निरंतरता के स्वरूप का कर है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए मोटे तौर पर यह सर्वसम्मति है कि राज्य स्तर पर जारी कर सुधार प्रक्रिया के संदर्भ में केन्द्रीय बिक्री कर को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति (ई.सी.) इस मुद्दे पर विचार विमर्श करती रही है। अधिकार-प्राप्त समिति का यह विचार है कि राज्यों के बिक्री कर को धीरे-धीरे समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। यह मामला 16-12-2005, 17-2-2006 और 22-3-2006 को राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठकों में भी चर्चा के लिए आया था। 22-3-2006 को हुई बैठक में यह सहमति हुई थी कि गैर-मौद्रिक और मौद्रिक उपायों के मिश्रित प्रतिपूर्ति पैकेज को, वर्षों की सीमित संख्या के लिए, अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। यह भी सहमति हुई थी कि अधिकार-प्राप्त समिति करों के राज्य आयुक्तों की एक तकनीकी समिति का गठन करेगी जो ऐसी प्रतिपूर्ति के लिए विकल्प और इसके लिए तौर-तरीके सुझाएगी। तद्नुसार, अधिकार-प्राप्त समिति ने एक समिति का गठन किया जिसने अधिकार-प्राप्त समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अधिकार-प्राप्त समिति ने रिपोर्ट पर यथोचित रूप से विचार करने के पश्चात् अब प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है।

अधिकार-प्राप्त समिति के प्रस्ताव की जांच की गई है और उसके पश्चात् उस पर सरकार के विचार और सुझाव अधिकार-प्राप्त समिति को मामले पर और आगे विचार करने के लिए सम्प्रेषित किए गए हैं। अधिकार-प्राप्त समिति इस मुद्दे पर और आगे विचार-विमर्श कर रही है। अधिकार-प्राप्त समिति के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

विकास दर

***184. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्थव्यवस्था में मंदी आई है और गत वर्ष की तुलना में उद्योग एवं खुदरा क्षेत्र से ऋण की मांग में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार वर्ष 2005-06 के दौरान दर्ज 8.4 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करने की अपेक्षा करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2006-07 में अर्थव्यवस्था में गिरावट के कोई संकेत नहीं हैं। उद्योग और सेवा क्षेत्रों से उच्च वृद्धि की गति बनाए रखने की उम्मीद की जा रही है। वाणिज्यिक क्षेत्र से बैंक ऋण की मांग भी 2006-07 की पहली तिमाही के दौरान मजबूत बनी हुई है। दिनांक 7 जुलाई, 2006 तक वाणिज्यिक क्षेत्र को मिलने वाले बैंक ऋण में 40,789 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान के 26,053 करोड़ रुपए से अधिक है।

(ग) से (ङ) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2005-06 के दौरान वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि 8.4 प्रतिशत थी। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 3.9 प्रतिशत, 8.7 प्रतिशत और 10.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। वृद्धि की यह रफ्तार चालू वर्ष में भी जारी रहने की संभावना है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

***185. श्री गुरूदास दासगुप्त:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत अधिनियम के अनुसार विद्युत सुधार लागू करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) विद्युत क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के संबंध में अन्य राज्यों का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए

गए वायदे के अनुसार विद्युत क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के परिणामों की कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 में उदार और प्रगतिगामी कानूनी ढांचे को स्थान दिया गया है। थर्मल उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। विद्युत का पारेषण, वितरण और व्यापार लाइसेंसशुदा कार्यकलाप हैं। विद्युत विनियामक आयोग इन गतिविधियों के लिए लाइसेंस जारी करता है और उसका विनियमन करता है।

(i) अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन कर लिया है।

(ii) दस राज्यों (उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर, प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात एवं मध्य प्रदेश) ने विद्युत अधिनियम 2003 बनाने से पहले लागू अपने-अपने राज्य सुधार अधिनियम के तहत अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन कर दिया है। असम और महाराष्ट्र ने अपने-अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत किया है। नौ राज्यों (बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मेघालय तथा हिमाचल प्रदेश) ने अपने-अपने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के लिए अधिनियम की धारा 172 (क) के तहत केन्द्र सरकार से और समय दिए जाने का अनुरोध किया है जिसे मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त असम राज्य ने अपने राज्य विद्युत बोर्ड के लिए केवल व्यापार के सीमित कार्य को जारी रखने के लिए और समय मांगा है। इसे भी मंजूर कर लिया गया है।

(iii) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 16 राज्यों में उपभोक्ता शिकायत सुनवाई मंच (सी.जी.आर.एफ.) का गठन किया जा चुका है तथा 15 राज्यों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। लोकपाल एवं स्वतंत्र अधिकरण है जो उपभोक्ता शिकायत सुनवाई मंच द्वारा शिकायतों की सुनवाई न किए जाने के मामलों में कार्रवाई करेगा।

(iv) अधिनियम की धारा-14, जिनमें बिना किसी लाइसेंस के उत्पादन एवं वितरण की मिश्रित स्कीमों पर कार्य किए जाने की व्यवस्था की गई है के तहत 21 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्र अधिसूचित कर दिए हैं।

(v) 23 राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वयन करने, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता की समीक्षा करने तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए जिला समितियां गठित कर दी हैं।

(vi) 14 राज्यों ने चोरी से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतें बनाई हैं।

ऊपर (iii) से (vi) तक वर्णित राज्यों का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) विद्युत अधिनियम, 2003 की समीक्षा के उपरांत विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया है।

सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आई.आई.पी.ए.) को राज्य विद्यीत बोर्डों के पुनर्गठन के प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए कहा है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण क्षेत्रों की अधिसूचना	विशेष अदालतों की स्थापना	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	लोकपाल की नियुक्ति	जिला समिति का गठन
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	हां	हां	हां	नहीं	हां
2.	अरुणाचल प्रदेश	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3.	आन्ध्र प्रदेश	हां	हां	हां	हां	हां

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां
5.	छत्तीसगढ़	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
6.	गोवा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7.	गुजरात	हां	हां	हां	हां	हां
8.	हरियाणा	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
9.	हिमाचल प्रदेश	नहीं	हां	हां	हां	हां
10.	झारखंड	हां	नहीं	हां	हां	हां
11.	जम्मू-कश्मीर	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां
12.	कर्नाटक	हां	नहीं	हां	हां	हां
13.	केरल	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
14.	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	हां	हां
15.	महाराष्ट्र	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
16.	मेघालय	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां
17.	मणिपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां
18.	मिजोरम	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां
19.	नागालैंड	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां
20.	उड़ीसा	हां	हां	हां	हां	हां
21.	पंजाब	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22.	राजस्थान	हां	हां	हां	हां	हां
23.	सिक्किम	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
24.	तमिलनाडु	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
25.	त्रिपुरा	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां
26.	उत्तर प्रदेश	हां	हां	हां	हां	हां
27.	उत्तरांचल	हां	हां	हां	हां	हां
28.	पश्चिम बंगाल	हां	हां	हां	हां	हां
29.	दिल्ली	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
	कुल	21	14	16	15	23

ठोस-कचरा प्रबंधन

***186. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के चुने हुए शहरों/नगरों में ठोस कचरा एवं जल निकास प्रबंधन हेतु एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना हेतु शहर/नगर-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार डिफेंस वायुयानों को पक्षियों के टकरा जाने की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए 10 चुनिंदा एयरफील्ड कस्बों में कचरा प्रबंधन और जल निकासी के लिए एक केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम कार्यान्वित कर रही है। ये कस्बे इस प्रकार हैं:- अम्बाला और सिरसा (हरियाणा), आदमपुर (पंजाब), बरेली और हिंडन (उत्तर प्रदेश), डुंडीगल (आंध्र प्रदेश), ग्वालियर (मध्य प्रदेश), जोधपुर (राजस्थान), पुणे (महाराष्ट्र) तथा तेजपुर (असम)/स्कीम में सेनिटरी लैंडफील, कंपोस्ट प्लांट तथा बरसाती पानी के लिए नालों के निर्माण के लिए भी पूंजी लागत के तौर पर भारत सरकार से 100% अनुदान देने का प्रावधान है। स्कीम की प्रचालन व रखरखाव (ओ एंड एम) लागत संबंधित शहरी स्थानीय निकाय/राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न शहरों/कस्बों के लिए निम्नलिखित धनराशि अनुमोदित की गई है:-

शहर/कस्बे का नाम	अनुमोदित राशि
1	2
अम्बाला (हरियाणा)	11,79,28,640/-रुपये
सिरसा (हरियाणा)	8,85,75,000/-रुपये
आदमपुर (पंजाब)	3,08,53,760/-रुपये
बरेली (उत्तर प्रदेश)	13,86,00,000/-रुपये
हिंडन (उत्तर प्रदेश)	13,52,00,000/-रुपये
डुंडीगल (आंध्र प्रदेश)	2,15,24,160/-रुपये
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	12,80,17,120/-रुपये
जोधपुर (राजस्थान)	19,37,30,000/-रुपये
पुणे (महाराष्ट्र)	37,77,84,960/-रुपये
तेजपुर (असम)	6,16,26,600/-रुपये

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन

***187. श्री रामदास आठवले:**

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पवन, सौर, बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत कतिपय योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य-वार कितने गांवों का सौर और बायोगैस ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में, विशेषतः दूरस्थ ग्रामों में, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय के पास ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा के संवर्धन हेतु वर्तमान में जारी कार्यक्रम हैं, विशेष रूप से (i) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य दूरस्थ गांवों और दूरस्थ बस्तियों, जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टिविटी प्राप्त होने की संभावना नहीं है, का विद्युतीकरण/रोशनी उपलब्ध कराना है; (ii) ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजनाएं जिनका उद्देश्य स्थानीय रूप से उपलब्ध अक्षय स्रोतों के माध्यम से कुकिंग, रोशनी और मोटिव पावर हेतु दूरस्थ गांवों की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करना है; (iii) बायोगैस कार्यक्रम जिसका उद्देश्य गांवों में स्वच्छता में सुधार के अतिरिक्त

कुकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना है; (iv) विशेष श्रेणी के राज्यों में अविद्युतीकृत गांवों में सौर लालटेन कार्यक्रम; और (v) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य एक समेकित तरीके से पारंपरिक तथा अपारंपरिक स्रोतों के माध्यम से कुकिंग, रोशनी तथा मोटिव पावर की ऊर्जा सेवाओं के प्रावधान हेतु राज्य, जिला तथा ग्राम स्तरों पर ऊर्जा योजना बनाना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकरण/रोशनी हेतु लिए गए गांवों/बस्तियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनमें अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड विद्युत के लिए दी जा रही अधिमान्य शुल्क-दर के अलावा पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती शुल्क और करों से राहत शामिल है। इसके अतिरिक्त, ऐसे दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण/रोशनी उपलब्ध कराने के लिए 90% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत ग्रिड-कनेक्टिविटी प्राप्त होने की संभावना नहीं है। अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के प्रयोग के संबंध में समय-समय पर प्रिंट, पोस्टल और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार एवं जागरूकता का सृजन किया जाता है और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन को सुगम बनाने के लिए राज्यों में जिला-स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां के माध्यम से विद्युतीकरण/रोशनी हेतु लिए गए दूरस्थ गांवों/बस्तियों के राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गांव/बस्तियां (संख्या) (31-03-2006 तक)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	171
2.	असम	33
3.	गुजरात	38
4.	हरियाणा	45
5.	जम्मू-कश्मीर	50
6.	झारखंड	341
7.	कर्नाटक	20
8.	मध्य प्रदेश	50
9.	महाराष्ट्र	177
10.	मणिपुर	40
11.	राजस्थान	230
12.	तमिलनाडु	152
13.	त्रिपुरा	518
14.	उत्तरांचल	164
15.	उत्तर प्रदेश	97
16.	पश्चिम बंगाल	263
	कुल	2389

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों से ऊर्जा

***188. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**

श्री नवीन जिन्दल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने देश की ऊर्जा मांग की पूर्ति में सहयोग देने के लिए भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा नेपाल जैसे दक्षिण, एशियाई देशों से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जल विद्युत के क्षेत्र में सहयोग हेतु भूटान के साथ एक करार हाल ही में हस्ताक्षरित किया गया है। भारत सन् 2020 तक भूटान से 5000 मेगावाट विद्युत का न्यूनतम आयात करने पर सहमत हुआ है।

वर्तमान में भारत भूटान की कुल 396 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली चुखा एवं कुरिचू जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत खरीदता है। भारत को विद्युत आपूर्ति करने के लिए 1020 मेगावाट क्षमता की ताला जल विद्युत परियोजना इस वर्ष में पूरा होने के लिए निर्धारित है।

भारत और नेपाल की सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में सन् 1971 से भारत और नेपाल के बीच विद्युत का द्विपक्षीय आदान-प्रदान हो रहा है।

बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. (BIMSTEC) देशों (बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी की पहल, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड सम्मिलित है) के ऊर्जा मंत्रियों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु एक कार्ययोजना अक्तूबर, 2005 में अपनाई गई है। ऊर्जा सहयोग की परिकल्पना मुख्यतः विद्युत अंतरण एवं ग्रिड कनैक्टिविटी, गैस पाइपलाईन, जल विद्युत शक्यता का विकास, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों को प्रोत्साहन और ऊर्जा कार्यकुशलता के क्षेत्रों में की गई है।

सार्क (साऊथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन) के सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री दक्षिण एशिया में एक ऊर्जा रिंग सृजित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अक्तूबर, 2005 में ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग करने के लिए भी सहमत हुए हैं।

मूल्य वर्धित कर की दरें

***189. श्री एल. राजगोपाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिये गए कुछ निर्णयों के कारण अलग-अलग राज्यों में मूल्य वर्धित कर की दरें अभी भी अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो उन निर्णयों का ब्यौरा क्या है जिनके कारण कुछ राज्यों में मूल्य वर्धित कर की दरों में अन्तर है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित दर संरचना की अवहेलना की है;

(घ) यदि हां, तो इसकी अवहेलना करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित मूल्य वर्धित कर संरचना का अनुपालन करने के लिए राज्यों को सहमत करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है या किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) राज्य वैट, किसी राज्य के अंदर वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर लगाए जाने वाले कर के कारण, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 की वजह से राज्य का विषय है। राज्य वैट से संबंधित सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई है। अधिकार-प्राप्त समिति ने राज्यों द्वारा अपनाये जाने वाले वैट (जिसमें कर दरों की संरचना शामिल है) की रूपरेखा निश्चित कर ली है। तथापि, अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा लिए निर्णयों में से कुछ निर्णयों के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में कर दरों में कुछ विभिन्नता है। उदाहरण के लिए,

(i) अधिकार-प्राप्त समिति ने प्रत्येक राज्य को "स्थानीय महत्व की वस्तुओं" की लगभग 50 मदों की सूची में से 10 मदों को, जिसे अधिकार-प्राप्त समिति ने अंतिम रूप दिया है, छूट देने की अनुमति दी है। शेष मदों पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना है।

(ii) अधिकार-प्राप्त समिति ने प्रत्येक राज्य को औद्योगिक निविष्टियों (संबंधित राज्य में मद के प्रयोग की प्रकृति के आधार पर) की अपनी स्वयं की सूची अधिसूचित करने की अनुमति दी है, जो (12.5 प्रतिशत की सामान्य दर की तुलना में) 4 प्रतिशत की कम दर के अध्यधीन हैं।

(iii) राज्यों को अपने विवेकानुसार छूट प्राप्त श्रेणी में मदों पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाने और 4 प्रतिशत की श्रेणी में मदों पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगाने का अधिकार है, यदि वे ऐसा निर्णय लेते हैं।

(ग) और (घ) अधिकार-प्राप्त समिति और राज्यों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना से यह देखा गया है कि ऊपर दिए गए उदाहरणों के अलावा कुछ राज्यों ने वस्तुओं की कुछ मदों के संबंध में अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित दरों में और परिवर्तन कर दिए हैं। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय और उड़ीसा शामिल

हैं, तथा केरल द्वारा हाल ही में चुनिंदा उत्पादों पर 20 प्रतिशत की नई ऊंची दर शुरू करने के कारण अलग-अलग राज्यों में विद्यमान विशेष विवशताएं परिलक्षित होती है। अधिकार-प्राप्त समिति अपनी बैठकों में स्थिति की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए एकसमान कर ढांचे को अपनाएं।

(ङ) वित्त मंत्री अधिकार-प्राप्त समिति के साथ अनेक अवसरों पर और इसके अध्यक्ष से प्रायः मिले हैं। वित्त मंत्री के सलाहकार, अधिकार-प्राप्त समिति की बैठकों में अधिकार-प्राप्त समिति के स्थायी आमंत्रिती के रूप में भाग लेते हैं। वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी अधिकार-प्राप्त समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। तथापि, चूंकि वैट राज्य का विषय है, इसलिए राज्य उनके द्वारा सामूहिक रूप से अंतिम रूप दी गई एक कर संरचना के अनुपालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को आवास

***190. श्री तूफानी सरोज:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान करने के संबंध में कोई योजना तैयार की है चाहे वे देश में कहीं भी कार्यरत हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई आकलन कराया है कि इसके लिए कितने आवास बनाए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार कुल कितने आवासों का निर्माण किया जाना है; और

(ङ) इन आवासों का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) महोदय, यद्यपि देशभर में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं मुहैया करने हेतु कोई विशिष्ट स्कीम तैयार नहीं की गई है तथापि, सरकार का यह प्रयास है कि निधियों की उपलब्धता और विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विभिन्न शहरों की परिलक्षित मांग को देखते हुए अतिरिक्त आवासों का निर्माण किया जाए। वर्तमान में, सरकार का आवास स्टॉक, कर्मचारियों की आवास संबंधी मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यद्यपि आवास संबंधी मांग और पूर्ति में यह अंतर अलग-अलग शहरों तथा कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए अलग-अलग है।

(ग) से (ङ) आवास संबंधी मांग और आपूर्ति के बीच अंतर समय-समय पर और अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग है। वर्तमान में के.लो.नि.वि. द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल रिहायशी आवास (जी.पी.आर.ए.) के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों की 1237 आवास यूनिटों का निर्माण किया जा रहा है। इन यूनिटों का निर्माण मार्च, 2008 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सामान्य पूल रिहायशी आवास के अंतर्गत 1892 यूनिटें स्वीकृत की गई हैं। इनका निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।

राज्य विद्युत बोर्डों को केन्द्रीय सहायता

***191. श्री जीवाभाई ए. पटेल:**

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य विद्युत बोर्डों के पास पुराने और अप्रचलित उपकरण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे राज्य विद्युत बोर्डों को पुराने और अप्रचलित उपकरणों के स्थान पर आधुनिक उपकरण स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है/दिए जाने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य विद्युत बोर्डों की प्रभावी निगरानी के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की तर्ज पर एक विद्युत विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) ऐसे अनेक राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य यूटिलिटियां हैं जिनके संयंत्र 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

"उत्कृष्टता में साझेदारी" कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर प्रबंधन पद्धति अपनाते हुए निष्पादन में सुधार लाने के लिए 60% से कम पी.एल.एफ. वाले 22 यूनिटों को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

इसके अलावा ताप विद्युत संयंत्रों की कार्यक्षमता/निष्पादन एवं जीवन में सुधार के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। अभिज्ञात आर एण्ड एम स्कीमों के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत रियायती ब्याज दर पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जा रही है।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत राज्यों को वितरण प्रणाली, विशेषकर शहरी क्षेत्रों की वितरण प्रणाली के उन्नयन के लिए निधि उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6130.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) और (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने पहले ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई. आर.सी.) तथा विद्युत संबंधी अपील अधिकरण (एपीटेल) की स्थापना कर ली है। अब तक 25 राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना कर ली है। केन्द्र सरकार ने मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग को अधिसूचित कर दिया है।

विवरण

उत्कृष्टता में साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत 26 ताप विद्युत केंद्रों की सूची

(3-9-2005 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	इन्द्रप्रस्थ पावर गैस कंपनी लिमिटेड	इन्द्रप्रस्थ	247.50
2.		राजघाट	135.00
3.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	ओबरा	1350.00
4.		पनकी	220.00
5.		हरदुआगंज 'बी'	280.00
6.		परीछा	220.00
7.	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड	धुव्रण	534.00
8.		गांधीनगर	666.00
9.		कच्छ लिग्नाइट	215.00
10.	मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	अमरकंटक	50.00
11.		अमरकंटक विस्तार	240.00
12.	तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	इन्नौर	770.00
13.	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	पतरातू	770.00

1	2	3	4
14.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	बरौनी	310.00
15.		मुजफ्फरपुर	220.00
16.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	तेनुघाट	420.00
17.	दामोदर वैली कारपोरेशन	चन्द्रपुरा	750.00
18.		दुर्गापुर	350.00
19.		बोकारो "बी"	630.00
20.	पश्चिम बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	बाण्डेल	530.00
21.		संथालडीह	480.00
22.	दुर्गापुर पावर लिमिटेड	दुर्गापुर	401.00

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण

***192. श्री रघुनाथ झा:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से वन क्षेत्रों सहित जनजातीय गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गांवों के विद्युतीकरण के लिए बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार ऐसे कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं और इनमें से कितने मंजूरी के लिए लम्बित हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ङ) सभी प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी, हां। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों/बस्तियों, जिनमें जनजातीय गांव और वन क्षेत्रों में स्थित गांव भी शामिल हो सकते हैं, के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। वर्ष 2005-06 से इस कार्यक्रम को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जोड़ा गया है और केवल उन गांवों/बस्तियों को सहायता दी जाती है जिन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) द्वारा ऐसे गांवों के रूप में पहचाना गया है जिन्हें ग्रिड कनैक्शन मिलने की संभावना नहीं है। आर.ई.सी. द्वारा पहचान किए गए गांवों और उनके विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) आर.ई.सी. द्वारा पहचान किए गए गांवों के विद्युतीकरण के लिए मंजूर किए गए प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। शेष प्रस्तावों को, पूर्ण कागजात प्राप्त न होने अथवा उनके इस योजना की आवश्यकताओं के अनुरूप न होने के कारण अनुमोदित नहीं किया जा सका।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) वित्तीय सहायता हेतु राज्यों से प्रस्तावों का प्राप्त होना और उन्हें मंजूरी प्रदान करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी प्रकार से प्रस्तावों के पूर्ण होने पर और दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप होने पर बजटीय प्रावधानों के अध्यधीन उन्हें मंजूर किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 के दौरान दूरस्थ गांवों के रूप में आर.ई.सी. द्वारा पहचान किए गए गांवों की राज्यवार संख्या और उनके विद्युतीकरण के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	आर.ई.सी. द्वारा पहचान किए गए गांवों की संख्या	आर.ई.सी. द्वारा पहचान किए गए गांवों हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	145	119
2.	असम	493	51
3.	छत्तीसगढ	77	–
4.	गुजरात	49	37
5.	हिमाचल प्रदेश	24	20
6.	झारखंड	358	224
7.	कर्नाटक	20	20
8.	मध्य प्रदेश	173	54
9.	महाराष्ट्र	257	272
10.	मणिपुर	57	56
11.	मेघालय	158	63
12.	उड़ीसा	151	–
13.	राजस्थान	417	234
14.	उत्तरांचल	122	–
15.	पश्चिम बंगाल	88	5
	कुल	2589	1155

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय सहायता हेतु मंजूर किए गए प्रस्तावों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	117
2.	असम	33
3.	गुजरात	36
4.	हिमाचल प्रदेश	20
5.	झारखंड	224
6.	कर्नाटक	20
7.	मध्य प्रदेश	50
8.	महाराष्ट्र	161
9.	मणिपुर	40
10.	राजस्थान	230
11.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	936

विवरण-III

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2003-04*	2004-05*	2005-06**
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	484.00	66.06	293

1	2	3	4	5
2.	असम	0.00	23.00	32
3.	छत्तीसगढ़	332.13	8.00	275.5
4.	गोवा	–	–	0.5
5.	गुजरात	8.61	0.00	45
6.	हरियाणा	83.88	0.00	–
7.	हिमाचल प्रदेश	12.00	15.00	160
8.	जम्मू-कश्मीर	511.50	0.00	2.5
9.	झारखंड	837.41	0.00	1197
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	49
11.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	28
12.	महाराष्ट्र	313.63	0.00	285
13.	मणिपुर	33.00	79.01	381
14.	मेघालय	0.00	175.85	–
15.	मिजोरम	144.75	0.00	–
16.	उड़ीसा	0.00	42.89	5.5
17.	राजस्थान	184.50	176.22	247
18.	सिक्किम	8.60	0.00	–
19.	तमिलनाडु	367.00	0.00	–
20.	त्रिपुरा	741.50	1062.40	–
21.	उत्तरांचल	720.05	50.52	147
22.	उत्तर प्रदेश	1342.70	0.57	–
23.	पश्चिम बंगाल	2388.95	72.05	953

* इन वर्षों के दौरान, कार्यक्रम में आवश्यक रूप से केवल उन्हीं गांवों को शामिल नहीं किया गया जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्तमान में ग्रिड कनेक्टिविटी प्राप्त होने की संभावना नहीं थी क्योंकि उक्त योजना उस समय अस्तित्व में नहीं थी।

** इस कार्यक्रम को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जोड़ा गया।

कुटीर ज्योति योजना

*193. श्री अर्जुन सेठी:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान देश में कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने निर्धन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य परिवारों को एक प्वाइंट का विद्युत कनेक्शन दिया गया है;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र को कितनी धनराशि जारी की गई और उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार को अभी तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान देश में तत्कालीन कुटीर ज्योति/बीपीएल परिवार विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों की जिन्हें एकल प्वाइंट इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया गया है, राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या तथा इस प्रयोजनार्थ जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा राज्यों को कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति आधार पर निधियां जारी की गईं।

(ग) दिनांक 28-07-2006 के अनुसार 71,87,102 बीपीएल परिवारों को तत्कालीन कुटीर ज्योति/बीपीएल परिवार विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एकल प्वाइंट विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान राज्यवार बी.पी.एल./कुटीर ज्योति कनेक्शन एवं जारी निधियां

क्र. सं.	राज्य	वास्तविक संख्या		कुल	वित्तीय (लाख रुपये में)		कुल
		वर्ष 2004 के दौरान तत्कालीन कुटीर ज्योति कनेक्शनों समेत जारी बीपीएल कनेक्शन	वर्ष 2005-06 के दौरान तत्कालीन आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल कनेक्शन		वर्ष 2005-06 के दौरान तत्कालीन कुटीर ज्योति कनेक्शनों समेत बीपीएल कनेक्शन के लिए जारी निधियां	वर्ष 2005-06 के दौरान तत्कालीन कुटीर ज्योति कनेक्शनों समेत बीपीएल कनेक्शन के लिए जारी निधियां	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	134266		134266	1666		1666
2.	अरुणाचल प्रदेश	41359		41359	597		597
3.	असम	46541		46541	0	315	315
4.	बिहार	71554	487	72041	848	253	1101
5.	गोवा	0			0		0

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	3000		3000	76		76
7.	हरियाणा	5000		5000	62	33	96
8.	हिमाचल प्रदेश	1007		1007	27	9	36
9.	जम्मू-कश्मीर	836		836	0	-2	-2
10.	कर्नाटक	179538	12268	191806	425		425
11.	केरल	100000		100000	1047	454	1501
12.	मध्य प्रदेश	19423		19423	477	29	506
13.	महाराष्ट्र	4547		4547	68		68
14.	मणिपुर	0		0	0		0
15.	मेघालय	4013		4013	0		0
16.	मिजोरम	3500		3500	0	63	63
17.	नागालैंड	4800		4800	44	27	71
18.	उड़ीसा	10042		10042	0		0
19.	पंजाब	23895		23895	216	150	366
20.	राजस्थान	45120		45120	226		226
21.	सिक्किम	0		0	0		0
22.	तमिलनाडु	33719		33719	270	131	400
23.	त्रिपुरा	14050		14050	330		330
24.	उत्तर प्रदेश	3209	4060	7269	0		0
25.	पश्चिम बंगाल	0		0	0	-311	-311
26.	झारखंड	37415		37415	168	255	423
27.	छत्तीसगढ़	42743		42743	965	300	1265
28.	उत्तरांचल	5368		5368	360		360
	संघ राज्य क्षेत्र	0		0	0		0
	जोड़	834945	16815	851760	7871	1704	9575

विवरण-II

28-07-2006 तक जारी कुटीर ज्योति/बी.पी.एल. कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2005 तक जारी कुटीर ज्योति कनेक्शन	2004-05 के दौरान जारी बीपीएल कनेक्शन	दिनांक 28-7-06 के अनुसार आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जारी बीपीएल कनेक्शन	जोड़ (28-7-06 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1068674	100000		1168674
2.	अरुणाचल प्रदेश	62026	20669		82695
3.	असम	77603	22430		100033
4.	बिहार	569459	19881	3211	592551
5.	गोवा	1050			1050
6.	गुजरात	78972	3000		81972
7.	हरियाणा	38935	5000		43935
8.	हिमाचल प्रदेश	28437	997		29434
9.	जम्मू-कश्मीर	2257			2257
10.	कर्नाटक	1566343	89769	12268	1668380
11.	केरल	174491	100000		274491
12.	मध्य प्रदेश	783244	14958		798202
13.	महाराष्ट्र	298052	2275		300327
14.	मणिपुर	16066			16066
15.	मेघालय	36670	2675		39345
16.	मिजोरम	47400	3500		50900
17.	नागालैंड	47671	2400		50071
18.	उड़ीसा	111866			111866
19.	पंजाब	44806	23895		68701
20.	राजस्थान	169974	45120		215094

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	21185			21185
22.	तमिलनाडु	578365	31636		610001
23.	त्रिपुरा	66567	9529		76096
24.	उत्तर प्रदेश	283980	3209	36271	323460
25.	पश्चिम बंगाल	192170		4985	197155
26.	झारखंड	60566	15867		76433
27.	छत्तीसगढ़	95446	42743		138189
28.	उत्तरांचल	40450	5368	997	46815
	संघ राज्य क्षेत्र	1724			1724
	कुल	6564449	564921	57732	7187102

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आबंटन

*194. **श्रीमती मेनका गांधी:**

श्री सुबोध मोहिते:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के सुचारू कार्यकरण हेतु कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता है और चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया;

(घ) क्या चालू वर्ष के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेषतः उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न जारी नहीं किे गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परिशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो 01-4-2004 से लागू हैं।

(ग) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम को 200 अभिज्ञात जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में मिला दिया गया है। दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को छोड़कर देश के शेष जिलों को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कवर किया जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता के अनुसार 28 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अब तक 17,05,385 टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं। आबंटित किए गए खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) वर्ष 2006-07 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कवर किए गए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों सहित पात्र जिलों को खाद्यान्न रिलीज कर दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2006-07 के लिए खाद्यान्नों का आबंटन (मीट्रिक टन में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	66370

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	118472
4.	बिहार	126479
5.	छत्तीसगढ़	30052
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	53189
8.	हरियाणा	36818
9.	हिमाचल प्रदेश	13977
10.	जम्मू-कश्मीर	15997
11.	झारखण्ड	20790
12.	कर्नाटक	98755
13.	केरल	49407
14.	मध्य प्रदेश	102593
15.	महाराष्ट्र	156480
16.	मणिपुर	11216
17.	मेघालय	9083
18.	मिजोरम	2596
19.	नागालैंड	8179
20.	उड़ीसा	58580
21.	पंजाब	41107
22.	राजस्थान	76343
23.	सिक्किम	2626
24.	तमिलनाडु	114738
25.	त्रिपुरा	17828
26.	उत्तरांचल	29951
27.	उत्तर प्रदेश	343984
28.	पश्चिम बंगाल	95320
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1667
30.	दादर नगर हवेली	1098
31.	दमन और द्वीव	0
32.	लक्षद्वीप	0
33.	पांडिचेरी	1690
	समस्त भारत	1705385

नोट: अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमण व दीव तथा लक्षद्वीप को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत खाद्यान्नों के अनिवार्य वितरण से बाहर रखा गया है।

शहरों का विकास

***195. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:**

श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर कर्नाटक में, विभिन्न छोटे शहरों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अभी तक राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई/पूरी की गई योजनाओं सहित परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे एवं मझोले कस्बों का समन्वित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) स्कीम तथा त्वरित शहरी जल आपूर्ति स्कीम परियोजना (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) नामक केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों के अंतर्गत छोटे एवं मझोले कस्बों केन्द्रीय सहायता के रूप में क्रमशः 35718.20 लाख रु. तथा 32180.36 लाख रु. जारी किए गए हैं वर्ष 2005-06 के दौरान छोटे एवं, मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई. डी.एस.एस.एम.टी.) के तहत 8747.49 लाख रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण। में दिए गए हैं। आई.डी.एस.एम.टी. तथा ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.

दोनों ही स्कीमों जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) तथा छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) नामक नई स्कीमों में मिला दी गई हैं, अतः वर्ष 2005-06 में इन स्कीमों के तहत कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई। अतः केवल पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ही केन्द्रीय सहायता दी गई। इसके अलावा वर्ष 2004-05 के दौरान पोर्ट ब्लेयर में सुनामी निर्माण कार्यों के लिए 400/- लाख रु. दिये गए हैं।

कर्नाटक राज्य के लिए आई.डी.एस.एम.टी. तथा ए.यू.डब्ल्यू. एस.पी. के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 3048.21 लाख रु. तथा 2993.56 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता दी गई। कर्नाटक सरकार से 2005-06 के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में 81 परियोजना कस्बों को आई.डी.एस.एम.टी. के तहत 3048.21 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता दी गई है। 25 परियोजना कस्बों के संबंध में 70% से अधिक व्यय की सूचना मिली है जबकि 20 परियोजना कस्बों में कार्य चल रहा है। शेष 36 परियोजना कस्बों के संबंध में प्रगति की सूचना अभी राज्य सरकार से प्राप्त होनी है। ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत कर्नाटक में 12 परियोजना कस्बों को पिछले तीन वर्षों के दौरान 2993.56 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य सरकार द्वारा मई, 2006 तक 2445.44 लाख रु. का व्यय सूचित किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों में विभिन्न स्कीमों के तहत जारी केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

(लाख रु. में)

वर्ष	आई.डी.एस. एम.टी.	ए.यू.डब्ल्यू. एस.पी.	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.
2003-04	10272.20	13156.36	–
2004-05	14200.00	14600.00	–
2005-06	11246.00	4424.00	8747.49
कुल	35718.20	32180.36	8747.49

विवरण-II

गत तीन वर्षों में विभिन्न स्कीमों के तहत कर्नाटक राज्य को जारी केन्द्रीय सहायता के वर्ष-वार ब्यौरे

(लाख रु. में)

वर्ष	आई.डी.एस. एम.टी.	ए.यू.डब्ल्यू. एस.पी.	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.
2003-04	889.92	1119.84	–
2004-05	1578.38	1060.73	–
2005-06	579.91	953.99	–
कुल	3048.21	3134.56	–

विवरण-III

कर्नाटक में आई.डी.एस.एम.टी. के तहत (कस्बा-वार) जारी केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र. सं.	कस्बा	जारी केन्द्रीय सहायता			संचयी जारी	संचयी व्यय
		2003-04	2004-05	2005-06		
1	2	3	4	5	6	7
1.	होस्कोते	60.00	0.00	0.00	60.00	49.91

1	2	3	4	5	6	7
2.	गुंडलूपेट	72.50	0.00	0.00	72.50	34.50
3.	नवालगुंड	0.00	30.00	0.00	30.00	21.66
4.	मानवी	0.00	49.01	0.00	49.01	34.44
5.	दवनगेरे	0.00	140.00	0.00	140.00	170.82
6.	गुलबर्ग	0.00	156.96	0.00	156.96	148.87
7.	अलंद	0.00	0.00	60.00	60.00	48.45
8.	मुंदरागि	0.00	0.00	12.31	12.31	20.50
9.	अथनी	0.00	31.50	0.00	31.50	24.04
10.	बिरुर	0.00	60.00	0.00	60.00	49.16
11.	देवनहल्लि	0.00	27.49	0.00	27.49	26.33
12.	केरुर	0.00	4.00	18.80	22.80	38.17
13.	इंडी	0.00	45.00	0.00	45.00	75.00
14.	तुमकुर	0.00	0.00	105.00	105.00	174.99
15.	यादगिरी	0.00	0.00	35.19	35.19	58.40
16.	महालिंगापुर	0.00	39.33	0.00	39.33	63.33
17.	हलियाला	0.00	0.00	19.80	19.80	33.00
18.	होसदुर्ग	0.00	0.00	14.33	14.33	23.86
19.	बेल्लारी	0.00	52.98	0.00	52.98	85.32
20.	हुमनाबाद	0.00	35.00	0.00	35.00	10.56
21.	खानपुर	28.36	0.00	17.99	46.35	5.13
22.	अनेकल	0.00	0.00	32.63	32.63	42.70
23.	अल्नवर	0.00	0.00	24.00	24.00	29.02
24.	कोन्नुर	0.00	0.00	24.00	24.00	35.92
25.	अराकलगुद	0.00	0.00	8.52	8.52	13.04
26.	मुदाबिदरे	36.75	0.00	0.00	36.75	38.13
27.	नरगुंद	38.67	0.00	0.00	38.67	0.00

1	2	3	4	5	6	7
28.	कुनिगल	25.25	0.00	25.25	50.50	42.08
29.	तिपतूर	18.16	0.00	18.16	36.32	30.00
30.	गुब्बी	16.32	0.00	16.32	32.64	27.20
31.	रायबाग	24.00	24.00	0.00	48.00	38.57
32.	गोकक	52.00	0.00	52.00	104.00	82.38
33.	तुरुवेकेरे	17.16	0.00	0.00	17.16	24.00
34.	कुदुचि	24.00	24.00	0.00	48.00	39.06
35.	मोलकल्मुरु	17.28	0.00	0.00	17.28	24.00
36.	बासावना-बगेवाड़ी	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00
37.	मुधोल	42.82	0.00	42.81	85.63	50.99
38.	शिंगेरि	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00
39.	सागरा	36.61	0.00	0.00	36.61	9.59
40.	बेल्लूर	24.00	0.00	24.00	48.00	28.50
41.	तरिकेरे	32.38	0.00	0.00	32.38	0.00
42.	कोप्पा	13.99	0.00	0.00	13.99	0.00
43.	चिक्कनयकन हल्लि	28.80	0.00	28.80	57.60	38.50
44.	सिरुगुप्पा	19.18	0.00	0.00	19.18	7.00
45.	जोग कार्गल	20.19	0.00	0.00	20.19	4.10
46.	कमलपुर	24.00	0.00	0.00	24.00	24.14
47.	रामदुर्गा	27.62	0.00	0.00	27.62	27.62
48.	तीर्थहल्ली	17.70	0.00	0.00	17.70	15.00
49.	सुल्या	17.66	0.00	0.00	17.66	15.37
50.	नरसिम्हरजपुर	17.84	0.00	0.00	17.84	11.78
51.	तेक्कलकोते	20.40	0.00	0.00	20.40	0.00
52.	मादिकेरी	34.08	0.00	0.00	34.08	0.00
53.	सोरबा	13.20	0.00	0.00	13.20	0.00

1	2	3	4	5	6	7
54.	जेवारगी	0.00	18.91	0.00	18.91	0.00
55.	सिंधगि	0.00	23.30	0.00	23.30	0.00
56.	तलिकोते	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
57.	चित्तपुर	0.00	22.30	0.00	22.30	0.00
58.	हुनागुंदा	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
59.	होन्नावारा	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00
60.	बसव कल्याण	0.00	33.23	0.00	33.23	0.00
61.	तेरडल	0.00	17.63	0.00	17.63	0.00
62.	येल्लापुर	0.00	11.53	0.00	11.53	0.00
63.	चिकमगलूर	0.00	56.48	0.00	56.48	0.00
64.	होन्नली	0.00	21.84	0.00	21.84	0.00
65.	चिक्बल्लपुर	0.00	49.54	0.00	49.54	0.00
66.	रब्कावी बनाहट्टी	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
67.	अंकोला	0.00	17.74	0.00	17.74	0.00
68.	पुत्तुर	0.00	33.73	0.00	33.73	0.00
69.	हूविना हदागलि	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
70.	श्रीनिवासपुर	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
71.	रोबेर्त्सोंपेत	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
72.	हावेरी	0.00	5.73	0.00	5.73	0.00
73.	बागेपल्ली	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
74.	कुमता	0.00	39.32	0.00	39.32	0.00
75.	गंगावथी	0.00	51.26	0.00	51.26	0.00
76.	शिरहत्ति	0.00	18.77	0.00	18.77	0.00
77.	मधुगीरी	0.00	28.65	0.00	28.65	0.00
78.	कृष्णा राजपेट	0.00	14.32	0.00	14.32	0.00
79.	सदलग	0.00	12.24	0.00	12.24	0.00

1	2	3	4	5	6	7
80.	चिक्कोडी	0.00	25.59	0.00	25.59	0.00
81.	भाद्रावथी	0.00	34.50	0.00	34.50	0.00
	कुल	889.92	1578.38	579.91	3048.21	1895.13

विवरण-IV

कर्नाटक राज्य में ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत वर्ष 2003-04 के स्वीकृत परियोजनाएं

राज्य: कर्नाटक

(लाख रु. में)

क्र. सं.	कस्बे का नाम	जिला	जनसंख्या (1991 की जनगणना)	स्वीकृति की तिथि माह/वर्ष	परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	मई, 2006 तक व्यय
1.	जगलुर	दवानगेरे	12098	नवम्बर, 2003	886.96	443.48	586.14
2.	होललकेरे	चित्रदुर्ग	12219	दिसम्बर, 2003	462.45	231.23	168.12
3.	नरेगल	गडग	14566	अगस्त, 2004	111.70	55.85	105.58
4.	पांडवपुर *	मांडया	16005	अगस्त, 2004	196.86	98.43	388.92
5.	शिरलकोप्प	शिमोगा	12216	अगस्त, 2004	592.70	296.35	260.83
6.	एन.आर.पुरा	चिकमंगलुर	6524	दिसम्बर, 2004	508.84	254.42	65.44
7.	येलंदुर	चमराजानगर	7678	दिसम्बर, 2004	230.87	115.44	55.61
8.	चित्तपुर	गुलबर्गा	19767	दिसम्बर, 2004	708.60	354.30	124.25
9.	सोम्वरापट	कुर्ग	7094	दिसम्बर, 2004	183.84	91.92	112.03
10.	औराद *	बिदर	19397	जनवरी, 2005	240.47	120.24	253.07
11.	कोरातगेरे	तुमकुर	11530	फरवरी, 2005	1162.85	581.43	232.42
12.	सक्लेश्पुर	हासन	18872	फरवरी, 2005	700.98	350.49	93.03
	कुल		157966		5987.12	2993.56	2445.44

*–स्कीम शुरू की गयी

उत्तरी ग्रिड को सुदृढ़ बनाना

***196. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तरी ग्रिड के राज्यों द्वारा ग्रिड आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) सीमाओं का व्यापक उल्लंघन करने और इसका सरकार की राष्ट्रीय ग्रिड परियोजना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की जानकारी है;

(ख) क्या नवीनतम ग्रिड आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) प्रोफाइल डाटा के अनुसार उत्तरी ग्रिड की औसत आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) निर्धारित सीमाओं से नीचे गिरी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के संबंध में मौजूदा मानदंडों की प्रभावकारिता को कायम रखने के लिए प्रयास शुरू किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां। कुछ व्यस्ततम कालीन अवधियों के दौरान उत्तरी क्षेत्रों के राज्यों द्वारा विद्युत की अधिक निकासी करने और ग्रिड फ्रीक्वेंसी सीमाओं (49.0-50.5 हटर्ज) का उल्लंघन करने की जानकारी सरकार को है। पावरग्रिड के अनुसार इससे विद्युत उत्पादन से जुड़ी पावरग्रिड की विभिन्न ग्रिड सुदृढ़ीकरण एवं अंतर-क्षेत्रीय पारेषण स्कीमों का कार्यान्वयन प्रभावित नहीं हुआ है।

(ख) अप्रैल-जुलाई 2006 के दौरान उत्तरी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी जिस दौरान 49.0 हटर्ज से कम थी उसका समय प्रतिशत निम्वत है:-

माह	49.0 हटर्ज से कम फ्रीक्वेंसी (समय का प्रतिशत)
अप्रैल, 2006	74.11
मई, 2006	11.70
जून, 2006	17.81
जुलाई, 2006	28.80

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी भारतीय इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) के अनुसार सभी क्षेत्रीय भागीदार घटक यह सुनिश्चित करने के सभी भरसक प्रयास करेंगे कि ग्रिड फ्रीक्वेंस सदैव 49.0-50.5 हर्टज् के बीच रहे, जिस फ्रीक्वेंसी के बीच स्टीम टरबाईन निरंतर प्रचालन कर सकता है।

क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आर.एल.डी.सी.) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रीय ग्रिड से कार्यक्रमानुसार विद्युत की निकासी करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि क्षेत्रीय ग्रिडों का सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित किया जा सके और इस संबंध में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आर.एल.डी.सी.) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं।

विद्युत मंत्रालय क्षेत्रीय ग्रिडों के प्रचालन की मानीटरिंग करता रहा है तथा राज्यों को निर्धारित समय कार्यक्रमानुसार ग्रिड से विद्युत की निकासी करने में व विद्युत की उपलब्धता के अनुरूप उनके भार का प्रबंध करने में उन्हें सलाह देता रहा है। विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अप्रैल और मई 2006 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के राज्यों तथा केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों के साथ मामले पर विचार विमर्श किये हैं और क्षेत्रीय ग्रिड की सुरक्षा व बचाव को बनाये रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने का उन्हें निर्देश दिया है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

***197. श्री थावरचन्द गेहलोत:**

श्री अनंत कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी. वी.वाई.) के अन्तर्गत कितने राज्यों ने वित्तीय सहायता मांगी है तथा इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने राज्यों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस योजना की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत अब तक 27 राज्यों ने वित्तीय सहायता मांगी है। इस स्कीम के अंतर्गत 11 राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आर.जी.जी. वी.वाई. के अंतर्गत राज्य-वार रूप से जारी निधियों के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) स्कीम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति संक्षेप में नीचे बताई गई है:-

(i) करार पर हस्ताक्षर

सभी प्रतिभागी 27 राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र (लक्षद्वीप) ने आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आर.ई.सी., राज्य सरकारों, रा.वि. बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों तथा सी.पी.एस.यू. (जहां भी लागू हो) के साथ आवश्यक चतुष्पक्षीय/त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय करार निष्पन्न कर लिए हैं।

(ii) परियोजनाएं अनुमोदित, एन.आई.टी. जारी तथा ठेके सौंपे गए:-

विभिन्न राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर आर.ई.सी. ने 28 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार 6287.73 करोड़ रुपए की लागत पर 192 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसमें 51284 गैर-विद्युतीकृत गांव तथा 4740390 बी.पी.एल. आवासों समेत 7277758 आवास शामिल हैं। 28-7-2006 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं, जारी एन.आई.टी. तथा सौंपे गए ठेकों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

विद्युत मंत्रालय में आर.जी.जी.वी.वाई. की मॉनीटरिंग कमेटी ने भी 99 परियोजनाओं को "सैद्धांतिक" स्वीकृति प्रदान कर दी है। "सैद्धांतिक" रूप से अनुमोदित परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

(iii) विद्युतीकरण में हासिल प्रगति

विद्युत मंत्रालय तथा आर.ई.सी. द्वारा नियमित/निरंतर समीक्षा एवं अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप देश में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में काफी गति आई है तथा 2005-06 के दौरान 10,000 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 9819 गांवों की वाइरिंग की गई। चालू वर्ष में 40,000 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जिसकी तुलना में 28 जुलाई, 2006 तक 4737 गांवों की वाइरिंग की सूचना मिली है। इसके राज्य-वार ब्यौरे विवरण-IV के रूप में संलग्न है।

(iv) फ्रैंचाइजी की नियुक्ति

ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रैंचाइजी की नियुक्ति सुगम बनाने के लिए आर.ई.सी. ने विद्युत मंत्रालय और प्रतिभागी राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों के परामर्श से फ्रैंचाइजी प्रबंध हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं तथा इसे सभी राज्यों को परिचालित कर है। 12 राज्यों ने फ्रैंचाइजी नियुक्त करने के लिए कदम उठाए हैं और 6 राज्यों में फ्रैंचाइजी पहले से नियुक्त हैं। फ्रैंचाइजी नियुक्ति की राज्य-वार स्थिति विवरण-V के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना गत वर्ष अर्थात् अप्रैल, 2005 से ही लागू हुई है और मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार उक्त स्कीम को 11वीं योजना में जारी रखने के लिए दो वर्ष पश्चात् इसकी समीक्षा की जानी है।

विवरण-I

2005-06 और 2006-07 के दौरान आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत जारी निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07
1.	राजस्थान	74.982	12.068
2.	उत्तर प्रदेश	812.607	314.583
3.	उत्तरांचल	59.441	15.059
4.	छत्तीसगढ़	6.50	0
5.	कर्नाटक	84.184	0
6.	बिहार	381.976	45.715
7.	झारखंड	3.50	0
8.	उड़ीसा	3.50	0
9.	पश्चिम बंगाल	115.421	40.689
10.	गुजरात	–	3.99
11.	मध्य प्रदेश	–	48.43
	कुल	1542.111	480.534
	बी.पी.एल. दावों तथा सहयोगी कार्यों के लिए संवितरण।	74.125	1.095
	कुल योग	1616.236	481.629

28-07-06 तक जारी निधि 2097.865 रुपये है।

विवरण-II

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत, एन.आई.टी. जारी और ठेके प्रदान किए गए परियोजनाओं के ब्यौरे

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाएं						जारी एन.आई.टी.					
		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत गांव	कवर किए गए विद्युतीकृत गांव	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत घर	कुल परियोजना लागत	परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत गांव	कवर किए गए विद्युतीकृत गांव	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत घर	कुल परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	4		5485	653430	160.95	4	4		5485	653430	160.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	103	232	3510	19.48						
3.	असम	1	1	350	725	62132	55.67	1	1	350	725	62132	55.67
4.	बिहार	23	24	14730	–	771655	1287.70	23	24	14730	–	771655	1287.70
5.	छत्तीसगढ़	2	2	111	1734	163843	84.56	1	1		889	106166	47.49
6.	गुजरात	3	3		2409	243397	60.85	3	3		2409	243397	60.85
7.	हरियाणा	6	6		1820	205646	77.00	6	6		1820	205646	77.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1		1118	2531	25.02						
9.	जम्मू-कश्मीर	2	2	46	932	35115	72.47	2	2	46	932	35115	72.47
10.	कर्नाटक	17	17	49	21152	1319939	375.39	17	17	49	21152	1319939	375.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	केरल	7	7		373	227320	221.76	7	7		373	227320	221.76
12.	मध्य प्रदेश	9	9	115	10152	601765	433.12	9	9	115	10152	601765	433.12
13.	महाराष्ट्र	7	7		8451	550586	84.70	7	7		8451	550586	84.70
14.	मणिपुर	1	1	133	191	15663	46.71	1	1	133	191	15663	46.71
15.	मिजोरम	2	2	83	124	15177	38.21						
16.	नागालैंड	2	2		198	24056	16.07	2	2		198	24056	16.07
17.	उड़ीसा	1	1	6	223	27316	41.07						
18.	पंजाब	1	1		962	69125	22.97	1	1		962	69125	22.97
19.	राजस्थान	25	25	1562	14308	947054	406.77	25	25	1562	14308	947054	406.77
20.	उत्तर प्रदेश	60	63	29276	–	1104105	2151.64	60	63	29276	–	1104105	2151.64
21.	उत्तरांचल	4	4	437	4026	88475	220.59	4	4	437	4026	88475	220.59
22.	पश्चिम बंगाल	13	13	4283	–	145918	385.04	13	13	4283	–	145918	385.04
	कुल	192	196	51284	74615	7277758	6287.73	186	190	50981	72073	7171547	6126.87

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	सौंपे गए ठेके						
		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत गांव	कवर किए गए विद्युतीकृत गांव	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत घर	कुल परियोजना लागत	सौंपी गई परियोजनाओं की कुल लागत
1	2	15	16	17	18	19	20	21
1.	आन्ध्र प्रदेश							
2.	अरुणाचल प्रदेश							
3.	असम							
4.	बिहार	17	17	12014		582478	1058.62	1468.36
5.	छत्तीसगढ़							
6.	गुजरात	1	1		656	75825	1824	20.04
7.	हरियाणा	4	4		1075	116814	48.48	71.23
8.	हिमाचल प्रदेश							
9.	जम्मू-कश्मीर							
10.	कर्नाटक	17	17	49	21152	1319939	375.39	641.77
11.	केरल							
12.	मध्य प्रदेश	1	1		1241	44099	60.53	84.58

1	2	15	16	17	18	19	20	21
13.	महाराष्ट्र							
14.	मणिपुर							
15.	मिजोरम							
16.	नागालैंड							
17.	उड़ीसा							
18.	पंजाब							
19.	राजस्थान	24	24	1528	14308	946109	404.26	468.12
20.	उत्तर प्रदेश	60	63	29276		1104105	2151.64	3411.15
21.	उत्तरांचल	4	4	437	4026	88475	220.59	239.08
22.	पश्चिम बंगाल	13	13	4283	–	145918	385.04	370.33
	कुल	141	144	47587	42458	4423762	4722.79	6774.66

विवरण-III

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत "सिद्धांत रूप में" अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित परियोजनाएं				
		परियोजनाओं की संख्या	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत गांव	कवर किए गए विद्युतीकृत गांवों की संख्या	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या	कुल परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश					
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	134	89	3720	23.82
3.	असम	6	1481	3315	381373	245.98
4.	बिहार	5	3872		156562	330.34
5.	छत्तीसगढ़	3	69	3908	349324	172.25
6.	गुजरात	6		4938	336674	68.38
7.	हरियाणा					
8.	हिमाचल प्रदेश					
9.	जम्मू-कश्मीर	2	18	1156	90989	73.46
10.	झारखंड	11	7579	4326	1256561	1141.85
11.	कर्नाटक	9	83	7543	685384	237.98
12.	केरल					
13.	मध्य प्रदेश	3	57	3543	332986	142.61
14.	महाराष्ट्र	10		12210	844307	130.58
15.	मणिपुर	2	111	202	25959	47.92
16.	मेघालय	3	193	1631	55688	61.71
17.	मिजोरम	6	54	446	29157	59.33
18.	नागालैंड	1	12	175	11545	9.63
19.	उड़ीसा	2	1253	1904	175276	217.43
20.	पंजाब					

1	2	3	4	5	6	7
21.	राजस्थान	2	258	1931	117568	74.16
22.	सिक्किम	4	25	418	28166	56.26
23.	तमिलनाडु	16		7756	1125715	265.01
24.	त्रिपुरा	1	48	72	20548	19.57
25.	उत्तर प्रदेश	2	1526		154739	139.76
26.	उत्तरांचल	4	224	3150	116481	174.58
27.	पश्चिम बंगाल					
	कुल	99	16997	58715	6298722	3692.61

विवरण-IV

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण की राज्यवार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	2005-06 के दौरान विद्युतीकृत हुए गांव	2006-07 के दौरान विद्युतीकृत हुए गांव
1	2	3	4
1.	बिहार	1600	683
2.	कर्नाटक	47	-
3.	राजस्थान	230	-
4.	उत्तर प्रदेश	7503	3786
5.	उत्तरांचल	87	20
6.	पश्चिम बंगाल	352	248
	कुल	9819	4737

विवरण-V

फ्रैंचाइजी विकास की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	जारी एन.आई.टी.		प्रचालनात्मक	
		आर.जी.जी.वी.वाई. गांव	अन्य गांव	आर.जी.जी.वी.वाई. गांव	अन्य गांव
1	2	3	4	5	6
1.	असम				816
2.	बिहार	14730	20091		360
3.	छत्तीसगढ़	1186	18532		

1	2	3	4	5	6
4.	कर्नाटक				17925
5.	नागालैंड				285
6.	पंजाब		12278		
7.	राजस्थान		1350	16	44
8.	उत्तर प्रदेश	6000		876	2363
9.	उत्तरांचल				5321
10.	मध्य प्रदेश				114
11.	आन्ध्र प्रदेश			5	3
12.	पश्चिम बंगाल			883	
13.	हरियाणा*	1 जिला			
	कुल	21918	52251	1780	27231
		74169		29011	

*हरियाणा में स्थित जिलों के गांवों की संख्या, जिनके लिए एन.आई.टी. जारी की गई उपलब्ध नहीं है।

सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें

***198. श्री सीताराम सिंह:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई थीं और गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उनकी बैठकें नहीं हुई हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को सहायता देना बंद करने का है जहां ऐसी समितियों का गठन नहीं किया गया है या ऐसी समितियों की बैठकें नहीं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) राज्य सरकारों/जिला प्राधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन राज्यों तथा जिलों में राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें हुई हैं, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं। देश के शेष राज्यों/जिलों ने अब तक ऐसी बैठकें आयोजित करने की जानकारी नहीं दी है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निगरानी की अवधारणा अपेक्षाकृत एक नई पहल है तथा राजनैतिक एवं प्रशासनिक तंत्र को निगरानी के इस रूप को स्वीकार करने तथा इस प्रतिबद्धता के साथ कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित हो, इस पर कार्य करने में कुछ समय लगता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों, राज्य सरकारों, जिला प्राधिकरणों और साथ ही संसद सदस्यों, जो जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष होते हैं, के साथ भी इस मामले को बार-बार उठा रही है।

यद्यपि दिशानिर्देशों मे उन जिलों के लिए रिलीजों को रोकने का प्रावधान है जहां सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकें नहीं हुई हैं, फिर भी सरकार ने राज्य/जिला स्तर पर तथा संसद सदस्यों जो जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्ष होते हैं, के साथ अपने पत्राचार और बातचीत का दौर जारी रखा है जिनमें उनसे नियमित रूप से बैठकें कराने का आग्रह किया जाता है। सरकार के दीर्घकालिक पत्राचार तथा विस्तृत चर्चा के परिणामस्वरूप ही अक्तूबर, 2004 में इन समितियों के पुनर्गठन से लेकर अब तक 18 राज्यों में राज्य स्तरीय समितियों की 30 बैठकें तथा 374 जिलों में जिला स्तर पर 620 बैठकें हुई हैं। आशा है कि शेष राज्यों तथा जिलों में भी सभी स्टेक होल्डरों की सक्रिय भागीदारी से सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी।

विवरण-I

उन राज्यों तथा जिलों के नाम जहां जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें आयोजित की गई हैं
(वर्ष 2004, 2005 और चालू वर्ष के लिए अक्तूबर, 2004 में पुनर्गठन के पश्चात्)

(28-07-2006 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	क्रम सं.	जिले	बैठकों की तारीख			
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1.	महबूबनगर	30-12-2004	12-02-2005	18-07-2005	
9/23	2.	रंगारेड्डी	04-03-2005	16-11-2005		
	3.	कृष्णा	01-05-2005	01-09-2005	06-05-2006	
	4.	कुडप्पा	11-11-2005			
	5.	मेडक	05-03-2006			
	6.	नालगौंडा	24-04-2005	13-10-2005	03-04-2006	
	7.	श्रीकाकुलम	10-10-2005			
	8.	विशाखापतनम	19-11-2005			
	9.	वारंगल	04-09-2005			
अरुणाचल प्रदेश	10.	चांगलौंग	30-06-2005	03-10-2005		
14/16	11.	अपर सुबानसीरी	12-11-2005	12-01-2006		
	12.	अपर सियांग	30-11-2005	13-03-2006		
	13.	दिबाग वैली	28-06-2005	28-09-2005		
	14.	पू. कामेंग	12-07-2005	16-01-2006		
	15.	पू. सियांग	14-11-2005			

1	2	3	4	5	6	7
	16.	इटानगर	13-01-2005			
	17.	पापुम पारा	04-06-2005	21-09-2005		
	18.	लोहित	01-06-2005	30-09-2005	28-02-2006	
	19.	लोवर सुबानसीरी	06-06-2005	28-10-2005		
	20.	प. कामेंग (बॉमडिला)	06-09-2005	09-09-2005		
	21.	तिरप	24-10-2005	25-11-2005		
	22.	तवांग	17-10-2005	30-01-2006		
	23.	प. सियांग	06-09-2005			
असम 7/23	24.	करीमगंज	25-11-2004			
	25.	बारपेटा	06-01-2005	12-07-2005	23-09-2005	
	26.	धुबरी	20-06-2006			
	27.	उ. कछार हिल्स	26-05-2005			
	28.	तिनसुखिया	29-12-2005	23-02-2006		
	29.	मौरीगांव	19-09-2005			
	30.	शिवसागर	27-12-2005			
बिहार 24/37	31.	जहानाबाद	06-07-2005	13-08-2005		
	32.	जमुई	09-04-2005			
	33.	अररिया	21-06-2005			
	34.	भागलपुर	मीटिंग हेल्ड*	मीटिंग हेल्ड*		
	35.	रोहतास	29-06-2005			
	36.	मधुबनी	16-06-2005	16-01-2006		
	37.	नवादा	28-08-2005			
	38.	शेखपुरा	15-04-2005			
	39.	भोजपुर	06-06-2005			
	40.	बेगूसराय	16-06-2005			
	41.	दरभंगा	मीटिंग हेल्ड*			

1	2	3	4	5	6	7
	42.	कैमूर	मीटिंग हेल्ड*			
	43.	खगड़िया	10-04-2005	30-07-2005		
	44.	कटिहार	10-06-2005	18-02-2006		
	45.	लखीसराय	07-04-2005			
	46.	सहारसा	18-07-2005			
	47.	सीतामढ़ी	मीटिंग हेल्ड*			
	48.	शिवहर	मीटिंग हेल्ड*			
	49.	सीवान	13-02-2006			
	50.	प. चम्पारन	14-05-2005	31-12-2005		
	51.	पटना	27-07-2005			
	52.	गोपालगंज	02-09-2005			
	53.	पूर्णिया	08-07-2005			
	54.	बैशाली	20-06-2006			
छत्तीसगढ़ 7/16	55.	सरगुजा	24-06-2005	17-10-2005		
	56.	दुर्ग	28-03-2005			
	57.	जशपुर	09-03-2005			
	58.	रायपुर	10-02-2006			
	59.	राजगढ़	31-03-2005			
	60.	राजनंदगांव	30-06-2005			
	61.	बस्तर	25-05-2005			
गोवा 2/2	62.	द. गोवा	14-10-2005			
	63.	उ. गोवा	14-10-2005			
गुजरात 25/25	64.	अमरेली	28-12-2004	12-04-2005	17-12-2005	
	65.	आनंद	13-04-2005	05-09-2005	31-01-2006	
	66.	भावनगर	26-09-2005	18-02-2006		
	67.	भुज	27-12-2004	08-04-2005		

1	2	3	4	5	6	7
	68.	बनासकांठा	21-05-2005	29-12-2005		
	69.	भडौच	29-09-2005			
	70.	दोहाद	30-04-2005	31-04-2005		
	71.	डांग	19-09-2005			
	72.	हिम्मतनगर	15-04-2005	03-12-2005	17-04-2006	
	73.	जामनगर	19-09-2005			
	74.	जुनागढ	02-06-2005			
	75.	खेडा	24-08-2005			
	76.	कच्छ	09-09-2005			
	77.	सूरत	21-03-2005	16-07-2005	19-11-2005	18-02-2006
	78.	साबरकांठा	15-04-2005			
	79.	सुरेन्द्रनगर	13-04-2005	29-09-2005		
	80.	नवसारी	05-03-2005	17-12-2005		
	81.	नर्मदा	24-06-2005			
	82.	मेहसाना	24-03-2005	24-05-2005		
	83.	पाटन	05-03-2005			
	84.	पंचमहल	23-09-2005			
	85.	पोरबंदर	10-06-2005			
	86.	राजकोट	19-03-2005	22-07-2005	31-12-2005	
	87.	वलसाड	30-03-2005	29-06-2005	18-08-2005	
	88.	बडोदरा	31-02-2006	12-04-2006		
हरियाणा 14/20	89.	अम्बाला	12-09-2005			
	90.	भिवानी	24-04-2006			
	91.	फरीदाबाद	12-06-2006			
	92.	गुडगांव	24-02-2006	13-06-2006		
	93.	कैथल	08-09-2005	06-01-2006	18-04-2006	

1	2	3	4	5	6	7
	94.	कुरुक्षेत्र	09-09-2005	05-01-2006	27-04-2006	
	95.	करनाल	मीटिंग हेल्ड*			
	96.	हिसार	23-07-2005	12-01-2006		
	97.	महेन्द्रगढ़	11-03-2006			
	98.	रोहतक	08-04-2006			
	99.	यमुनानगर	03-09-2005			
	100.	जीन्द	24-12-2005			
	101.	सोनीपत	07-01-2005			
	102.	पंचकुला	मीटिंग हेल्ड*			
हिमाचल प्रदेश 7/12	103.	बिलासपुर	07-05-2005			
	104.	हमीरपुर	30-04-2005	16-11-2005		
	105.	कुल्लू	30-03-2005			
	106.	किन्नौर	20-06-2006			
	107.	मंडी	22-09-2005	31-01-2006		
	108.	शिमला	16-07-2005			
	109.	सोलन	06-07-2005			
झारखंड 8/22	110.	लतेहर	12-04-2005	06-10-2005		
	111.	लोहारदग्गा	13-09-2005			
	112.	पाकुर	30-04-2005	21-05-2005	24-09-2005	24-01-2006
	113.	पू. सिंगभूम	19-06-2006			
	114.	चतरा	07-05-2005	20-08-2005		
	115.	गुमला	19-09-2005			
	116.	दुमका	13-08-2005	13-05-2006		
	117.	रांची	13-09-2005			
कर्नाटक 21/27	118.	बीजापुर	15-04-2005	19-09-2005		
	119.	बिदर	30-12-2004			

1	2	3	4	5	6	7
	120.	बेल्लारी	29-12-2004	23-07-2005		
	121.	बेलगाम	23-07-2005			
	122.	बगलकोट	19-09-2005			
	123.	बंगलौर ग्रामीण	31-01-2004	14-09-2005		
	124.	चिकमगलूर	16-06-2005			
	125.	चित्रदुर्ग	16-07-2005			
	126.	धारवाड	10-01-2005			
	127.	दावनगेर	30-04-2005			
	128.	द. कन्नड	13-09-2005			
	129.	गोडग	15-06-2005			
	130.	हवेरी	27-12-2004	15-04-2005		
	131.	हसन	20-08-2005			
	132.	कोडागू	13-07-2005			
	133.	कोप्पल	01-01-2005			
	134.	तुमकुर	16-06-2005			
	135.	मैसूर	06-01-2005			
	136.	रायचूर	15-04-2005			
	137.	उडुप्पी	18-08-2005			
	138.	उ. कन्नड	28-01-2005			
केरल 14/14	139.	अलापुझा	मीटिंग हेल्ड*			
	140.	ईडुक्की	मीटिंग हेल्ड*			
	141.	अरनाकुलम	28-10-2005			
	142.	कन्नूर	23-07-2005			
	143.	कासरगोड	15-04-2005			
	144.	कोल्लम	मीटिंग हेल्ड*			
	145.	कोट्टायम	मीटिंग हेल्ड*			

1	2	3	4	5	6	7
	146.	कोजीकोड	मीटिंग हेल्ड*			
	147.	मालापुरम	मीटिंग हेल्ड*			
	148.	पलक्कड	16-07-2005	17-12-2005	24-06-2006	
	149.	पथानामथिटा	मीटिंग हेल्ड*			
	150.	वायनाड	21-05-2005	29-06-2005		
	151.	त्रिचूर	मीटिंग हेल्ड*			
	152.	तिरूवनंतपुरम	मीटिंग हेल्ड*			
मध्य प्रदेश 44/48	153.	बैतूल	20-01-2005	13-04-2005	21-10-2005	09-01-2006
	154.	बालाघाट	12-02-2005	20-12-2005		
	155.	बडवानी	30-09-2005	18-11-2005		
	156.	भिन्ड	25-05-2005			
	157.	भोपाल	28-05-2005	26-09-2005	07-01-2006	05-06-2006
	158.	दमोह	04-12-2004	05-03-2005		
	159.	दतिया	13-04-2005	17-12-2005		
	160.	देवास	31-05-2005			
	161.	डिंडोरी	01-04-2005	26-04-2006		
	162.	धार	28-03-2005	16-08-2005	21-11-2005	
	163.	हरदा	10-04-2005	23-06-2005	01-01-2006	
	164.	छत्तरपुर	07-02-2005	22-07-2005		
	165.	गुना	19-05-2005	10-10-2005		
	166.	ग्वालियर	27-06-2005			
	167.	मुरैना	20-07-2005	21-11-2005		
	168.	मेडला	01-03-2005	02-09-2005	24-04-2006	
	169.	मन्दसौर	24-12-2004	01-02-2005	23-04-2005	30-07-2005
	170.	नीमच	21-03-2005	13-07-2005	25-02-2006	
	171.	नरसिंहपुर	18-02-2005	23-04-2005	10-09-2005	

1	2	3	4	5	6	7
	172.	होशंगाबाद	16-02-2005			
	173.	इंदौर	27-05-2005	30-11-2005	30-01-2006	26-04-2006
	174.	झांसी	29-04-2005			
	175.	झाबुआ	04-04-2005	28-10-2005		
	176.	जबलपुर	16-01-2006			
	177.	खंडवा	23-04-2005			
	178.	खरगोन	11-07-2005			
	179.	कटनी	08-05-2005			
	180.	पन्ना	15-12-2004	06-01-2005	26-09-2005	
	181.	राजगढ़	26-11-2005	16-02-2006		
	182.	रतलाम	05-04-2005	16-01-2006		
	183.	रीवा	01-04-2005	10-01-2005	18-05-2006	
	184.	सिवनी	31-03-2005	12-09-2005		
	185.	सिहोर	18-07-2005			
	186.	शहडोल	03-06-2005	07-10-2005	14-03-2006	
	187.	सागर	19-07-2005	17-12-2005	19-04-2006	
	188.	सीधी	12-03-2005			
	189.	शिवपुरी	18-09-2005			
	190.	शाजापुर	05-03-2005			
	191.	सतना	09-05-2005			
	192.	टीकमगढ़	04-03-2005			
	193.	श्योपुर	08-11-2005			
	194.	उज्जैन	05-07-2006			
	195.	उमरिया	11-06-2005			
महाराष्ट्र 21/35	196.	अकोला	17-05-2005	31-12-2005		
	197.	बुलडाना	27-12-2004	12-03-2005		

1	2	3	4	5	6	7
	198.	बीड	10-08-2005			
	199.	रायगढ़	28-12-2004	21-02-2005	04-04-2005	11-06-2005
	200.	धुले	26-12-2005			
	201.	चंद्रपुर	22-02-2005	22-06-2005	06-10-2005	13-02-2006
	202.	गढ़चिरोली	17-01-2005	25-05-2005	04-02-2006	
	203.	गोंदिया	21-11-2005			
	204.	हिंगोली	14-06-2005			
	205.	भंडारा	05-03-2005			
	206.	जलगांव	05-03-2005	06-10-2005		
	207.	जालना	16-07-2005			
	208.	कोल्हापुर	01-07-2005			
	209.	सिंहदुर्ग	29-06-2005			
	210.	सतारा	05-09-2005			
	211.	ओसमानाबाद	20-05-2005			
	212.	लातूर	16-09-2005			
	213.	पूणे	30-04-2005			
	214.	परभनी	15-06-2005			
	215.	थाने	16-06-2005	13-06-2006		
	216.	यवतमाल	10-12-2005			
मणिपुर	217.	इम्फाल प. जिला	25-04-2006			
5/9	218.	इम्फाल पू. जिला	13-04-2006	16-06-2006		
	219.	थौबल	01-02-2005			
	220.	तामेंगलॉग	31-01-2005			
	221.	विष्णुपुर	01-04-2006			
मेघालय	222.	प. गारो हिल्स	29-09-2005			
7/7	223.	पूर्वी खासी हिल्स	मीटिंग हेल्ड*			

1	2	3	4	5	6	7
	224.	प. खासी हिल्स	मीटिंग हेल्ड*			
	225.	रि-भोई	मीटिंग हेल्ड*			
	226.	पूर्वी गारो हिल्स	मीटिंग हेल्ड*			
	227.	द. गारो हिल्स	मीटिंग हेल्ड*			
	228.	जैंतिया हिल्स	मीटिंग हेल्ड*			
मिजोरम 8/8	229.	आइजोल	12-01-2005	02-02-2005	27-10-2005	08-05-2006
	230.	सैहा	11-02-2005	31-05-2005		
	231.	लागतलाई	10-02-2005	04-04-2005	31-05-2006	
	232.	चम्फाल	10-02-2005	09-11-2005		
	233.	कोलासिब	23-03-2005	07-10-2005		
	234.	लुगलेई	14-02-2005	27-05-2005	30-12-2005	
	235.	मामित	13-04-2005	13-07-2005		
	236.	सरछिप	01-02-2005	03-04-2006		
उड़ीसा 26/30	237.	आगुल	24-01-2005	22-07-2005		
	238.	बारगढ़	06-01-2005	16-05-2005		
	239.	बालासौर	19-02-2005	26-06-2005		
	240.	बोलांगीर	19-05-2005			
	241.	भद्रक	18-01-2005	16-04-2005		
	242.	बौध	06-05-2006			
	243.	कटक	22-01-2005	19-11-2005		
	244.	ढेकनाल	22-02-2005	18-05-2005	26-09-2005	
	245.	गंजम	21-02-2005			
	246.	गजपति	27-05-2005			
	247.	जगतसिंहपुर	07-11-2005			
	248.	झारसुगुडा	07-02-2005	07-10-2005		
	249.	नयागढ़	21-02-2005			

1	2	3	4	5	6	7
	250.	नौपाड़ा	03-06-2005			
	251.	नवरंगपुर	21-01-2005			
	252.	कंधामल (फुलबनी)	24-01-2005	13-04-2005	15-07-2005	18-11-2005
	253.	खुर्दा	07-02-2005	18-07-2005	05-05-2006	
	254.	कालाहांडी	25-01-2005	10-06-2005	19-09-2005	
	255.	क्योंझार	10-01-2005	15-07-2005		
	256.	सुन्दरगढ़	18-02-2005	17-05-2005		
	257.	सोनापुर	17-05-2005	02-09-2005		
	258.	सम्बलपुर	22-02-2005			
	259.	मयुरभंज	13-09-2005			
	260.	रायगढ़ा	22-01-2005	03-11-2005		
	261.	देवगढ़	11-02-2005	27-09-2005		
	262.	पुरी	22-02-2005			
पंजाब 14/17	263.	फरीदकोट	31-03-2005	30-06-2005		
	264.	फतेहगढ़साहिब	30-03-2005	09-09-2005		
	265.	फिरोजपुर	15-04-2005			
	266.	भटिंडा	29-09-2005			
	267.	गुरदासपुर	15-07-2005			
	268.	होशियारपुर	28-01-2005	15-07-2005		
	269.	जालंधर	22-06-2005			
	270.	कपूरथला	31-03-2005			
	271.	मोगा	11-03-2005			
	272.	मनसा	29-09-2005			
	273.	नवांशहर	14-07-2005			
	274.	पटियाला	29-03-2005			
	275.	रूपनगर	14-06-2005			

1.	2	3	4	5	6	7
	276.	संगरूर	04-03-2005			
राजस्थान 18/32	277.	अजमेर	18-06-2005	15-09-2005	24-12-2005	24-06-2006
	278.	बाडमेर	19-02-2005	23-05-2005	12-11-2005	28.01-2006
	279.	बूंदी	27-08-2005	21-10-2005	04-01-2006	
	280.	बारन	07-02-2006			
	281.	भीलवाड़ा	14-11-2005	15-02-2006		
	282.	बांसवाड़ा	09-05-2005			
	283.	चूरू	03-02-2006			
	284.	डूंगरपुर	13-10-2005			
	285.	दौसा	मीटिंग नॉट फिक्स			
	286.	धौलपुर	28-05-2005	18-11-2005		
	287.	उदयपुर	26-12-2004	21-09-2005	28-01-2006	24-06-2006
	288.	जैसलमेर	21-02-2005			
	289.	जालौर	22-09-2005			
	290.	कोटा	27-01-2006			
	291.	पाली	26-04-2006			
	292.	सवाईमाधोपुर	19-09-2005			
	293.	टोंक	20-10-2005	10-02-2006		
	294.	राजसमंद	13-04-2006			
सिक्किम 1/4	295.	द. सिक्किम और प. सिक्किम	19-10-2005	21-07-2006		
तमिलनाडु 27/30	296.	कोयम्बटूर	14-06-2005	15-09-2005	04-10-2005	
	297.	कुड्डालोर	15-04-2005	10-06-2006		
	298.	डिंडीगुल	31-12-2004	31-03-2005	30-06-2005	16-11-2005
	299.	धर्मापुरी	29-04-2005	15-09-2005	21-11-2005	
	300.	कृष्णागिरी	12-07-2005			

1	2	3	4	5	6	7
	301.	करूर	06-09-2005			
	302.	पुदुकोट्टई	17-06-2005	30-09-2005	27-12-2005	
	303.	पेराम्बलूर	04-07-2005			
	304.	तिरूवल्लूर	31-12-2004	15-10-2005		
	305.	तिरूननेलवेली	21-02-2005	09-09-2005	01-02-2006	
	306.	वेल्लोर	30-12-2004	24-06-2005	13-07-2005	13-10-2005
	307.	विल्लूपुरम	15-04-2005	15-07-2005	22-10-2005	07-07-2006
	308.	विरूदूनगर	22-02-2005	06-07-2005	22-11-2005	
	309.	त्रिरूनामल्लाई	11-02-2005	23-06-2005	14-10-2005	
	310.	दूथुकुडी	22-02-2005			
	311.	तंजावुर	13-06-2005			
	312.	तिरूवरूर	27-10-2005			
	313.	थीनी	28-09-2005			
	314.	सालेम	04-02-2005	10-11-2005		
	315.	कांचीपुरम	21-10-2005	16-06-2006		
	316.	कन्याकुमारी	17-02-2005	06-07-2005		
	317.	निलगिरि	19-07-2005	05-10-2005		
	318.	नामक्कल	04-02-2005			
	319.	नागापट्टीनम	17-11-2005			
	320.	मदुरै	01-02-2005	01-07-2005	12-11-2005	
	321.	रामनाथपुरम	11-11-2005			
	322.	पेरियार (इरोड)	05-02-2005	15-09-2005	26-06-2006	
उत्तर प्रदेश 37/72	323.	आगरा	29-05-2005			
	324.	अम्बेडकर नगर	18-09-2005			
	325.	इलाहाबाद	08-07-2005	25-04-2006		
	326.	अलीगढ़	22-05-2006			

1	2	3	4	5	6	7
	327.	बिजनौर	28-12-2004	04-03-2006		
	328.	बुलन्दशहर	04-03-2006			
	329.	बहराइच	21-09-2005			
	330.	चंदौली	05-10-2005			
	331.	चित्रकूट	18-11-2005	25-03-2006		
	332.	देवरिया	07-02-2005	16-09-2005	10-11-2005	
	333.	इटावा	14-05-2005			
	334.	फैजाबाद	12-04-2005	04-02-2005		
	335.	फिरोजाबाद	15-04-2005	02-07-2006		
	336.	गोंडा	30-12-2005	31-03-2005		
	337.	गाजियाबाद	04-03-2006			
	338.	कुशीनगर	30-04-2005			
	339.	कानपुर देहात	15-01-2005			
	340.	कौशाम्बी	19-11-2005			
	341.	जौनपुर	27-12-2004	20-05-2006		
	342.	झांसी	28-05-2005	29-04-2006		
	343.	लखनऊ	21-01-2006			
	344.	ललितपुर	31-07-2004	16-01-2006	27-05-2006	
	345.	सहारनपुर	31-12-2004	30-04-2005	16-07-2005	27-05-2006
	346.	श्रावस्ती	21-09-2005	21-06-2006		
	347.	सुल्तानपुर	10-06-2006			
	348.	हरदोई	30-04-2005	14-02-2006		
	349.	महामायानगर (हाथरस)	30-01-2006			
	350.	मैनपुरी	30-03-2005	20-11-2005	30-06-2006	
	351.	मिर्जापुर	06-06-2005			
	352.	मऊ	27-12-2004	20-07-2005		

1	2	3	4	5	6	7
	353.	मथुरा	13-09-2005	04-03-2006		
	354.	मेरठ	11-06-2005	24-01-2006		
	355.	मुजफ्फरनगर	24-09-2005			
	356.	मुरादाबाद	15-07-2006			
	357.	रविदासनगर	02-07-2005			
	358.	रायबरेली	16-12-2005			
	359.	हमीरपुर	12-01-2005			
उत्तरांचल 11/13	360.	अल्मोड़ा	28-12-2004	08-04-2005		
	361.	बागेश्वर	02-12-2004	11-04-2005	30-12-2005	
	362.	पिथौरागढ़	30-12-2004	17-05-2005	21-11-2005	
	363.	पौड़ी गढ़वाल	29-06-2005	06-10-2005	20-06-2006	
	364.	हरिद्वार	30-03-2005	05-04-2005	27-01-2006	
	365.	देहरादून	13-04-2005			
	366.	चम्पावत	31-12-2004	04-07-2006		
	367.	चमोली	21-09-2005	17-06-2006		
	368.	रूद्रप्रयाग	03-01-2006			
	369.	उत्तरकाशी	12-04-2005			
	370.	टिहरी गढ़वाल	11-04-2005	24-09-2005		
पश्चिम बंगाल 2/18	371.	बांकुरा	20-09-2005			
	372.	हुगली	19-09-2005			
लक्षद्वीप 1/1	373.	लक्षद्वीप	01-04-2005			
पांडिचेरी 1/4	374.	पांडिचेरी	18-05-2005	10-06-2005	11-11-2005	
374/560		आयोजित बैठकों की संख्या	79	42	20	4

विवरण-II

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति आयोजित बैठकों का ब्यौरा
(वर्ष 2004, 2005 और चालू वर्ष के लिए अक्तूबर, 2004 में पुनर्गठन के पश्चात्)

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्र.सं.	बैठकों की तारीखें		
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश		07-02-2005		
2.	छत्तीसगढ़		24-01-2005	08-07-2005	10-02-2006
3.	गोवा		12-01-2005		
4.	गुजरात		07-02-2005	13-04-2005	
5.	जम्म-कश्मीर		31-01-2005		
6.	झारखंड		22-10-2005		
7.	कर्नाटक		03-12-2005		
8.	मिजोरम		26-04-2005	16-09-2005	
9.	पंजाब		मीटिंग फिक्सड		
10.	सिक्किम		04-01-2005	29-04-2005	
11.	महाराष्ट्र		29-01-2005	10-08-2005	
12.	मध्य प्रदेश		22-12-2004	22-09-2005	15-05-2006
13.	नागालैंड		04-02-2005		
14.	उड़ीसा		30-06-2005	30-09-2005	27-05-2006
15.	राजस्थान		20-10-2005	10-02-2006	
16.	तमिलनाडु		04-07-2005		
17.	उत्तर प्रदेश		19-11-2005		
18.	पांडिचेरी		02-05-2005	10-06-2005	

विवरण-III

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों का ब्यौरा अक्तूबर, 2004 में पुनर्गठन से पूर्व (वर्ष 2003-2004)

(21-06-2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	जिले	बैठकों की तारीखें			
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	खम्माम	26-07-2003			

1	2	3	4	5	6	7
		रंगारेड्डी	15-09-2003			
2.	अरुणाचल प्रदेश	पु. सियांग	14-11-2003			
		प. सियांग	11-03-2003	29-10-2003		
		दिबांग वैली	28-06-2003			
		तवांग	04-08-2003			
		लोवर सुबारसिरी	17-10-2003			
		प. कामेगा (बॉगडिला)	11-03-2003			
		चांगलॉग	14-12-2003			
		लोहित	12-08-2003	20-11-2003		
		तिरप	26-06-2003	11-09-2003		
		अपर सियांग	29-12-2003			
		अपर सुबानसीरी	16-01-2004	18-03-2004		
3.	असम	उ. कछार हिल्स	17-04-2003			
		कामरूप	30-10-2003			
		कारबी आंगलांग*	एन.ए.			
		कोकराझार*	एन.ए.			
		धीमाजी*	एन.ए.			
		करीमगंज*	एन.ए.			
4.	बिहार	मधुबनी	10-02-2003			
		मधेपुरा	21-09-2003			
		बेगूसराय	04-04-2003	09-08-2003		
		वैशाली	06-05-2003	23-10-2003		
		गया	09-08-2003			
		खगड़िया	02-03-2003			
		पूर्णिया*	08-06-2003			
		दरभंगा*	19-01-2004			

1	2	3	4	5	6	7
		जमुई*	16-01-2004			
		रोहतास*	16-05-2003			
		छपरा*	एन.ए.			
		मुजफ्फरपुर	29-12-2003			
		गोपालगंज	28-08-2003			
		नवादा	21-01-2004			
5.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	27-01-2003			
		बस्तर	03-07-2003			
		धमतरी	30-03-2003			
		जॉजगीर (चाम्पा)	25-09-2003			
		कोरिया	27-09-2003			
		रायपुर	27-09-2003			
		दुर्ग	26-07-2003			
		कांकेर	16-07-2003			
		रायगढ़	फरवरी-03			
		सरगुजा	जुलाई-03			
		जैशपुर	फरवरी-03			
		बिलासपुर	जुलाई-03			
6.	गोवा	द. गोवा	22-05-2003	06-10-2003		
		उ. गोवा	27-06-2003			
7.	गुजरात	अहमदाबाद	10-04-2003	26-09-2003		
		बनासकांठा	30-10-2003	25-06-2003	28-08-2003	
		जुनागढ़	05-04-2003	01-10-2003		
		खंडा/नांदियाड	10-02-2003			
		सुरत	19-06-2003	17-11-2003		
		डांग	19-06-2003			

1	2	3	4	5	6	7
		राजकोट	22-03-2003	16-08-2003		
		वडोदरा	05-04-2003			
		जामनगर	22-03-2003	30-06-2003		
		भडौच	19-04-2003	21-06-2003	20-09-2003	
		गांधीनगर	16-01-2003	17-07-2003		
		कच्छ-भुज	27-01-2003	15-03-2003	13-06-2003	
		पाटन	15-02-2003	19-07-2003		
		मेहसाना	15-03-2003	03-10-2003		
		साबरकांठा	28-01-2003			
		पंचमहल	02-08-2003			
		दाहोद	15-03-2003	11-07-2003		
		भावनगर	05-03-2003			
		वलसाड	18-01-2003	21-06-2003	20-09-2003	
		सुरेन्द्रनगर	19-04-2003			
		नर्मदा	01-08-2003			
		अमरेली	28-01-2003	05-07-2003		
		आनंद	14-02-2003			
		नवसारी	26-07-2003			
8.	हरियाणा	जीन्द	26-07-2003			
		महेन्द्रगढ़	एन.ए.			
		सिरसा*	एन.ए.			
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	30-06-2003			
		सोलन	28-06-2003			
		सिरमौर	28-06-2003			
10.	झारखंड	पू. सिंगभूम	08-09-2003			
		बोकारो	30-09-2003			

1	2	3	4	5	6	7
		धनबाद	23-09-2003			
		दुमका*	एन.ए.			
		गढवा*	29-02-2003			
		गिरीडीह*	19-07-2003			
		हजारीबाग*	06-08-2003			
		कोडरमा*	28-05-2003			
		साहिबगंज*	एन.ए.			
		जाम्तारा*	जून, 2003			
		देवघर*	एन.ए.			
		लतेहर*	एन.ए.			
		चतरा*	एन.ए.			
		प. सिंगभूम*	30-06-2003			
		पाकुर*	10-05-2003			
11.	केरल	कोजीकोट	28-08-2003			
		कासरगोड	07-11-2003			
		ईडुक्की*	एन.ए.			
		वायनाड*	एन.ए.			
12.	कर्नाटक	बेलगाम	31-01-2003	06-07-2003	16-07-2003	27-10-2003
		बगलकोट	07-11-2003			
		बीजापुर	19-04-2003			
		चिकमगलूर	20-11-2003			
		चित्रदुर्ग	27-05-2003			
		हसन	28-02-2003	26-06-2003	05-09-2003	
		गुलबर्गा	28-01-2003	11-09-2003		
		द. कन्नड	03-04-2003	28-06-2003	28-11-2003	
		रायचूर	04-09-2003			

1	2	3	4	5	6	7
		मंगलौर	03-04-2003	28-06-2003		
		दावनगेरे	30-10-2003			
		चामराजनगर	21-04-2003			
		शिमोगा	26-06-2003	28-10-2003		
		कोडागू	04-04-2003	03-07-2003	29-11-2003	
		कोलार	04-04-2003	28-06-2003		
		उ. कन्नड	11-04-2003			
		उडुप्पी	30-01-2003	18-07-2003		
13.	मध्य प्रदेश	सतना*	एन.ए.			
		अमरिया*	एन.ए.			
		कटनी*	30-06-2003			
		शहडोल*	13-08-2003			
		सिवनी*	एन.ए.			
		डिडोरी*	27-02-2003			
14.	महाराष्ट्र	नांदेड*	12-02-2003			
		हिंगोली*	15-02-2003			
		चंद्रपुर*	एन.ए.			
		भंडारा*	12-02-2003			
		गढचिरोली*	एन.ए.			
		रायगढ	एन.ए.			
15.	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	14-05-2003			
		पूर्वी गारो हिल्स	मीटिंग टू बी फिक्सड**			
16.	मिजोरम	आइजोल	19-05-2003			
		लुंगलेई	09-07-2003			
		सैहा	11-07-2003			
		लांगतलाई*	10-07-2003			

1	2	3	4	5	6	7
		कोलासिब	05-09-2003			
		मामित	27-05-2003			
17.	नागालैंड	वोखा*	मीटिंग टू बी फिक्सड**			
18.	उड़ीसा	देवगढ	16-05-2003			
		मयूरभंज	20-06-2003			
		क्योंझार	04-06-2003			
		कोरापुट	एन.ए.			
		बौध	एन.ए.			
		गंजम	एन.ए.			
		आंगुल	एन.ए.			
		कंधामल	एन.ए.			
		कटक	एन.ए.			
		जॉजपुर	25-08-2003			
		सम्बलपुर	एन.ए.			
		सुन्दरगढ	22-10-2003			
		बारगढ	एन.ए.			
		ढेकनाल	12-04-2003			
19.	पंजाब	अमृतसर	04-07-2003	11-09-2003		
		भटिंडा	11-06-2003	25-09-2003		
		फरीदकोट	11-11-2003			
		फतेहगढसाहिब	26-04-2003			
		गुरुदासपुर	13-06-2003			
		होशियारपुर	21-05-2003	29-09-2003		
		जालंधर	03-04-2003	14-05-2003	05-09-2003	
		कपूरथला	13-05-2003	30-09-2003		
		मनसा	04-04-2003	26-08-2003		

1	2	3	4	5	6	7
		मुक्तसर	22-08-2003			
		नवांशहर	13-05-2003	29-09-2003		
		पटियाला	28-03-2003			
		रोपड़	03-10-2003			
		संगरूर	25-08-2003			
		फिरोजपुर	05-05-2003			
20.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	17-02-2003			
		बांसवाड़ा*	एन.ए.			
		डूंगरपुर*	15-01-2003			
21.	तमिलनाडु	नीलगिरि	29-01-2003	05-07-2003	04-11-2003	
		विल्लूपुरम	17-03-2003	01-10-2003		
		वेल्लोर	04-06-2003			
		तिरूवन्नामलाई	11-07-2003			
		रामनाथपुरम	09-07-2003			
		विरुद्धनगर	26-08-2003			
		इरोड	31-01-2003	30-08-2003		
		कुड्डालोर	01-03-2003	16-05-2003		
		डिंडीगुल*	एन.ए.			
		नागापट्टीनम*	25-06-2003			
22.	त्रिपुरा	प. त्रिपुरा	16-09-2003			
		द. त्रिपुरा*	एन.ए.			
		धलाई	एन.ए.			
23.	उत्तर प्रदेश	इटावा	31-01-2003	14-10-2003		
		श्रावस्ती	01-02-2003			
		बहराइच	09-07-2003			
		औरय्या	08-03-2003			

1	2	3	4	5	6	7
		बिजनौर	04-04-2003			
		मैनपुरी	10-06-2003			
		जौनपुर	19-04-2003	10-08-2003		
		बस्ती	03-10-2003			
		जालौन*	एन.ए.			
		महाराजगंज*	अगस्त, 2003			
		गाजियाबाद	19-04-2003			
		गोरखपुर*	25-10-2003			
		कुशीनगर*	एन.ए.			
24.	उत्तरांचल	बागेश्वर*	एन.ए.			
		पौढ़ी गढ़वाल*	एन.ए.			
		टिहरी गढ़वाल	13-11-2003			
25.	पश्चिम बंगाल	मुर्शीदाबाद	एन.ए.			
		पुरलिया	एन.ए.			
		जलपाईगुडी	एन.ए.			
26.	दादरा व नगर हवेली	दादरा व नगर हवेली	31-10-2003			

एन.ए.=उपलब्ध नहीं

*=राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा बताए गए अनुसार। एन.एल.एम. रिपोर्ट कृषि वित्त निगम नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गयी।

**=समिति के अध्यक्ष से बैठक निर्धारित करवाने के लिए कहा गया था।

विवरण-IV

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों का ब्यौरा अक्तूबर, 2004 में पुनर्गठन से पूर्व (वर्ष 2003-2004)

(21-06-2004 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अंतिम बैठक की तारीख
1	2	3
1.	असम	16-07-2003
2.	अरुणाचल प्रदेश	एन.ए.
3.	गुजरात	एन.ए.
4.	गोवा	16-12-2003
5.	हरियाणा	एन.ए.
6.	केरल	23-10-2003
7.	कर्नाटक	एन.ए.

1	2	3
8.	मध्य प्रदेश	22-09-2003
9.	महाराष्ट्र	16-05-2004
10.	मिजोरम	11-07-2003
11.	मेघालय	एन.ए.
12.	उड़ीसा	20-01-2004
13.	पंजाब	एन.ए.
14.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.
15.	उत्तरांचल	एन.ए.
16.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एन.ए.
17.	दादरा एवं नगर हवेली	31-10-2003
18.	लक्षद्वीप	एन.ए.

एन.ए.=असूचित

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन योजनाएं

***199. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री आर. प्रभु:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय निर्यातकों ने निर्यात संवर्धन योजनाओं का दुरुपयोग किया है और इसकी वजह से सरकार को मूल्यवान विदेशी मुद्रा की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) निर्यात संवर्धन योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान विभिन्न अभिकरणों द्वारा निर्यात संवर्द्धन स्कीमों के कथित दुरुपयोग के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस अवधि के दौरान, कथित आरोपियों को 1311 कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कुल 3580 करोड़ रुपए के शुल्क की मांग की गई है। इनमें से, 792 मामलों में न्याय-निर्णयन करते हुए 1192 करोड़ रुपए के कुल शुल्क तथा 829 करोड़ रुपए जुर्माने तथा अर्थदण्ड की पुष्टि की गई है। बकाया कारण बताओ नोटिस न्याय-निर्णयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) निर्यात संवर्द्धन स्कीमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इन स्कीमों को कड़ा बनाने के लिए नीति एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए जाते रहते हैं तथा संगत अधिनियमों तथा नियमों में समय-समय पर संशोधन भी किए जाते रहते हैं, जिससे इनके दुरुपयोग को रोकने में सहायता मिल सके। वास्तव में, इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए स्कीमों में स्वतः ही सुरक्षोपायों की व्यवस्था की गई है। इनमें से कुछेक इस प्रकार हैं:-

(i) अग्रिम लाइसेंसिंग (प्राधिकार) स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस वास्तविक प्रयोगकर्ता शर्त के अधीन होते हैं और ये अहस्तांतरणीय होते हैं।

(ii) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल स्कीम के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल निर्यात बाध्यता के पूरा होने तक वास्तविक प्रयोगकर्त्ता शर्त के अधीन होता है।

(iii) शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम के तहत विभिन्न निर्यात मदों हेतु अधिकतम मूल्य निश्चित किए गए हैं जिससे अधिक बीजक बनाकर इसके दुरुपयोग को रोकने में सहायता मिल सके। ऐसे उत्पादों के संबंध में जहां क्रेडिट हकदारी 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है, वहां क्रेडिट की राशि को वर्तमान बाजार मूल्य (व.बा.मू.) के 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाता है।

(iv) यद्यपि अधिकांश उत्पादों हेतु प्रतिअदायगी की सर्व उद्योग दर को मूल्यानुसार शब्दावली में व्यक्त किया गया है, फिर भी लगभग सभी मामलों में प्रतिअदायगी की अधिकतम सीमा लागू कर दी गई है जिससे अधिक बीजक बनाकर इसके दुरुपयोग की संभावना को नकारा जा सके।

इन स्कीमों के तहत जिन सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है, उनके अलावा इन स्कीमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनाई गई अन्य निरीक्षण एवं जांच प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं:-

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय (वि.व्या.नि.) निरीक्षणों, मनाही सत्ता सूची (म.स.सू.) की नियमित रूप से जांच करते हुए तथा विभिन्न जांचों और विभिन्न स्तरों पर बकायों की जांच करके निर्यात संवर्द्धन स्कीमों पर निगरानी रखता है। जब कभी भी हेराफेरी के संबंध में कोई रिपोर्ट ध्यान में लाई जाती है, तब हेराफेरी में लिप्त ऐसी फर्मों को तुरन्त मनाही सत्ता सूची में डाल दिया जाता है और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई आरम्भ की जाती है। हेराफेरी करने वाली कम्पनियों के आयातक-निर्यातक कोडों (आ.नि.को.) को रद्द कर दिया जाता है।

(ख) राजस्व आसूचना निदेशालय (डी.आर.आई.) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को हेराफेरी करने वाली कम्पनियों तथा इनके द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली के बारे में सतर्क रहने के लिए समय-समय पर सूचना जारी की जाती है।

(ग) जोखिम भरी जिन्सों तथा निर्यातकों को माल/घोषणाओं की सूक्ष्म जांच हेतु विशेष रूप से लक्ष्य बनाया जाता है तथा ऐसे निर्यात माल के बाजार मूल्य का पूर्णतया सत्यापन किया जाता है।

(घ) निरीक्षण और जांच हेतु निर्यात परेषणों का चयन मानदंडों के आधार पर किया जाता है, संवेदनशील स्थानों को निर्यातित माल हेतु उच्च जांच मानदंडों को अपनाया जाता है।

(ङ) हेराफेरी करने वाली कम्पनियों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करने तथा इनका पता लगाने के लिए प्रयास किए जाते हैं तथा इनमें लिप्त पाए गए लोगों को गिरफ्तार एवं निरुद्ध किया जाता है।

(च) प्रतिअदायगी स्कीम का दुरुपयोग करने के मामलों में हेराफेरी करने वाली कम्पनियों के बैंक लेखों को निष्क्रिय करने के लिए उपाय किए जाते हैं और वह बैंक जिसके खाते में प्रतिअदायगी की राशि डाली जाती है उसे यह राशि सरकारी लेखे में डाल दिए जाने का अनुरोध किया जाता है।

(छ) अपवंचित सीमाशुल्क की राशि को वसूल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करके तथा न्याय-निर्णयन संबंधी प्रक्रियाओं को आरम्भ करके वसूली करने के उपाय किए जाते हैं।

(ज) विभिन्न आसूचना एजेंसियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए नियमित अंतरालों पर बैठकों का आयोजन किया जाता है।

रीयल टाइम सीसमिक मॉनिटरिंग नेटवर्क

***200. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत मौसम विज्ञान विभाग का विचार देश में रीयल सीसमिक मॉनिटरिंग नेटवर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) ऐसे स्टेशनों की स्थापना में होने वाले अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ऐसे स्टेशनों द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) भारत सरकार द्वारा हिन्द महासागर में स्थापित की जा रही सुनामी और तूफान महोर्मि चेतावनी प्रणाली के भाग के रूप में एक 17 स्टेशन रीयल टाइम सीसमिक मॉनीटरिंग नेटवर्क (आर.टी.एस.एम.एन.) स्थापित कर रहा है। फील्ड स्टेशन निम्न स्थानों पर हैं:- भुज, भोपाल, चेन्नई, बोकारो, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विशाखापटनम, शिलांग, गोवा, देहरादून, शिमला, पोर्ट-ब्लेयर, डिगलीपुर, कैम्पबेल खाड़ी, मिनीकोय, धर्मशाला तथा हैदराबाद (स्थानवार मानचित्र संलग्न है)।

(ग) आर.टी.एस.एम.एन. की मुख्य विशेषता यह होगी कि प्रत्येक स्टेशन में सुनामीजनित सीसमिक स्रोतों के रीयल टाइम प्रोसेसिंग और विवेचन के लिए नई दिल्ली (आई.एम.डी.) और हैदराबाद (भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इनकायस), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्थित केन्द्रीय प्राप्ति स्टेशन के लिए उपग्रह संचार के जरिए डाटा भेजने की सुविधा युक्त सीसमिक और जी.पी.एस. (वैश्विक अवस्थिति प्रणाली) लगे होंगे।

(घ) आर.टी.एस.एम.एन. स्थापित करने के लिए अनुमानित व्यय लगभग 10 करोड़ रुपए है।

(ङ) आशा है कि पूर्ण रीयल टाइम सीसमिक मानीटरिंग नेटवर्क 2007 के मध्य तक कार्य करना आरंभ कर देगा।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर "मनी चेन्जर्स"

1377. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा पर भू-सीमा शुल्क स्टेशनों के निकट निजी मनी चेन्जरों और कैरियिंग तथा फारवर्ड एजेंसियां कुकरमुत्तेकी तरह पनप रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भू-पत्तनों के माध्यम से जाने वाले व्यापारियों और यात्रियों को मनी चेन्ज की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर सभी भू-सीमा-शुल्क स्टेशनों के समीप विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधा से युक्त बैंकों की स्थापना को विनियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस समस्या की रोकथाम के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) ऐसा कोई विशिष्ट क्रियाकलाप सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा था कि सीमित मुद्रा परिवर्तन के लिए फ्रैंचाइजी नियुक्त करें। हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक विनिमय सुविधाएं देने के लिए बैंकों को प्रेरित करने हेतु कदम उठाए हैं। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस-प्राप्त 5 सीमित मुद्रा परिवर्तक भारत बांग्लादेश सीमा की 10 कि.मी. की परिधि के अन्दर कार्य कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तपोषण

1378. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सड़क निधि, नाबार्ड, राज्य सरकारों और बहुपक्षीय एजेंसियों के वित्तपोषण का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) शत प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के वित्तपोषण का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष		स्रोत	राशि (रु. करोड़ में)
2003-04		केन्द्रीय सड़क कोष	2325
2004-05	(i)	केन्द्रीय सड़क कोष	2148
	(ii)	एशियायी विकास बैंक/ विश्व बैंक	320
2005-06	(i)	केन्द्रीय सड़क कोष	3809.50
	(ii)	एशियायी विकास बैंक/ विश्व बैंक	410.50

[हिन्दी]

सामुदायिक शौचालय

1379. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के उपयोग की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी अनुमति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) अस्थायी जनसंख्या तथा सामान्य रूप से आम जनता के लाभ के लिए सामुदायिक शौचालयों और सफाई सुविधाओं के निर्माण कार्यों का वित्तपोषण करने हेतु आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) का सामुदायिक शौचालय और सफाई कार्यक्रम, सांझा स्वच्छता अभियान 30-1-2006 को शुरू किया गया था। यह स्कीम शहरों में विद्यालयों, संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टेन्डों, रेलवे स्टेशनों/व्यस्थ बाजार स्थानों, गन्दी बस्तियों आदि में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए

है। इस स्कीम के तहत हडको 40,000 रुपए प्रति शौचालय/स्नान-घर की उच्चतम लागत में से 20,000 रुपए तक 50% सब्सिडी मुहैया कराये गए। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों अथवा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि आदि से बराबर का अंश वहन किया जाना है। परियोजना में शौचालय/स्नान-घर के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा अपना स्वयं का अंश निवेश किए जाने के बाद ही हडको से सब्सिडी जारी की जायेगी। यदि प्रति शौचालय/स्नानघर की सकल लागत 40,000 रुपए से अधिक बैठती है तो हडको एजेन्सी को हडको के अवस्थापना दिशानिर्देशों तथा "कार्य योजना" स्कीम की वित्तपोषण शर्तों के अन्तर्गत ऋण के रूप में शेष परियोजना लागत का वित्त पोषण कर सकता है। हडको स्कीम के अन्तर्गत 50 लाख रुपए प्रति जिला तक सब्सिडी देगा।

हडको द्वारा 11 स्कीमों के अन्तर्गत 39.16 लाख रुपए के ऋण के साथ अनुदान के रूप में 794.20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ऋण/सब्सिडी हेतु सामुदायिक शौचालयों तथा सफाई कार्यक्रम के तहत संस्वीकृत की गई स्कीमों की सूची

30-6-2006 की स्थिति के अनुसार

(लाख रु. में)

क्र. सं.	प्राप्त किया गया प्रस्ताव	अभिकरण/ लाभार्थी अंश	संस्वीकृत सब्सिडी	संस्वीकृत ऋण	डब्ल्यू.सी./ स्नानघर/ शौचालय
1	2	3	4	5	6
1.	जी.ए.सी.एल., रोपड़ में 2 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण (स्कीम सं. 18777)	6.00	6.00	4.16	30
2.	जी.एम.बी. द्वारा गुजरात राज्य में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड तथा विभिन्न पोर्ट क्षेत्रों में शोचालय ब्लॉकों का निर्माण (109 डब्ल्यू.सी. और 51 स्नानघरों) स्कीम सं. 18903	35.60	22.00	0.00	160
3.	हरिहर, जिला दावनगेरा, कर्नाटक तथा कठबुल्लापुर, जिला-रेंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में क्रमशः 4 तथा 2 सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु अनुदान (स्कीम सं. 18923)	5.3	2.60	0	13
4.	उत्तरांचल राज्य के स्कूलों में शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव (सिद्धान्ततः संस्वीकृति)	495.83	462.80	0	2415
5.	शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव (सिद्धान्ततः संस्वीकृति)				
6.	अहमदाबाद में 1 साइट के लिए सामुदायिक शौचालय तथा सफाई कार्यक्रम का कार्यान्वयन (स्कीम सं. 18826)	5.04	2.40	0	12

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात के 20 जिलों में 51 नगरपालिका में 125 जगहों पर 1341 (1123+218) शौचालय सीटों का निर्माण (स्कीम सं. 18827)	508.5	268.20	0	1341
8.	कुकारपल्ली, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में सामुदायक शौचालय तथा सफाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तहत 5 जगहों पर सुलभ शौचालयों का निर्माण (स्कीम सं. 18829)	28.74	6.00	0	30
9.	हरिहर, जिला दावनगेरा, कर्नाटक तथा कठबुल्लापुर, जिला-रेंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में क्रमशः 4 तथा 2 सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु अनुदान (स्कीम सं. 18928)	5.3	2.60	0	13
10.	बस स्टैण्ड, झज्झर हरियाणा में सामुदायिक शौचालयों तथा सफाई कार्यक्रम का कार्यान्वयन (स्कीम सं. 18933)	4.760	2.40	0	12
11.	अम्बाला, हरियाणा में 8 शौचालय कॉम्पलेक्सों का निर्माण (स्कीम सं. 18825)	21.2	19.20	35	96
	कुल	1116.27	794.20	39.16	4122

[अनुवाद]

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सहायता

1380. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा कितने प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं हेतु ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत राज्य सरकारों को ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता देता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. के तहत मंजूर एवं संवितरित ऋण की स्थिति निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपए)

आर.आई.डी.एफ. शृंखला एवं वर्ष	क्रियाकलाप	परियोजनाओं की संख्या	आर.आई.डी.एफ. ऋण	संवितरित राशि
1	2	3	4	5
VIII 2002-03	विद्युत क्षेत्र में प्रणालीगत सुधार	34	111.37	98.29

1	2	3	4	5
VIII 2002-03	लघु जल विद्युत परियोजना (3x5 मेगावाट)	1	35.10	7.02

दिनांक 29-7-2006 की स्थिति के अनुसार संवितरित राशि।

विद्युत क्षेत्र में प्रणालीगत सुधार संबंधी 29 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। शेष 5 परियोजनाओं और लघु जल विद्युत परियोजना को कार्यान्वित किया जाना है।

(ग) मध्य प्रदेश से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नाबार्ड में कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की सेवा-शर्तें

1381. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम को बाजार में निजी आपरेटरों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने उत्पादों के विपणन के लिए अपने कर्मचारियों को बीमा परामर्शकों के रूप में तैनात करने का है;

(ग) क्या अपने कार्यकरण में लोच को सुनिश्चित करने के लिए "गुट-एण्ड-काल-ऑप्शंस" को लागू करने और कर्मचारियों की सुविधा के लिए सेवा-शर्तों और पेंशन नियमों में संशोधन करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। मार्केटिंग को सशक्त बनाने के लिए एल.आई.सी. ने इसके कर्मचारियों की बीमा सलाहकारों के रूप में नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) विनियम, 1960 तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन शामिल हैं। यह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

असम में ताप विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति

1382. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से असम में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) के माध्यम से गैस की आपूर्ति में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) असम सरकार ने अपने पत्र सं. पी.ई.एल. 140/95/पार्ट-I/83, दिनांक 16 मई, 2006 के द्वारा अपनी प्रस्तावित 100 मेगावाट क्षमता की अमगुड़ी संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना हेतु 0.65 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस का शीघ्र आबंटन किए जाने के लिए पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है। ओ.आई.एल. के साथ गैस लिंकेज स्थापित किए जाने की प्रत्याशा है।

(ग) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्रतिक्रिया प्राप्त की जा रही है।

चांदी और स्वर्ण भंडार

1383. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी टकसालों में बड़ी मात्रा में स्वर्ण और चांदी रखी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इनके मूल्य को कम बनाए रखने के लिए बाजार में और अधिक स्वर्ण और चांदी जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारत सरकार टकसालों के पास इस समय केवल पदक बनाने तथा स्मारक सिक्कों की ढलाई हेतु दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए सोने और चांदी के प्रचालनात्मक स्टाक हैं।

बीमा उत्पाद के बारे में जागरूकता

1384. श्री के.सी. पल्लानीशामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा उत्पादों के संबंध में ग्रामीण लोग पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन और जीवनेतर दोनों प्रकार के बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए डाक विभाग की सेवाओं का उपयोग करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा उद्योग में निजी कंपनियों के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र खोला गया था। इसे खोलते समय यह विचार किया गया था कि नए प्रवेशक ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच सरल बनाएंगे। इस आदेश के साथ बहुत से कदम उठाए गए, जिनमें, अन्य बातों के साथ, विनियामक शर्त, विशिष्ट लक्ष्य के साथ जानकारी अभियान, विभिन्न मध्यस्थता माध्यमों तथा नवीन/आवश्यकता आधारित उत्पादों का परिचय भी शामिल हैं।

(ग) से (ङ) डाक विभाग 1995 से पहले से ही ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय कर रहा है। ये पॉलिसियां पूरे जीवन काल, बंदोबस्ती, प्रत्याशित बंदोबस्ती, पूरे जीवन काल में परिवर्तनीय तता 10 वर्षों की मनी बैक हैं। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से चुने हुए गैर-जीवन बीमा उत्पादों के विक्रय के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से करार भी किया है।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन प्रणाली

1385. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री काशीराम राणा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्र में जल प्रबंधन प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कितना कार्य किया गया है;

(घ) क्या अनेक राज्य सरकारें जल प्रबंधन प्रणाली में केन्द्र सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निर्धनों को सुविधाएं

1386. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर के छोटे एवं बड़े शहरों में रह रहे निर्धनों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा तैयार किए गए एवं क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों एवं योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा संस्वीकृत धनराशि शहर-वार कितनी है और उपरोक्त योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) स्लमों में रहने वालों के लिए आवासीय यूनिटों के निर्माण को सरल बनाने तथा सामुदायिक शौचालयों

के माध्यम से स्वास्थ्य तथा उपयुक्त वातावरण मुहैया कराने के लिए दिनांक 2-12-2001 से वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है। वाम्बे की शुरुआत से जम्मू-कश्मीर राज्य को 5 योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु 3.67 करोड़ रु. की भारत सरकार (जी.ओ.आई.) सब्सिडी जारी की गई है। वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	जारी भारत सरकार सब्सिडी (करोड़ रु. में)	शामिल आवासीय यूनिट	शामिल शौचालय सीटों की संख्या
2001-02	0.87	387	0
2002-03	0.38	170	0
2003-04	0.99	442	0
2004-05	0.64	210	85
2005-06	0.79	180	191
कुल	3.67	1389	276

(ख) जम्मू-कश्मीर राज्य के शहरों/कस्बों में वाम्बे के तहत वित्तीय और वास्तुविक उपलब्धियों का स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वाम्बे स्कीमों का संचयी स्कीमवार ब्यौरा जिनमें दिनांक 30-6-2006 की स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य में भारत सरकार द्वारा सब्सिडी जारी की गई

क्र. सं.	शासित किए गए शहर/ कस्बे का नाम	अभिकरण		वर्ष 2001 02 में भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी	वर्ष 2002 03 में भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी	वर्ष 2003 04 में भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी	वर्ष 2004 05 में भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी	वर्ष 2005 06 मे भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी	अब तक भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी			भारत सरकार सब्सिडी के तहत शामिल आवासीय यूनिट	जारी की गई भारत सरकार सब्सिडी के तहत शामिल शौचालय यूनिट	वास्तविक प्रगति (दिनांक 30.6.2006 तक)			
									आवासीय यूनिट	शौचालय यूनिट	कुल			आवासीय यूनिट		शौचायल यूनिट	
														पूर्ण	प्रगति पर	पूर्ण	प्रगति पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
राज्य: जम्मू-कश्मीर																	
1.	17551	जम्मू	जे.डी.ए.	87.00	38.320				125.320	0.000	125.320	557	0	557	0	0	0
2.	18082	श्रीनगर	श्रीनगर डी.ए.			99.450			99.450	0.000	99.450	442	0	21	128		
3.	18063	अनंतनाग, सोपोर, बारामुला, गुल्मर्ग, तेगमार, हेजिन, कुपवाड़ा हंदवाडा, बडगाम, चरारे-शरीफ, खान शरीफ, मागम, वीरवाड़ा, पुलवामा, पंपोर, क्यू तिराल, शेपियन, कुलगाम,	जी.एल.बी. कश्मीर				17.000	38.200	0.000	55.200	55.200	0	276				

	बिजबेहरा, मतान, अचाबलू, काकेरनाग, दुरुवेरीनाग, काजीगुण्ड, संबल, कुंजर और गांदरबल															
4. 18064	अनंतनाग, हेजिन, कुपवाड़ा, बडगाम, चरारे, शरीफ, खान शरीफ, मागम, वीरवाड़ा पुलवामा, पंपोर, क्यू तिराल, शेपियान, कुलगाम, बिजबेहरा, मतान, अचाबल, काजीगुण्ड, कंजर, गंदरबल और पहलगाम	डी.एल.बी. कश्मीर				2.250	11.360	13.610	0.000	13.610	60	0				
5. 18632	श्रीनगर	श्रीनगर				45.000	29.250	74.250	0.000	74.250	330	0				
जम्मू कश्मीर के लिए कुल योग			87.000	38.320	99.450	64.250	78.810	312.630	55.200	367.830	1389	276	578	128	0	0

[हिन्दी]

ग्रामीण हाट परियोजना चरण-II

1387. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान द्वारा ग्रामीण परियोजना चरण-II हेतु प्रस्तावित परियोजनाएं मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनको कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार ने 12 जिलों में स्थायी विपणन केन्द्रों (ग्रामीण हाट चरण-II) की स्थापना की स्वीकृति के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत एक विशेष परियोजना का प्रस्ताव दिया था। उस परियोजना प्रस्ताव की एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत विशेष परियोजना के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की गई थी और चूंकि एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 10 जिलों में स्थायी विपणन परिसरों की स्थापना के लिए उसी एजेंसी द्वारा निष्पादित की जाने वाली ऐसी ही एक विशेष परियोजना मार्च, 2002 में मंजूर की जा चुकी थी और जिसे पूरा किया जाना बाकी था, इसलिए परियोजना के दूसरे चरण को आरंभ करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को यह कह कर लौटा दिया गया था कि इस पर पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने और संभावित लाभ हासिल हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा अध्येतावृत्ति

1388. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ कार्य करने वाले लोगों को "अध्येतावृत्ति" प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद तथा इसके गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कुल 436 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिसमें 90 शिक्षाविद् स्टाफ शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में वरिष्ठ अध्येता (फेलो) के रूप में प्रवेश के लिए पात्र व्यक्ति हैं - ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति; ग्रामीण विकास के लिए सूक्ष्मदर्शिता वाले वरिष्ठ बैंकर, भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यरत तथा सेवानिवृत्त दोनों तरह के वरिष्ठ अधिकारी; तथा ग्रामीण विकास के मुद्दों से संबंधित विषयों पर कार्य करने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद् तथा विद्वान। सरकार अथवा सरकारी संगठनों में कार्य कर रहे व्यक्ति या तो प्रतिनियुक्ति अथवा उनके मूल संगठन द्वारा इस उद्देश्य के प्रयोजनार्थ छुट्टी मंजूर किए जाने के आधार पर लिए जा सकते हैं।

अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय तथा राज्य सेवा या प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, विश्वविद्यालयों और ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारी विजिटिंग फेलो के रूप में शामिल किए जाने के पात्र होते हैं। इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में 3 वरिष्ठ फेलो और 3 विजिटिंग फेलो कार्य कर रहे हैं।

विद्युत संयंत्र की स्थापना

1389. श्री जुएल ओराम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, विशेषकर दिल्ली की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने हेतु कोयला भंडार वाले कुछ राज्यों में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों के कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जांजगीर दिल्ली सरकार ने दिल्ली की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले में पिटहेड कोयला आधारित 2000 मेवा क्षमता के एक विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। परियोजना से संबंधित निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित

करने के आधार पर परियोजना को चालू करने की समय सीमा 2010-11 (1000 मे.वा.) और 2011-12 (1000 मे.वा.) निर्धारित की गई है।

नाबार्ड द्वारा किसान क्लबों का वित्तपोषण

1390. श्री अनन्त नायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड देश में किसान क्लबों का वित्तपोषण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन क्लबों को आवंटित धन राज्यवार कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2003-04 के दौरान जारी अनुदान	2004-05 के दौरान जारी अनुदान	2005-06 के दौरान जारी अनुदान	संचयी कुल
1	2	3	4	5	6
1.	त्रिपुरा	60000	146910	272190	479100
2.	गुजरात	1041178	2490395	2461585	5993158
3.	मिजोरम	0	0	0	0
4.	कर्नाटक	3758746	6118932	6024991	15902669
5.	मध्य प्रदेश	778329	854495	1129046	2761870
6.	उड़ीसा	790977	1000842	1163333	2955152
7.	पश्चिम बंगाल	1681136	2101710	2718614	6501461
8.	पंजाब एवं हरियाणा	1779253	2172959	1694306	5646518
9.	तमिलनाडु	1616608	2173463	2678572	6468643
10.	उत्तरांचल	253568	1624207	1146330	3024105
11.	नागालैण्ड	0	2750	6000	8750
12.	सिक्किम	105848	244147	188183	538178
13.	असम	197639	322624	704162	1224425
14.	आन्ध्र प्रदेश	2894976	4029961	3300467	10225404
15.	मणिपुर	1125	0	0	1125
16.	अरुणाचल प्रदेश	52365	36000	0	88365
17.	राजस्थान	469996	918000	2012531	3400527

1	2	3	4	5	6
18.	जम्मू-कश्मीर	57177	280077	364233	701487
19.	उत्तर प्रदेश	1201142	2911053	3365788	7477983
20.	नई दिल्ली	3000	0	0	3000
21.	गोवा	71716	180927	155296	407939
22.	बिहार	515861	795553	1003702	2315116
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	100654	120879	77344	298877
24.	महाराष्ट्र	2771594	3663811	3888500	10323905
25.	छत्तीसगढ़	153492	615039	439188	1207719
26.	झारखण्ड	983690	866438	1275396	3125524
27.	मेघालय	0	60000	28724	88724
28.	हिमाचल प्रदेश	146829	355744	249920	752493
29.	केरल	485073	907093	1604394	2996560
	कुल	21971972	34994010	37952795	94918777

सेवा कर

1391. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकिंग क्षेत्र में सेवा कर लागू किए जाने के बाद से सेवा कर के रूप में संग्रहित की गई धनराशि राज्यवार कितनी है;

(ख) क्या बैंकिंग सेवा कर के संग्रहण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य तौर पर सेवा कर और विशेष रूप से बैंकिंग सेवा कर के संग्रहण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सेवा कर में क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार राज्य-वार नहीं है। साथ ही, निर्धारिती को केन्द्रीयकृत स्थान पर सेवा कर भुगतान करने की अनुमति है। इसलिए, राज्यवार राजस्व का संग्रहण संभव नहीं है। तथापि, जुलाई, 2001 में शुरुआत करने के साथ ही "बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवा" से सकल सेवा कर संग्रहण की वर्षवार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार है:-

वर्ष	राजस्व (करोड़ रु. में)
2001-02	63
2002-03	175
2003-04	308
2004-05	1052
2005-06	1954 (अनंतिम)

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार सेवा कर संग्रहण में सुधार के लिए सामान्यतया निम्नलिखित कदम उठाती रही है:-

(i) कर प्रशासन का सुदृढ़ीकरण;

(ii) जन जागरूकता और करदाता शिक्षा को बढ़ाने के लिए मुद्रण और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार;

(iii) सेवा प्रदाताओं का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण;

(iv) सेवा प्रदाताओं तक पहुंच को सुलभ बनाने के लिए तथा विवरणी की ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण मेले जैसी व्यापार सुविधा;

(v) आसूचना नेटवर्क और अपवंचन रोधी उपाय।

नेशनल लॉ स्कूल

1392. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में नेशनल लॉ स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ये नेशनल लॉ स्कूल किन राज्यों में खोले जा रहे हैं;

(ग) क्या शैक्षणिक वर्ष 2007-08 से दिल्ली में एक ऐसा नेशनल लॉ स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

यमुना हेतु जोनल योजना

1393. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में यमुना हेतु एक प्रारूप जोनल योजना तैयार की है जैसा कि दिनांक 17 जुलाई, 2006 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह बताया है कि जोन "ओ" तथा जोन "पी" के कुछ हिस्से शामिल करते हुए यमुना नदी के लिए प्रारूप जोनल विकास प्लान तैयार किया गया है। प्रारूप प्लान पर प्राधिकरण की दिनांक 28-6-2006 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था तथा दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए इसे अनुमोदित कर दिया गया था।

बुनियादी संरचना का विकास

1394. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक सर्वेक्षण में बुनियादी संरचना के विकास में कमी बताई गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वास्तव में कितनी कमी देखी गई है;

(ग) क्या विकास की संभावनाएं सीधे तौर पर वास्तविक बुनियादी संरचना में तीव्र विकास पर निर्भर करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में गुणवत्ता बुनियादी संरचना का तीव्र रूप से प्रावधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) आर्थिक समीक्षा, 2005-06 में इंगित किया गया था कि छः महत्वपूर्ण उद्योगों, नामतः कच्चा पैट्रोलियम, पैट्रोलियम शोधक उत्पाद, कोयला, बिजली, सीमेंट और तैयार इस्पात, जिनका अवसंरचना पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है और जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) में 27 प्रतिशत भार है, के समग्र सूचकांक में अप्रैल-दिसंबर, 2005 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो अप्रैल-दिसम्बर, 2004 में दर्ज की गई 6.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी।

(ख) अप्रैल-मई, 2006-07 और पिछले तीन वर्षों के दौरान छः महत्वपूर्ण उद्योगों के समग्र सूचकांक की वृद्धि दर निम्नानुसार है:-

वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत)
2006-07 (अप्रैल-मई)	5.9
2005-06 (अप्रैल-मई)	7.1
2005-06	5.1
2004-05	5.8
2003-04	6.1

(ग) आर्थिक वृद्धि भौतिक अवसंरचना सहित उपलब्ध संसाधनों और उनकी समग्र उत्पादकता पर निर्भर करती है। आर्थिक वृद्धि और भौतिक अवसंरचना के बीच एक सकारात्मक संबंध अवश्य है।

(घ) अवसंरचना परियोजनाओं और सुधारों में तेजी लाने तथा उन्हें सुप्रवाही बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अवसंरचना समिति का गठन किया गया है। सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) नामक विशेष प्रयोजन साधन की स्थापना भी की है। सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत शुरू की गई, पात्र परियोजनाओं के अर्थक्षमता संबंधी अन्तर के वित्तपोषण हेतु एक योजना भी शुरू की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में कमियां

1395. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के संबंध में कराए गए सर्वेक्षण में इसके क्रियान्वयन में कुछ कमियां पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी कमियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सर्वेक्षण कितने राज्यों में कराया गया;

(घ) क्या इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च के लिए बहुत ही कम धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सर्वेक्षण में किन और बिन्दुओं की ओर इशारा किया गया है तथा इस संबंध में कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एन.आर.ई.जी.ए. की निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पांच एजेंसियों को काम में लगाया है। एजेंसियों और कवर किए गए राज्यों के नाम निम्नानुसार हैं:-

	एजेंसी	कवर किए जाने वाले जिले
1.	भारतीय महिला अध्ययन, संस्थान, नई दिल्ली	उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एवं पश्चिम बंगाल से 2-2 जिले
2.	सेंटर फॉर बजट गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी, नई दिल्ली	आंध्र प्रदेश से 1 जिला, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश से 2-2 जिले
3.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से 1-1 जिला
4.	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली	बिहार के 6 जिले
5.	सेंटर फॉर डेवलपमेंट एल्टरनेटिव्स, अहमदाबाद	गुजरात के 6 जिले

(घ) एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत, अधिनियम के कार्यान्वयन की कुल लागत की 2 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक व्यय के लिए आबंटित की गई है।

(ङ) निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए लगाई गई एजेंसियों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

काम का बदले राष्ट्रीय अनाज कार्यक्रम का राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम में विलय

1396. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काम के बदले राष्ट्रीय अनाज कार्यक्रम (एन.एफ.एफ. डब्ल्यू.पी.) की शुरुआत से असम राज्य में इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है तथा लक्षित क्षेत्रों में वास्तव में कितनी धनराशि संवितरित तथा जारी की गई;

(ख) क्या काम के बदले राष्ट्रीय अनाज कार्यक्रम की खर्च न की गई शेष धनराशि को इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय रोजगार नियोजन योजना अधिनियम में विलय कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार विलय की गई धनराशि का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा काम के बदले राष्ट्रीय अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत अधूरी रह गई योजनाओं की स्थिति क्या है;

(घ) क्या धेमाजी तथा लखीमपुर में क्रियान्वित की गई उन योजना के लिए आबंटित लगभग 40,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) चावल की यह बकाया मात्रा कब तक तथा किस प्रकार से लाभान्वितों को उपलब्ध करायी जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) असम राज्य में काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ. डब्ल्यू.पी.) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष-वार और जिले-वार रिलीज की गई निधियां संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर. ई.जी.एस.) के साथ मिला दी गई जिले-वार राशि संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है। 2-2-06 से एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत योजनाओं के शुरू होने से, एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत कार्यों को, सरकार के निर्देशानुसार 30-6-06 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था। तदनुसार एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत लगभग सभी अधूरी योजनाएं पूरी हो चुकी थी।

तथापि, 30-6-06 के बाद बची हुए किसी भी योजना को एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत एक नई योजना के रूप में माना जाएगा और इसे एन.आर.ई.जी.एस. के मानदण्डों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

(घ) कुल 54,237.00 मी. टन चावल वितरण के लिए बचा हुआ है जिसमें 30818 मी. टन चावल धीमाजी के लिए और 23419 मी. टन चावल लखीमपुर जिले के लिए है।

(ङ) एफ.सी.आई. प्राधिकरण की खाद्यान्न के वितरण में असमर्थता के कारण खाद्यान्न की सुपुर्दगी नहीं की गई थी।

(च) इसके अलावा एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत चावल की अवितरित मात्रा का मामला खत्म कर दिया गया है। एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत श्रमिकों को दिए जाने वाले खाद्यान्न के लिए कोई देयता बाकी नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 2004-2005 के दौरान एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत केन्द्रीय अंश की रिलीज को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	जि.ग्रा.वि. एजेंसी का नाम	रिलीज किया गया केन्द्रीय अंश			कुल
1	2	3	4	5	6
1.	कोकराझाड़	200.00	1655.19	3107.40	4962.59
2.	एन.सी. हिल्स	200.00	786.37	1371.34	2357.71

1	2	3	4	5	6
3.	क. आंगलांग	200.00	1287.9	2373.51	3861.41
4.	धीमाजी	200.00	919.34	1637.03	2756.37
5.	लखीमपुर	200.00	903.11	1604.60	2727.71
	कुल	1000.00	5551.91	10093.88	16645.79

वर्ष 2005-2006 के दौरान एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत केन्द्रीय अंश की रिलीज को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	जि.ग्रा.वि. एजेंसी का नाम	रिलीज किया गया केन्द्रीय अंश			कुल
1	धीमाजी	25.00	1535.87	3014.70	4575.57
2	क. आंगलांग	25.00	4303.23	4223.32	8551.55
3	कोकराझाड़	25.00	2765.19	5427.68	8217.87
4	एन.सी. हिल्स	25.00	2627.47	2578.68	5231.15
5	लखीमपुर	25.00	3017.51	2961.48	6003.99
6	ग्वालपाड़ा	535.00	–	–	535.00
7	बोंगाईगांव	535.00	–	–	535.00
	कुल	1195.00	14249.27	18205.86	33650.13

विवरण-II

एन.आर.ई.जी.ए. के साथ मिलाए गए एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत जिला-वार निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	जिलों के नाम	राशि (लाख रु. में)
1	2	3
1.	लखीमपुर	3885.48
2.	धीमाजी	6628.46
3.	क. आंगलांग	8559.48
4.	एन.सी. हिल्स	5120.58
5.	कोकराझाड़	8149.20
	कुल	32343.20

जम्मू एवं कश्मीर में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

1397. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" में विशेषकर नवम्बर, 2004 में जम्मू एवं कश्मीर के लिए घोषित योजना के लिए पुनर्निर्माण योजना को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) इस योजना से कितने परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या परियोजना के लिए केन्द्र-राज्य के वित्तपोषण अनुपात में परिवर्तन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां।

(ख) पुनर्निर्माण योजना के तहत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के स्व-रोजगार घटक के तहत 2500 शहरी गरीबों को लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता दी जानी है तथा 2500 शहरी गरीबों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ग) और (घ) इस पुनर्निर्माण योजना के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्तपोषण का अनुपात 90:10 का होगा जबकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अधीन केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है।

मसालों का अवैध आयात

1398. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्रीलंका से कतिपय मसालों के अवैध आयात के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत शुल्क मुक्त रियायत का दावा करने के लिए इण्डोनेशिया की लौंग को श्रीलंका के उद्गम के रूप में दिखाकर अनुचित आयात के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लौंग के कम मूल्य दिखाने के साथ-साथ शुल्क की रियायती दर पर सुपारी एवं काली मिर्च के आयात के लिए भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के दुरुपयोग के भी आरोप लगाये गये हैं।

(ग) इस संबंध में दर्ज मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य	अंतर्ग्रस्त शुल्क
2005-2006	1	65.00	120.00
2006-2007	शून्य	शून्य	शून्य

राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय श्रीलंका से मसालों के अवैध आयात के लिए सचेत रहने और उसे निष्फल बनाने के प्रयास करने के लिए संवेदनशील हैं।

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद का आई.पी.ओ.

1399. श्री पी. मोहन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का पूंजी सलाहकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट इस बैंक का पूंजीगत स्थिति को सुधारने में सहायता करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर (आई.पी.ओ.) बाजार में लाने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या समनुषंगी बैंकिंग अधिनियम, 1960 में ऐसे उल्लंघन की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त अधिनियम के उल्लंघन के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने अपना प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.ओ.) जारी करने के लिए अभी तक किसी सलाहकार को नियुक्त नहीं किया है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के विद्यमान प्रावधान, बैंक को आई.पी.ओ. जारी करने की अनुमति नहीं देते।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थानांतरण नीति

1400. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में अपने अधिकारियों/कर्मचारियों का विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण की कोई निश्चित नीति है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपनाई जा रही नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कोई निश्चित स्थानांतरण नीति नहीं होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) सामान्य क्षेत्रों, अशान्त क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से स्थानांतरण के लिए सामान्य कार्यकाल की अवधि कितनी है; और

(ङ) सहायक प्रबंधक स्तर से कितने अधिकारियों का तथा किस आधार पर बिना बारी के स्थानांतरण किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान स्थानांतरण नीति के अनुसार, विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों को स्थानंतरित करते समय बैंक समुचित अनुभव एवं कौशल जैसी अपेक्षाओं को ध्यान में रखता है ताकि विभिन्न राज्यों में भिन्न परिस्थितियों का सामना करने में वे समर्थ हो सकें। साथ ही, बैंक जिला विकास प्रबंधक (डी.डी.एम.) की तैनाती सहित अधिकारियों को स्थानांतरित करते समय अधिकारी के पूर्व अनुभव को उचित महत्व देता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किसी भी स्थान पर डी.डी.एम. सहित श्रेणी "क", "ख" एवं "ग" के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सामान्य कार्यकाल, जिसके पश्चात किसी अधिकारी का स्थानांतरण सामान्यतया कर दिया जाएगा, निम्नांकित है:-

क्रम सं.	श्रेणी	एक स्थान पर नियुक्ति की अवधि
1	2	3
1.	श्रेणी 'क'	7 वर्ष
2.	श्रेणी 'ख'	6 वर्ष
3.	श्रेणी 'ग'	5 वर्ष
4.	डीडीएम (श्रेणी 'ग'/'ख')	5 वर्ष

तथापि, श्रेणी "घ" एवं इससे अधिक की श्रेणी में अधिकारियों के स्थानांतरण पर उस स्थान पर, जहां वह अधिकारी वर्तमान में तैनात है, तैनाती की अवधि (एल.ओ.एस.) के सापेक्ष पद के लिए प्रशासनिक आवश्यकता एवं अधिकारी की उपयुक्तता के अनुसार निर्णय लिया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.), गंगटोक एवं पोर्ट ब्लेयर में तैनाती और वहां से स्थानांतरण के संबंध में, चुने गए केन्द्रों पर तैनाती के इच्छुक अधिकारियों को तीन वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए तैनात किया जाएगा। उन अधिकारियों को तैनात करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने इन स्थानों पर पूर्व में सेवाएं नहीं दी हैं तथा वर्तमान स्थान पर विनिर्दिष्ट एल.ओ.एस. को पूरा कर लिया है। यदि पर्याप्त विकल्प न हो तो बैंक प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार तीन वर्षों की अवधि के लिए इन केन्द्रों पर अधिकारियों को तैनात करने का विवेकाधिकार रख सकता है। इन स्थानों पर कार्यकाल पूरा हो जाने पर पसन्द के तीन केन्द्रों पर उन स्थानों पर रिक्त पद की उपलब्धता, पसन्द के केन्द्रों पर पूर्व कार्यावधि एवं प्रशासनिक अनिवार्यता के आधार पर तैनाती की जाएगी। जिन अधिकारियों ने किसी एन.ई.आर., पोर्ट ब्लेयर एवं गंगटोक में तीन वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर लिया है, प्रत्यावर्तन के पश्चात् सामान्यतया उनके पसन्त के केन्द्रों में से किसी एक केन्द्र पर पूरे काल के लिए उनकी तैनाती की जाएगी।

(ङ) नाबार्ड के अनुसार बिना बारी के कोई स्थानांतरण नहीं किया गया है। तथापि, सहायक प्रबंधक स्तर के 57 अधिकारियों का स्थानांतरण चिकित्सा/मानवीय एवं अन्य व्यक्तिगत कारण जैसे विभिन्न आधारों पर उनके सामान्य कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही किया गया था।

कर्नाटक में जल विद्युत परियोजना

1401. श्री एम. शिवन्ना: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित मेकादातु तथा होगेनेक्कल जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जनवरी 2001 के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एन.एच.पी.सी.) ने कावेरी बेसिन में 4 जल विद्युत परियोजनाओं (एच.ई.पी.), अर्थात् तमिलनाडु में होगेनेक्कल नेकल एच.ई.पी. (120 मे.वा.) और रसीमनल एच.ई.पी. (360 मे.वा.) तथा कर्नाटक में शिवसमुद्रम एच.ई.पी. (270 मे.वा.) और मेकादातू एच.ई.पी. (400 मे.वा.) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने की सहमति दी है।

हालांकि, उपरोक्त परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी एन.एच.पी.सी. द्वारा शुरू नहीं की जा सकी थी क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों और एन.एच.पी.सी. के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले त्रिपक्षीय करार के प्रारूप पर दोनों सरकारों के बीच मतभेद अभी निपटाये जाने हैं।

मेट्रो परियोजनाओं के लिए सवारी डिब्बों का आयात

1402. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मेट्रो परियोजनाओं के लिए कोरिया से सवारी डिब्बे आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये सवारी डिब्बे कब तक आयात कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सवारी डिब्बे आयात करने के स्थान पर मेट्रो परियोजनाओं के लिए अपने स्वयं के सवारी डिब्बों का विनिर्माण किये जाने की सरकार के पास कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) मेट्रो डिब्बे प्राप्त करने के स्रोत का चयन करने के लिए संबंधित मेट्रो रेल निगम सक्षम है। दिल्ली रेल निगम की मेट्रो डिब्बों का आयात करने की इस समय कोई योजना नहीं है। कोई अन्य मेट्रो परियोजना डिब्बे खरीदने के स्तर पर नहीं पहुंची है।

(घ) और (ङ) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) बंगलौर ने भारत में मेट्रो डिब्बों का विनिर्माण करने के लिए अपने विस्तार और अनुसंधान एवं विकास स्कंध स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। रेल मंत्रालय के पास भी मेट्रो डिब्बों के विनिर्माण की सुविधाएं हैं।

फसल ऋण

1403. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों को वर्ष 2005-06 के दौरान सहकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य-वार कुल कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या नाबार्ड के निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2006 से पूर्व सभी बैंकों ने किसानों के खातों को 2% ब्याज की छूट दी है;

(ग) यदि हां, तो ब्याज छूट योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या किसी राज्य ने केन्द्र सरकार की 2% ब्याज छूट को अपनी ब्याज छूट योजनाओं के लिए समायोजित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो धनराशि के पुनर्विनियोजन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (राष्ट्रीयकृत और गैर-सरकारी बैंकों), सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 1700 करोड़ रुपए जारी किए हैं जो उन्होंने 31 मार्च, 2006 से पूर्व किसानों को 2% ब्याज राहत के रूप में दी थी। अब तक सरकारी क्षेत्र के 22 तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के 12 बैंकों को क्रमशः 252.58 करोड़ रुपए तथा 5.16 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त राशि में से 840 करोड़ रुपए की राशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की प्रतिपूर्ति के लिए नाबार्ड को उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार, आज की तारीख तक इस योजना के कारण 1097.74 करोड़ रुपए का कुल संवितरण किया गया है। 27 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड द्वारा निपटाए गए जिला

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.), राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) तथा राज्य सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक (एस.सी.ए.आर.डी.बी.) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) से संबंधित दावे का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	राज्यों की संख्या	एजेंसी का नाम	निपटाए गए दावों की राशि रुपए में
1.	18	डी.सी.सी.बी.	3,62,88,96,048
2.	8	एस.सी.बी.*	21,16,035
3.	2	एस.सी.ए.आर.डी.बी.	47,97,187
4.	25	आर.आर.बी.#	1,34,74,16,684
		कुल	4,98,32,25,954

* केन्द्रीय वित्त एजेंसी (सी.एफ.ए.) के रूप में कार्यरत

106 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सन्दर्भ में

(घ) और (ङ) किसानों के खातों में 2% ब्याज छूट देने के लिए बैंकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए 1700 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक को जारी किए गए हैं। राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

फ्लूरोसिस रोकथाम केन्द्र

1404. श्री हरिन पाठक:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गांधीनगर, गुजरात में फ्लूरोसिस रोकथाम हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) देश में फ्लूरोसिस मिटिगेशन सेन्टर की स्थापना करने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विद्यालयों के लिए भूमि की नीलामी

1405. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में दिल्ली में विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को नीलामी के माध्यम से भूमि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने भूखण्डों की नीलामी की गयी तथा उनका मूल्य कितना था;

(घ) क्या इस प्रकार की नीलामी नीति से शिक्षा का खर्च और बढ़ने की संभावना है क्योंकि निजी विद्यालयों द्वारा इस अतिरिक्त खर्चे को विद्यार्थियों के माता-पिता पर डाल दिए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) पुरानी प्रणाली को समाप्त करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) महोदय, आवंटन की शर्तों व निबंधनों का अनुपालन न करने के मामलों और आवंटन में पारदर्शिता न रखने के आरोपों को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विद्यालय स्थलों तथा उच्चतर और तकनीकी संस्थानों को स्थलों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया द्वारा करने का निर्णय किया है चूंकि अभी उच्चतर और तकनीकी संस्थानों के लिए स्थलों का आवंटन नीलामी द्वारा किया जाता है अतः प्रत्येक क्षेत्र में 50% सीनियर

सेकेन्डरी विद्यालय स्थलों की पेशकश दिल्ली सरकार को की जाती है और शेष 50% का निपटान नीलामी द्वारा किया जाता है। सभी प्राथमिक विद्यालय स्थलों की पेशकश नगरपालिका निकायों को की जाती है।

(ग) उच्चतर तथा तकनीकी संस्थानों के लिए 7 प्लाटों की नीलामी कुल 91.672 करोड़ रु. की राशि के लिए की गई है। पहली बार 3 विद्यालय स्थल 30-6-2006 को नीलामी के लिए रखे गए थे। दो स्थलों के लिए 28.61 करोड़ रु. की बोली लगाई गई है।

(घ) से (च) नीलामी भूमि निपटान का पारदर्शी और विश्वसनीय तरीका है। सोसायटी/नीलामी खरीददार का आचरण, इस भूमि पर विद्यालयों तथा उच्चतर तकनीकी संस्थानों का संचालन दिल्ली में विद्यालय तथा उच्चतर तकनीकी संस्थान चलाने से संबंधित संगत अधिनियमों के सांविधिक प्रावधानों के अध्यधीन बना रहेगा।

दिल्ली में हरित पट्टी

1406. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग के नियंत्रणाधीन वर्तमान हरित पट्टियों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इनमें से कुछ हरित पट्टियों को आवासीय क्षेत्र में परिणत कर दिया है और इन हरित पट्टियों में से कुछ में निर्माण कार्य अब भी चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) हरित पट्टियों के विनाश को रोकने तथा परिणत हरित पट्टियों को पुनः बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीम अवसंरचना विकास कोष की निगरानी

1407. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत आबंटित धनराशि के उपयोग की कोई निगरानी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत आबंटित निधि के उपयोग की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कार्यान्वयन विभाग की होती है। तथापि, नाबार्ड ने आर.आई.डी.एफ. परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थलेत्तर एवं स्थल पर निगरानी की व्यवस्था की है। नाबार्ड की स्थल पर निगरानी में नाबार्ड द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय कार्यालयों, जिला विकास प्रबंधकों (डी.डी.एम.) एवं परामर्शदाता भाग लेते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से अपेक्षित होता है कि वे आर.आई.डी.एफ. परियोजनाओं के क्षेत्र दौरे करें। डी.डी.एम. परामर्शदाता अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के सहयोग से अथवा स्वतंत्र रूप से ही क्षेत्र निगरानी करते हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान नाबार्ड के अधिकारियों ने देशभर में 8960 आर.आई.डी.एफ. परियोजनाओं की निगरानी की है। निगरानी करते समय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों के बारे में सुधार करने हेतु उन्हें संबंधीत राज्य सरकारों के कार्यान्वयन विभागों के ध्यान में लाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आर.आई.डी.एफ. परियोजनाओं के उपयोग की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक तिमाही में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु प्रोत्साहन

1408. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2005-2006 के लिए विद्युत क्षेत्र में कार्यनिष्पादन में तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य को नकद प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) इस समय भारत सरकार के पास उच्चतम निष्पादन रेटिंग प्राप्त करने के लिए राज्य को नकद प्रोत्साहन देने की कोई स्कीम नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में सुधार

1409. श्री उदय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को वैश्विक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा के लिए तथा अर्थक्षमता और लाभ में सुधार के लिए लागत नियंत्रित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधन द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या बैंकिंग क्षेत्र में समेकन से सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य दर को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बैंकिंग क्षेत्र में समेकन को अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए ठोस और प्रभावी बैंकिंग प्रणाली के विकास के लिए महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखा जाता है। यद्यपि ऐसे समेकन से प्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, फिर भी देश के समग्र आर्थिक क्रियाकलापों की वृद्धि में इसके उत्प्रेरक प्रभाव डालने की संभावना है।

सिक्कों की ढलाई तथा करेंसी नोटों का मुद्रण

1410. श्री पी.सी. थामस: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ महान व्यक्तियों विशेषतः श्री नारायण गुरू के स्मरण में सिक्कों की ढलाई तथा करेंसी नोटों के मुद्रण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी महान व्यक्तिवार तथा सिक्के व करेंसी नोटवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिक्कों और करेंसी नोटों के कब तक जारी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने श्री नारायण गुरु एक प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक की 150वीं वर्षगांठ पर 100 रुपए और 5 रुपए मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्कों को जारी करने का निर्णय लिया है। करेंसी नोटों पर केवल महात्मा गांधी का चित्र ही अंकित होता है।

(ग) स्मारक सिक्कों को वर्ष 2006 के दौरान जारी करने का प्रस्ताव है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु धनराशि

1411. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादित विद्युत की मात्रा कितनी है;

(ख) अपारंपरिक तरीकों से विद्युत उत्पादन के लिए देश में प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाएं तलाशने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) दिनांक 31-03-2006 की स्थिति के अनुसार, देश में 8088 मेगावाट की अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता संस्थापित की गई है जो विद्युत मिश्रण में 2 प्रतिशत के अंशदान के साथ कुल क्षमता के 6.5 प्रतिशत से अधिक के तद्नुरूप है।

(ख) दिनांक 31-03-2006 की स्थिति के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत संस्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता के राज्यवार तथा प्रौद्योगिकी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) 10वीं योजना के पहले चार वर्षों अर्थात् वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान मंत्रालय द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

दिनांक 31-03-2006 की स्थिति के अनुसार संस्थापित ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता के राज्यवार तथा प्रौद्योगिकीवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली (मेगावाट)	पवन विद्युत (मेगावाट)	बायोमास विद्युत/ सहउत्पादन (मेगावाट)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट)	सौर विद्युत (केडब्ल्यूपी)	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	178.81	121.00	279.25	22.50	0.28	601.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
3.	असम	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
4.	बिहार	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
5.	छत्तीसगढ	11.00	0.00	27.50	0.00	0.00	38.50
6.	गोवा	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
7.	गुजरात	7.00	338.10	0.50	0.00	0.00	345.60
8.	हरियाणा	62.70	0.00	6.00	0.00	0.00	68.70
9.	हिमाचल प्रदेश	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132.08
10.	जम्मू-कश्मीर	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	109.74
11.	झारखंड	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
12.	कर्नाटक	329.63	584.60	224.48	1.00	0.03	1139.74
13.	केरल	84.62	2.00	0.00	0.00	0.03	86.65
14.	मध्य प्रदेश	41.16	40.30	1.00	2.70	0.34	85.50
15.	महाराष्ट्र	207.08	989.60	36.00	1.00	0.19	1233.87
16.	मणिपुर	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
17.	मेघालय	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
18.	मिजोरम	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
19.	नागालैंड	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
20.	उड़ीसा	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	122.55	0.00	28.00	1.00	0.33	151.88
22.	राजस्थान	23.85	339.60	15.30	0.00	0.15	378.90
23.	सिक्किम	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60
24.	तमिलनाडु	77.70	2892.50	174.00	1.75	0.21	3146.16
25.	त्रिपुरा	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01
26.	उत्तर प्रदेश	25.10	0.00	121.50	5.00	0.33	151.93
27.	उत्तरांचल	75.45	0.00	0.00	0.00	0.05	75.50
28.	पश्चिम बंगाल	98.30	1.10	0.00	0.00	0.05	99.45
29.	अंडमान एवं निकोबार	5.25	0.00	0.00	0.00	0.10	5.35
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	1.03
	अन्य	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
	कुल (मेगावाट)	1826.43	5310.40	913.53	34.95	2.75	8088.06

विवरण-II

पिछले चार वर्षों अर्थात् वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के राज्यवार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले 4 वर्षों के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	55.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.26
3.	असम	6.65
4.	बिहार	0.68
5.	छत्तीसगढ़	22.33
6.	गोवा	1.05
7.	गुजरात	17.24
8.	हरियाणा	16.33

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	27.96
10.	जम्मू-कश्मीर	27.19
11.	झारखंड	25.94
12.	कर्नाटक	41.34
13.	केरल	6.70
14.	मध्य प्रदेश	18.93
15.	महाराष्ट्र	32.57
16.	मणिपुर	15.30
17.	मेघालय	14.84
18.	मिजोरम	23.11
19.	नागालैंड	6.27
20.	उड़ीसा	13.49
21.	पंजाब	33.50
22.	राजस्थान	22.07
23.	सिक्किम	20.02
24.	तमिलनाडु	20.83
25.	त्रिपुरा	26.73
26.	उत्तर प्रदेश	53.40
27.	उत्तरांचल	33.40
28.	पश्चिम बंगाल	73.62
29.	अंडमान एवं निकोबार	6.28
30.	चंडीगढ़	0.80
31.	दादर एवं नागर हवेली	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00
33.	दिल्ली	4.69
34.	लक्षद्वीप	9.36
35.	पांडिचेरी	1.35
36.	अन्य/(संस्थान/गैर-सरकारी संगठन)	125.87
	कुल	846.01

[हिन्दी]

विदेशी बीमा कंपनियां

1412. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:**

श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी बीमा कंपनियों के खिलाफ भारतीयों को कोई सुरक्षोपाय देने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन विदेशी बीमा कंपनियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार कोई भी ओवरसीज बीमा कंपनी देश में बीमा व्यवसाय नहीं कर सकती। जबकि, ओवरसीज कंपनियों को भारत में भारतीय बीमा कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में अधिकतम 26 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी के साथ बीमा व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है। भारतीय बीमा कंपनियां बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) अधिनियम, 1999 तथा आई.आर.डी.ए. विनियम के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं जो पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा, निवेशकों के धन की सुरक्षा नियत करते हैं।

(ग) और (घ) आई.आर.डी.ए. ने सूचित किया है कि इनको 31-3-2006 (संचयी) की स्थिति के अनुसार इन संयुक्त उद्यम भारतीय बीमा कंपनियों (गैर-जीवन) के विरुद्ध 218 शिकायतें

प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 203 शिकायतों पर निर्णय लिए गए हैं। इसी प्रकार 31-3-2006 (संचयी) की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा कंपनियों के विरुद्ध 665 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से आई.आर.डी.ए. द्वारा 266 शिकायतों पर निर्णय लिए गए हैं। आई.आर.डी.ए. कंपनियों को मामलों के पुनः जांच की सलाह देते हुए एक सुविधादायक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, पॉलिसीधारक बीमा लोकपाल अथवा किसी अन्य उपलब्ध न्यायिक माध्यम से मामले पर न्याय निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

[अनुवाद]

हाऊसिंग सोसाइटीज को भूखंडों का आबंटन

1413. श्री एस. अजय कुमार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान हाऊसिंग कॉपोरिटव सोसाइटीज के सदस्यों को दिल्ली में आवासीय भूखंडों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हाऊसिंग सोसाइटीज को भी भूमि आबंटित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनसे कितनी कीमत ली गयी है; और

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हाऊसिंग सोसाइटीज को आवासीय भूखंडों के आबंटन हेतु वरीयता में आरक्षण के मानदंड क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह बताया है कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में आवास सहकारी सोसायटियों के सदस्यों को कोई रिहायशी प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) डी.डी.ए. ने बताया है कि भूमि के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवास सोसायटियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। आवास सोसायटियों को भूमि का आवंटन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहकारी सोसायटी पंजीयक कार्यालय में उनके पंजीकरण के आधार पर निर्धारित वरीयता के आधार पर किया जाता है।

ग्रामीम आवासन नीति

1414. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधीर चौधरी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री निखिल कुमार:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) की तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण आवासन नीति और आवासन गारंटी योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि का आबंटन प्रस्तावित है;

(ग) क्या सरकार को इस मुद्दे पर कतिपय पक्षों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है और इसके अंतर्गत लाभार्थियों की अनुमानित संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आवास नीति बनाने का प्रस्ताव रख रहा है परंतु इसे गारंटी योजना के रूप में एन.आर.ई.जी.ए. की तर्ज पर बनाने का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयकर विवरणी प्रपत्र

1415. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 03 जून, 2006 के 'दैनिक जागरण' में 'आयकर विभाग की कमाई से ज्यादा खर्च पर नजर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयकर विवरणी को सरल बनाने तथा आयकर विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। समाचार मद में नई आयकर विवरणी फार्म संख्या 2 च का उल्लेख किया गया है। यह फार्म मौजूदा नया सरल का अनिवार्य रूप से एक विस्तारित रूप है ताकि ब्यौरों को भरने के लिए अधिक से अधिक जगह दी जा सके। इस फार्म में वर्ष के दौरान प्राप्तियों तथा व्ययों के बारे में एक 'रोकड़ प्रवाह विवरण' की भी मांग की गई है। तथापि, प्रत्येक प्राप्तियों अथवा व्ययों के ब्यौरों का भरा जाना आवश्यक नहीं है। इस विवरण का अभिप्राय वेतनभोगी करदाताओं को किसी हस्तक्षेपी जांच से सुरक्षित रखना है।

(ग) नए आयकर विवरणी प्रपत्र में विस्तृत अनुदेश तथा कार्यपत्रक (अनुसूचियां) दिए गए हैं ताकि ब्यौरों को आसानी से भरने में सुविधा हो सके। ये नए प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी दाखिल करने के लिए पूर्णतः अनुकूल हैं। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग की विभिन्न कार्य प्रक्रियाओं को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है ताकि करदाताओं के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क को कम किया जा सके।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां

1416. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वार गत 60 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति किए जाने के बावजूद देश के लोगों को हमारी उपलब्धियों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों को दर्शाने वाले कार्यक्रमों को बनाने और उसे प्रसारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी हां, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा अर्जित उपलब्धियों के बारे में लोगों के बीच बेहतर जानकारी की आवश्यकता है। सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को टेलीविजन के माध्यम से जनता के बीच लाने के उपाय किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंग के रूप में विज्ञान लोक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां, नवोन्मेष एवं 15 लघु फिल्मों और 45 मिनट की अवधि की एक लंबी फिल्म सहित कई कार्यक्रम तैयार किए गए/तैयार किए जा रहे हैं/प्रसारित किए जा रहे हैं। बेहतर लोक जानकारी के लिए रोचक कार्यक्रम/फिल्मों का निर्माण/प्रसारण करने हेतु प्रत्यायित विज्ञान फिल्म निर्माताओं/चैनलों का चयन किया गया है। दूरदर्शन और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों के नेटवर्क पर सरकार द्वारा कई कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

विद्युत क्षेत्र के संबंध में कार्यकारी समूह

1417. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए विद्युत सचिव की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी एक कार्यकारी समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत के उत्पादन, पारेषण, विद्युत परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों में सुधार लाने हेतु दसवीं योजनावधि की उपलब्धियों की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) जी हां। योजना आयोग ने सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के निरूपण के लिए विद्युत संबंधी कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) गठित किया है।

कार्य समूह के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में 10वीं योजनावधि के दौरान संभावित उपलब्धियों की समीक्षा शामिल है।

योजना आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्धारित समय 30 सितंबर, 2006 रखा गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अंतर्गत बायो-डीजल का उत्पादन

1418. श्री वी.के. ठुम्मर:

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अन्तर्गत बायो-डीजल के उत्पादन हेतु अनुमति देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत बायो-डीजल के उत्पादन की अनुमति देने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बायो-डीजल की उत्पादन प्रक्रिया के पहले चरण में पौध-रोपण और बीजारोपण शामिल है जिसे अधिनियम के तहत राज्य सरकारों के साथ उठाया जा सकता है क्योंकि यह अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित कार्य-क्षेत्रों के अंतर्गत आता है।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द करना

1419. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कुछेक सहकारी बैंकों के बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सहकारी बैंकों की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वर्ष 2006 के दौरान देश में 14 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं लेकिन किसी राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है। महाराष्ट्र में वर्ष 2006 के दौरान निम्नलिखित 4 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए थे:-

क्रम संख्या	नाम	रद्द करने की तारीख
1.	इचलकरंजी जिवरश्वर सहकारी बैंक	29-05-2006
2.	श्रीराम सहकारी बैंक लि., नासिक	12-06-2006
3.	परभणी पीपल सहकारी बैंक लि.	09-06-2006
4.	पूर्ण नागरिक सहकारी बैंक लि.	23-06-2006

(ग) लाइसेंस रद्द करने के निम्नलिखित कारण हैं:-

बैंकों की अस्थिर वित्तीय स्थिति जिसमें कोई ठोस सुधार न होना, नकारात्मक शुद्ध मालियत एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 11(1), 22(3)(क) तथा 22(3)(ख) का अनुपालन न करना, बैंक के कार्य इस प्रकार करना जो इसके वर्तमान एवं भावी जमाकर्ताओं के हित में न हो।

(घ) राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के साथ समय-समय पर मामला उठाता है और उनसे इन बैंकों को अपेक्षित सीमा तक पुनर्पूंजीकृत करने का अनुरोध करता है। जहां तक शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक "भावी दृष्टिकोण दस्तावेज" यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया है कि शहरी सहकारी बैंक संयुक्त रूप से स्वाधिकृत, लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित एवं नैतिक रूप से प्रबंधित बैंकिंग संस्था के एक सुदृढ एवं मजबूत नेटवर्क के रूप में विकसित

हों। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 राज्य सरकारों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं उत्तरांचल के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। परिणामस्वरूप इन सभी राज्यों में यू.सी.बी. (टी.ए.एफ.सी.यू.बी.) के लिए राज्य स्तरीय कार्य दल का गठन कर दिया गया है। कुछ और राज्यों के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने के प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने यू.सी.बी. के विलय/समामेलन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 विलय प्रस्तावों के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए हैं जिनमें से 12 लागू कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

1420. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या है;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार 21 जुलाई, 2006 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 163.35 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था।

(ख) जी, नहीं। दिनांक 22 जुलाई, 2005 को 137.54 बिलियन अमरीकी डालर के भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार के स्तर की तुलना में, 21 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भण्डार में 25.81 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मौसम संबंधी स्टेशन

1421. श्री राकेश सिंह: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्यापक पूर्वानुमान लगाने के लिए देश भर में मौसम संबंधी स्टेशनों की स्थापना करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के भौगोलिक केन्द्र के निकट मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भी मौसम संबंधी स्टेशन की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्टेशनों के कब तक चालू होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। सरकार प्रथम चरण में उपग्रह से जुड़े 125 स्वचालित मौसम स्टेशन और उपग्रह से जुड़े 500 स्वचालित वर्षामापी स्टेशनों की स्थापना करने पर विचार कर रही है।

(ख) 125 स्वचालित मौसम स्टेशनों के लिए उपस्कर पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं जिन्हें देश में विभिन्न चरणों में स्थापित किया जा रहा है। स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) एक विभागीय वेधशाला पहले ही जबलपुर में कार्य कर रही है। स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने के आगामी चरण के दौरान जबलपुर में एक स्वचालित मौसम स्टेशन भी लगाया जाएगा। तथापि, जबलपुर जिले के पाटन को स्वचालित वर्षामापी स्थापित करने के लिए चुना गया है। इसमें तापमान और आर्द्रता मापने के लिए भी सेंसर होंगे। सभी 125 स्वचालित मौसम स्टेशन वर्ष 2007 के मध्य तक स्थापित कर दिए जाएंगे।

विवरण

ए.डब्ल्यू.एस. स्टेशनों की सूची

1. पुणे
2. अहमदाबाद
3. मुंबई (सांताक्रुज)
4. मुंबई (कोलाबा)
5. कच्छ : मांडवी
6. द्वारका
7. महुआ
8. दीव
9. मुरुड

10. देवगढ़
11. दापोली
12. झखाऊ
13. मंगरोल
14. भुज
15. कांदला
16. आनन्द
17. राजगुरुनगर
18. डिनडोरी
19. अंटार्कटिका
20. गोवा
21. खड़गवासला
22. रत्नागिरी
23. राजकोट
24. राहुड़ी
25. लोनावला
26. इंदौर
27. होशंगाबाद
28. नागपुर
29. रायपुर
30. ग्वालियर
31. भोपाल
32. नई दिल्ली
33. श्रीनगर
34. बीकानेर
35. हनुमानगढ़
36. पुरुलिया
37. रांची
38. धनबाद
39. मासोबरा
40. गुड़गांव
41. चंडीगढ़
42. लेह
43. जोधपुर
44. चेन्नै
45. कृष्णापट्टिनम
46. चिराला
47. पेड्डापुरम
48. पांडिचेरी
49. अदूथोरई
50. भीमुनिपटनम
51. कवाली
52. टूनी
53. श्रीहरिकोटा
54. इच्छापुरम
55. टिंडीवानम
56. चिदमबरम
57. दारसी
58. नरसापुर
59. कराईकल
60. तिरुमाला
61. कलावै
62. बीदार
63. वेल्लारी
64. वारंगल
65. बंगलौर

66. तिरुवनंतपुरम
67. हसन
68. तवानूर
69. कयामकुलम
70. अगूम्बै
71. कोटनकारा
72. ब्रह्मवार
73. तिरुचेनदूर
74. एडीरामापट्टिनम
75. रामनाथपुरम
76. पिलीकोडे
77. सुल्तानपुर
78. जोशीमठ
79. रुद्र प्रयाग
80. आगरा
81. मथुरा
82. भरतपुर
83. मिनीकोय
84. नेप्यूर
85. कोलकाता
86. रायडिगही
87. केनिंग
88. काकद्वीप
89. नीमपाड़ा
90. रम्भा
91. ब्रह्मागिरी
92. चांदीपुर
93. बासुदेवपुर
94. नीमपीठ
95. दार्जीलिंग
96. वीरपुर
97. हसीमारा
98. बोनाईगढ़
99. बाघा
100. गंगटोक
101. पटना
102. भुवनेश्वर
103. नवापाड़ा
104. सागर आइलैंड
105. पोर्ट ब्लेयर
106. गुवाहाटी
107. हेंगबुंग
108. लेंगपुई
109. जैसलमेर
110. बड़ौत
111. लखनऊ
112. कानपुर
113. रानी चावड़ी
114. पुरोला
115. पलायकलां
116. देहरादून
117. हैदराबाद
118. खजुरी
119. चमोली
120. उत्तरकाशी
121. मुक्तेश्वर

122. झुंझनू

123. वाराणसी

124. कपूरथला

125. जयपुर

टिहरी जल विद्युत परियोजना

1422. श्री सज्जन कुमार: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना के पहले चरण में जून, 2006 के अंत तक विद्युत उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के अंतर्गत पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पृथक् रूप से विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। जलाशय में जल स्तर 15-5-2005 को न्यूनतम ड्रा डाऊन स्तर (एम.डी.डी.एल.) अर्थात् ई.आई. 740 एम तक पहुंच गया था और वेट कमीशनिंग जांच शुरू हो गई थी। परियोजना का यूनिट-IV 17-7-2006 के उत्तरी ग्रिड के साथ मिला लिया गया था और 30-7-2006 को शुरू किया गया था।

(ग) और (घ) 2400 मे.वा. टिहरी हाइड्रो पावर काम्पलेक्स में टिहरी बांध और एच.पी.पी. स्टेज-I (1000 मे.वा.), टिहरी पम्पड स्टोरेज संयंत्र (पी.एस.पी.) स्टेज-II (1000 मे.वा.) और कोटेश्वर बांध और एच.पी.पी. (400 मे.वा.) शामिल है। प्रथम, द्वितीय चरण और कोटेश्वर बांध एवं एच.पी.पी. (400 मे.वा.) में विद्युत उत्पादन के लक्ष्य नीचे दिए हैं:-

स्टेज-I (टिहरी बांध एवं एच.पी.पी. 1000 मे.वा.) - टिहरी स्टेज-I के यूनिट IV (250 मे.वा.) से विद्युत उत्पादन 17-7-2006 को पहले ही शुरू हो चुका है। वर्ष 2006-07 के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1161 एम.यू. है।

स्टेज-II (कोटेश्वर बांध और एच.पी.पी. 400 मे.वा.) - कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के कार्य प्रगति पर है। परियोजना मार्च 2008 तक शुरू होनी निर्धारित है।

स्टेज-III (टिहरी पम्पड स्टोरेज संयंत्र - 1000 मे.वा.) - टिहरी पी.एस.पी. के आवश्यक कार्य (हेड रेस टनल, इनटेक, ट्रांसफार्मर हाल आदि) टिहरी स्टेज-I कार्यों के निष्पादन के साथ ही पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। 18-7-2006 को सरकार द्वारा प्रदान किए गए निवेश अनुमोदन के अनुसार यह परियोजना वर्ष 2010-11 में शुरू होनी निर्धारित है।

[अनुवाद]

समान नागरिक संहिता

1423. श्री मोहन रावले: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 पर नये सिरे से विचार करने और भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विधान लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) जी हां। भारत के उच्चतम न्यायालय ने जोन वेल्लामट्टम बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में [2003(5) स्केल 384] अपने तारीख 21 जुलाई, 2003 को दिए गए निर्णय में समान सिविल संहिता के अधिनियमन के संबंध में कतिपय संप्रेक्षण किए हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में इस संबंध में कोई विधान लाने के लिए कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) समान सिविल संहिता लाने में स्वीय विधियों में परिवर्तन करना अंतर्वलित है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की

स्वीय विधियां भी हैं। केन्द्रीय सरकार की यह संगत नीति रही है कि अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में तब तक हस्तक्षेप न किया जाए जब तक कि स्वयं ऐसे समुदायों के एक बड़े विविध वर्ग से ऐसे परिवर्तनों के लिए आवश्यक पहल न हो।

कायमकुलम विद्युत परियोजना

1424. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने केरल में 7500 करोड़ रुपये की लागत वाली 2300 मेगावाट की प्रस्तावित कायमकुलम विद्युत परियोजना में कतर निवेश प्राधिकरण (क्यू.आई.ए.) को 40% इक्विटी भागीदारिता देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) लिमिटेड एन.टी.पी.सी. की कायमकुलम विद्युत परियोजना के 1950 मेगावाट स्टेज-II में कतर सरकार की सम्भाव्य इक्विटी भागीदारी के संबंध में उससे विचार-विमर्श कर रही है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को 21-06-06 को एक प्रारूप समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) भेजा गया है, जिसमें कतर सरकार को 40% तक की भागीदारी का प्रस्ताव किया गया है।

सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) से प्राप्त बजट प्रस्ताव

1425. डा. एच.टी. संगलिअना: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यवेक्षी स्तर पर अधिक जनशक्ति के लिए सीमा सड़क संगठन का बजट प्रस्ताव मंत्रालय में लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देशभर में लंबित और चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उत्तर (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भूकंप विज्ञान संबंधी वेधशालाएं

1426. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भूकंप विज्ञान संबंधी नई वेधशालाओं को स्थापित करने और विद्यमान वेधशालाओं के उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी वेधशालाओं की स्थापना के लिए स्थलों के चयन के क्या मापदंड हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) नई वेधशालाओं के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) भारत मौसम - विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) ने आधुनिकीकरण/उन्नयन द्वारा भूकंपों का अच्छी तरह पता लगाने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय भूकंप विज्ञानी नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने तथा देश में और अधिक भूकंप विज्ञानी वेधशालाओं की स्थापना करने की योजना बनाई है।

उन्नयन से जुड़ी निम्नलिखित कुछ योजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं:-

(i) सुनामी चेतावनी प्रणाली के 17-स्टेशन रीयल टाइम सीसमिक मॉनीटरिंग नेटवर्क (आर.टी.एस.एम.एन.) की स्थापना करना।

(ii) राष्ट्रीय भूकंप विज्ञानी नेटवर्क (एन.एस.एन.) के 20 मौजूदा स्टेशनों का उन्नयन तथा 20 नई वेधशालाओं की स्थापना करना।

(iii) उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र में 20 एलीमेंट दूरमिति प्रणाली की स्थापना करना।

(iv) दिल्ली क्षेत्र की मौजूदा दूरमिति प्रणाली को 16 से 24 स्टेशन बढ़ाकर सुदृढ़ बनाना।

(ग) भारत सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने उन्नयन संबंधी योजना तैयार की है जिसमें स्थलों का चयन करना भी शामिल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इस समय अपने भूकंप वैज्ञानिक नेटवर्क का चरणबद्ध रूप से उन्नयन कर रहा है।

(घ) और (ङ) आबंटित निधि तथा आधुनिकीकरण की योजनाओं को शुरू करने के समय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(i) सुनामी चेतावनी प्रणाली के 17-स्टेशन रीयल टाइम सीसमिक मॉनीटरिंग नेटवर्क (आर.टी.एस.एम.एन.) की स्थापना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। आर.टी.एस.एम.एन. स्थापित करने के लिए अनुमानित व्यय लगभग 10 करोड़ रुपए है और इसे वर्ष 2007 के मध्य तक स्थापित किए जाने की संभावना है।

(ii) एन.एस.एन. की मौजूदा 20 वेधशालाओं का उन्नयन तथा 20 नई वेधशालाओं की स्थापना करने का कार्य वर्ष 2006-2008 में पूरा हो जाएगा। कुल लागत 18.30 करोड़ रुपए होगी।

(iii) उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र में 20 एलीमेंट वाली दूरमिति प्रणाली की स्थापना का कार्य वर्ष 2006-2008 के दौरान पूरा होने की संभावना है। कुल लागत 9.15 करोड़ रुपए होगी।

(iv) दिल्ली क्षेत्र की मौजूदा प्रणाली को 16 से 24 स्टेशन बढ़ाकर सुदृढ़ करने का कार्य वर्ष 2006 से 2008 में पूरा होने की संभावना है। कुल लागत 4.00 करोड़ रुपए होगी।

गरीबी के उन्मूलन के लिए स्व-सहायता समूह आंदोलन

1427. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार गरीबी के उन्मूलन के लिए स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) आंदोलन के अंतर्गत सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को शामिल करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वरोजगार कार्यक्रम अर्थात् स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक क्रिया-कलाप सृजित करने तथा स्थायी स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए स्व-सहायता समूह दृष्टिकोण अपनाया जाता है और स्थायी स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। एस.जी.एस.वाई. में सामाजिक एकजुटता की प्रक्रिया के माध्यम से निचले स्तर पर गरीबों को संगठित करने पर बल दिया जाता है। कार्यक्रम के दृष्टिकोण की धारणा इस बात से बनती है कि गरीबों में अपनी मदद करने की अद्भुत क्षमता है जिसे उन्हें संगठित करके उपयोग में लाया जा सकता है। सामाजिक एकजुटता से गरीब अपना निजी संगठन (स्व-सहायता समूह) बना पाते हैं जिसमें वे पूर्णतः और प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं तथा गरीबी उन्मूलन से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय ले सकते हैं।

योजना की शुरुआत अर्थात् 1-4-99 से लेकर 30 जून, 2006 तक एस.जी.एस.वाई. के तहत वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है:-

कुल आबंटन (केन्द्र+राज्य)	उपयोग (करोड़ में)	बनाए गए स्व-सहायता समूह (लाख में)	ऐसे स्व-सहायता समूह जिन्होंने आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर दिए हैं (लाख में)	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी (स्व-सहायता समूह + वैयक्तिक) (लाख में)
9532.87	7742.87	23.10	3.26	69.42

एस.जी.एस.वाई. के कार्य-निष्पादन में निरन्तर सुधार हो रहा है तथा अब इसने पर्याप्त रूप से गति प्राप्त कर ली है। लेकिन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आबंटन कार्यक्रम की प्रगति के अनुरूप नहीं रहा है। इसके परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता पिछड़ गई है। चालू वर्ष के लिए आबंटन 1200 करोड़ रु. है। मंत्रालय ने योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के आबंटन को बढ़ाकर 1200 करोड़ से 4400

करोड़ रु. किया जाए ताकि विगत वर्षों की कमी की पूर्ति की जा सके और XIवीं योजना अवधि के दौरान और बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके।

ग्रामीण गरीबी को व्यापक रूप से दूर करने के लिए मंत्रालय का यह मानना है कि इस प्रयोजनार्थ गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को स्व-सहायता समूह आंदोलन में शामिल किए जाने की आवश्यकता होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि इसके लिए 47,489.25 करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। XIवीं योजना अवधि के दौरान आबंटन को बढ़ाने पर विचार करने के लिए इस मामले को योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है। तथापि, काफी कुछ बजटीय आबंटनों पर निर्भर करेगा।

पैन कार्ड

1428. **श्री आर. प्रभु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पैन कार्ड के आबंटन में असाधारण विलम्ब के कारण स्थायी खाता लेखा (पैन) योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाले उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पैन कार्ड जारी करने का काम सभी डाकघरों से आउटसोर्स करा रही है ताकि आम जनता को पैन कार्ड आसानी से मिल सके; और

(ग) सभी अभिज्ञात निर्धारितियों को पैन कार्ड जारी करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) स्थायी खाता संख्या (पैन) के आबंटन में कोई भी असाधारण विलम्ब नहीं होता है। 95.8% मामलों में पैन आबंटित कर दिया जाता है एवं इसे आवेदन की तिथि से 15 दिनों की विहित अवधि के भीतर प्रेषित कर दिया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, पैन आबंटन के कार्य को बाह्य स्रोत से पोस्ट ऑफिसों से कराने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ऐसे व्यक्तियों जो सम्भावित कर निर्धारिती होंगे, की पहचान करना, एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसे व्यक्तियों जिन्हें पैन की आवश्यकता है, के दायरे को बढ़ाकर पहचान की इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। तद्नुसार, जैसे ही ऐसे व्यक्तियों की ओर से आवेदन प्राप्त होंगे 15 दिनों की विहित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी कर दी जाएगी।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा

1429. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से काफी कम ऊर्जा का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे किंतु इसके परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) दिनांक 31-03-2006 की स्थिति के अनुसार, देश में 8088 मेगावाट की अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता संस्थापित की गई है जो विद्युत मिश्रण में 2 प्रतिशत से अधिक के अंशदान के साथ कुल क्षमता के 6.5 प्रतिशत से अधिक के तद्नुरूप है जिससे, पारंपरिक विद्युत के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक स्रोत हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 10वीं योजना के लिए ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत हेतु 3075 मेगावाट का लक्ष्य है जिसकी तुलना में उक्त योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 4630 मेगावाट की क्षमता संस्थापित की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश को सहायता

1430. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में दूसरे रिंग रोड के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से परियोजना की लागत का पचास प्रतिशत हिस्सा वहन करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं। तथापि, हैदराबाद में सड़कों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत 234.19 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत वाले 11 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ख) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के वित्त प्रबंध के तहत हैदराबाद को 4 मिलियन से अधिक आबादी वाला नगर होने के कारण परियोजना की कुल अनुमोदित लागत के 35% तक केन्द्रीय अनुदान दिया जा सकता है।

(ग) पर्याप्त विश्लेषण के बाद 96.40 करोड़ रु. की परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। चार परियोजनाओं को व्यवहार्य नहीं पाया गया है। तीन परियोजनाओं के संबंध में राज्य से स्पष्टीकरण प्राप्त होना है।

[हिन्दी]

करेंसी नोट प्रेसों का उपयोग

1431. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार करेंसी नोट प्रेसों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रही है और विदेशों से करेंसी नोट छपवाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विदेशों से करेंसी नोट छपवाने पर खर्च हो रही विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार करेंसी नोट प्रेसों का पूर्ण उपयोग करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार पहले से ही करेंसी प्रेसों की पूरी क्षमता का उपयोग कर रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली के फ्लाई ओवर

1432. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने वर्ष 2005-06 के दौरान किन्हीं नए फ्लाई ओवरों को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) क्या हाल ही में बनाए गए फ्लाई ओवरों के नीचे प्रकृति चित्रण और सौंदर्यीकरण संबंधी कार्य अभी लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि वर्ष 2005-06 के दौरान डी.डी.ए. की तकनीकी समिति द्वारा 14 ग्रेड सेपरेटर अनुमोदित किए गए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि अनुलग्नक में क्रम संख्या 1 से 13 पर उल्लिखित फ्लाई ओवर परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)/दिल्ली नगर निगम/दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम से संबंधित हैं। क्रम सं. 14 पर उल्लिखित निर्माण कार्य डी.डी.ए. से संबंधित है, जो मार्च, 2007 में आरंभ किए जाएंगे।

(घ) डी.डी.ए. ने यह सूचित किया है कि हाल ही में निर्मित फ्लाई ओवरों के नीचे भूदृश्यांकन (लैंड स्केटिंग) तथा सौंदर्यकरण का कार्य द्वारका फ्लाई ओवर को छोड़कर सभी में पूरा हो गया है, जिसे दिसम्बर, 2006 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2005-06 में दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित ग्रेड सेपरेटर प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.		तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख
1.	पंखा रोड के डाबड़ी क्रासिंग पर प्रस्तावित ग्रेड सेपरेटर	16-02-2005
2.	दिल्ली-गाजियाबाद रेलवे लाइन के नीचे गुजरने वाली रोड सं. 58 और 64 को जोड़ने वाले आर.यू.बी. का निर्माण	22-07-2005
3.	मंगोलपुरी चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर	16-11-2005
4.	नारायणा में रिंग रोड, लोहा मंडी चौराहे के साथ ग्रेड सेपरेटर की प्लानिंग और डिजाइनिंग	16-11-2005
5.	मार्जिनल बंद रोड और आई.एस.बी.टी. ब्रिज को ईस्टर्न अप्रोच रोड पर शास्त्री पार्क क्रासिंग पर अंडरपास का प्रावधान	16-11-2005
6.	दिल्ली-गाजियाबाद रेल लाइन के नीचे विवेक विहार रेलवे लेवल क्रासिंग पर आर.यू.बी. का निर्माण	3-05-2006
7.	मौजूदा वजीराबाद-कम-बैराज के नीचे की ओर यमुना नदी पर प्रस्तावित सिगनेचर ब्रिज	3-05-2006
8.	आई.आई. गेट से पूर्वी मार्ग/एन.एच.-8 तक आउटर रिंग रोड के लिए कारीडोर सुधार योजना	3-05-2006
9.	समयपुर बादली क्षेत्र में औचंदी बवाना रोड पर मौजूदा लेवल क्रासिंग पर प्रस्तावित आर.यू.बी.	3-05-2006
10.	सराय काले खां पर निजामुद्दीन रौकवाट स्टेशन के समीप मौजूदा लेवल क्रासिंग पर प्रस्तावित आर.यू.बी.	3-05-2006
11.	नजफगढ़ बिजवासन रोड पर मौजूदा रेलवे लेवल क्रासिंग पर प्रस्तावित आर.यू.बी.	3-05-2006
12.	आजादपुर में माल रोड - रोड नं. 51 चौराहे पर प्रस्तावित ग्रेड सेपरेटर	3-05-2006
13.	बहेरा इंकलेव के समीप आउटर रिंग रोड पर ज्वालाहेड़ी चौराहे पर प्रस्तावित ग्रेड सेपरेटर	3-07-2006
14.	कड़कड़ी मोड़, रोड नं. 57 के साथ ट्रंक ड्रेन सं. 1 पर मौजूदा ब्रिज को चौड़ा करने और यातायात की राइट टर्निंग के लिए 2 प्रस्तावित क्लोवर लीज का निर्माण	3-07-2006

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण

1433. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (एन.बी.आर.ए.) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (एन.बी.आर.ए.) की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल को एक नोट भेजा था और सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने के बाद मंत्रिमंडल को संशोधित नोट पुनः प्रस्तुत किया गया है। किसी सरकारी विभाग का नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करने संबंधी निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। यदि प्रस्ताव को मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिल जाता है तो एन.बी.आर.ए. की स्थापना और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग चिन्हित विभाग को सम्पूर्ण रिपोर्ट भेजेगा, अतः इस समय कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

आतंकवाद से निपटने हेतु प्रौद्योगिकी

1434. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से आतंकवाद से निपटने हेतु किसी विशाल परियोजना पर काम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई परियोजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अनुसंधान तथा विकास एवं प्रौद्योगिकी विकास पर बल देते हुए सुरक्षा प्रौद्योगिकी पहलों के लिए एक समन्वित प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

(ग) अभी शुरू नहीं की गई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह परियोजना 11वीं योजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार की जा रही है।

मधुमेह और कैंसर के लिए दवा

1435. श्री विजय कृष्णः क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक मधुमेह और कैंसर के इलाज हेतु महासागरीय दवाओं की खोज में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के बाद अमृत (इलिक्सर) का पता लगाने हेतु महासागर में अनुसंधान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें अभी तक कितनी सफलता मिली है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी नहीं। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि समुद्र से अमृत (इलिक्सर) का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान प्रयास किया जा रहा है। परंतु भारतीय वैज्ञानिक "समुद्र से औषधियों के विकास" पर अनुसंधान कर रहे हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के इस कार्यक्रम का लक्ष्य मधुमेह, डाइस्लिपडीमिया, मलेरिया, टी.बी., मध्य स्नायु तंत्र प्रणाली (सी.एन.एस.) में गड़बड़ी, संक्रामक-रोधी, उर्वरता-रोधी और कैंसर जैसी अलग-अलग बिमारियों के लिए औषधियों का विकास करना है। अभी तक, 6500 से अधिक समुद्री नमूनों की जांच की गई है जिनमें तीन संभाव्य औषधियों [(i) मधुमेह रोधी के लिए सी.डी.आर.-134डी-123 और मधुमेहरोधी एवं हाइपर-लिपिडेमिक सक्रियता के लिए (ii) सी.डी.आर.-134-एफ-194 और (iii) सी.डी.आर.-267-एफ-018] की पहचान की गई है। सी.डी.आर.-134-डी-123 पर मधुमेहरोधी औषधि का

विकास करने के लिए मानव परीक्षण शुरू कर दिए गए हैं। अन्य दो यौगिकों का पूर्व नैदानिक अन्वेषण अलग-अलग स्तर पर किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्री संसाधनों से कैंसर रोधी तत्वों की जांच करने के लिए आणविक लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं। मंत्रालय ने कैंसर रोधी सक्रियता के लिए औषधियों का विकास करने के लिए प्रमुख सुविधाओं वाले तीन और राष्ट्रीय संस्थान और एक निजी औषधीय उद्योग को शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

पट्टाधारिता से पूर्ण स्वामित्व में बदलना

1436. श्री गणेश प्रसाद सिंह:

श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बहुमंजिले भवनों में फ्लैटों/फ्लोरों/दुकानों को पट्टाधारिता से पूर्ण स्वामित्व में बदलने की योजना को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.डी.ए. को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 12-6-2006 को जारी संशोधित स्कीम के अनुसार बहुमंजिले रिहायशी परिसरों और बहुमंजिले व्यवसायिक परिसरों में व्यक्तिगत फ्लैटों/फ्लोरों/दुकानों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के उन मामलों पर विचार किया जायेगा, जहां स्वामियों ने निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया है:-

(क) बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग परिसरों और बहु-मंजिले व्यवसायिक परिसरों का निर्माण करने के लिए पट्टादाता से अनुमति ली गई थी;

(ख) पट्टाधारी ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित किए गए उप नियमों तथा विनियमनों का अनुपालन किया है;

(ग) बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग परिसरों/बहुमंजिले व्यवसायिक परिसरों के रूप में स्थानीय निकाय द्वारा भवन के नक्शे स्वीकृत किए गए हैं;

(घ) खरीददार को रजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटार्नी/सेल एग्रीमेंट/सेल डीड जैसे अपने स्वामित्व अधिकारों का स्पष्ट सबूत देना होगा।

(ग) और (घ) परिवर्तन शुल्क के नियम का परिकलन किया जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगा।

ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1437. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में सूरतगढ़ और कोटा में दो ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों में प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) इन ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संभावित तारीख कितनी है; और

(घ) परियोजनाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. ने 11वीं योजनावधि के दौरान राजस्थान में ताप विद्युत संयंत्रों में विस्तार यूनिटों सूरतगढ़ (यूनिट 6-1x250 मे.वा.) तथा कोटा (यूनिट 7-1x195 मे.वा.) पर काम शुरू किया है। इन दोनों यूनिटों के 31 अक्तूबर, 2008 तक पूरा हो जाने की आशा है।

नापथा का मूल्य

1438. श्री पी. करुणाकरन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार से नापथा/एल.एस.एच.एस. को उत्पाद-शुल्क से छूट देने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या वर्ष 2002 से पूर्व नापथा को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त थी;

(ग) क्या नापथा के मूल्य में वृद्धि और इस पर अधिरोपित

उत्पाद शुल्क से उपभोक्ताओं को ऊंचे दामों पर ऊर्जा मिलती है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इसके मूल्य में कमी करने का कोई निर्णय लिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केरल के मुख्यमंत्री ने विद्युत उत्पादन के लिए नाफ्था और एल.एस.एच.एस. हेतु उत्पाद शुल्क से छूट को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया था।

(ख) विद्युत उत्पादन के लिए नाफ्था को उत्पाद शुल्क से छूट विनिर्दिष्ट विद्युत प्लांटों हेतु मार्च, 2005 अथवा जुलाई, 2005 (मामलानुसार) तक उपलब्ध थी।

(ग) से (ङ) लागू मूल्य तंत्र के विघटित करने के परिणामस्वरूप नाफ्था/एल.एस.एच.एस. स्वतंत्र व्यापार उत्पाद है। तेल कम्पनियां बिना सरकार के हस्तक्षेप के वाणिज्यिक आधार पर इन उत्पादों के मूल्य का निर्धारण करती हैं।

भारत और यू.के. के वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान

1439. श्रीमती अर्चना नायक: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और यू.के. के वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक साथ मिलकर अनुसंधान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान के क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के सहयोगी विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या इस क्षेत्र में असैन्य परमाणु सहयोग को भी शामिल किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत और यू.के. के वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर काम किया है। इस दिशा में भारत-यू.के. विज्ञान और नवाचार परिषद का गठन किया गया है जिसमें भारत के माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा यू.के. के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री को क्रमशः भारत और यू.के. की ओर से सह-अध्यक्ष बनाया गया है।

(ख) और (ग) विज्ञान और नवाचार परिषद् की पहली बैठक दिनांक 26 जून, 2006 को लन्दन में हुई। माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री के नेतृत्व में एक आठ सदस्यीय भारतीय दल ने इस बैठक में विचार-विमर्श में भाग लिया। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

1. विशिष्ट विषयों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, शुरुआत के तौर पर उन्नत सामग्री और नैनो प्रौद्योगिकियों, स्टेम सेल अनुसंधान और पशु जैव प्रौद्योगिकी अगली पीढ़ी संचार प्रौद्योगिकियां मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन से संबंधित तथा हाइड्रोजन ऊर्जा सहित नई ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे विषय लिये गये हैं।

2. शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यू.के.-भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल (यू.के.आई.ई.आर.आई.) में भारत की सहभागिता। जहां यू.के. ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए अगले पांच वर्षों की अवधि के दौरान 6.5-8 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की वचनबद्धता की है वहां भारतीय पक्ष इसके बराबर कार्यकलापों में सहायता प्रदान करेगा। ब्यौरे भारतीय पक्ष द्वारा तैयार किये जायेंगे।

3. प्रत्येक पक्ष से 3 सदस्यों को लेकर एक 6 सदस्यीय समिति गठित की गई है जिसका उद्देश्य एक कार्य योजना तैयार करना है। इस कार्य योजना में अभिचिन्हित क्षेत्रों में कार्यान्वयन संस्थान के तंत्र/कार्य पद्धतियां तथा वित्तीय ब्यौरे जैसे विशेष विषय शामिल होंगे। समिति द्वारा अक्तूबर, 2006 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) यद्यपि कोई विशेष विचार-विमर्श नहीं हुआ, फिर भी यू.के. पक्ष ने भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव किया है। सहयोग के प्रकार और प्रकृति पर परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता

1440. डा. बाबू राव मिडियम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई. जी.ए.) के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ते, यदि कोई दिया जाता है तो उसके भुगतान हेतु निर्धारित मानदंड और शर्तें क्या हैं;

(ख) ग्रामीण स्तर पर मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु कौन सा प्राधिकारी जिम्मेदार है;

(ग) यदि एन.आर.ई.जी.ए. के अन्तर्गत रोजगार कार्ड धारकों को कोई काम नहीं दिया जाता है तो क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) यदि किसी श्रमिक जिसने एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत काम के लिए आवेदन किया है, को रोजगार नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह श्रमिक राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का पात्र बन जाता है।

(ख) कार्यक्रम अधिकारी समूचे ब्लाक में बेरोजगारी भत्ते तथा मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) बेरोजगारी भत्ता उस जॉब कार्ड होल्डर को दिया जाता है जिसने काम के लिए आवेदन किया तथा जिसे काम मांगने की तारीख से 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिला है।

(घ) बेरोजगारी भत्ता वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 30 दिनों के लिए एक चौथाई मजदूरी दर से तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए आधी मजदूरी दर से कम नहीं होगा।

(ङ) राज्य सरकारों को काम के लिए ग्रामीण परिवारों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में परियोजनाएं/कार्य शुरू करने का निदेश दिया गया है।

जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं

1441. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य विशेष रूप से हरियाणा के ऐसे जिलों के नाम क्या हैं जहां इस समय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी गई हैं; और

(ख) देस की सभी ग्राम पंचायतों में क्षेत्र जल परीक्षण किट प्रदान करने तथा इन किटों के प्रयोग के लिए उन्हें मूलभूत प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में स्थापित जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन जिलों जहां जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) सामुदायिक राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रबोधन एवं निगरानी कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.क्यू.एम. एंड एस.पी.) को फरवरी, 2006 में शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर निचले स्तर के कार्मिक अपने प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में सभी पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच करेंगे और स्वीकारात्मक परीक्षित नमूनों को पुष्टि हेतु जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला को भेजेंगे। फरवरी/मार्च, 2006 के दौरान, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) कार्यकलापों, मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) कार्यकलापों तथा प्रबोधन एवं निगरानी कार्यकलापों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 57.84 करोड़ रु. की कुल राशि रिलीज की गई है। एन.आर.डी.डब्ल्यू. क्यू.एम. एंड एस.पी. के अंतर्गत, प्रत्येक ग्राम पंचायत को रसायन परीक्षण किट के लिए 2500/- तक इकाई लागत और जीवाणु-विज्ञान किट के लिए 18/-रु. की इकाई लागत पर एक फील्ड परीक्षण किट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, एन.आर.डी. डब्ल्यू.क्यू.एम. एंड एस.पी. के दिशानिर्देशों के अनुसार, दो राज्य स्तरीय कर्मियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन.आई.सी.डी.) द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा जिसे इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय निर्देशन संस्थान के रूप में निर्धारित किया गया है। ये राज्य स्तरीय कार्मिक जिला स्तरीय कार्मिकों (प्रत्येक जिले से 4) को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षित जिला स्तरीय कार्मिक ब्लॉक स्तरीय कार्मिकों (5 कार्मिक प्रति ब्लॉक) को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्रशिक्षित ब्लॉक स्तरीय कार्मिक, ग्राम पंचायत स्तर पर निचले स्तर के कार्मिकों (5 निचले स्तर के कार्मिक एवं एक समन्वयक) को प्रशिक्षित करेंगे।

विवरण-I

राज्यों द्वारा 1-8-2006 तक दी गई सूचना के अनुसार जिला स्तरीय जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या	स्थायी प्रयोगशालाओं की स्थिति					भारत सरकार के अंतर्गत अभी स्थापित की जानी हैं
			केन्द्र द्वारा		राज्यों द्वारा स्थापित	अन्य स्थापित	जोड़ स्थापित	
			स्वीकृत	स्थापित				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	14	14	37	0	51	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	13	13	0	0	13	0
3.	असम	23	21	21	2	0	23	0
4.	बिहार	38	35	35	2	0	37	0
5.	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	16	16	16	0	0	16	0
7.	गोवा	.2	1	1	1	0	2	0
8.	गुजरात	25	13	13	4	0	17	0
9.	हरियाणा	19	18	18	1	0	19	0
10.	हिमाचल प्रदेश	12	10	10	5	0	15	0
11.	जम्मू-कश्मीर	14	9	6	2	0	8	3
12.	झारखंड	22	5	5	16 **	1	22	0
13.	कर्नाटक	27	21	21	6	0	27	0
14.	केरल	14	4	4	10	0	14	0
15.	मध्य प्रदेश	48	48	48	14	0	62	0
16.	महाराष्ट्र	35	3	3	27	0	30	0
17.	मणिपुर	9	8	1	1	0	2	7
18.	मेघालय	7	7	7	0	0	7	0
19.	मिजोरम	8	5	5	0	0	5	0
20.	नागालैंड	8	6	2	0	0	2	4
21.	उड़ीसा	30	30	29	0	0	29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	पंजाब	17	12	12	0	0	12	0
23.	राजस्थान	32	23	23	10	0	33	0
24.	सिक्किम	4	3	2	0	0	2	1
25.	तमिलनाडु	29	24	24	4	0	28	0
26.	त्रिपुरा	4	3	3	3	0	6	0
27.	उत्तर प्रदेश	70	67 *	54	1	14	69	13
28.	उत्तरांचल	13		0	3	0	3	
29.	पश्चिम बंगाल	18	18	18	0	0	18	0
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2	1	1	0	0	1	0
31.	दादर व नगर हवेली	1	1	1	0	0	1	0
32.	दमन व दीव	2	2	2	0	0	2	0
33.	दिल्ली	9	0	0	6	0	6	0
34.	लक्षद्वीप	1	2	2	7	0	9	0
35.	पांडिचेरी	4	2	2	2	0	4	0
	अखिल भारत	601	445	416	164	15	595	29

टिप्पणी: * 67 जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं तत्कालीन उत्तर प्रदेश के लिए अनुमोदित की गई थीं जिसमें उत्तरांचल शामिल था।

टिप्पणी: ** स्थापित की जा रही है।

विवरण-II

जिला जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं

राज्य का नाम - हरियाणा

जिलों की कुल संख्या - 19

क्र.सं.	जिलों का नाम	निम्नलिखित से स्थापित प्रयोगशालाएं		कार्यात्मक स्थिति
		भारत सरकार निधियां	राज्य निधियां	
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला	–	–	कार्य कर रही है

1	2	3	4	5
2.	भिवानी	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
3.	फरीदाबाद	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
4.	फतेहाबाद	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
5.	गुड़गांव	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
6.	हिसार	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
7.	झज्जर	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
8.	जींद	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
9.	कैथल	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
10.	करनाल	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
11.	कुरुक्षेत्र	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
12.	महेन्द्रगढ़	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
13.	पानीपत	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
14.	पंचकुला	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
15.	रेवाड़ी	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
16.	रोहतक	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
17.	सिरसा	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
18.	सोनीपत	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
19.	यमुनानगर	भारत सरकार निधियां	–	कार्य कर रही है
	कुल	18	1	19

शहरी अवसंरचना के लिए राजकोषीय व्यवस्था

1442. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तेज शहरीकरण के कारण शहरी अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश हेतु एक विभेदक राजकोषीय व्यवस्था स्थापित करने हेतु नई नीति के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए शहरी अवस्थापना में जनता द्वारा निवेश के लिए करमुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने के अतिरिक्त साझा वित्त विकास कोष तथा राष्ट्रीय शहरी अवस्थापना कोष की स्थापना की गयी है।

अनिवासी भारतीयों की जमा राशि

1443. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति की शुरुआत तथा नियमों के उदारीकरण के बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा कितनी बचत राशि जमा की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार नियमों को और उदार बनाने का है ताकि बैंकों में और दुर्लभ मुद्रा जमा को आकर्षित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2001 से 2006 तक की अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमाराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	मार्च के अंतिम शुक्रवार को रिपोर्ट की गई स्थिति के अनुसार	कुल राशि
1.	2001	136054
2.	2002	137566
3.	2003	144335
4.	2004	134436
5.	2005	132645
6.	2006	117343

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों के लिए नाबार्ड के दिशानिर्देश

1444. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का विचार नए दिशानिर्देश लागू करने का है जो कि सहायता कम करने के लिए कृषि समुदाय को बैंकों से अधिक तथा तत्काल परिणाम सुनिश्चित करेंगे;

(ख) यदि हां, तो जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों को इन दिशानिर्देशों पर विचार करने का आग्रह किया गया है; और

(घ) इससे किसानों को कितना लाभ होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामिण विकास बैंक (नाबार्ड) ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- ऋण आवेदनों/दस्तावेजों का सरलीकरण।
- एक ही स्थान पर किसानों की, उत्पादन, निवेश एवं उपभोग ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।
- स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.), बैंक सम्बद्ध कार्यक्रम, संयुक्त दायित्व समूहों (जे.एल.जी.) के वित्तपोषण के द्वारा समूह दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक संख्या में किसानों को शामिल करना।

नाबार्ड ने वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश भी जारी किए हैं।

बैंकों ने ऋण हेतु कागजी कार्रवाई संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया है। शाखा प्रबंधकों को ऋण आवेदनों पर तुरन्त कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं।

31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं वाणिज्य बैंकों द्वारा देश में कुल 590.93 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) जारी किए गए थे जिससे बड़ी संख्या में किसान समुदाय को लाभ हुआ है।

31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 22.39 लाख एस.एच.जी. को 11397.55 करोड़ रुपए के संचयी बैंक ऋण के साथ औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ ऋण से जोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त, मार्च, 2006 की समाप्ति के अनुसार, सहभागी बैंकों ने 854 जे.एल.जी. को बढ़ावा दिया है और 850 जे.एल.जी. को कुल 12.40 करोड़ रुपए का वित्त प्रदान किया है।

एस.बी.आई. के सहयोगी बैंकों का विलय

1445. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय स्टेट बैंक समूह के सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) में विलय करके इसे दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक बनाने तथा बैंकिंग को एक राष्ट्र, एक स्टेट बैंक तथा एक खाते की नई परिभाषा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इनका कब तक विलय किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। सरकार का यह मानना है कि ऐसा प्रस्ताव अनिवार्यतः बैंकों की ओर से ही आना चाहिए।

खापरखोड़ा ताप विद्युत संयंत्र

1446. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम खापरखोड़ा ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार करने के लिए वित्तपोषण करने पर सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विस्तार कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने 500 मे.वा. क्षमता के एक यूनिट की अधिष्ठापना द्वारा खापड़खोड़ा थर्मल विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु 1753 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। परियोजना की 2170 करोड़ रुपए की कुल लागत में से, महाराष्ट्र सरकार ने 434 करोड़ रुपए की इक्विटी शामिल करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन और महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लि. ने इस संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर करने की सहमति व्यक्त की है।

(घ) खापड़खोड़ा थर्मल पावर संयंत्र (1x500 मे.वा.) के लिए मुख्य उपकरणों की आपूर्ति का आदेश सितंबर, 2006 में दिया जाना नियत है जिसके पश्चात् परियोजना का निर्माण आरंभ होने की संभावना है।

जीवन बीमा निगम द्वारा "वार्षिकी कार्ड" की शुरुआत

1447. **श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम का पेंशन तथा वार्षिकी लेने के लिए पालिसी धारकों की सहायता हेतु पूर्व भुगतान योग्य "वार्षिकी कार्ड" शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ग) एल.आई.सी. ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 18-05-2006 को ग्रुप पेंशनर्स के लिए एक वार्षिकी कार्ड आरंभ किया है, जिससे ये एक बार उनके कार्ड पर अंकित करने पर पॉलिसीधारकों को पेंशन तथा वार्षिकी किसी भी समय, कहीं भी लेने में सहायता प्राप्त होगी।

(ख) कार्ड की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) यह पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त लागत रहित 10 वर्षों तक वैध नवीकरण के प्रावधान सहित, निःशुल्क एक अंतर्राष्ट्रीय वीसा डेबिट कार्ड है।

(2) यह भारत में सभी वीसा सुविधायुक्त ए.टी.एम. साथ ही, वीसा सुविधायुक्त किसी भी बिक्री केन्द्र पर प्रयोग किया जा सकता है और इसमें कभी भी, कहीं भी वार्षिकी तत्काल प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रावधान होगा।

(3) डेबिट कार्ड के रूप में खाते में उपलब्ध शेष राशि तक इसकी क्रय क्षमता है और इससे यू.टी.आई. बैंक ए.टी.एम. तथा वीसा नेट वर्क के माध्यम से नकदी प्राप्त कर सकेगा।

(4) वार्षिकीदार/पेंशनभोगी को खाते में राशि आने की सूचना एस.एम.एस., ई-मेल के माध्यम से मिलेगी।

(5) कार्ड गुम होने पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।

(6) इससे पेंशनभोगी को ए.टी.एम. पर लघु विवरण प्राप्त हो सकेगा।

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकास रणनीति

1448. श्री एल. राजगोपाल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकास रणनीति के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ख) देश में समग्र रूप से जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र को तथा इसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकास रणनीति की भूमिका क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (एन.बी.डी.एस.) की विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो एन.बी.डी.एस. को क्या परिणाम/सुझाव मिले?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का उद्देश्य ऐसे साधनों और प्रौद्योगिकियों का सृजन करना है जिनसे समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो, कम कीमतों पर उत्पादों और सेवाएं उपलब्ध कराना और उभरती जैव-अर्थव्यवस्था में भारत को विश्व स्तर का प्रतिस्पर्धी बनाना है।

(ख) राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का मूल लक्ष्य नवीन खोज को प्रोत्साहन देने वाले परिस्थिति-तंत्र के उद्‌भव को समर्थ बनाना है। लघु एवं मध्यम दर्जे की कम्पनियों में जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन खोज को प्रोत्साहन देना इसकी प्राथमिकता है। एस.एम.ई. में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए "लघु व्यापार नवीन खोज अनुसंधान पहल (एस.बी.आई.आर.आई.)" स्कीम प्रारम्भिक स्तर के प्री-प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अनुसंधान को निधि देने के लिए शुरू की गई है। कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा पर्यावरण के क्षेत्रों में क्षेत्रवार प्राथमिकताओं की भी पहचान कर ली गई है। कार्यनीति में विश्वविद्यालय तंत्र में अधिक विश्वस्तरीय शोधकर्त्ता तैयार करने, उत्कृष्टता केन्द्रों एवं अंतर-विषयक नेटवर्कों की स्थापना करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं पेटेंटिंग कौशल को सुदृढ़ करने, जैवप्रौद्योगिकी समूहों तथा पार्कों को बढ़ावा देने, एक सशक्त विनियामक तंत्र का निर्माण करने, जैविकों के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन में सुधार लाने, प्रमुख क्षेत्रों में, जहां कमी हो वहां नए संस्थानों का निर्माण करने और अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति पर टिप्पणियां प्राप्त करने के उद्देश्य से इसके प्रारूप को 6 सप्ताह तक वेबसाइट पर रखा गया था। इस संबंध में छात्रों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, स्वैच्छिक संगठनों, उद्योगों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से 300 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं। इसके अतिरिक्त, सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डरों); जिनमें उद्योग और गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं, के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विचार-विमर्श किए गए। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर मंत्रिमंडल नोट का प्रारूप तैयार किया गया और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया था। मंत्रिमंडल नोट को अन्तिम रूप देते समय वित्त मंत्रालय और योजना आयोग समेत अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर भी विचार किया गया है।

नेशनल लेवल मॉनिटर्स

1449. श्री नवीन जिन्दल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में नेशनल लेवल मॉनिटर्स (एन.एल.एम.) का एक पैनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में एन.एल.एम. की संख्या कितनी है तथा इनकी निबन्धन और शर्तें क्या हैं;

(ग) उन्हें दिए गए कार्य की प्रकृति क्या है;

(घ) एन.एल.एम. ने अब तक कितने जिलों का दौरा किया है; और

(ङ) अपनी रिपोर्ट में उन्होंने किन-किन मुख्य बातों पर जोर दिया है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ङ) जी,

हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए 250 राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता लगाए गए हैं। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के मुख्य निबंधन एवं शर्तें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

इन निगरानीकर्ताओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिलों में भेजा जाता है। उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्राप्त विशिष्ट तथा गंभीर शिकायतों के संदर्भ में तथ्यों का सत्यापन करने के लिए भी तैनात किया जाता है।

राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं ने अपने नियमित दौरों के दौरान जिन जिलों का दौरा किया उनकी संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	दौरों का ब्यौरा	दौरा किए गए जिलों की संख्या
1.	जुलाई, 03 से सितम्बर, 03 के दौरान पहला दौर	140
2.	दूसरा दौर (अगस्त, 04 से अक्तूबर, 04)	139
3.	तीसरा दौर (जनवरी, 05 से मार्च, 05)	120
4.	चौथा और पांचवां दौर (मई, 05 से अगस्त, 05)	227
5.	छठा दौर (दिसम्बर 05 से फरवरी, 06)	235

इसके अलावा, मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में तथ्यों के सत्यापन के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा 131 जिलों का दौरा किया गया।

राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा अपनी रिपोर्टों में उल्लिखित मुख्य बातें संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की रिपोर्टों का संकलन राज्यों को भेजा जाता है। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के निष्कर्षों तथा टिप्पणियों का दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं में संशोधन, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा तथा सभी कार्यक्रमों की सतर्कता तथा निगरानी में उपयोग किया जाता है। इन पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं, गोष्ठियों और सम्मेलनों जिनमें राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, में भी चर्चा की जाती है। राज्यों से राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के निष्कर्षों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि जिलों के नियमित दौरों के बारे में राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता की रिपोर्ट की प्रति संबंधित जिले की सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष को भेजी जाए ताकि समिति को निष्कर्षों से अवगत कराया जा सके।

विवरण-I

राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के लिए प्रमुख निबंधन एवं शर्तें

राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के लिए प्रमुख निबंधन एवं शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता मेजर और इसके ऊपर के स्तर के सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी अथवा अवर सचिव और इसके ऊपर के स्तर के सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी होते हैं।

(ii) उनके सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात् राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के लिए अभिमुखीकरण कार्यशालाएँ आयोजित की गई जिसके माध्यम से उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें समय-समय पर मंत्रालय की नई पहलकदमियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है।

(iii) उन्हें इस मंत्रालय की ग्रामीण विकास योजनाओं की आवश्यकतानुसार निगरानी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उन्हें समय-समय पर ऐसे दौरों के लिए जिले आबंटित किए जाते हैं।

(iv) वे कार्य स्थलों का दौरा कर अपनी निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसमें वास्तविक एवं वित्तीय पहलुओं के संदर्भ में इस मंत्रालय के सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी रहती है। कार्यस्थल दौरों के दौरान कार्यों की वास्तविक जांच भी की जाती है। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने या उल्लंघन करने के विशेष संदर्भ में वास्तविक कार्यान्वयन प्रक्रिया पर अपनी रिपोर्ट दें।

(v) उनके दौरों के प्रत्येक दौर के पहले उन्हें विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित प्रमुख सूचकांकों का एक सेट दिया जाता है और एन.एल.एम. को विशेष रूप से इन्हीं मुख्य संकेतकों के संदर्भ में निगरानी दौरा करने की जरूरत है। इन कार्यक्रमों के वित्तीय एवं वास्तविक कार्य निष्पादन की सूचना देने के लिए एक प्रपत्र भी मुहैया कराया जाता है।

(vi) एन.एल.एम. किसी एक ब्लॉक में कम से कम 2 या 3 दिन बिता सकते हैं। उन्हें एक दौरे में सभी ब्लॉकों या योजनाओं को कवर करने की जरूरत नहीं है। उसके दौरे व्यापक होने चाहिए ओर गुणवत्ता संबंधी पहलुओं को सामने लाया जाना चाहिए। एन.एल.एम. एक दौरे में किसी एक जिले में दो से तीन ब्लॉकों का दौरा कर सकते हैं।

(vi) (क) जिले के निगरानी दौरे के दौरान एन.एल.एम. को कम से कम 10 गांवों का दौरा करने की जरूरत है। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों ने जिन गांवों का दौरा कर लिया है, निगरानीकर्ताओं भी उन्हीं गांवों का दौरा न करें।

(vii) एन.एल.एम. को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निष्पक्ष और उद्देश्यपरक समीक्षा करने तथा निगरानी रिपोर्ट में स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है।

(viii) जब कभी भी इस मंत्रालय को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में विशिष्ट और गंभीर शिकायतों की जांच करने की जरूरत होगी एन.एल.एम. के लिए ऐसा भी किया जाना भी अपेक्षित है।

(ix) उन्हें इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा भत्ता/व्यय, अन्य व्यय एवं आकस्मिक व्यय आदि का भुगतान किया जाता है।

विवरण-II

राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा अपनी रिपोर्टों में उल्लिखित मुख्य बातें

जिलों के दौरों के आधार पर राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा उल्लिखित मुख्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) इंदिरा आवास योजना, स्वजलधारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि जैसे कार्यक्रम ग्रामीण जनसमुदाय के बीच काफी लोकप्रिय हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित अधिकांश ग्रामीण आबादी सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करती है।

(ii) विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के चयन में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुस्पष्ट है।

(iii) कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें कार्यक्रमों का दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

(iv) कुछ जिलों में दस्तावेजों के रखरखाव को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

(v) वाटरशेड कार्यक्रमों की वजह से कई जिलों में भू-जल का स्तर बढ़ा है।

(vi) कुछ क्षेत्रों में जल गुणवत्ता समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से कई ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

(viii) विशेषकर महिलाओं के स्व-सहायता समूह में पर्याप्त प्रगति हुई है जिसके फलस्वरूप उनमें आत्मनिर्भरता तथा अधिकारिता बढ़ी है।

(ix) कुछ मामलों में अनियमितताएं भी पाई गई हैं।

रामागुंडम विद्युत परियोजना

1450. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान एन.टी.पी.सी. के रामागुंडम विद्युत संयंत्र द्वारा कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया; और

(ख) इस संयंत्र से आंध्र प्रदेश को कुल कितनी विद्युत की आपूर्ति की गई तथा इसकी आपूर्ति कितने मूल्य पर की गई?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जैसा कि एन.टी.पी.सी. द्वारा सूचित किया गया है, गत दो वर्षों में एन.टी.पी.सी. के रामागुंडम सुपर थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा, इस प्लांट से आंध्र प्रदेश को की गई विद्युत आपूर्ति और इसकी कीमत के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

वर्ष	कुल उत्पादन (मि. यू. में)	आंध्र प्रदेश को आपूर्ति की गई विद्युत (मि.यू.)	रामागुंडम एस.टी.पी.एस. से आंध्र प्रदेश के लिए ऊर्जा की लागत (रुपए/कि.वा.घं. में)
2004-05	17172	4407	1.20
2005-06	19691	5639	1.36

स्वःसहायता समूह

1451. श्री जुएल ओराम:

श्री अनन्त नायक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्य-वार कितने स्वःसहायता समूहों का पुनः वित्तपोषण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्वःसहायता समूह को कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई; और

(ग) अपने उद्देश्यों को पूरा करने में प्रत्येक स्वःसहायता समूह कितना सफल रहा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषित स्व-सहायता समूहों की संख्या क्रमशः 1,17,409, 2,13,845 और 2,17,712 थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्व-सहायता समूहों को संवितरित बैंक ऋण क्रमशः 1157.79 करोड़ रुपए, 1726.61 करोड़ रुपए और 2330.45 करोड़ रुपए थे। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

नाबार्ड ने बुनियादी स्तर पर स्व-सहायता समूहों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव संबंधी अध्ययन किया है। नाबार्ड द्वारा किए गए अध्ययन "निर्धन व्यक्तियों के लिए व्यष्टि वित्त - एक प्रभाव मूल्यांकन", जिसमें 11 राज्यों के 223 स्व-सहायता समूहों में से 560 स्व-सहायता समूह सदस्य परिवार शामिल हैं, के अच्छे परिणाम मिले हैं। स्व-सहायता समूह के सदस्यों के जीवन-स्तर में आस्तियों के स्वामित्व, बचत और ऋण लेने की क्षमता, आय सृजक क्रियाकलापों और आय के स्तरों में वृद्धि की दृष्टि से प्रत्यक्ष एवं पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। इसके अतिरिक्त, स्व-सहायता समूह की पूर्व एवं पश्चात् स्थितियों के बीच रोजगार 318 श्रम दिवस से बढ़कर 375 श्रम दिवस हो गया, इस प्रकार इसमें 18% की वृद्धि हुई।

समूह में सदस्यों के सम्मिलित होने के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्व-सहायता समूहों के साथ सम्बद्ध होने के बात अपने महत्व की भावना और दूसरों से सम्पर्क करने में वृद्धि हुई है। सदस्य पहले की तुलना में सामाजिक बुराइयों एवं समस्याओं का सामना करने पर अधिक जोर देने लगे थे।

विवरण

वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक के दौरान संवितरित राज्य-वार बैंक ऋण एवं नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त एस.एच.जी. की संख्या

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	क्षेत्र/राज्य	2003-04 के दौरान		2004-05 के दौरान		2005-06 के दौरान	
		एस.एच.जी. की सं.	बैंक ऋण	एस.एच.जी. की सं.	बैंक ऋण	एस.एच.जी. की सं.	बैंक ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हिमाचल प्रदेश	3,471	894.8	2,552	1339.05	2,053	1911.85

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	राजस्थान	1,229	2587.61	10,704	6723.86	7,477	9822.35
3.	हरियाणा	344	564.61	535	522.02	978	1106.57
4.	पंजाब	161	322.23	422	518.00	1,470	710.11
5.	जम्मू-कश्मीर	0	64.53	0	128.95	7	360.68
6.	न्यू दिल्ली		43.8		38.93		54.44
7.	असम	3,309	1230.95	3,076	7722.06	859	4803.19
8.	मेघालय	5	4.9		12.88	19	70.80
9.	त्रिपुरा	746	42.32		130.97		103.98
10.	सिक्किम		2.67		4.15		5.05
11.	मणिपुर	63	11.2	0	241.65		310.58
12.	नागालैंड	9	3.21	0	18.13	0	247.34
13.	अरुणाचल प्रदेश		78.29	7	14.94		15.18
14.	मिजोरम	20	24.85	2	3.49	518	613.00
15.	उड़ीसा	6,244	6203.09	18,614	9821.92	23,039	15029.48
16.	बिहार	1,074	1734.87	742	3385.52	1,076	3120.53
17.	झारखंड	230	1457.36	2,281	2900.41	193	3998.74
18.	पश्चिम बंगाल	14,283	2999.33	14,213	4892.78	22,155	7895.87
19.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		8.12	55	7.52	0	5.59
20.	मध्य प्रदेश	2,466	2928.73	1,954	4965.49	2,784	5069.87
21.	छत्तीसगढ़	102	251.73	571	920.26	6,764	1654.07
22.	उत्तर प्रदेश	3,890	8052.87	9,070	11929.21	5,662	15323.26
23.	उत्तरांचल	74	1559.6	110	1016.67	65	1559.96
24.	गुजरात	265	937.79	7,184	4319.44	907	4659.44
25.	महाराष्ट्र	3,765	2949.05	8,822	8811.63	17,713	13083.56
26.	गोवा	5	33.14	5	57.91	77	177.95

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	आन्ध्र प्रदेश	24,902	25276.27	50,567	28594.62	48,988	31563.89
28.	कर्नाटक	21,728	12702.97	33,403	21503.81	20,150	28923.21
29.	केरल	2,908	4897.32	5,646	10743.10	6,033	15919.13
30.	तमिलनाडु	26,116	37910.81	43,310	40874.96	48,725	64040.92
31.	संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी				497.11		884.88
	कुल योग	117,409	115779.32	213,845	172661.44	217,712	233045.47

[हिन्दी]

केबल आपरेटरों द्वारा सेवा कर का अपवंचन

1452. श्री सीता राम सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केबल आपरेटर हर वर्ष करोड़ों रुपयों के सेवा कर का अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अपवंचन किए गए कर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल के एक सर्वेक्षण में पता चला है कि दिल्ली के केबल आपरेटर कम सेवा कर का भुगतान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सेवा कर का अपवंचन करने के लिए ऐसे आपरेटरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। केबल आपरेटरों द्वारा सेवा कर के अपवंचन के बारे में सरकार के नोटिस में आया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अपवंचित सेवा कर का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	पता लगे मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
2003-04	476	3.29
2004-05	147	3.27
2005-06	284	9.43

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 (31-07-2006 तक) के दौरान कुछ केबल आपरेटरों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि विशेष सूचना प्राप्त होने पर दिल्ली में तीन परिसरों की तलाशी ली गई और केबल सेवाओं के संदर्भ में समुचित सेवाकर के भुगतान के बिना पांच कंपनियों को कराधेय सेवाएं प्रदान करते पाया गया। उक्त कंपनियों से 2.5 लाख रु. वसूले गये।

(घ) चूककर्ताओं के खिलाफ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

हरियाली योजना के अंतर्गत प्रस्ताव

1453. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में हरियाली योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों विशेष रूप से असम से प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव की संस्वीकृति की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ग) उक्त अवधि दौरान परियोजना-वार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई तथा उपयोग में लाई गई; और

(घ) प्रस्तावों/परियोजनाओं को संस्वीकृत करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए तथा प्रत्येक परियोजना के निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत मांग आधारित तीन कार्यक्रमों नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को कार्यान्वित कर रहा है। प्रत्येक वर्ष नये प्रस्ताव मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्यों से प्राथमिकता वाले जिलों की सूचियां मंगवायी जाती हैं। असम में, गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल सभी प्रस्तावों को भूमि संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। चालू वर्ष के दौरान असम की राज्य सरकार द्वारा जून, 2006 में परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक होने के समय तक प्राथमिकता सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी। तथापि, चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार से प्राथमिकता सूची प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए जाते हैं क्योंकि परियोजनाएं हनुमंत राव समिति (1994) द्वारा पहचान किए गए ब्लॉकों में स्वीकृत की जाती हैं। गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04 से लेकर 2005-06 तक की अवधि के दौरान तथा चालू वर्ष में 31-7-2006 तक समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत राज्य-वार स्वीकृत किए गए प्रस्तावों तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (हरियाली) के अंतर्गत राज्य-वार स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या तथा जारी की गई निधियों को संलग्न विवरण-II में दिखाया गया है तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या तथा जारी की गई निधियों को संलग्न विवरण-III में दिखाया गया है।

हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए निधियां 15%, 30%, 30%, 15% और 10% की पांच किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रथम किस्त नये प्रस्तावों की स्वीकृति के साथ बिना किसी शर्त के जारी की जाती है और बाद की किस्तें तभी जारी की जाती हैं, जब खर्च न की गई शेष राशि पहले जारी की गई किस्त की राशि के 50% से अधिक न हो।

(घ) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत नये प्रस्ताव प्राथमिकता सूचियों में से बंजरभूमि के क्षेत्रफल, बंजरभूमि संबंधी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की क्षमता, आई.डब्ल्यू.डी.पी. की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्यों के कार्य निष्पादन तथा चल रही परियोनजाओं की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के पश्चात् बजट की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्वीकृत किए जाते हैं। प्राथमिकता सूची में शामिल वे प्रस्ताव, जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जाता है, व्यपगत हो जाते हैं। तथापि, राज्य सरकारें इन परियोजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष की प्राथमिकता सूची में शामिल कर सकती हैं। अतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) में शेष रह गई परियोजनाएं लंबित नहीं रहती हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत प्रस्ताव राज्य में डी.पी.ए.पी./डी.डी.पी. की कवरेज, चल रही परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन तथा चल रही परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के पश्चात् बजट की उपलब्धता के आधार पर अभिज्ञात ब्लॉकों में से स्वीकृत किए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत 180.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए प्रस्ताव स्वीकृत करने के 10वीं योजना के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2005-06 तक 127.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण-I

राज्यों में आई.डब्ल्यू.डी.पी. (हरियाली) के अन्तर्गत (वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक तथा चालू वर्ष 2006-07 के दौरान) स्वीकृत प्रस्ताव और जारी की गई निधियां (31-7-2006 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिले का नाम	परियोजना अवधि	ब्लॉक	कुल क्षेत्र (है. में)	कुल लागत	नीचे दी गई अवधि के दौरान जारी की गई निधियां				कुल जारी निधियां
						2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अदिलाबाद-II	2003-04 से 07-08	कामारेड्डी और येल्लारेड्डी	6000	360.00	49.50	99.000		98.21365	246.714
2.	मेडक-IV	2003-04 से 07-08	गम्भीरापेट और मुस्थाबाद	6000	360.00	49.50		98.461	98.43308	246.394
3.	निजामाबाद-III	2003-04 से 07-08	पडेरू और अराकु	7000	420.00	57.75	114.616			172.366
4.	विशाखापत्तनम-III	2003-04 से 07-08	मेरीपेडा	6000	360.00	49.50	99.000	98.511		247.011
5.	विजयनगरम-IV	2003-04 से 07-08	पेनुबल्ली	6000	360.00	49.50	98.279	98.630		246.409
6.	कुड्डापा-V	2003-04 से 07-08	दत्तिराजेरू और मेराकामुदीदम	6000	360.00	49.50	99.000	97.790		246.290
7.	करीमनगर-III	2003-04 से 07-08	निर्मल और खानापुर	6000	360.00	49.50		98.567		148.067
8.	खम्माम-III	2003-04 से 07-08	पोड्डूटूर (माड्डुकुर)	6000	360.00	49.50	99.000	98.425		246.925
9.	वारंगल-III	2003-04 से 07-08	गजयेल, डोमैट	6000	360.00	49.50		98.827		148.327

10. चित्तूर-VII	2003-04 से 07-08	येरपेडू	5000	300.00	41.25		82.500	123.750
11. चित्तूर-VIII	2004-05 से 08-09	थोडामबेडु	6000	360.00		49.500	98.365	147.865
12. खम्माम-IV	2004-05 से 08-09	सुदिमल्ले	6000	360.00		49.500	99.000	148.500
13. नालगोंडा-IV	2004-05 से 08-09	नेडामनुरे	6000	360.00		49.500		49.500
14. मेडक-V	2004-05 से 08-09	मेडक	6000	360.00		49.500	98.437	147.937
15. कुड्डापा-VI	2004-05 से 08-09	राजनपेट	6000	360.00		49.500	99.000	148.500
16. प्रकाशम-III	2004-05 से 08-09	उल्वापौडु	6000	360.00		49.500	98.856	148.356
17. रंगा रेड्डी-IV	2004-05 से 08-09	राजेन्द्रनगर	6000	360.00		49.500		49.500
18. अदिलाबाद-III	2004-05 से 08-09	निर्मल	6000	360.00		49.500	99.000	148.500
19. श्रीकाकूलम-III	2004-05 से 08-09	पठानपत्तनम	6000	360.00		49.500	99.000	148.500
20. निजामाबाद-IV	2004-05 से 08-09	निजामाबाद	6000	360.00		49.500		49.500
21. मेडक-VI	2005-06 से 2009-10	सिद्धिपेट	6000	360.00			49.500	49.500
22. करीमनगर-IV	2005-06 से 2009-10	सिरसिल्ला (एलानथकुन्टा)	6000	360.00			49.500	49.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	पूर्वी गोदावरी-III	2005-06 से 2009-10	संखावरम	6000	360.00			49.500		49.500
24.	विजयनगरम-V	2005-06 से 2009-10	नेल्लिमरिल्ला और चिरूपुरूपल्ली	6000	360.00			49.500		49.500
25.	पश्चिमी गोदावरी-I	2005-06 से 2009-10	प्रडावरम पेडावेगी बुट्टैगुडेम	6000	360.00			49.500		49.500
26.	निजामाबाद-V	2005-06 से 2009-10	कमारड्डी डोमाकोंडा	6000	360.00			49.500		49.500
27.	नेल्लोर-VIII	2005-06 से 2009-10	उदयगिरी डुट्टालुर	6000	360.00			49.500		49.500
28.	कृष्णा-I	2005-06 से 2009-10	जग्गरूंयापेटा तिरूवरू मयलावरम	6000	360.00			49.500		49.500
29.	मेडक-VII	2005-06 से 2009-10	मेडक	5000	300.00			41.250		41.250
30.	श्रीकाकुलम-IV	2005-06 से 2009-10	पाठपत्तनम	5000	300.00			41.250		41.250
31.	कुड्डापा-VII	2005-06 से 2009-10	कोडुर	6000	360.00			49.500		49.500
32.	वारंगल-IV	2005-06 से 2009-10	जनगांव	6000	360.00			49.500		49.500
33.	कुड्डापा-VIII	2005-06 से 2009-10	कुड्डापा	5000	300.00			41.250		41.250
34.	नालगोंडा-V	2005-06 से 2009-10	अलेयर	5000	300.00			41.250		41.250
35.	खम्माम-V	2005-06 से 2009-10	येलेंदु	5000	300.00			41.250		41.250

36. वारंगल-V	2005-06 से 2009-10	नरसमपेटा	5000	300.00	41.250		41.250
37. श्रीकाकुलम-V	2005-06 से 2009-10	जी. सिगादम	7500	450.00	61.875		61.875
38. नेल्लोर-IX	2005-06 से 2009-10	आत्माकुर तथा पोदालाकुर	6000	360.00	49.500		49.500
39. नेल्लोर-X	2005-06 से 2009-10	रापुर और वैंकटारीरी	6000	360.00	49.500		49.500
40. कुड्डापा-IX	2005-06 से 2009-10	सिद्धाउट	6000	360.00	49.500		49.500
41. कुड्डापा-X	2005-06 से 2009-10	कोडूर	6000	360.00	49.500		49.500
42. मेडक-VIII	2005-06 से 2009-10	नरसापुर	6000	360.00	49.500		49.500
43. निजामाबाद-VI	2005-06 से 2009-10	कामारेड्डी	6000	360.00	49.500		49.500
44. करीमनगर-V	2005-06 से 2009-10	सिरसिला और वेमुलावाड़ा	6000	360.00	49.500		49.500
45. नेल्लोर-XI	2006-07 से 2010-11	नायडुपेट और कोटा	6500	390.00		53.62500	53.625
46. नेल्लोर-XII	2006-07 से 2010-11	गोदुर और रापुर	6500	390.00		53.62500	53.625
47. गुंटूर-III	2006-07 से 2010-11	मचीरिया	6000	360.00		49.50000	49.500
48. गुंटूर-IV	2006-07 से 2010-11	राजुपलेम और पेडाकुरापाडु	6000	360.00		49.50000	49.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	गुंटूर-V	2006-07 से 2010-11	विसान्नापेटा	6000	360.00				49.50000	49.500
50.	चित्तूर-IX	2006-07 से 2010-11	बंगारूपलेम	6000	360.00				49.50000	49.500
51.	चित्तूर-X	2006-07 से 2010-11	चंद्रगिरी	6000	360.00				49.50000	49 500
52.	कडापा-XI	2006-07 से 2010-11	सिद्धाउट	6000	360.00				49.50000	49.500
53.	कडापा-XII	2006-07 से 2010-11	प्रोदातूर	6000	360.00				49.50000	49.500
54.	निजामाबाद-VII	2006-07 से 2010-11	कामारेड्डी	6000	360.00				49.50000	49.500
55.	करीमनगर-VI	2006-07 से 2010-11	सिरसिला और करीमनगर	6000	360.00				49.50000	49.500
56.	करीमनगर-VII	2006-07 से 2010-11	वेमुलावाड़ा और सिरसिला	6000	360.00				49.50000	49.500
57.	मेडक-IX	2006-07 से 2010-11	दुबाक	6000	360.00				49.50000	49.500
58.	मेडक-X	2006-07 से 2010-11	रामायमपेट	6000	360.00				49.50000	49.500
59.	वारंगल-VI	2006-07 से 2010-11	चेरीयल	6000	360.00				49.50000	49.500
60.	खम्माम-VI	2006-07 से 2010-11	सुदीमाल्ला (बायाराम-एम)	6000	360.00				49.50000	49.500
61.	खम्माम-VII	2006-07 से 2010-11	सुदीमाल्ला (गरबा-एम)	6000	360.00				49.50000	49.500

62. विजयनगरम-VI	2006-07 से 2010-11	बादांगी और गजपतीनगरम	6000	360.00				49.50000	49.500
63. विजयनगरम-VII	2006-07 से 2010-11	नेल्लीमरला चीपुरुपल्ली	6000	360.0C				49.50000	49.500
64. पश्चिमी गोदावरी-II	2006-07 से 2010-11	बुटैयागुडम चिंतालापुडी भीमाडोले पोलावरम	6000	360.00				49.50000	49.500
उप योग			**380500**	**22830.00**	**495.00**	**1103.90**	**2614.24417**	**1194.89673**	**5408.036**
बिहार									
1. किशनगंज	2003-04 से 07-08	पारसा एवं दरियापुर	5000	300.00	41.25				41.250
2. वैशाली-II	2003-04 से 07-08	कृत्यानंदनगर	5000	300.00	41.25				41.250
3. पूर्णिया	2003-04 से 07-08	पोथिया	5000	300.00	41.25				41.250
4. सारन	2003-04 से 07-08	पातेपुर	5000	300.00	41.25				41.250
5. सिवान	2003-04 से 07-08	सदर	5000	300.00	41.25				41.250
6. दरभंगा	2003-04 से 07-08	बहादुरपुर	5000	300.00	41.25				41.250
7. गया-II	2003-04 से 07-08	अतरी	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
8. मुंगेर	2003-04 से 07-08	खड़गपुर	5000	300.00	41.25				41.250
9. नालंदा-II	2003-04 से 07-08	सिलाओ	5000	300.00	41.25				41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	रोहतास-I	2004-05 से 08-09	शिवसागर	5000	300.00		41.250			41.250
11.	कैमूर-I	2004-05 से 08-09	दुर्गावती	5000	300.00		41.250			41.250
12.	औरंगाबाद-I	2004-05 से	रफीगंज 08-09	5000	300.00		41.250			41.250
13.	अरवल-I	2004-05 से 08-09	करपी	5000	300.00		41.250			41.250
14.	जहानाबाद-I	2004-05 से 08-09	मखदुमपुर	5000	300.00		41.250			41.250
15.	गया-III	2004-05 से 08-09	गुरूया	5000	300.00		41.250			41.250
16.	बांका-I	2004-05 से 08-09	बाँसी	5000	300.00		41.250			41.250
17.	नवादा-II	2004-05 से 08-09	बरसालीगंज	5000	300.00		41.250			41.250
18.	मुंगेर-II	2004-05 से 08-09	हवेली खडगपुर	5000	300.00		41.250			41.250
19.	शेखपुरा-I	2005-06 से 2009-10	अरिसारी	5000	300.00			41.250		41.250
20.	भागलपुर-I	2005-06 से 2009-10	पीरपैंती	5000	300.00			41.250		41.250
21.	भोजपुर-I	2005-06 to 2009-10	कोयलवार	5000	300.00			41.250		41.250
22.	नालंदा-III	2005-06 से 2009-10	गिरायक	5000	300.00			41.250		41.250

23. सीतामढ़ी-I	2005-06 से 2009-10	पुपरी	5000	300.00	41.250	41.250
24. बेगुसराय-I	2005-06 से 2009-10	बखरी	5000	300.00	41.250	41.250
25. किशनगंज-II	2005-06 से 2009-10	कोचाधमान	5000	300.00	41.250	41.250
26. गोपालगंज	2005-06 से 2009-10	बैकुंठपुर	5000	300.00	41.250	41.250
27. बक्सर-I	2005-06 से 2009-10	राजपुर	5000	300.00	41.250	41.250
28. बांका-II	2005-06 से 2009-10	कोठारिया	5000	300.00	41.250	41.250
29. औरंगाबाद-II	2005-06 से 2009-10	रफीगंज	5000	300.00	41.250	41.250
30. रोहतास-II	2005-06 से 2009-10	करगाहर	5000	300.00	41.250	41.250
31. नालंदा-IV	2005-06 से 2009-10	राजगीर	5000	300.00	41.250	41.250
32. पूर्णिया-II	2005-06 से 2009-10	अमौर	5000	300.00	41.250	41.250
33. अररिया-I	2005-06 से 2009-10	जोकीहट	5000	300.00	41.250	41.250
34. गया-IV	2005-06 से 2009-10	दुमैरिया	5000	300.00	41.250	41.250
35. मुजफ्फरपुर-I	2005-06 से 2009-10	मूसाहरी	5000	300.00	41.250	41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	औरंगाबाद-III	2005-06 से 2009-10	मदनपुर	5000	300.00			41.250		41.250
37.	रोहतास-III	2005-06 से 2009-10	रोहतास	5000	300.00			41.250		41.250
38.	कैमूर-II	2005-06 से 2009-10	दुर्गावती	5000	300.00			41.250		41.250
39.	पटना-I	2005-06 से 2009-10	मानेर	5000	300.00			41.250		41.250
40.	गया-V	2005-06 से 2009-10	कोंच	5000	300.00			41.250		41.250
41.	गया-VI	2006-07 से 2010-11	खिजारसराय	5000	300.00				41.25000	41.250
42.	गया-VII	2006-07 से 2010-11	दुमैरिया	5000	300.00				41.25000	41.250
43.	नवादा-III	2006-07 से 2010-11	मेसकौर	5000	300.00				41.25000	41.250
44.	जेहानाबाद-II	2006-07 से 2010-11	जेहानाबाद	5000	300.00				41.25000	41.250
45.	बांका-III	2006-07 से 2010-11	चंदन	5000	300.00				41.25000	41.250
46.	जमुई-I	2006-07 से 2010-11	गिधौर	5000	300.00				41.25000	41.250
47.	प. चंपारन-I	2006-07 से 2010-11	नौतम	5000	300.00				41.25000	41.250

48. पू. चंपारन-I	2006-07 से 2010-11	सुगौली	5000	300.00				41.25000	41.250
उप योग			**240000**	**14400.00**	**371.25**	**371.25**	**990.0000**	**330.0000**	**2062.50**
छत्तीसगढ़									
1. दुर्ग-III	2003-04 से 07-08	महासमुंद	5000	300.00	41.25	82.109		81.36907	204.728
2. रायपुर-V	2003-04 से 07-08	महेंद्रगढ़	5000	300.00	41.25	82.500	81.359		205.109
3. धामातरी	2003-04 से 07-08	नगरी	5000	300.00	41.25	82.025			123.275
4. कोरिया	2003-04 से 07-08	मरवाही	5000	300.00	41.25	82.500	82.346		206.096
5. बिलासपुर-II	2003-04 से 07-08	छुरा	5000	300.00	41.25	82.106		82.03757	205.394
6. महासमुंद-II	2003-04 से 07-08	पाटन	5000	300.00	41.25	82.481	82.125		205.856
7. रायगढ़-III	2003-04 से 07-08	लैलंगा	5000	300.00	41.25	82.500			123.750
8. जंगीर-चंपा-II	2003-04 से 07-08	शक्ति	5000	300.00	41.25	82.369		81.85000	205.469
9. कांकेर-I	2004-05 से 08-09	दुर्गकोंडा	5000	300.00		41.250			41.250
10. जसपुर-I	2004-05 से 08-09	दुलदुला	4400	264.00		36.300	72.600		108.900
11. धामातरी-II	2004-05 से 08-09	कुरुड	5044	302.64		41.610			41.610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	राजनंदगांव-III	2004-05 से 08-09	डांगरगांव	5000	300.00		41.250			41.250
13.	रायपुर-VI	2004-05 से 08-09	अरंग/भाटापारा	5000	300.00		41.250	82.149		123.399
14.	महासमुंद-III	2004-05 से 08-09	बागबहारा	5000	300.00		41.250		82.25938	123.509
15.	कोरिया-II	2004-05 से 08-09	भरतपुर	4132	247.92		34.090		68.17800	102.268
16.	बिलासपुर-III	2004-05 से 08-09	मस्तूरी	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
17.	कवारधा-II	2004-05 से 08-09	कवारधा	5000	300.00		41.250			41.250
18.	जंजगिर-चंपा-III	2005-06 से 2009-10	बालोदा	4866	291.96			40.140		40.140
19.	दुर्ग-IV	2005-06 से 2009-10	गुरूर	4672	280.32			38.540		38.540
20.	रायपुर-VII	2005-06 से 2009-10	अरंग	5000	300.00			41.250		41.250
21.	जंजगिर-चंपा-IV	2005-06 से 2009-10	अलैईतारा	5000	300.00			41.250		41.250
22.	महासमुंद-IV	2005-06 से 2009-10	पिथौरा	5000	300.00			41.250		41.250
23.	कवारधा-III	2005-06 से 2009-10	कवारधा	4799	287.94			39.590		39.590
24.	दुर्ग-V	2005-06 से 2009-10	साजा	4996	299.76			41.220		41.220

25. सरगुजा-I	2005-06 से 2009-10	वडराफनगर	5000	300.00	41.250	41.250
26. सरगुजा-II	2005-06 से 2009-10	बस्तर	5000	300.00	41.250	41.250
27. धामातरी-III	2005-06 से 2009-10	मागारियोड	5000	300.00	41.250	41.250
28. कोरिया-II	2005-06 से 2009-10	बलकुंठपुर	5000	300.00	41.250	41.250
29. रायगढ-IV	2005-06 से 2009-10	घरगुडा	4500	270.00	37.125	37.125
30. कांकेर-II	2005-06 से 2009-10	चरम	5000	300.00	41.250	41.250
31. जसपुर-II	2005-06 से 2009-10	कनहवेई	3200	192.00	26.400	26.400
32. सरगुजा-III	2005-06 से 2009-10	रामानुजनगर	2967	178.02	24.478	24.478
33. रायपुर-VIII	2005-06 से 2009-10	धारिया	4792	287.52	39.534	39.534
34. दुर्ग-VI	2005-06 से 2009-10	गुंदरदेही	5000	300.00	41.250	41.250
35. दुर्ग-VII	2005-06 से 2009-10	दुर्ग	5000	300.00	41.250	41.250
36. सरगुजा-IV	2005-06 से 2009-10	बतौली	4583.42	275.01	37.813	37.813
37. जंजगिर-चंपा-V	2005-06 से 2009-10	पर्नगढ	5000	300.00	41.250	41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	जसपुर-III	2005-06 से 2009-10	बागीचा	5200	312.00			42.900		42.900
39.	रायपुर-IX	2006-07 से 2010-11	तिल्दा	5000	300.00				41.25000	41.250
40.	दुर्ग-VIII	2006-07 से 2010-11	बेरला	4990	299.40				41.16800	41.168
41.	महासमुंद-V	2006-07 से 2010-11	सरायपेली	5010.1	300.61				41.33300	41.333
42.	जंजगिर-चंपा-VI	2006-07 से 2010-11	दाभारा	3236	194.16				26.69700	26.697
43.	रायपुर-X	2006-07 से 2010-11	बालोदा बाजार	4840	290.40				39.93000	39.930
44.	महासमुंद-VI	2006-07 से 2010-11	बसना	5430.98	325.86				44.80600	44.806
45.	दुर्ग-IX	2006-07 से 2010-11	धामधा	3620	217.20				29.86500	29.865
46.	जंजगिर-चंपा-VII	2006-07 से 2010-11	मल्खारोड	6000	360.00				49.50000	49.500
47.	रायगढ़-V	2006-07 से 2010-11	सरनगढ़	5049	302.94				41.65400	41.654
48.	जसपुर-IV	2006-07 से 2010-11	फारसबहार	2800	168.00				23.10000	23.100
49.	कोरिया-V	2006-07 से 2010-11	खड़गांव	5000	300.00				41.25000	41.250
50.	राजनंदगांव-IV	2006-07 से 2010-11	राजनंदगांव	5000	300.00				41.25000	41.250

51. सरगुजा-V	2006-07 से 2010-11	प्रेमनगर	5269	316.14				43.46900	43.469
52. बिलासपुर-IV	2006-07 से 2010-11	बिल्हा	5000	300.00				41.25000	41.250
53. कांकेर-III	2006-07 से 2010-11	नरहरपुर	5000	300.00				41.25000	41.250
54. धामतरी-IV	2006-07 से 2010-11	धामतरी	6354	381.24				52.42100	52.421
55. कवारधा-IV	2006-07 से 2010-11	कवारधा	5000	300.00				41.25000	41.250
56. रायपुर-XI	2006-07 से 2010-11	सिमगा	5000	300.00				41.25000	41.250
57. महासमुंद-VII	2006-07 से 2010-11	महासमुंद	5000	300.00				41.25000	41.250
58. बस्तर-I	2006-07 से 2010-11	बस्तानर	5000	300.00				41.25000	41.250
59. दुर्ग-X	2006-07 से 2010-11	बालोद	4476.8	268.61				36.93400	36.934
उप योग			**285227**	**17113.638**	**330.000**	**1018.090**	**1304.56828**	**1237.82102**	**3890.4794**
गोवा									
1. उत्तरी गोवा-I	2003-04 से 07-08	पेरनेम	5000	300.00	41.25				41.250
2. दक्षिणी गोवा	2003-04 से 07-08	कानाकोना	5000	300.00	41.25				41.250
3. उत्तरी गोवा-II	2005-06 से 2009-10	पेरनेम (मोरजिम गांव)	1580	94.80			13.040		13.040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	उत्तरी गोवा-III	2005-06 से 2009-10	बारदेज (सलीगाओ पिलेरने गांव)	1340	80.40			11.060		11.060
	उप योग			**12920**	**775.200**	**82.500**	**0.000**	**24.10000**		**106.600**
गुजरात										
1.	बनासकांठा-III	2003-04 से 07-08	उच्चल	5000	300.00	41.25				41.250
2.	मेहसाना-II	2003-04 से 07-08	कुटीयाना	5000	300.00	41.25			81.76000	123.010
3.	साबरकांठा-III	2003-04 से 07-08	सतियाराना	5000	300.00	41.25		80.500		121.750
4.	पोरबंदर	2003-04 से 07-08	चिखली	5000	300.00	41.25		81.500		122.750
5.	बडोदरा-II	2003-04 से 07-08	जेतपुरपवी	5000	300.00	41.25			80.97000	122.220
6.	नवसरी	2003-04 से 07-08	अमीरगढ	5000	300.00	41.25		82.110		123.360
7.	भावनगर-III	2003-04 से 07-08	खेड़ब्रम्हा	5000	300.00	41.25			80.19670	121.447
8.	गांधीनगर	2003-04 से 07-08	महवा	5000	300.00	41.25				41.250
9.	सूरत-II	2003-04 से 07-08	देहगाम	5000	300.00	41.25		80.400		121.650
10.	जामनगर-II	2003-04 से 06-07	कालावाड़	7500	450.00	24.38				24.380

11. जामनगर-III	2003-04 से 06-07	कालावाड़	5000	300.00	3.75				3.750
12. अहमदाबाद-II	2004-05 से 08-09	बावला	5000	300.00		41.250			41.250
13. अहमदाबाद-III	2004-05 से 08-09	धोल्क	5000	300.00		41.250		82.29000	123.540
14. मेहसाना-III	2004-05 से 08-09	बालुचराजी	5000	300.00		41.250			41.250
15. बनासकांठा-IV	2004-05 से 08-09	बडगांव	5000	300.00		41.250		82.14000	123.390
16. खेड़ा-IV	2004-05 से 08-09	वीरपुर	5000	300.00		41.250			41.250
17. साबरकांठा-IV	2004-05 से 08-09	विजयनगर	5000	300.00		41.250			41.250
18. भरूच-III	2004-05 से 08-09	हंसोट	5000	300.00		41.250		82.38000	123.630
19. पाटन-II	2004-05 से 08-09	सिद्धपुर	5000	300.00		41.250		82.38000	123.630
20. भावनगर-IV	2004-05 से 08-09	उमराला	5000	300.00		41.250			41.250
21. मेहसाना-IV	2005-06 से 2009-10	कड़ी	5000	300.00			41.250		41.250
22. आनंद-II	2005-06 से 2009-10	तारापुर	5000	300.00			41.250		41.250
23. गांधीनगर-II	2005-06 से 2009-10	मंसा	5000	300.00			41.250		41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	सूरत-III	2005-06 से 2009-10	मंगरोय	5000	300.00			41.250		41.250
25.	जूनागढ़-V	2005-06 से 2009-10	मंदर्दा	5000	300.00			41.250		41.250
26.	खेडा-V	2005-06 से 2009-10	कथियाल	5000	300.00			41.250		41.250
27.	सूरत-IV	2005-06 से 2009-10	उमरपाड़ा	5000	300.00			41.250		41.250
28.	मेहसाना-V	2005-06 से 2009-10	खिरालु	5000	300.00			41.250		41.250
29.	अहमदाबाद-IV	2005-06 से 2009-10	स्नंद	5000	300.00			41.250		41.250
30.	सूरत-V	2005-06 से 2009-10	निजर	5000	300.00			41.250		41.250
31.	सूरत-VI	2005-06 से 2009-10	व्यारा	5000	300.00			41.250		41.250
32.	बनासकांठा-V	2005-06 से 2009-10	दिसा	5000	300.00			41.250		41.250
33.	साबरकांठा-V	2005-06 से 2009-10	भिलोड़ा	5000	300.00			41.250		41.250
34.	साबरकांठा-VI	2005-06 से 2009-10	वादल	5000	300.00			41.250		41.250
35.	साबरकांठा-VII	2005-06 से 2009-10	इदर	5000	300.00			41.250		41.250
36.	भावनगर-V	2005-06 से 2009-10	बोटाड	5000	300.00			41.250		41.250

37. जूनागढ़-VI	2005-06 से 2009-10	केशोड़	5000	300.00	41.250		41.250
38. जूनागढ़-VII	2005-06 से 2009-10	मंगरोल	5000	300.00	41.250		41.250
39. गांधीनगर-III	2005-06 से 2009-10	गांधीनगर	5000	300.00	41.250		41.250
40. बड़ोदरा-III	2005-06 से 2009-10	शंखेड़ा	5000	300.00	41.250		41.250
41. मेहसाना-VI	2005-06 से 2009-10	वीजापुर	5000	300.00	41.250		41.250
42. बड़ोदरा-IV	2006-07 से 2010-11	जैतपुर	5000	300.00		41.25000	41.250
43. सूरत-VII	2006-07 से 2010-11	मांडवी	5000	300.00		41.25000	41.250
44. साबरकांठा-VIII	2006-07 से 2010-11	खेड़ब्रम्हां	5000	300.00		41.25000	41.250
45. नवसरी-II	2006-07 से 2010-11	चिखाली	5000	300.00		41.25000	41.250
46. भरूच-IV	2006-07 से 2010-11	जगादिया	5000	300.00		41.25000	41.250
47. वलसाड़-III	2006-07 से 2010-11	वलसाड़	5000	300.00		41.25000	41.250
48. भरुच-V	2006-07 से 2010-11	आमोद	5000	300.00		41.25000	41.250
49. साबरकांठा-IX	2006-07 से 2010-11	इदर	5000	300.00		41.25000	41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	आनंद-III	2006-07 से 2010-11	खम्भाट	5000	300.00				41.25000	41.250
51.	अहमदाबाद-V	2006-07 से 2010-11	धोल्का	5000	300.00				41.25000	41.250
52.	बनासकांठा-V	2006-07 से 2010-11	दीसा	5000	300.00				41.25000	41.250
53.	पाटन-III	2006-07 से 2010-11	पाटन	5000	300.00				41.25000	41.250
54.	अहमदाबाद-VI	2006-07 से 2010-11	बावला	5000	300.00				41.25000	41.250
55.	जूनागढ़-VIII	2006-07 से 2010-11	ऊना	5000	300.00				41.25000	41.250
56.	मेहसाना-V	2006-07 से 2010-11	वाडनगर	5000	300.00				41.25000	41.250
57.	भावनगर-VI	2006-07 से 2010-11	घोघा	5000	300.00				41.25000	41.250
	उप योग			**267500**	**17250.000**	**399.380**	**371.250**	**1190.76000**	**1232.11670**	**3193.507**
हिमाचल प्रदेश										
1.	सिरमौर-IV	2003-04 से 07-08	जुबल कोटखाई एवं रोहड़ू	6000	360.00	49.50		97.160		146.660
2.	मंडी-IV	2003-04 से 07-08	सुजानपुर	6000	360.00	49.50		96.670		146.170
3.	कुल्लू-I	2003-04 से 07-08	कांगड़ा	5000	300.00	41.25			80.17000	121.420

4. सोलन-IV	2003-04 से 07-08	नग्गर	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
5. कांगड़ा-V	2003-04 से 07-08	पाँटा एवं शिलैई	5000	300.00	41.25		80.800		122.050
6. हमीरपुर-V	2003-04 से 07-08	नालागढ़	5000	300.00	41.25		82.060	81.94000	205.250
7. शिमला-III	2003-04 से 07-08	धर्मपुर एवं गोपालपुर	6000	360.00	49.50				49.500
8. कांगड़ा-VI	2003-04 से 07-08	नूरपुर	5000	300.00	41.25		81.520		122.770
9. किन्नौर-III	2004-05 से 08-09	निचर एवं कल्पा	8000	480.00		66.000			66.000
10. शिमला-III	2004-05 से 08-09	चौहारा	7000	420.00		57.750			57.750
11. सोलन-V	2005-06 से 2009-10	सोलन	5000	300.00			41.250		41.250
12. मंडी-V	2005-06 से 2009-10	सुन्दरनगर	5000	300.00			41.250		41.250
13. मंडी-VI	2005-06 से 2009-10	गोहार	5583	334.98			46.060		46.060
14. शिमला-V	2005-06 से 2009-10	रामपुर	6000	360.00			49.500		49.500
15. शिमला-VI	2005-06 से 2009-10	जुब्बल/कोठारी	6000	360.00			49.500		49.500
16. शिमला-VII	2005-06 से 2009-10	रामपुर	6000	360.00			49.500		49.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	कांगड़ा-VII	2005-06 से 2009-10	रेल्त	5000	300.00			41.250		41.250
18.	कांगड़ा-VIII	2005-06 से 2009-10	इंदोरा	5000	300.00			41.250		41.250
19.	कांगड़ा-IX	2005-06 से 2009-10	नगरोटा सूरियां	5000	300.00			41.250		41.250
20.	कांगड़ा-X	2005-06 से 2009-10	भवारना	3064	183.84			25.280		25.280
21.	कांगड़ा-XI	2005-06 से 2009-10	सुलह	3015	180.90			24.870		24.870
22.	कांगड़ा-XII	2005-06 से 2009-10	पंचरुखी	2714	162.84			22.390		22.390
23.	कांगड़ा-XIII	2005-06 से 2009-10	बैजनाथ	2761	165.66			22.780		22.780
24.	चम्बा-VI	2005-06 से 2009-10	तिस्सा/चंबा	5000	300.00			41.250		41.250
25.	हमीरपुर-VI	2005-06 से 2009-10	हमीरपुर	4150	249.00			34.238		34.238
26.	कांगड़ा-XIV	2005-06 से 2009-10	सुलह-II	1565	93.90			12.911		12.911
27.	कांगड़ा-XV	2005-06 से 2009-10	लम्बागांव	4294	257.64			35.426		35.426
28.	कांगड़ा-XVI	2005-06 से 2009-10	नूरपुर	2990	179.40			24.668		24.668
29.	कांगड़ा-XVII	2005-06 से 2009-10	नूरपुर	5320	319.20			43.890		43.890

30. कांगड़ा-XVIII	2005-06 से 2009-10	नूरपुर	4336	260.16			35.772		35.772
31. मंडी-VII	2005-06 से 2009-10	सेराज	5800	348.00			47.850		47.850
32. कुल्लु-IV	2006-07 से 2010-11	निरमांद	5000	300.00				41.25000	41.250
33. कुल्लु-V	2006-07 से 2010-11	अनी	5083	304.98				41.93500	41.935
34. सिरमौर-V	2006-07 से 2010-11	पचाइ	5000	300.00				41.25000	41.250
35. सिरमौर-VI	2006-07 से 2010-11	पौंटा	5000	300.00				41.25000	41.250
36. हमीरपुर-VII	2006-07 से 2010-11	भोरंज	5000	300.00				41.25000	41.250
37. हमीरपुर-VIII	2006-07 से 2010-11	नदोड	4500	270.00				37.12500	37.125
38. शिमला-VIII	2006-07 से 2010-11	नारकांडा	5000	300.00				41.25000	41.250
39. शिमला-IX	2006-07 से 2010-11	डोडरा कयार	4500	270.00				37.12500	37.125
उप जोड़			**1906.75**	**11440.500**	**354.750**	**123.750**	**1292.84375**	**484.54500**	**2255.889**
हरियाणा									
1. कैथल	2003-04 से 07-08	राजौंद एवं कैथल	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
2. सोनीपत	2003-04 से 07-08	गन्नौर एवं मुडलाना	5000	300.00	41.25				41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	जींद	2003-04 से 06-07	जींद एवं निरवाना	5000	300.00	41.25				41.250
4.	यमुनानगर-II	2003-04 से 06-07	बिलासपुर एवं छछरोली	5000	300.00	41.25	82.500			123.750
5.	रोहतक-I	2004-05 से 08-09	सांपला	4000	240.00		33.000			33.000
6.	रोहतक-II	2004-05 से 08-09	मेहम	4000	240.00		33.000			33.000
7.	करनाल-II	2004-05 से 08-09	असांधा	3500	210.00		28.880			28.880
8.	करनाल-III	2004-05 से 08-09	घरौंदा	3500	210.00		28.880			28.880
9.	रोहतक-III	2005-06 से 2009-10	रोहतक	4000	240.00			33.000		33.000
10.	कैथल-II	2005-06 से 2009-10	कलायत	4000	240.00			33.000		33.000
11.	जींद-II	2005-06 से 2009-10	उचाना	3000	180.00			24.750		24.750
12.	यमुनानगर-III	2005-06 से 2009-10	सधौरा	3000	180.00			24.750		24.750
13.	रोहतक-IV	2005-06 से 2009-10	कालानौर	3000	180.00			24.750		24.750
14.	अम्बाला-II	2005-06 से 2009-10	अम्बाला और नारायणगढ	5000	300.00			41.250		41.250
15.	रोहतक-V	2005-06 से 2009-10	लखनमाजरा	4000	240.00			33.000		33.000

16. यमुनानगर-IV	2006-07 से 2010-11	छछरोली	4000	240.00				33.00000	33.000
17. जींद-III	2006-07 से 2010-11	उचाना	4500	270.00				37.12500	37.125
18. मेवात-I	2006-07 से 2010-11	नूह	4500	270.00				37.12500	37.125
19. अम्बाला-III	2006-07 से 2010-11	अम्बाला	3500	210.00				28.87500	28.875
उप योग			**77500**	**4650.000**	**165.000**	**206.260**	**297.00000**	**136.12500**	**804.385**
जम्मू और कश्मीर									
1. अनंतनाग	2003-04 से 06-07	ब्रेंग एवं अचाबल	5000	300.00	41.25				41.250
2. पुंछ-I	2004-05 से 08-09	पुंछ (नागली श्रीगम)	5000	300.00		41.250			41.250
3. राजौरी-II	2004-05 से 08-09	बुधाल	4000	240.00		33.000			33.000
4. कुपवाड़ा-I	2004-05 से 08-09	वावूरा	3000	180.00		24.750			24.750
5. अनंतनाग-II	2004-05 से 08-09	काजीगुंड	7000	420.00		57.750			57.750
6. बारामूला-I	2005-06 से 2009-10	किचामा	5000	300.00			41.250		41.250
7. बारामूला-II	2005-06 से 2009-10	तंगमार्ग	5000	300.00			41.250		41.250
8. फुलवामा-I	2005-06 से 2009-10	केलार	5000	300.00			41.250		41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	फूलवामा-II	2005-06 से 2009-10	शोपियन	5000	300.00			41.250		41.250
10.	श्रीनगर-I	2005-06 से 2009-10	श्रीनगर	5200	312.00			42.900		42.900
11.	बडगाम-I	2005-06 से 2009-10	बडगाम	4050	243.00			33.410		33.410
12.	अनंतनाग-III	2005-06 से 2009-10	अचाबल	5000	300.00			41.250		41.250
13.	अनंतनाग-IV	2005-06 से 2009-10	शांगस	5000	300.00			41.250		41.250
14.	अनंतनाग-V	2005-06 से 2009-10	पहलगांव खोवरीपोरा	5000	300.00			41.250		41.250
15.	उधमपुर-IV	2005-06 से 2009-10	बसंतगढ	5000	300.00			41.250		41.250
16.	डोडा-I	2005-06 से 2009-10	भादेरवा (नीरू) प्रथम चरण	11285	677.10			93.101		93.101
17.	डोडा-II	2005-06 से 2009-10	भालेसा प्रथम चरण	11176	670.56			92.202		92.202
18.	कथुआ-I	2005-06 से 2009-10	मचार	5000	300.00			41.250		41.250
19.	जम्मू-I	2005-06 से 2009-10	खौर	5000	300.00			41.250		41.250
20.	अनंतनाग-VI	2005-06 से 2009-10	दुरु शाहबाद	5000	300.00			41.250		41.250
21.	बडगाम-II	2005-06 से 2009-10	खानसाहिब	5000	300.00			41.250		41.250

22. कथुआ-IV	2006-07 से 2010-11	कथुआ	5000	300.00				41.25000	41.250
23. कथुआ-V	2006-07 से 2010-11	बनी	5000	300.00				41.25000	41.250
24. राजौरी-III	2006-07 से 2010-11	दरहल	5000	300.00				41.25000	41.250
25. पुंछ-II	2006-07 से 2010-11	पुंछ	5000	300.00				41.25000	41.250
26. कुपवाड़ा-II	2006-07 से 2010-11	कुपवाड़ा	5000	300.00				41.25000	41.250
27. बारामूला-III	2006-07 से 2010-11	ऊरी	5000	300.00				41.25000	41.250
28. बारामूला-IV	2006-07 से 2010-11	गुरेज	5000	300.00				41.25000	41.250
29. बडगाम-III	2006-07 से 2010-11	बीरवाह	5000	300.00				41.25000	41.250
30. कुपवाड़ा-III	2006-07 से 2010-11	लंगाते	5000	300.00				41.25000	41.250
उप योग			**160711**	**9642.660**	**41.250**	**156.750**	**756.61325**	**371.25000**	**1325.863**
झारखंड									
1. लोहारदादा	2003-04 से 07-08	कुचैई एवं खरसावां	6000	360.00	49.50				49.500
2. गिरिध-II	2003-04 से 07-08	नार्मदी एवं झिकपानी	5000	300.00	41.25				41.250
3. प. सिंघभूम-II	2003-04 से 07-08	मान्द्रा और लोहारदगा	6000	360.00	49.50				49.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	सरायकेला खरसावां	2003-04 से 07-08	बेंगाबाद	6000	360.00	49.50				49.500
5.	गुमला	2003-04 से 06-07	सिसैई	5000	300.00	41.25				41.250
6.	सिमदेगा	2003-04 से 06-07	सिमदेगा	5000	300.00	41.25				41.250
7.	रांची-II	2004-05 से 08-09	खूंटी, मंदर	5000	300.00		41.250			41.250
8.	गिरिध-III	2004-05 से 08-09	बागोदर	5000	300.00		41.250			41.250
9.	गुमला-II	2004-05 से 08-09	सिसैई	5000	300.00		41.250			41.250
10.	प. सिंघभूम-III	2004-05 से 08-09	टोंटो	5000	300.00		41.250			41.250
11.	हजारीबाग-I	2005-06 से 2009-10	बरही	5000	300.00			41.250		41.250
12.	बोकारो-I	2005-06 से 2009-10	पेताड़वाड़	5000	300.00			41.250		41.250
13.	सरायकेला खरसावां-II	2005-06 से 2009-10	राजनगर	5000	300.00			41.250		41.250
14.	गोदा-I	2005-06 से 2009-10	ठाकुर गंगाली	5000	300.00			41.250		41.250
15.	चतरा-I	2005-06 से 2009-10	प्रतापपुर	5000	300.00			41.250		41.250

16. सिमदेगा-II	2005-06 से 2009-10	थाथैतानगर	5000	300.00			41.250		41.250
उप योग			83000	4980.00	272.25	165.00	247.50000		684.75
कर्नाटक									
1. दावानगेरे-II	2003-04 से 07-08	होनाली	5000	300.00	41.25		82.139		123.389
2. कोपाल	2003-04 से 07-08	गंगावती	5000	300.00	41.25	82.269		82.44053	205.960
3. चामराजनगर	2003-04 से 07-08	हानूर	5000	300.00	41.25	82.460			123.710
4. गुलबर्ग-III	2003-04 से 07-08	हीरयियुर	5000	300.00	41.25		81.898	81.29100	204.439
5. बेलगांव-III	2003-04 से 07-08	के.आर. नगर	5000	300.00	41.25	82.474	81.420		205.144
6. चित्रदुर्ग-III	2003-04 से 07-08	खानापुर	5000	300.00	41.25	82.430			123.680
7. मांड्या-IV	2003-04 से 07-08	चंचोली	5000	300.00	41.25			81.58439	122.834
8. रायचूर-III	2003-04 से 07-08	मालावल्ली	5000	300.00	41.25	82.500			123.750
9. मैसूर-II	2003-04 से 07-08	मानवी	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
10. रायचूर-IV	2004-05 से 08-09	सिंधनुर	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
11. हवेरी-II	2004-05 से 08-09	हंगल	5000	300.00		41.250		82.50000	123.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	शिमोगा-II	2004-05 से 08-09	सोराबा	5000	300.00		41.250	82.380		123.630
13.	चामराजनगर-II	2004-05 से 08-09	सी.आर. नगर	5000	300.00		41.250		82.50000	123.750
14.	देवानगेरे-III	2004-05 से 08-09	देवानगेरे	5000	300.00		41.250			41.250
15.	रायचूर-V	2004-05 से 08-09	मानवी	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
16.	हसन-II	2004-05 से 08-09	अराकलगुड	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
17.	उत्तर कन्नड	2004-05 से 08-09	भाटकल (शिराली)	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
18.	चिकमगलूर-I	2004-05 से 08-09	एन.आर. पुरा तुंगानाला डब्ल्यू/एस	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
19.	मैसूर-III	2004-05 से 08-09	टी. नरासीपुर	5000	300.00		41.250		82.50000	123.750
20.	चामराजनगर-IV	2005-06 से 2009-10	चामराजनगर	5000	300.00			41.250		41.250
21.	दक्षिण कन्नड-I	2005-06 से 2009-10	मैंगालोर	5000	300.00			41.250		41.250
22.	बेल्लारी-III	2005-06 से 2009-10	होस्पेट	5000	300.00			41.250		41.250
23.	बेल्लारी-IV	2005-06 से 2009-10	बेल्लारी	5000	300.00			41.250		41.250
24.	कोडागु-I	2005-06 से 2009-10	सोमवारपेट	5000	300.00			41.250		41.250

25. हसन-III	2005-06 से 2009-10	होलीनरसीपुर	5000	300.00	41.250	41.250
26. हसन-IV	2005-06 से 2009-10	होलीनरसीपुर	5000	300.00	41.250	41.250
27. हवेरी-III	2005-06 से 2009-10	हंगल	5000	300.00	41.250	41.250
28. उत्तर कन्नड़-II	2005-06 से 2009-10	मुंडागोड	5000	300.00	41.250	41.250
29. उत्तर कन्नड़-III	2005-06 से 2009-10	हलीयाल	5000	300.00	41.250	41.250
30. बेलगाम-IV	2005-06 से 2009-10	चिक्कोडी	5000	300.00	41.250	41.250
31. रायचूर-VI	2005-06 से 2009-10	सिंधनुर	5000	300.00	41.250	41.250
32. मैसूर-IV	2005-06 से 2009-10	नंजनगुड	5000	300.00	41.250	41.250
33. गुलबर्ग-III	2005-06 से 2009-10	चिंचोली	5000	300.00	41.250	41.250
34. कोलार-IV	2005-06 से 2009-10	चिकबल्लापुर	5000	300.00	41.250	41.250
35. माड्या-V	2005-06 से 2009-10	मालावल्ली	5000	300.00	41.250	41.250
36. देवानगेरे-IV	2005-06 से 2009-10	च्नागिरी	5000	300.00	41.250	41.250
37. शिमोगा-III	2005-06 से 2009-10	शिमोगा (कांचीहल्ला)	5030	301.80	41.498	41.498

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38. रायचूर-VII	2005-06 से 2009-10	मानवी	8050	483.00			66.413		66.413
39. मैसूर-V	2005-06 से 2009-10	एच.डी. खोटे	5000	300.00			41.250		41.250
40. हसन-V	2005-06 से 2009-10	अराकलगोड़	5700	342.00			47.025		47.025
41. दुमकुर-IV	2005-06 से 2009-10	पावागढ़	5000	300.00			41.250		41.250
42. बिदार-II	2006-07 से 2010-11	बिदार	5000	300.00				41.25000	41.250
43. बिदार-III	2006-07 से 2010-11	बिदार	5000	300.00				41.25000	41.250
44. उडुप्पी-I	2006-07 से 2010-11	करकाला	2360	141.60				19.47000	19.470
45. दक्षिण कन्नड़-II	2006-07 से 2010-11	बंतवाला	5000	300.00				41.25000	41.250
46. चामराजनगर-IV	2006-07 से 2010-11	कोलेगल	6509	390.54				53.69900	53.699
47. चामराजनगर-V	2006-07 से 2010-11	कोलेगल	5175	310.50				42.69400	42.694
48. शिमोगा-IV	2006-07 से 2010-11	शिमोगा	5020	301.20				41.41500	41.415
49. उत्तर कन्नड़-IV	2006-07 से 2010-11	अंकोला	6327	379.62				52.19800	52.198
50. उत्तर कन्नड़-V	2006-07 से 2010-11	सिद्धपुर	6575	394.50				54.24400	54.244

51. दावानगेरे-V	2006-07 से 2010-11	दावानगेरे	5004.09	300.25				41.28400	41.284
52. दावानगेरे-VI	2006-07 से 2010-11	होनाली	5016.8	301.01				41.38900	41.389
53. हासन-VI	2006-07 से 2010-11	होलीनरसीपुर	5703	342.18				47.05000	47.050
54. कोप्पाल	2006-07 से 2010-11	गंगावती	6122	367.32				50.50700	50.507
55. बेल्लारी-V	2006-07 से 2010-11	होस्पेट	5000	300.00				41.25000	41.250
56. बेल्लारी-VI	2006-07 से 2010-11	बेल्लारी	5000	300.00				41.25000	41.250
57. बेलगाम-V	2006-07 से 2010-11	चिकोडी	5890	353.40				48.59300	48.593
58. बेलगाम-VI	2006-07 से 2010-11	खानपोर	5105	306.30				42.11600	42.116
59. हवेरी-IV	2006-07 से 2010-11	हानागल	5008	300.48				41.31600	41.316
60. कोलार-V	2006-07 से 2010-11	गावडीविदनूर	6455	387.30				53.25400	53.254
61. कोलार-VI	2006-07 से 2010-11	चिकबाल्लापुर	5384.57	323.07				44.42300	44.423
62. कोलार-VII	2006-07 से 2010-11	कोराटागेरे	5020	301.20				41.41500	41.415
63. कोलार-VIII	2006-07 से 2010-11	हीरियुर	5040	302.40				41.58000	41.580
उप-योग			**325494**	**19529.67**	**371.250**	**824.633**	**1761.52250**	**1455.71292**	**4413.118**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केरल										
1.	माल्लापुरम	2003-04 से 07-08	इरनाड	5000	300.00	41.25				41.250
2.	इडुक्की	2003-04 से 07-08	देवीकुलाम	5000	300.00	41.25				41.250
3.	पालाकाड-III	2003-04 से 07-08	ओटापालम	5000	300.00	41.25				41.250
4.	पालाकाड-IV	2005-06 से 2009-10	मालमपुज्जा	2458	147.48			20.280		20.280
5.	थिरूवनंतपुरम-I	2005-06 से 2009-10	पेरुमकाडाविला	5000	300.00			41.250		41.250
6.	थिरूवनंतपुरम-II	2005-06 से 2009-10	पेरुमकाडाविला	5000	300.00			41.250		41.250
7.	कोट्‌टयम-I	2005-06 से 2009-10	मेडाप्पली	5000	300.00			41.250		41.250
8.	कोट्‌टयम-II	2005-06 से 2009-10	ललम	5000	300.00			41.250		41.250
9.	अलाप्पूजा-I	2005-06 से 2009-10	वेल्लयांड	1990	119.40			16.420		16.420
10.	इडुक्की-III	2005-06 से 2009-10	इलामडेसम	5000	300.00			41.250		41.250
11.	पठानमथिट्टा-I	2005-06 से 2009-10	पाराकोड	2099	125.94			17.320		17.320
12.	कोल्लम-I	2005-06 से 2009-10	अंचल	3047	182.82			25.140		25.140

13. थ्रिसुर-II	2005-06 से 2009-10	ओल्लूक्करा	5000	300.00		41.250		41.250
14. पठानमथिट्टा-II	2005-06 से 2009-10	कोइपुरम	1786	107.16		14.730		14.730
15. माल्लापुरम-III	2005-06 से 2009-10	तरूवनागड्डी	5000	300.00		41.250		41.250
16. कोट्टयम-III	2005-06 से 2009-10	मडापल्ली (पश्चिम)	10815	648.90		89.224		89.224
17. कोजिकोडे-I	2005-06 से 2009-10	चेलान्नूर	2869	172.14		23.669		23.669
18. पठानमथिट्टा-III	2005-06 से 2009-10	पांडलम	3714	222.84		30.641		30.641
19. अलाप्पूजा-II	2005-06 से 2009-10	आर्याड	2920	175.20		24.090		24.090
20. कोल्लम-II	2005-06 से 2009-10	कोट्टराक्करा	2218	133.08		18.299		18.299
21. थ्रिसुर-III	2005-06 से 2009-10	पजयान्नुर	6430	385.80		53.048		53.048
22. अलाप्पूजा-III	2006-07 से 2010-11	पट्टनाक्कड	3706.5	222.39			30.57900	30.579
23. अलाप्पूजा-IV	2006-07 से 2010-11	अम्बालापूजा	5685	341.10			46.90100	46.901
24. कोल्लम-III	2006-07 से 2010-11	चाडयामंगलम	7899	473.94			65.16700	65.167
25. कसारगोड-II	2006-07 से 2010-11	नीलेश्वरम	5900	354.00			48.67500	48.675

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. कसारगोड-III	2006-07 से 2010-11	मंजेश्वरम	5900	354.00				48.67500	48.675
उप योग			**119437**	**7166.190**	**123.750**	**0.000**	**621.60950**	**239.99700**	**985.357**
महाराष्ट्र									
1. अमरावती-II	2003-04 से 07-08	भोकर्दन	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
2. जलगांव-II	2003-04 से 07-08	मोटाला	5000	300.00	41.25		81.020		122.270
3. चन्द्रपुर	2003-04 से 07-08	नावापुर	5000	300.00	41.25			81.29000	122.540
4. जलान	2003-04 से 07-08	ईरैनडोल	5000	300.00	41.25				41.250
5. बुल्धाना	2003-04 से 07-08	मूल	5000	300.00	41.25		80.760		122.010
6. नन्दूरबार	2003-04 से 07-08	चिखालदारा	5000	300.00	41.25				41.250
7. ओसमानाबाद	2003-04 से 07-08	ओसमानाबाद	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
8. भंद्रा	2003-04 से 07-08	तुमसर	5000	300.00	41.25				41.250
9. गोंदिया	2003-04 से 07-08	मोरगांव अर्जुनी	5000	300.00	41.25		81.550		122.800
10. सोलापुर-I	2004-05 से 08-09	मल्शिव	5000	300.00		41.250			41.250

11. कोल्हापुर-II	2004-05 से 08-09	शौवादी	5000	300.00	41.250		41.250
12. थाने-II	2004-05 से 08-09	वर्दा	5000	300.00	41.250		41.250
13. रायगढ़-II	2004-05 से 08-09	कैरियत	5000	300.00	41.250		41.250
14. अहमदनगर-II	2004-05 से 08-09	राहूरी	5000	300.00	41.250		41.250
15. गढ़चिरौली-I	2004-05 से 08-09	खार्खेडा	5000	300.00	41.250		41.250
16. नागपुर-II	2004-05 से 08-09	रामटेक	5000	300.00	41.250		41.250
17. नांदेड-I	2004-05 से 08-09	खंडूर	5000	300.00	41.250		41.250
18. सतारा-II	2004-05 से 08-09	यइ	5000	300.00	41.250		41.250
19. औरंगाबाद-II	2004-05 से 08-09	सोयागांव	5000	300.00	41.250		41.250
20. रत्नागिरी-II	2005-06 से 2009-10	चिपलुन	5000	300.00		41.250	41.250
21. ओसमानाबाद-II	2005-06 से 2009-10	तुलजापुर	5000	300.00		41.250	41.250
22. नागपुर-III	2005-06 से 2009-10	हिंगाना	5000	300.00		41.250	41.250
23. वर्धा-II	2005-06 से 2009-10	कारंजा	5000	300.00		41.250	41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	थाणे-III	2005-06 से 2009-10	मर्बाद	5000	300.00			41.250		41.250
25.	पुणे-II	2005-06 से 2009-10	येल्हां	5000	300.00			41.250		41.250
26.	जालना-II	2005-06 से 2009-10	बदनपुर	5000	300.00			41.250		41 250
27.	जालना-III	2005-06 से 2009-10	जालना	5000	300.00			41.250		41.250
28.	लातूर-II	2005-06 से 2009-10	चकुर	5000	300.00			41.250		41.250
29.	जलगांव-III	2005-06 से 2009-10	भूसावल	5000	300.00			41.250		41.250
30.	चंद्रपुर-II	2005-06 से 2009-10	सिंदेवाही	5000	300.00			41.250		41.250
31.	हिंगोली-II	2005-06 से 2009-10	औंधा	5000	300.00			41.250		41.250
32.	भंडारा-II	2005-06 से 2009-10	तिरोधा	5000	300.00			41.250		41.250
33.	नांदेड-II	2005-06 से 2009-10	हडगांव	5000	300.00			41.250		41.250
34.	थाणे-III	2006-07 से 2010-11	भिवांडी	5021	301.26				41.42300	41.423
35.	थाणे-V	2006-07 से 2010-11	वर्दा	5255	315.30				43.35400	43.354
36.	औरंगाबाद-III	2006-07 से 2010-11	सिल्लोड	5000	300.00				41.25000	41.250

37. बीड-II	2006-07 से 2010-11	परली	5392	323.52	44.48400	44.484
38. बीड-III	2006-07 से 2010-11	अम्बेजोगई	3104	186.24	25.60800	25.608
39. जालना-IV	2006-07 से 2010-11	बदनापुर	5153	309.18	42.51200	42.512
40. लातुर-III	2006-07 से 2010-11	लातुर	5147	308.82	42.46300	42.463
41. नांदेड-III	2006-07 से 2010-11	कंधार	6239	374.34	51.47200	51.472
42. ओसमानाबाद-III	2006-07 से 2010-11	तुलजापुर	5165	309.90	42.61100	42.611
43. सोलापुर-II	2006-07 से 2010-11	मल्शिरस	5060	303.60	41.74500	41.745
44. सतारा-III	2006-07 से 2010-11	सतारा	5000	300.00	41.25000	41.250
45. कोल्हापुर-III	2006-07 से 2010-11	गगनवर्दा	5000	300.00	41.25000	41.250
46. कोल्हापुर-IV	2006-07 से 2010-11	पन्हाला	4400	264.00	36.30000	36.300
47. नागपुर-V	2006-07 से 2010-11	नारखेद	8945	536.70	73.79600	73.796
48. भंडारा-III	2006-07 से 2010-11	तुमसर	4951	297.06	40.84600	40.846
49. थाणे-VI	2006-07 से 2010-11	शाहापुर	5313	318.78	43.83200	43.832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	नंदुरबार-II	2006-07 से 2010-11	नावापुर-II	5000	300.00				41.25000	41.250
51.	वर्धा-III	2006-07 से 2010-11	अर्वी	7263	435.78				59.92000	59.920
52.	चन्द्रपुर-III	2006-07 से 2010-11	जिवाती (रजुरा)	5664	339.84				46.72800	46.728
53.	सिंधुदुर्ग-IV	2006-07 से 2010-11	देवगढ	5000	300.00				41.25000	41.250
54.	सिंधुदुर्ग-V	2006-07 से 2010-11	कंकावली-III	5000	300.00				41.25000	41.250
55.	सिंधुदुर्ग-VI	2006-07 से 2010-11	मालवन	5000	300.00				41.25000	41.250
	उप योग			**282072**	**16924.320**	**371.250**	**412.500**	**985.8300**	**1047.1340**	**2816.7140**
मध्य प्रदेश										
1.	गुन-IV	2003-04 से 07-08	जिरापुर	5000	300.00	41.25	81.877	82.373		205.499
2.	सागर-II	2003-04 से 07-08	खचरोड	5000	300.00	41.25		82.256		123.506
3.	टीकमगढ-III	2003-04 से 07-08	सियोनी	5000	300.00	41.25	81.890	81.884		205.024
4.	खरगोन	2003-04 से 07-08	बांदा	5000	300.00	41.25		82.192		123.442
5.	बालाघाट	2003-04 से 07-08	दतीया	5000	300.00	41.25	81.997			123.247

6. सतना-II	2003-04 से 07-08	टिकमगढ़	5000	300.00	41.25		164.670		205.920
7. मोरैना	2003-04 से 07-08	अम्बा, पोरसा	5000	300.00	41.25		82.012	81.47068	204.733
8. नीमच-III	2003-04 से 07-08	जाबद	5000	300.00	41.25	81.499			122.749
9. दतीया-III	2003-04 से 07-08	मजहागबान	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
10. राजगढ़-II	2003-04 से 07-08	लैलबर्रा	5000	300.00	41.25		81.855	82.20671	205.311
11. उज्जैन-II	2003-04 से 07-08	कसाराबाद और माहेश्वर	5000	300.00	41.25	81.882		82.27323	205.405
12. सियोनी-II	2003-04 से 07-08	बामोरी	5000	300.00	41.25		82.019		123.269
13. रायसेन-II	2003-04 से 07-08	ओबैदुल्लागंज	12000	720.00	99.00	196.243			295.243
14. भोपाल (ग्रामीण)	2003-04 से 07-08	फांडा, बैरासिया	5000	300.00	41.25	81.961	81.770		204.982
15. शिवपुरी-V	2003-04 से 07-08	पछोरे	5000	300.00	41.25		82.500	82.40000	206.150
16. मांडला-III	2003-04 से 07-08	निवास नारायणगंज	5000	300.00	41.25	82.500	81.936		205.686
17. टीकमगढ़-IV	2004-05 से 08-09	जतारा	5000	300.00		41.250	82.271		123.521
18. ग्वालियर-III	2004-05 से 08-09	घाटीगांव और मोरार	5000	300.00		41.250	82.380		123.630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	छत्तरपुर-II	2004-05 से 08-09	बड़ा मलहेरे	5000	300.00		41.250	82.008		123.258
20.	नरसिंहपुर-II	2004-05 से 08-09	नरसिंहपुर	4000	240.00		33.000	65.711		98.711
21.	शेयोपुर-II	2004-05 से 08-09	कर्हल	5000	300.00		41.250			41.250
22.	मोरैना-II	2004-05 से 08-09	पोरसा और मोरैना	4000	240.00		33.000		65.66220	98.662
23.	विदिशा-II	2004-05 से 08-09	सिरोज	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
24.	सागर-II	2004-05 से 08-09	रहली	4000	240.00		33.000			33.000
25.	जबलपुर-I	2004-05 से 08-09	शाहपुर	5000	300.00		41.250	82.286		123.536
26.	भोपाल-II	2004-05 से 08-09	फांडा	4000	240.00		33.000	65.726		98.726
27.	इंदौर-I	2004-05 से 08-09	महोह	4000	240.00		33.000	62.568		95.568
28.	भींड-II	2004-05 से 08-09	भींड और गोहद	4000	240.00		33.000	65.808		98.808
29.	बालाघाट-II	2004-05 से 08-09	बिरसा	3000	180.00		24.750	48.713		73.463
30.	सेहोर-II	2004-05 से 08-09	बुद्धनी और नसरूलागंज	3000	180.00		24.750	49.500		74.250
31.	शाजापुर-II	2005-06 से 2009-10	नालखेड़ा	5000	300.00			41.250		41.250

32. गुणा-V	2005-06 से 2009-10	राघागढ़ और बमोरी	5000	300.00	41.250	41.250
33. रतलाम-II	2005-06 से 2009-10	रतलाम	4742	284.52	39.120	39.120
34. दतीया-IV	2005-06 से 2009-10	दतीया और सेवघा	5000	300.00	41.250	41.250
35. मंदसौर-II	2005-06 से 2009-10	सीमामी	5000	300.00	41.250	41.250
36. दामोह-II	2005-06 से 2009-10	जाबेरा	5000	300.00	41.250	41.250
37. सतना-III	2005-06 से 2009-10	मैहर	5000	300.00	41.250	41.250
38. पन्ना-II	2005-06 से 2009-10	पन्ना	5000	300.00	41.250	41.250
39. छिंदवारा-III	2005-06 से 2009-10	पन्नघुरना	5000	300.00	41.250	41.250
40. देवास-I	2005-06 से 2009-10	बागली	5000	300.00	41.250	41.250
41. सेहोर-III	2005-06 से 2009-10	सेहोर	5000	300.00	41.250	41.250
42. मोरैना-III	2005-06 से 2009-10	मोरैना और जावरा	5000	300.00	41.250	41.250
43. ग्वालियर-IV	2005-06 से 2009-10	भीटरवार	5000	300.00	41.250	41.250
44. उज्जैन-III	2005-06 से 2009-10	घाटिया और महिदपुर	5000	300.00	41.250	41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	विदिशा-III	2005-06 से 2009-10	कुर्वइ और लातेरी	5000	300.00			41.250		41.250
46.	धार-III	2005-06 से 2009-10	सरदारपुर	5000	300.00			41.250		41.250
47.	झाबुआ-IV	2005-06 से 2009-10	पेटलावाद	4125	247.50			34.031		34.031
48.	शिवपुरी-VI	2005-06 से 2009-10	पिछोर	5000	300.00			41.250		41.250
49.	खंडवा	2005-06 से 2009-10	पुनासा	5000	300.00			41.250		41.250
50.	सेहोर-IV	2005-06 से 2009-10	बुद्धनी और नसरूलागंज	5000	300.00			41.250		41.250
51.	अशोकनगर-I	2005-06 से 2009-10	चंदेरी	5198	311.88			42.884		42.884
52.	छत्तरपुर-III	2005-06 से 2009-10	बिजावर	4500	270.00			37.125		37.125
53.	जबलपुर-II	2005-06 से 2009-10	जबलपुर	6000	360.00			49.500		49.500
54.	बुरहानपुर-I	2005-06 से 2009-10	बरहानपुर	5000	300.00			41.250		41.250
55.	होशंगाबाद-I	2005-06 से 2009-10	केसला	5408	324.48			44.616		44.616
56.	अनूपपुर-I	2005-06 से 2009-10	जैथारी	5000	300.00			41.250		41.250
57.	राजगढ़-III	2005-06 से 2009-10	जीरापुर	4000	240.00			33.000		33.000

58. उज्जैन-IV	2005-06 से 2009-10	उज्जैन	5900	354.00	48.675		48.675
59. नीमच-IV	2005-06 से 2009-10	नीमच	5187	311.22	42.793		42.793
60. भींड-III	2006-07 से 2010-11	भींड	7412	444.72		61.14900	61.149
61. भोपाल-III	2006-07 से 2010-11	फांडा	5000	300.00		41.25000	41.250
62. रायसेन-III	2006-07 से 2010-11	सिलवानी	6496	389.76		53.59200	53.592
63. राजगढ़-IV	2006-07 से 2010-11	बायोरा	8668	520.08		71.51100	71.511
64. मंदसौर-III	2006-07 से 2010-11	सीतामउ और मल्लहारगढ़	5273	316.38		43.50200	43.502
65. ग्वालियर-V	2006-07 से 2010-11	भीतरवाड़	5000	300.00		41.25000	41.250
66. दामोह-III	2006-07 से 2010-11	टेंडुखेड़ा	5000	300.00		41.25000	41.250
67. मोरैना-IV	2006-07 से 2010-11	पोरसा	5000	300.00		41.25000	41.250
68. पन्ना-III	2006-07 से 2010-11	पन्ना	5000	300.00		41.25000	41.250
69. विदिशा-IV	2006-07 से 2010-11	नातेरन और ग्यारसपुर	10000	600.00		82.50000	82.500
70. देवास-II	2006-07 से 2010-11	बागली	5825	349.50		48.05600	48.056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	नीमच-V	2006-07 से 2010-11	मनसा	4830	289.80				39.84800	39.848
72.	उज्जैन-V	2006-07 से 2010-11	तराना और बदनागर	11215	672.90				92.52400	92.524
73.	टीकमगढ़-V	2006-07 से 2010-11	बलदेवगढ़	5000	300.00				41.25000	41.250
74.	सिवोनी-III	2006-07 से 2010-11	सियोनी	5825	349.50				48.05600	48.056
75.	शहडोल-III	2006-07 से 2010-11	बुद्धार और गोपारू	5000	300.00				41.25000	41.250
76.	बालाघाट-III	2006-07 से 2010-11	बालाघाट	5982	358.92				49.35200	49.352
77.	खंडवा-II	2006-07 से 2010-11	पुनासा	5000	300.00				41.25000	41.250
78.	छत्तरपुर-V	2006-07 से 2010-11	बिजवार	5000	300.00				41.25000	41.250
79.	अनूपपुर-II	2006-07 से 2010-11	जयथारी	5000	300.00				41.25000	41.250
80.	सतना-IV	2006-07 से 2010-11	नागौंड	5000	300.00				41.25000	41.250
81.	सेहोर-V	2006-07 से 2010-11	इच्छावार	5000	300.00				41.25000	41.250
82.	मोरैना-V	2006-07 से 2010-11	पहाड़गढ़	5000	300.00				41.25000	41.250
83.	रतलाम-III	2006-07 से 2010-11	सैलाना	5000	300.00				41.25000	41.250

84. कटनी-II	2006-07 से 2010-11	बडवाड़ा	5000	300.00				41.25000	41.250
85. सागर-IV	2006-07 से 2010-11	खुरैइ और सागर	5000	300.00				41.25000	41.250
उप योग			**443586**	**26615.16**	**717.75**	**1264.85**	**3034.18**	**1644.10**	**6660.880**
उड़ीसा									
1. सुन्दरगढ़-II	2003-04 से 07-08	कुआरमुंडा	5000	300.00	41.25		81.512		122.762
2. मल्कानगिरी-III	2003-04 से 07-08	खेरपुट	5000	300.00	41.25		81.827		123.077
3. कोरापुट-V	2003-04 से 07-08	लम्टापुट	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
4. रायगढ़-II	2003-04 से 07-08	कोलनारा	5000	300.00	41.25		81.863		123.113
5. मयूरभंज-II	2003-04 से 07-08	मोरादा, बारीपाड़ा	6000	360.00	49.50			98.27812	147.778
6. नवरंगपुर-III	2003-04 से 07-08	दाबुगांव, उमेरकोटे, रायगढ़	5000	300.00	41.25	82.500		82.50000	206.250
7. कालाहांडी-IV	2003-04 से 07-08	जयपतना	7000	420.00	57.75		115.500		173.250
8. मल्कानगिरी-IV	2004-05 से 08-09	मैथिली	5000	300.00		41.250			41.250
9. मल्कानगिरी-V	2004-05 से 08-09	मल्कानगिरी	5000	300.00		41.250			41.250
10. रायगढ़-III	2004-05 से 08-09	गुनुपुर	5000	300.00		41.250			41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	नवरंगपुर-IV	2004-05 से 08-09	उमेरकोटे	5000	300.00		41.250		82.50000	123.750
12.	नवरंगपुर-V	2004-05 से 08-09	दाबुगांव	5000	300.00		41.250		82.50000	123.750
13.	खुर्दा-II	2004-05 से 08-09	बानपुर	5000	300.00		41.250		82.17623	123.426
14.	गजपति-II	2004-05 से 08-09	गुमा	5000	300.00		41.250		82.50000	123.750
15.	कटक-II	2004-05 से 08-09	अथागढ़	5000	300.00		41.250			41.250
16.	झारसुगुडा-II	2004-05 से 08-09	कोलाबिरा	5000	300.00		41.250			41.250
17.	नयागढ़-II	2005-06 से 2009-10	दासापल्ला	5000	300.00			41.250		41.250
18.	नयागढ़-III	2005-06 से 2009-10	नयागढ़, ओढागांव	5000	300.00			41.250		41.250
19.	अंगुल-III	2005-06 से 2009-10	अथमलिक	5000	300.00			41.250		41.250
20.	अंगुल-IV	2005-06 से 2009-10	किशोरनगर	5000	300.00			41.250		41.250
21.	खुर्दा-III	2005-06 से 2009-10	तंगी, चिलिका	5000	300.00			41.250		41.250
22.	जाजपुर-II	2005-06 से 2009-10	सुकिंदा	4457	267.42			36.770		36.770
23.	कटक-III	2005-06 से 2009-10	नरसिंहपुर	5000	300.00			41.250		41.250

24. सोनपुर-II	2005-06 से 2009-10	सोनपुर उलुंदा	5000	300.00	41.250	41.250
25. धेनकनाल-IV	2005-06 से 2009-10	हिंडोल	5000	300.00	41.250	41.250
26. धेनकनाल-V	2005-06 से 2009-10	गोंदिया	5000	300.00	41.250	41.250
27. धेनकनाल-VI	2005-06 से 2009-10	कामाक्ष्यनगार	5000	300.00	41.250	41.250
28. धेनकनाल-VII	2005-06 से 2009-10	कंकड़हाडा	5000	300.00	41.250	41.250
29. क्योंझार-V	2005-06 से 2009-10	घाटागांव, हरिचंदनपुर	5000	300.00	41.250	41.250
30. मयूरभंज-III	2005-06 से 2009-10	खुंटा, बड़ासाही	5000	300.00	41.250	41.250
31. गंजम-II	2005-06 से 2009-10	आस्का, सोरादा, बेलगुंथा	5000	300.00	41.250	41.250
32. मयूरभंज-IV	2005-06 से 2009-10	उडाला	6080	364.80	50.160	50.160
33. देवगढ़-II	2005-06 से 2009-10	रीमल	6748	404.88	55.671	55.671
34. सुन्दरगढ़-III	2005-06 से 2009-10	बोनैई	5224	313.44	43.098	43.098
35. नयागढ़-IV	2005-06 से 2009-10	गनिया	5066	303.96	41.795	41.795
36. गजपति-III	2005-06 से 2009-10	नौगाड़ा	5184	311.04	42.768	42.768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	रायगढ़-IV	2005-06 से 2009-10	कल्याण सिंहपुर	4880	292.80			40.260		40.260
38.	रायगढ़-V	2005-06 से 2009-10	बिसमकटक	5000	300.00			41.250		41.250
39.	कोरापुट-VI	2006-07 से 2010-11	लक्ष्मीपुर	5000	300.00				41.25000	41.250
40.	कोरापुट-VII	2006-07 से 2010-11	नंदापुर	5000	300.00				41.25000	41.250
41.	नवरंगपुर-VI	2006-07 से 2010-11	पापाड़ाहांडी	5000	300.00				41.25000	41.250
42.	नवरंगपुर-VII	2006-07 से 2010-11	झारीगाम	5000	300.00				41.25000	41.250
43.	कालाहांडी-V	2006-07 से 2010-11	जयपताना	5600	336.00				46.20000	46.200
44.	बोलांगीर-IV	2006-07 से 2010-11	बोलांगीर	5000	300.00				41.25000	41.250
45.	बोलांगीर-V	2006-07 से 2010-11	देवगांव	5000	300.00				41.25000	41.250
46.	रायगढ़-VI	2006-07 से 2010-11	रायगढ़	5000	300.00				41.25000	41.250
47.	रायगढ़-VII	2006-07 से 2010-11	पदमपुर	5400	324.00				44.55000	44.550
48.	मल्कानगिरी-VI	2006-07 से 2010-11	कोलीमेला	5000	300.00				41.25000	41.250
49.	मल्कानागेरी-V	2006-07 से 2010-11	रायरंगपुर	6200	372.00				51.15000	51.150

50. मयूरभंज-VI	2006-07 से 2010-11	सुलियापाड़ा	5000	300.00				41.25000	41.250
51. बारागढ़-II	2006-07 से 2010-11	भाटली	5000	300.00				41.25000	41.250
52. सुन्दरगढ़-IV	2006-07 से 2010-11	टंगारपल्ली	5000	300.00				41.25000	41.250
53. सुन्दरगढ़-V	2006-07 से 2010-11	लाहुनीपाड़ा	5000	300.00				41.25000	41.250
54. सम्भलपुर-III	2006-07 से 2010-11	बामरा	5000	300.00				41.25000	41.250
55. गंजम-III	2006-07 से 2010-11	दिगपाहांडी	6000	360.00				49.50000	49.500
56. गंजम-IV	2006-07 से 2010-11	संखेमुंडी	5000	300.00				41.25000	41.250
57. गजपति-IV	2006-07 से 2010-11	आर. उदयगिरी	5000	300.00				41.25000	41.250
58. नयागढ़-V	2006-07 से 2010-11	रनपुर	5000	300.00				41.25000	41.250
59. क्योंझर-VI	2006-07 से 2010-11	क्योंझर	5000	300.00				41.25000	41.250
उप योग			**303839**	**18230.340**	**313.500**	**453.750**	**1372.47318**	**1403.10435**	**3542.828**
पंजाब									
1. अमृतसर-I	2004-05 से 08-09	अमृतसर	3000	180.00		24.750			24.750
2. होशियारपुर-II	2004-05 से 08-09	महलपुर	6200	372.00		51.150		102.05000	153.200

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. संगरूर-II	2004-05 से 08-09	लहरगागा	3700	222.00		30.530			30.530
4. मानसा-I	2004-05 से 08-09	सरदूलगढ़	2500	150.00		20.630			20.630
5. गुरदासपुर-II	2005-06 से 2009-10	बामियल और नरत जयमलसिंह	5000	300.00			41.250		41.250
6. गुरदासपुर-III	2005-06 से 2009-10	बामियल और नरत जयमलसिंह	5000	300.00			41.250		41.250
7. पटियाला-II	2005-06 से 2009-10	पात्रां, नाभा, भुनेरथर और घानौर	5000	300.00			41.250		41.250
8. नवांशहर-I	2005-06 से 2009-10	बलाचोर	5000	300.00			41.250		41.250
9. फिरोजपुर	2005-06 से 2009-10	खुइयां, सरवन, फाजिलिका, अबोहर और गुरहरसही	1525	91.50			12.580		12.580
10. नवांशहर-II	2005-06 से 2009-10	सरोया	3632	217.92			29.964		29.964
11. होशियारपुर-III	2005-06 से 2009-10	हाजीपुर	3285	197.10			27.101		27.101
12. फरीदकोट-I	2005-06 से 2009-10	फरीदकोट	3040	182.40			25.080		25.080
उप योग			**46882**	**2812.920**	**0.000**	**127.060**	**259.72525**	**102.05000**	**488.83525**
राजस्थान									
1. कोटा	2003-04 से 07-08	करोली	5000	300.00	41.25		82.500		123.750

2. करोली	2003-04 से 07-08	बायाना	5000	300.00	41.25				41.250
3. भरतपुर-II	2003-04 से 07-08	लडपुरा	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
4. चित्तौड़गढ़-III	2003-04 से 07-08	राजगढ़	5000	300.00	41.25	82.500		82.36000	206.110
5. भीलवाड़ा-IV	2003-04 से 07-08	धौलपुर	5000	300.00	41.25			81.16000	122.410
6. टोंक-III	2003-04 से 07-08	सिरोही	5000	300.00	41.25	82.330			123.580
7. सिरोही-II	2003-04 से 07-08	मालपुरा	5000	300.00	41.25		82.330		123.580
8. धौलपुर-II	2003-04 से 07-08	चित्तौड़गढ़	5000	300.00	41.25	82.290	82.320	41.06000	246.920
9. अलवर-II	2003-04 से 07-08	मंडल	5000	300.00	41.25				41.250
10. झालावाड़-IV	2004-05 से 08-09	पिरावा	5000	300.00		41.250			41.250
11. बारन-II	2004-05 से 08-09	चिपाबारोद	5000	300.00		41.250			41.250
12. बारन-III	2004-05 से 08-09	अतरु	5000	300.00		41.250			41.250
13. उदयपुर-IV	2004-05 से 08-09	गिरवा	5000	300.00		41.250			41.250
14. अजमेर-IV	2004-05 से 08-09	अरेन	5000	300.00		41.250	82.500	82.46000	206.210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	अजमेर-V	2004-05 से 08-09	केकरी	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
16.	करौली-II	2004-05 से 08-09	टोडा भीम	5000	300.00		41.250			41.250
17.	बारन-IV	2004-05 से 08-09	बारन	5000	300.00		41.250			41.250
18.	दौसा-III	2004-05 से 08-09	दौसा	5000	300.00		41.250		83.39000	124.640
19.	भीलवाड़ा-V	2005-06 से 2009-10	मंडल	5000	300.00			41.250	82.50000	123.750
20.	बूंदी-IV	2005-06 से 2009-10	केसोराय पाटन	5587	335.22			46.090		46.090
21.	भीलवाड़ा-VI	2005-06 से 2009-10	शाहापुरा	5000	300.00			41.250		41.250
22.	बूंदी-V	2005-06 से 2009-10	केसोराय पाटन	4812	288.72			39.700		39.700
23.	राजसमंद-III	2005-06 से 2009-10	खमनोर	2950	177.00			24.340	48.68000	73.020
24.	धौलपुर-III	2005-06 से 2009-10	बासेरी	5000	300.00			41.250	82.50000	123.750
25.	टोंक-IV	2005-06 से 2009-10	टोंक	6000	360.00			49.500		49.500
26.	अलवर-III	2005-06 से 2009-10	उमरैन	5000	300.00			41.250		41.250
27.	अजमेर-VI	2005-06 से 2009-10	अरैन	5850	351.00			48.260		48.260

28. धौलपुर-IV	2005-06 से 2009-10	बाड़ी	5290	317.40	43.640		43.640
29. चित्तौड़गढ़-IV	2005-06 से 2009-10	निम्बाहेड़ा	5000	300.00	41.250		41.250
30. बारन-V	2005-06 से 2009-10	किशनगंज	5387	323.22	44.440		44.440
31. टोंक-V	2005-06 से 2009-10	निवई	5000	300.00	41.250		41.250
32. दौसा-IV	2005-06 से 2009-10	लालसोट	5119	307.14	42.230		42.230
33. राजसमंद-IV	2005-06 से 2009-10	आमेर	6000	360.00	49.500		49.500
34. झालावाड़-V	2005-06 से 2009-10	बाकानी*	5000	300.00	41.250		41.250
35. राजसमंद-V	2005-06 से 2009-10	कुम्भलगढ़*	5000	300.00	41.250		41.250
36. कोटा-II	2005-06 से 2009-10	इटावा*	5000	300.00	41.250		41.250
37. सिरोही-III	2005-06 से 2009-10	रेवधर*	5000	300.00	41.250		41.250
38. दौसा-V	2005-06 से 2009-10	सीकरी*, दौसा	5000	300.00	41.250		41.250
39. जयपुर-VIII	2005-06 से 2009-10	आमेर*	4991	299.46	41.176		41.176
40. चित्तौड़गढ़-V	2006-07 से 2010-11	भंसरोड़गढ़	5000	300.00		41.25000	41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	बारन-VI	2006-07 से 2010-11	मंगरोल	3981	238.86				32.84300	32.843
42.	भीलवाड़ा-VII	2006-07 से 2010-11	मंडलगढ़	5000	300.00				41.25000	41.250
43.	जयपुर-IX	2006-07 से 2010-11	चाक्सु	5318	319.08				43.87400	43.874
44.	भीलवाड़ा-VIII	2006-07 से 2010-11	हुर्दा	4300	258.00				35.47500	35.475
45.	चित्तौड़गढ़-VI	2006-07 से 2010-11	गंगवार	5000	300.00				41.25000	41.250
46.	चित्तौड़गढ़-VII	2006-07 से 2010-11	बड़ी सदरी	4000	240.00				33.00000	33.000
47.	अलवर-IV	2006-07 से 2010-11	मांडावार	5000	300.00				41.25000	41.250
48.	चित्तौड़गढ़-VIII	2006-07 से 2010-11	भाडेसर	5000	300.00				41.25000	41.250
49.	भीलवाड़ा-IX	2006-07 से 2010-11	बानेरा	4800	288.00				39.60000	39.600
50.	भीलवाड़ा-X	2006-07 से 2010-11	असिंद	5000	300.00				41.25000	41.250
51.	राजसमंद-VI	2006-07 से 2010-11	रेलमागरा	4804	288.24				39.63300	39.633
52.	बारन-VII	2006-07 से 2010-11	अतरु	4550	273.00				37.53800	37.538
53.	बूंदी-VI	2006-07 से 2010-11	हिंडोली	6213	372.78				51.25700	51.257

54. राजसमंद-VIII	2006-07 से 2010-11	कुम्भलगढ़	5974	358.44				49.28600	49.286
55. दौसा-VI	2006-07 से 2010-11	लालसोट	5102	306.12				42.09200	42.092
56. धौलपुर-V	2006-07 से 2010-11	बाड़ी	5710	342.60				47.10800	47.108
57. धौलपुर-VI	2006-07 से 2010-11	बसेरी	5340	320.40				44.05500	44.055
58. बूंदी-VII	2006-07 से 2010-11	हिंडोली	3354	201.24				27.67100	27.671
59. धौलपुर-VII	2006-07 से 2010-11	राजखेड़ा	5000	300.00				41.25000	41.250
60. भीलवाड़ा-XI	2006-07 से 2010-11	शाहपुरा	5000	300.00				41.25000	41.250
61. भीलवाड़ा-XII	2006-07 से 2010-11	मंडल	5806	348.36				47.90000	47.900
उप योग			**306238**	**18374.280**	**371.250**	**618.370**	**1377.27575**	**1485.44200**	**3852.338**
तमिलनाडु									
1. थेनी-II	2003-04 से 07-08	बोंदीनयकानूर	5000	300.00	41.25		82.019		123.269
2. तिरुवनामलई	2003-04 से 07-08	वटालागुंदु	5000	300.00	41.25	82.500			123.750
3. धर्मपुरी-II	2003-04 से 07-08	पेरीयनैकेनपालायम	5000	300.00	41.25	82.500		81.21307	204.963
4. डिंडिगुल-III	2003-04 से 07-08	हारूर	5000	300.00	41.25	82.500	82,500		206.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	कोयम्बटूर-III	2003-04 से 07-08	वीरापांडी और पनामाराथुपट्टी	5000	300.00	41.25	82.012			123.262
6.	तिरुवल्लूर	2003-04 से 07-08	पूंडी	5000	300.00	41.25		82.139		123.389
7.	सलेम-II	2003-04 से 07-08	वेमकम	5000	300.00	41.25	82.500		80.62560	204.376
8.	रामनाथपुरम-II	2003-04 से 07-08	आर.एस. मंगलम	5000	300.00	41.25	82.500			123.750
9.	मदुरै-II	2003-04 से 07-08	मलूर	5000	300.00	41.25		81.467		122.717
10.	विलुपुरम-II	2003-04 से 07-08	जिंगी	5000	300.00	41.25		82.100		123.350
11.	कांचीपुरम	2003-04 से 07-08	कांचीपुरम और वालाजावाड़	5000	300.00	41.25		81.320		122.570
12.	तिरुवल्लूर-II	2004-05 से 08-09	आर.के. पेट	4938	296.28		40.740			40.740
13.	कृष्णागिरी-I	2004-05 से 08-09	कृष्णागिरी	5000	300.00		41.250	81.998		123.248
14.	त्रिचिरापल्ली-II	2004-05 से 08-09	मनाचनालूर, मुसीरी और पुलमवड़ी	5650	339.00		46.610		93.22000	139.830
15.	तिरुनेलवल्ली-II	2004-05 से 08-09	नानगुनेरी	4500	270.00		37.130			37.130
16.	सिवगंगई-II	2004-05 से 08-09	सकोट्टई	5000	300.00		41.250	82.407		123.657
17.	थुथकुडी-II	2004-05 से 08-09	करुनगुलम और अल्वारथिरुनगरी	5000	300.00		41.250			41.250

18. विरुद्धनगर-II	2004-05 से 08-09	राजापालयम श्रीविलीपुथुर और तिरुचुटी	5000	300.00	41.250		82.25937	123.509
19. पेरमबलूर-II	2004-05 से 08-09	टी. पालुर	5000	300.00	41.250	82.259		123.509
20. पुडुकोट्टई-III	2004-05 से 08-09	अवुदयारकोअल	6080	364.80	50.160		100.02740	150.187
21. कुडालोर-III	2004-05 से 08-09	मंगलूर	4857	291.42	40.070		80.02363	120.094
22. कोयम्बटूर-IV	2005-06 से 2009-10	सरकार सामाकुलम	5000	300.00		41.250		41.250
23. कोयम्बटूर-V	2005-06 से 2009-10	पोलाची (उत्तर), किनाथुकिदायु	5000	300.00		41.250		41.250
24. धर्मपुरी-III	2005-06 से 2009-10	पापीरेड्डीपट्टी	5000	300.00		41.250		41.250
25. डिंडिगुल-IV	2005-06 से 2009-10	बड़ा मदुरै	5000	300.00		41.250		41.250
26. इरोड-III	2005-06 से 2009-10	अंथीयुर	5000	300.00		41.250		41.250
27. इरोड-IV	2005-06 से 2009-10	पेरुनदुरै	3900	234.00		32.180		32.180
28. करूर-III	2005-06 से 2009-10	कृष्णरायापुरम	5000	300.00		41.250		41.250
29. नामाक्कल-III	2005-06 से 2009-10	नामागिरीपेट्टई	5000	300.00		41.250		41.250
30. रामनाथपुरम-III	2005-06 से 2009-10	आर.एस. मंगलम	5000	300.00		41.250		41.250

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. सलेम-III	2005-06 से 2009-10	वालापडी	5000	300.00			41.250		41.250
32. वेल्लोर-III	2005-06 से 2009-10	वालाजा	5000	300.00			41.250		41.250
33. वेल्लोर-IV	2005-06 से 2009-10	नतरामपल्ली	5000	300.00			41.250		41.250
34. कृष्णागिरी	2005-06 से 2009-10	कृष्णागिरी	5000	300.00			41.250		41.250
35. तिरुवल्लूर-III	2005-06 से 2009-10	पालीपुट्टु	5000	300.00			41.250		41.250
36. तिरुवल्लूर-IV	2005-06 से 2009-10	तिरुवालानगडु	5000	300.00			41.250		41.250
37. पेराम्बल्लूर-III	2005-06 से 2009-10	वेपानथेट्टई (III)	5000	300.00			41.250		41.250
38. पेराम्बल्लूर-IV	2005-06 से 2009-10	वेपानथेट्टई (III-ए)	5000	300.00			41.250		41.250
39. पुडुकोट्टई-IV	2005-06 से 2009-10	थिरुमयम	5000	300.00			41.250		41.250
40. इरोड-V	2005-06 से 2009-10	सत्यामंगलम	5000	300.00			41.250		41.250
41. मदुरै-III	2005-06 से 2009-10	चेलमपट्टी और उसीलामपट्टी	5100	306.00			42.075		42.075
42. नामाक्कल-IV	2005-06 से 2009-10	पालीपलयम	4969	298.14			40.994		40.994
43. डिंडिगुल-V	2005-06 से 2009-10	डिंडिगुल	5000	300.00			41.250		41.250

44. तिरुवनामलई-II	2005-06 से 2009-10	कलासापक्कम	5000	300.00	41.250		41.250
45. कोयम्बटूर-VI	2005-06 से 2009-10	किनाथुकडावु और मधुकर*	5265	315.90	43.436		43.436
46. धर्मपुरी-IV	2005-06 से 2009-10	हारुर	5000	300.00	41.250		41.250
47. तिरुचिरापल्ली-III	2005-06 से 2009-10	मारुंगापुरी	5000	300.00	41.250		41.250
48. सलेम-IV	2005-06 से 2009-10	पेडानैकनपालयम	5000	300.00	41.250		41.250
49. कृष्णागिरी-III	2006-07 से 2010-11	कावेरीपतीनम	5500	330.00		45.37500	45.375
50. मदुरै-IV	2006-07 से 2010-11	चेलमपट्टी कालीकुडी तिरुमंगलम	5230	313.80		43.14800	43.148
51. डिंडिगुल-VI	2006-07 से 2010-11	गुजीलियामपरै	5000	300.00		41.25000	41.250
52. तिरुवनामलई-III	2006-07 से 2010-11	पुडुपालयम	5000	300.00		41.25000	41.250
53. तिरुवनामलई-IV	2006-07 से 2010-11	थंडारमपटु	5000	300.00		41.25000	41.250
54. तिरुचिरापल्ली-IV	2006-07 से 2010-11	वैयामपटु	5000	300.00		41.25000	41.250
55. विलुपुरम-III	2006-07 से 2010-11	मेलमाल्यानूर	5000	300.00		41.25000	41.250
56. नामाक्कल-V	2006-07 से 2010-11	रासिपुरम	5000	300.00		41.25000	41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	कांचीपुरम-III	2006-07 से 2010-11	मधुरांथागम	5000	300.00				41.25000	41.250
58.	करुर-IV	2006-07 से 2010-11	कृष्णरायापुरम	5000	300.00				41.25000	41.25
	उप योग			**290989**	**17459.340**	**453.750**	**915.472**	**1845.64546**	**935.89207**	**1350.76**
	उत्तर प्रदेश									
1.	कौशाम्बी-I	2003-04 से 07-08	फतेहपुर सीकरी	5000	300.00	41.25			82.39000	123.640
2.	आगरा-III	2003-04 से 07-08	मूरतगंज	5000	300.00	41.25	82.380			123.630
3.	इटावा-I	2003-04 से 07-08	जैतपुर	5000	300.00	41.25				41.250
4.	फिरोजाबाद-II	2003-04 से 07-08	कुंथोड़	5000	300.00	41.25				41.250
5.	सहारनपुर	2003-04 से 07-08	मोरना और जनसाथ	5000	300.00	41.25		81.310	81.47000	204.030
6.	हरदोई	2003-04 से 07-08	हरपालपुर	5000	300.00	41.25	82.500		82.41000	206.160
7.	मुजफ्फरनगर	2003-04 से 07-08	मुजफ्फराबाद साधोलीकादिम	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
8.	मिर्जापुर-III	2003-04 से 07-08	जामो	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
9.	माहोबा	2003-04 से 07-08	भरतना	5000	300.00	41.25		82.500		123.750

10. जालान	2003-04 से 07-08	शिकोहाबाद	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
11. इलाहाबाद-II	2003-04 से 07-08	कराओ	5000	300.00	41.25		80.310		121.560
12. प्रतापगढ़-II	2003-04 से 07-08	लालगंज	5000	300.00	41.25	82.500			123.750
13. सुल्तानपुर-II	2003-04 से 07-08	कालाकंकर	5000	300.00	41.25		82.340		123.590
14. शाहजहांपुर-II	2004-05 से 08-09	तिल्हर	5000	300.00		41.250	81.880		123.130
15. रायबरेली-II	2004-05 से 08-09	लालगंज	5000	300.00		41.250			41.250
16. सीतापुर-III	2004-05 से 08-09	रामपुर मथुरा	5000	300.00		41.250	82.380		123.630
17. फैजाबाद-II	2004-05 से 08-09	हारिमतानगंज	5000	300.00		41.250	82.380		123.630
18. बाराबंकी-II	2004-05 से 08-09	हैदरगंज	5000	300.00		41.250			41.250
19. आगरा-IV	2004-05 से 08-09	जगनेर	5000	300.00		41.250		82.14000	123.390
20. कन्नौज	2004-05 से 08-09	चिबरामऊ	5000	300.00		41.250		82.38000	123.630
21. ललितपुर-III	2004-05 से 08-09	बाड़	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
22. इलाहाबाद-III	2004-05 से 08-09	कुरानव	5000	300.00		41.250		82.50000	123.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	मिर्जापुर-IV	2004-05 से 08-09	मनीहन, पहाड़ी	5000	300.00		41.250		82.26000	123.510
24.	झांसी-IV	2004-05 से 08-09	बड़ागांव	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
25.	औरैया-II	2004-05 से 08-09	भाग्य नगर	5000	300.00		41.250			41.250
26.	हमीरपुर-III	2004-05 से 08-09	कुराश	5000	300.00		41.250	82.500	82.50000	206.250
27.	बदायुं-II	2005-06 से 2009-10	दाह्गायान साहसवान	5000	300.00			41.250		41.250
28.	मोरादाबाद-I	2005-06 से 2009-10	ठाकुरद्वारा	5000	300.00			41.250		41.250
29.	कानपुर नगर-II	2005-06 से 2009-10	घातमपुर	5000	300.00			41.250		41.250
30.	जौनपुर-II	2005-06 से 2009-10	केराकट	5000	300.00			41.250		41.250
31.	बुलंदशहर	2005-06 से 2009-10	अनुपशहर	5000	300.00			41.250		41.250
32.	प्रतापगढ़-III	2005-06 से 2009-10	कुंडा	5000	300.00			41.250		41.250
33.	बिजनौर	2005-06 से 2009-10	धमकुर	5000	300.00			41.250		41.250
34.	इटावा-II	2005-06 से 2009-10	बुद्धपुर्वा	5000	300.00			41.250		41.250
35.	सुल्तानपुर-III	2005-06 से 2009-10	धनपतगंज बालदराय	5000	300.00			41.250		41.250

36. उन्नाव-III	2005-06 से 2009-10	आसोहा	5000	300.00	41.250	41.250
37. हरदोई-II	2005-06 से 2009-10	सांदी	5000	300.00	41.250	41.250
38. लखीमपुर खीरी-III	2005-06 से 2009-10	पासगवन	5000	300.00	41.250	41.250
39. बांदा-II	2005-06 से 2009-10	बिलसांदा	5000	300.00	41.250	41.250
40. बांदा-III	2005-06 से 2009-10	माहुआ	5000	300.00	41.250	41.250
41. माहोवा-II	2005-06 से 2009-10	पनवारी	5000	300.00	41.250	41.250
42. ललितपुर-IV	2005-06 से 2009-10	जखोरा	5000	300.00	41.250	41.250
43. बरेली-I	2005-06 से 2009-10	भद्रपुर	5000	300.00	41.250	41.250
44. मैनपुरी-I	2005-06 से 2009-10	सुल्तानगंज	5000	300.00	41.250	41.250
45. महाराजगंज-I	2005-06 से 2009-10	बृजमानगंज	5000	300.00	41.250	41.250
46. कन्नौज-II	2005-06 से 2009-10	तालग्राम	5000	300.00	41.250	41.250
47. शाहजहांपुर-III	2005-06 से 2009-10	जैतपुर	5000	300.00	41.250	41.250
48. झांसी-V	2005-06 से 2009-10	चिरगांव	5000	300.00	41.250	41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	इटावा-III	2005-06 से 2009-10	माहेवा	5000	300.00			41.250		41.250
50.	बदायूं -III	2005-06 से 2009-10	गुनौर	5000	300.00			41.250		41.250
51.	सीतापुर-IV	2005-06 से 2009-10	लहरपुर	5000	300.00			41.250		41.250
52.	फैजाबाद-II	2006-07 से 2010-11	हरिंगटन	5120	307.20				42.24000	42.240
53.	कन्नौज-III	2006-07 से 2010-11	गुगरापुर	6000	360.00				49.50000	49.500
54.	माहोबा-III	2006-07 से 2010-11	जैतपुर	5000	300.00				41.25000	41.250
55.	इलाहाबाद-IV	2006-07 से 2010-11	मेजा	5000	300.00				41.25000	41.250
56.	फतेहपुर-II	2006-07 से 2010-11	अमोली	5000	300.00				41.25000	41.250
57.	खेड़ी-IV	2006-07 से 2010-11	मोहम्मदी	6012	360.72				49.59900	49.599
58.	अम्बेडकर नगर-II	2006-07 से 2010-11	जलालपुर	5000	300.00				41.25000	41.250
59.	हमीरपुर-IV	2006-07 से 2010-11	गौहंद	5241	314.66				43.23800	43.238
60.	मिर्जापुर-V	2006-07 से 2010-11	लालगंज	5000	300.00				41.25000	41.250
61.	इलाहाबाद-V	2006-07 से 2010-11	कोरां	5000	300.00				41.25000	41.250

62. हरदोई-III	2006-07 से 2010-11	शाहबाद	5000	300.00				41.25000	41.250
63. फिरोजाबाद-III	2006-07 से 2010-11	अरावन	5000	300.00				41.25000	41.250
64. एटा-I	2006-07 से 2010-11	निधौली कलां	5108	306.48				42.14100	42.141
65. आगरा-V	2006-07 से 2010-11	सैया	5000	300.00				41.25000	41.250
66. इलाहाबाद-VI	2006-07 से 2010-11	मेडा	5000	300.00				41.25000	41.250
67. इलाहाबाद-VII	2006-07 से 2010-11	करचाना	5000	300.00				41.25000	41.250
68. प्रतापगढ़-IV	2006-07 से 2010-11	बाबा खेलकरनाथधाम	5000	300.00				41.25000	41.250
69. एटा-II	2006-07 से 2010-11	साकित	5000	300.00				41.25000	41.250
70. इटावा-III	2006-07 से 2010-11	चक्करनगर	5000	300.00				41.25000	41.250
उप योग			**352481**	**21148.860**	**536.250**	**783.630**	**2099.35000**	**1462.26800**	**4881.498**
उत्तरांचल									
1. यू.एस. नगर	2003-04 से 07-08	खातिमा, सितारगंज, गदरपुर	6000	360.00	49.50		98.420		147.920
2. नैनीताल-II	2003-04 से 07-08	कालसी	5000	300.00	41.25	82.160			123.410
3. देहरादून-II	2003-04 से 07-08	हल्द्वानी और नैनीताल	5000	300.00	41.25		82.230		123.480

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. नैनीताल-III	2004-05 से 08-09	बैंतालघाट	5446	326.76		44.930			44.930
5. अल्मोड़ा-II	2004-05 से 08-09	धौलादेवी	5000	300.00		41.250	82.410		123.660
6. चमोली-II	2004-05 से 08-09	पोखरी	5243	314.58		43.255	86.500		129.755
7. पौड़ी-II	2004-05 से 08-09	रिखानीखाल	7500	450.00		61.875			61.875
8. पौड़ी-III	2004-05 से 08-09	इकीश्वर	6137	368.22		50.630	101.260		151.890
9. टिहरी-III	2004-05 से 08-09	जौनपुर	5074	304.44		41.861			41.861
10. उत्तरकाशी-III	2005-06 से 2009-10	पुरौला, मोरीनवगांव	5099	305.94			42.070		42.070
11. चमोली-III	2005-06 से 2009-10	देवाल	5145	308.70			42.450		42.450
12. चमोली-IV	2005-06 से 2009-10	घाट	5195	311.70			42.860		42.860
13. पिथौड़ागढ़-III	2005-06 से 2009-10	मुन्नाकोट तथा फेनालीछिन्ना	5030	301.70			41.500		41.500
14. पौड़ी गढ़वाल-IV	2005-06 से 2009-10	पोखारा	5057	303.41			41.720		41.720
15. देहरादून-III	2005-06 से 2009-10	चकराता	5012.17	300.73			41.350		41.350
16. हरिद्वार-II	2005-06 से 2009-10	नरसान	5147	308.82			42.460		42.460

17. यू.एस. नगर-II	2005-06 से 2009-10	काशीपुर, जसपुर तथा रूद्रपुर	5220	313.20	43.070		43.070
18. नैनीताल-IV	2005-06 से 2009-10	रामगढ़, धारी, भीमताल तथा ओकहलकंदा	5338	320.28	44.040		44.040
19. बागेश्वर-II	2005-06 से 2009-10	गरूर, बागेश्वर	5020	301.20	41.420		41.420
20. पौड़ी गढ़वाल-V	2005-06 से 2009-10	नैनीडांडा	5254	315.24	43.350		43.350
21. चम्पावत-II	2005-06 से 2009-10	पाटी	5165	309.90	42.610		42.610
22. हरिद्वार-III	2005-06 से 2009-10	लक्सर	5539	332.34	45.697		45.697
23. अल्मोड़ा-III	2005-06 से 2009-10	हवालबाग	5035	302.10	41.539		41.539
24. चमोली-V	2005-06 से 2009-10	दशौली	5692.73	341.56	46.965		46.965
25. पिथौड़ागढ़-IV	2005-06 से 2009-10	मुन्सयारी और दिदिहाट	5500	330.00	45.375		45.375
26. नैनीताल-V	2005-06 से 2009-10	बैतालघाट, कोटबाग	5762	345.72	47.537		47.537
27. हरिद्वार-IV	2006-07 से 2010-11	बहादराबाद	5425	325.50		44.75600	44.756
28. पिथौरागढ़-V	2006-07 से 2010-11	मुनाकोट	5500	330.00		45.37500	45.375
29. पिथौरागढ़-VI	2006-07 से 2010-11	धारचुला	4300	258.00		35.47500	35.475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	अल्मोड़ा-IV	2006-07 से 2010-11	धौलादेवी	3156.55	189.39				26.04200	26.042
31.	उत्तरकाशी-IV	2006-07 से 2010-11	भटवारी दुंदा	5409	324.54				44.62400	44.624
32.	अल्मोड़ा-V	2006-07 से 2010-11	चौकहुटिया	5931.53	355.89				48.93500	48.935
33.	पिथौरागढ़-VII	2006-07 से 2010-11	बेरीनाग	5334.94	320.10				44.01300	44.013
34.	चमोली-VI	2006-07 से 2010-11	कर्णप्रयाग	6058	363.48				49.97900	49.979
35.	पौड़ी-V	2006-07 से 2010-11	नैनीडांडा	5000	300.00				41.25000	41.250
36.	हरिद्वार-V	2006-07 से 2010-11	भगवानपुर	5454	327.24				44.99600	44.996
	उप योग			**191180**	**11470.795**	**132.000**	**365.960**	**1186.83202**	**425.44500**	**2110.237**
	पश्चिम बंगाल									
1.	प. मिदनापुर	2003-04 से 07-08	रामपुरहाट-I	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
2.	बीरभूम	2003-04 से 07-08	गारबेटा-I, गारबेटा-III, केसीलरी	5000	300.00	41.25		80.930		122.180
3.	बांकुरा-III	2004-05 से 08-09	बांकुरा-II	2400	144.00		19.800			19.800
4.	बांकुरा-IV	2004-05 से 08-09	खतरा	2200	132.00		18.150			18.150

5. बर्धवान-II	2004-05 से 08-09	दुर्गापुर फरीदपुर	8700	522.00	71.780		142.81145	71.780
6. बर्धवान-III	2004-05 से 08-09	औसग्राम-II	520	31.20	4.290	8.480		12.770
7. प. मिदनापुर-II	2005-06 से 2009-10	गारबेटा-II	978.11	58.69		8.070		8.070
8. प. मिदनापुर-III	2005-06 से 2009-10	गारबेटा-II	1184.01	71.04		9.770		9.770
9. प. मिदनापुर-VI	2005-06 से 2009-10	गारबेटा-II	1034.75	62.09		8.540		8.540
10. प. मिदनापुर-IV	2005-06 से 2009-10	गारबेटा-II	875.7	52.54		7.220		7.220
11. प. मिदनापुर-V	2005-06 से 2009-10	गारबेटा-II	558.67	33.52		4.610		4.610
12. बांकुरा-V	2005-06 से 2009-10	रायपुर	2640	158.40		21.780		21.780
13. बांकुरा-VI	2005-06 से 2009-10	तलडांगरा	4000	240.00		33.000		33.000
14. बीरभूम-II	2005-06 से 2009-10	खोरसोल	5000	300.00		41.250		41.250
15. बीरभूम-III	2005-06 से 2009-10	मोहम्मद बाजार	5000	300.00		41.250		41.250
16. बर्धवान-IV	2005-06 से 2009-10	औसग्राम-I	5613.69	336.82		46.313		46.313
17. बर्धवान-V	2005-06 से 2009-10	दुर्गापुर फरीदपुर	3168.2	190.09		26.138		26.138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	बीरभूम-IV	2006-07 से 2010-11	खोरसोल	5000	300.00				41.25000	41.250
19.	बर्धवान-VI	2006-07 से 2010-11	अंदल	3888.5	233.31				32.08000	32.080
20.	बीरभूम-V	2006-07 से 2010-11	मोहम्मद बाजार	5000	300.00				41.25000	41.[illegible]50
21.	बर्धवान-VII	2006-07 से 2010-11	कांक्षा	5167	310.02				42.62800	42.628
22.	बर्धवान-VIII	2006-07 से 2010-11	औसग्राम-I	4175	250.50				34.44400	34.444
23.	बीरभूम-VI	2006-07 से 2010-11	नलहाती-I	7086.56	425.19				58.46400	58.464
	उप योग			**84190**	**5051.41**	**82.50**	**114.02**	**419.8506**	**392.9275**	**866.49**
	योग			4464421	267865.28	5984.63	9396.49	23681.92	15580.83	54501.06
					पूर्वोत्तर राज्य					
	अरुणाचल प्रदेश									
1.	कुरुंग कामे-II	2003-04 से 07-08	यिंगकियोंग	5000	300.00	41.25		82.500		123.750
2.	ऊपरी सियांग	2003-04 से 07-08	अनिनि	3000	180.00	24.75		48.846		73.596
3.	ऊपरी दीबांग	2003-04 से 07-08	मेचुका	3000	180.00	24.75				24.750
4.	प. सियांग-II	2003-04 से 07-08	तलीहा	3000	180.00	24.75				24.750

5. ऊपरी सुबानसीरी-II	2003-04 से 07-08	कोलोरियांग नयापीरी	3000	180.00	24.75	49.500	49.50000	123.750
6. पूर्वी कामेंग-II	2003-04 से 07-08	चियांग ताजो	3000	180.00	24.75			24.750
7. चांगलांग	2003-04 से 07-08	चैंगलैंग	3000	180.00	24.75			24.750
8. पूर्वी सियांग	2003-04 से 07-08	रैमिक बैंगो	3000	180.00	24.75			24.750
9. तिरप	2003-04 से 07-08	खोंसा	3000	180.00	24.75			24.750
10. लोअर सुबानसीरी-II	2003-04 से 07-08	जीरो-I	3000	180.00	24.75			24.750
11. पूर्वी कामेंग-III	2004-05 से 08-09	पाके किसांग	8000	480.00		66.000		66.000
12. लोहित-II	2004-05 से 08-09	हवाई वालांग	8000	480.00		66.000		66.000
13. कुरूंग कामे-III	2004-05 से 08-09	चंबैंग	8000	480.00		66.000		66.000
14. प. कामेंग-II	2004-05 से 08-09	कलकतैंग थिरीजीनो	8000	480.00		66.000		66.000
15. पूर्वी सियांग-II	2004-05 से 08-09	रामले बैंगो	6000	360.00		49.500		49.500
16. लोहित-III	2004-05 से 08-09	लेकंग	6000	360.00		49.500		49.500
17. ऊपरी सुबानसीरी-III	2004-05 से 08-09	दमपोरीजो	8000	480.00		66.000		66.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	ऊपरी सुबानसीरी-IV	2004-05 से 08-09	नाचो	1500	90.00		12.380			12.380
19.	पापमपारे-III	2004-05 से 08-09	किमीन	8000	480.00		66.000			66.000
20.	पापमपारे-IV	2004-05 से 08-09	दोयमुख	3000	180.00		24.750			24.750
21.	पूर्वी कामेंग-IV	2004-05 से 08-09	बामेंग	8000	480.00		66.000			66.000
22.	ऊपरी सियांग-II	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, गेकु	2000	120.00			16.500		16.500
23.	ऊपरी सियांग-III	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, जेजिंग	2000	120.00			16.500		16.500
24.	प. कामेंग-III	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, दिरांग	2000	120.00			16.500		16.500
25.	लोहित-IV	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, तेजु	2000	120.00			16.500		16.500
26.	पूर्वी सियांग-III	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, मेबो	2000	120.00			16.500		16.500
27.	पापमपारे-V	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, दोयमुख	2000	120.00			16.500		16.500
28.	चांगलांग-II	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, बोरडुमसा	2000	120.00			16.500		16.500
29.	कुरूंग कामे-IV	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, कोलोरियांग	2000	120.00			16.500		16.500
30.	तिरप-II	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, कानुबरी	1000	60.00			8.250		8.250

31. तिरप-III	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, निउसा	1000	60.00	8.250	8.250
32. एल./दीवांग वेली	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, रोईंग	2000	120.00	16.500	16.500
33. प. सियांग-III	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, लिरोमोबा	1500	90.00	12.380	12.380
34. प. सियांग-IV	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, तिरिबिन	500	30.00	4.130	4.130
35. तवांग-II	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, थिंगबु-मुक्तो	600	36.00	4.950	4.950
36. तवांग-III	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, थिंगबु-मुक्तो	500	30.00	4.130	4.130
37. तवांग-IV	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, थिंगबु-मुक्तो	500	30.00	4.130	4.130
38. तवांग-V	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, लुमला	400	24.00	3.300	3.300
39. लोअर सुबानसीरी-III	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, याचूली (जीरो-II)	2000	120.00	16.500	16.500
40. पूर्वी कामेंग-V	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, पीपू	2000	120.00	16.500	16.500
41. ऊपरी दियांग वैली-II	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, एटालिन मेलिने	2000	120.00	16.500	16.500
42. ऊपरी सुबानसीरी-V	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, गीबा	1500	90.00	12.380	12.380
43. ऊपरी सुबानसीरी-VI	2005-06 से 2009-10	सी.डी. ब्लॉक, सियम	500	30.00	4.130	4.130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	पूर्वी सियांग-IV	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-रिगा	3000	180.00			24.750		24.750
45.	पूर्वी सियांग-V	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-पाशीघाट	3000	180.00			24.750		24.750
46.	कुरूंग कामे-V	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-सारली	3000	180.00			24.750		24.750
47.	कुरूंग कामे-VI	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-संग्राम	3000	180.00			24.750		24.750
48.	ऊपरी सुबानसीरी-VII	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-बरीरिजो	3000	180.00			24.750		24.750
49.	ऊपरी सुबानसीरी-VIII	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-नाचो	2000	120.00			16.550		16.500
50.	ऊपरी सुबानसीरी-IX	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-हारू-हाटे	3000	180.00			24.750		24.750
51.	प. सियांग-V	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-आलोंग वेस्ट	3000	180.00			24.750		24.750
52.	पूर्वी कामेंग-VI	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-बाना	3000	180.00			24.750		24.750
53.	पूर्वी कामेंग-VII	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-पीपू	3000	180.00			24.750		24.750
54.	चांगलांग-III	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-खिमियांग	3000	180.00			24.750		24.750
55.	तिरप-IV	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-खोंसा	3000	180.00			24.750		24.750
56.	पापमपारे-VI	2005-06 से 2009-10	सी.डी.-मेनजिओ	3000	180.00			24.750		24.750

57. पूर्वी कामेंग-VIII	2006-07 से 2010-11	वी.डी.ओ. सेप्पा	1000	60.00	8.25000	8.250
58. पूर्वी कामेंग-IX	2006-07 से 2010-11	बाना	1000	60.00	8.25000	8.250
59. पूर्वी कामेंग-X	2006-07 से 2010-11	वी.डी.ओ., पक्के केसांग	1000	60.00	8.25000	8.250
60. पूर्वी कामेंग-XI	2006-07 से 2010-11	वी.डी.ओ., सेप्पा	1500	90.00	12.38000	12.380
61. पूर्वी कामेंग-XII	2006-07 से 2010-11	डी.आर.डी.ए., सेप्पा/ वी.डी.ओ., बामेंग	1500	90.00	12.38000	12.380
62. लोअर सुबानसीरी-IV	2006-07 से 2010-11	वी.डी.ओ., याचुली	1000	60.00	8.25000	8.250
63. लोअर सुबानसीरी-V	2006-07 से 2010-11	वी.डी.ओ., रागा	1500	90.00	12.38000	12.380
64. लोअर सुबानसीरी-VI	2006-07 से 2010-11	वी.डी.ओ., जीरो-II	2000	120.00	16.50000	16.500
65. प. सियांग-VI	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., रम्गांग	2000	120.00	16.50000	16.500
66. प. सियांग-VII	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., तिरबीन	1000	60.00	8.25000	8.250
67. प. सियांग-VIII	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., जेनसी	1000	60.00	8.25000	8.250
68. ऊपरी सुबानसीरी-X	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., तलिहा	1000	60.00	8.25000	8.250
69. ऊपरी सुबानसीरी-XI	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., दापोरिजो	1000	60.00	8.25000	8.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	ऊपरी सुबानसीरी-XII	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., दापोरिजो	2000	120.00				16.50000	16.500
71.	ऊपरी सुबानसीरी-XIII	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., पुचिगिको	1000	60.00				8.25000	8.250
72.	ऊपरी सुबानसीरी-XIV	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., दमपोरिजो	2000	120.00				16.50000	16.500
73.	ऊपरी सुबानसीरी-XVI	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., जिबा	1500	90.00				12.38000	12.380
74.	ऊपरी सुबानसीरी-XVIII	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., दापोरिजो	1000	60.00				8.25000	8.250
75.	ऊपरी सुबानसीरी-XX	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., नाचो	1000	60.00				8.25000	8.250
76.	ऊपरी सुबानसीरी-XXI	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., सियुम	1000	60.00				8.25000	8.250
77.	ऊपरी सुबानसीरी-XXIII	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., जारिंग-3, तलीहा सी.डी. के अन्तर्गत अचल समिति	500	30.00				4.12500	4.125
78.	ऊपरी सुबानसीरी-XIV	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., तलीहा	1000	60.00				8.25000	8.250
79.	कुरूंग कामे-VII	2006-07 से 2010-11	डी.आर.डी.ओ./बी.डी.ओ., कोलोरेंग और दामिन	1000	60.00				8.25000	8.250
80.	कुरूंग कामे-VIII	2006-07 से 2010-11	डी.आर.डी.ओ./पी.आर. आई./बी.डी.ओ.,, दामिन	2000	120.00				16.50000	16.500
81.	कुरूंग कामे-IX	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., पालिन	2000	120.00				16.50000	16.500

82. कुरूंग कामे-X	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., ताली	1000	60.00	8.25000	8.250
83. कुरूंग कामे-XI	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., पालिन	1500	90.00	12.38000	12.380
84. पूर्वी सियांग-VI	2006-07 से 2010-11	अंचल समिति, पांगिन	1500	90.00	12.38000	12.380
85. पूर्वी सियांग-VII	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., मेबो	1000	60.00	8.25000	8.250
86. चांगलांग-IV	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., खागाम मइयो	2000	120.00	16.50000	16.500
87. लोअर दीवांग-II	2006-07 से 2010-11	डी.आर.डी.ओ.,/बी.डी.ओ., हुनली	1000	60.00	8.25000	8.250
88. लोअर दीवांग-III	2006-07 से 2010-11	डी.आर.डी.ओ./बी.डी.ओ., रोयिंग	1000	60.00	8.25000	8.250
89. लोअर दीवांग-IV	2006-07 से 2010-11	डी.आर.डी.ओ./बी.डी.ओ., बम्बुक	1000	60.00	8.25000	8.250
90. खोंसा-I	2006-07 से 2010-11	डी.आर.डी.ओ./बी.डी.ओ., निऔसा	1500	90.00	12,38000	12.380
91. प. कामेंग-IV	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ./पी.आर.आई., नाफरा	2000	120.00	16.50000	16.500
92. प. कामेंग-V	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ./पी.आर.आई., कलकटंग	1000	60.00	8.25000	8.250
93. प. कामेंग-VI	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ./पी.आर.आई., थिरीजिनो	1000	60.00	8.25000	8.250
94. ऊपरी सियांग-IV	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ. मैरीयांग	2000	120.00	16.50000	16.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	ऊपरी सियांग-V	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., तुतिंग	2000	120.00				16.50000	16.500
96.	प. सियांग-IX	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., अलांग पूर्वी	2000	120.00				16.50000	16.500
97.	प. सियांग-X	2006-07 से 2010-11	लेखाबाली सी.डी.	2000	120.00				16.50000	16.500
98.	ऊपरी सुबानसीरी-XXV	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., तलीहा	2000	120.00				16.50000	16.500
99.	ऊपरी सुबानसीरी-XXVI	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., दमपोरिजो	2000	120.00				16.50000	16.500
100.	प. कामेंग-VII	2006-07 से 2010-11	बी.डी.ओ., कलकटंग	2000	120.00				16.50000	16.500
	उप योग			**236500**	**14190.00**	**264.00**	**647.63**	**708.87611**	**561.03500**	**2181.54**
असम										
1.	कोकराझार-II	2003-04 से 07-08	काचुगांव	6000	360.00	49.50	99.000			148.500
2.	बोंगाईगांव-II	2003-04 से 07-08	बोडोबाजार	6000	360.00	49.50		98.762		147.262
3.	धूबरी-II	2003-04 से 07-08	गौरीपुर	6000	360.00	49.50		98.305		147.805
4.	गोलपाड़ा-II	2003-04 से 07-08	रंगजुली	6000	360.00	49.50	99.000			148.500
5.	तिनसुखिया-II	2003-04 से 07-08	मारघेरिटा	6000	360.00	49.50		97.736		147.236

6. करीमगंज-II	2003-04 से 07-08	दुर्लभचेरा	6000	360.00	49.50		98.851		148.351
7. बारपेटा-II	2003-04 से	मांडिया 07-08	6000	360.00	49.50	99.000			148.500
8. शिवसागर-II	2003-04 से 07-08	सापेखाती	6000	360.00	49.50		99.000		148.500
9. मोरीगांव-II	2003-04 से 07-08	भूरबांधा	6000	360.00	49.50		97.700		147.200
10. दरांग-II	2003-04 से 07-08	प. मंगलदाई	6000	360.00	49.50		98.028		147.528
11. सोनितपुर-III	2003-04 से 07-08	चैदौर	6000	360.00	49.50	99.000			148.500
12. नौगांव-III	2003-04 से 07-08	जुगुजान और धौलपुखरी	6000	360.00	49.50			97.19000	146.690
13. जोरहाट-III	2003-04 से 07-08	जोरहाट	6000	360.00	49.50		97.257		146.757
14. कामरूप-V	2003-04 से 07-08	हाजो	6000	360.00	49.50		97.335		146.835
15. धूबरी-III	2004-05 से 08-09	दक्षिणी सालमारा	5000	300.00		41.250			41.250
16. कोकराझार-III	2004-05 से 08-09	दोतमा	5000	300.00		41.250	82.500		123.750
17. बोंगाईगांव-III	2004-05 से 08-09	1. माणिकपुर	5000	300.00		41.250			41.250
18. बोंगाईगांव-IV	2004-05 से 08-09	2. बोइतामारी	5000	300.00		41.250		80.50000	121.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	मोरीगांव-II	2004-05 से 08-09	लाहडीघाट	5000	300.00		41.250	81.193		122.443
20.	करीमगंज-III	2004-05 से 08-09	बदरपुर	5000	300.00		41.250		81.94000	123.190
21.	दरांग-III	2004-05 से 08-09	1. भेरगांव	5000	300.00		41.250			41.250
22.	दरांग-IV	2004-05 से 08-09	2. माजबत	5000	300.00		41.250			41.250
23.	सोनितपुर-IV	2004-05 से 08-09	पब चोएदौर	5000	300.00		41.250			41.250
24.	नालबाड़ी-III	2004-05 से 08-09	1. बरामा	5000	300.00		41.250			41.250
25.	नालबाड़ी-IV	2004-05 से 08-09	2. तामुलपुर	5000	300.00		41.250			41.250
26.	बारपेटा-III	2004-05 से 08-09	1. चेंगा	5000	300.00		41.250			41.250
27.	बारपेटा-IV	2004-05 से 08-09	2. गोबेरधाना	5000	300.00		41.250			41.250
28.	के. अंगलोंग-IV	2004-05 से 08-09	1. रांगमोंगबी	5000	300.00		41.250			41.250
29.	के. अंगलोंग-V	2004-05 से 08-09	2. रांगहौंग, लुम्बार्जिंग	5000	300.00		41.250			41.250
30.	जोरहाट-IV	2004-05 से 08-09	कलियापानी	5000	300.00		41.250		82.50000	123.750
31.	एन.सी. हिल्स-III	2004-05 से 08-09	दियुंग वैल्ली (मैवांग)	5000	300.00		41.250	82.490		123.740

32. शिवसागर-III	2004-05 से 08-09	नजरिया	5000	300.00	41.250	82.50000	123.750
33. डिबरूगढ़-III	2004-05 से 08-09	लाहोआल	5000	300.00	41.250		41.250
34. काछार-III	2004-05 से 08-09	उदारबोंड	5000	300.00	41.250		41.250
35. सोनितपुर-V	2004-05 से 08-09	बोरसोला	5000	300.00	41.250	82.50000	123.750
36. दरांग-V	2004-05 से 08-09	उदलगिरी	5000	300.00	41.250		41.250
37. कामरूप-VI	2004-05 से 08-09	सौलकुची	5000	300.00	41.250		41.250
38. एन.सी. हिल्स-IV	2004-05 से 08-09	हारंगआजो	5000	300.00	41.250		41.250
39. करीमगंज-IV	2004-05 से 08-09	द. करीमगंज	5000	300.00	41.250		41.250
40. बोंगाईगांव-V	2004-05 से 08-09	सिदली चिरांग	5000	300.00	41.250		41.250
41. नौगांव-IV	2004-05 से 08-09	ओदाली तथा लुंदिंग	5000	300.00	41.250		41.250
42. गोलाघाट-IV	2004-05 से 08-09	गोलाघाट पश्चिमी	5000	300.00	41.250		41.250
43. नालबाड़ी-V	2004-05 से 08-09	बोरीगोग बनभाग तथा पब नालबाड़ी	5000	300.00	41.250		41.250
44. बारपेटा-V	2004-05 से 08-09	बालाजी	5000	300.00	41.250		41.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	मोरीगांव-IV	2004-05 से 08-09	कापिली	5000	300.00		41.250			41.250
46.	हैलाकांडी-III	2004-05 से 08-09	द. हैलाकांडी	5000	300.00		41.250			41.250
47.	नालबाड़ी-VI	2004-05 से 08-09	पब नालबाड़ी	5000	300.00		41.250			41.250
48.	एन.सी. हिल्स-V	2004-05 से 08-09	जटिंगा वैल्ली	5000	300.00		41.250			41.250
49.	सोनितपुर-VI	2004-05 से 08-09	धेकियाजुली	5000	300.00		41.250		82.50000	123.750
50.	बारपेटा-VI	2005-06 से 2009-10	बारपेटा वि.	6000	360.00			49.500		49.500
51.	डिबरूगढ़-IV	2005-06 से 2009-10	बारबारूहा वि.	6000	360.00			49.500		49.500
52.	डिबरूगढ़-V	2005-06 से 2009-10	पानीटोला वि.	6000	360.00			49.500		49.500
53.	गोलपाड़ा-III	2005-06 से 2009-10	बालीजाना वि.	6000	360.00			49.500		49.500
54.	गोलाघाट-V	2005-06 से 2009-10	गोलाघाट पश्चिम वि.	6000	360.00			49.500		49.500
55.	हैलाकांडी-IV	2005-06 से 2009-10	हैलाकांडी वि.	6000	360.00			49.500		49.500
56.	कामरूप-VII	2005-06 से 2009-10	रांगीया वि.	6000	360.00			49.500		49.500
57.	कामरूप-VIII	2005-06 से 2009-10	गोरेश्वर वि.	6000	360.00			49.500		49.500

58. मोरीगांव-V	2005-06 से 2009-10	मोइराबाड़ी वि.	6000	360.00	49.500	49.500
59. नौगांव-V	2005-06 से 2009-10	बाजियागांव वि.	6000	360.00	49.500	49.500
60. नौगांव-VI	2005-06 से 2009-10	लाखोवा वि.	6000	360.00	49.500	49.500
61. नालबाड़ी-VII	2005-06 से 2009-10	तिहु वि.	6000	360.00	49.500	49.500
62. नालबाड़ी-VIII	2005-06 से 2009-10	धामधामा वि.	6000	360.00	49.500	49.500
63. सोनितपुर-VII	2005-06 से 2009-10	रंगापाड़ा वि.	6000	360.00	49.500	49.500
64. जोरहाट-V	2005-06 से 2009-10	उजानी मजुली वि.	6000	360.00	49.500	49.500
65. तिनसुखिया-III	2005-06 से 2009-10	सदिया वि.	6000	360.00	49.500	49.500
66. कछार-IV	2005-06 से 2009-10	राजाबाड़ी	6000	360.00	49.500	49.500
67. कोकराझार-IV	2005-06 से 2009-10	कोकराझाड़ वि.	6000	360.00	49.500	49.500
68. लखिमपुर-III	2005-06 से 2009-10	नारायणपुर वि.	6000	360.00	49.500	49.500
69. लखिमपुर-IV	2005-06 से 2009-10	करूणाबाड़ी वि.	6000	360.00	49.500	49.500
70. एन.सी. हिल्स-VI	2005-06 से 2009-10	न्यू. सांगवार वि.	6000	360.00	49.500	49.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	एन.सी. हिल्स-VII	2005-06 से 2009-10	डियोंगबरा वि.	6000	360.00			49.500		49.500
72.	धेमाजी-III	2005-06 से 2009-10	बोरदोलोनी वि.	6000	360.00			49.500		49.500
	उप योग			397000	23820.00	693.00	1839.75	2267.658	589.63000	5390.038
	मेघालय									
1.	पश्चिमी खासी हिल्स-II	2003-04 से 07-08	मैरांग, नांगस्टोइन	4000	240.00	33.00		65.129		98.129
2.	पश्चिमी गारो हिल्स-II	2003-04 से 07-08	दादेनगिरी और रोंग्राम	4000	240.00	33.00		65.220		98.220
3.	जैनतिया हिल्स-II	2003-04 से 07-08	थाडलासकीन तथा लासकीन	4000	240.00	33.00		28.500	37.50000	99.000
4.	पूर्वी खासी हिल्स हिल्स-II	2003-04 से 07-08	माइलियम तथा शेलामोलागंज	4000	240.00	33.00			64.67191	97.672
5.	पूर्वी गारो हिल्स-II	2003-04 से 07-08	समान्दा तथा सांगसाक	4000	240.00	33.00		64.800		97.800
6.	दक्षिणी गारो हिल्स-II	2003-04 से 07-08	बाघमारा तथा चौकपोट	4000	240.00	33.00				33.000
7.	रि-भोई-II	2003-04 से 07-08	उमसनिंग तथा उमलिंग	4000	240.00	33.00				33.000
8.	पश्चिमी गारो हिल्स-III	2004-05 से 08-09	सालसेला, ददेनगेरे	2000	120.00		16.500			16.500
9.	पूर्वी खासी हिल्स-III	2004-05 से 08-09	माराइंगखेंग, माफलेंग, पाइनुरसुला, मकाईनरेब	2000	120.00		16.500			16.500

10. पूर्वी गारो हिल्स-III	2004-05 से 08-09	रेसुलबेलपाड़ा, समान्दा	2000	120.00	16.500		16.500
11. जैनतिया हिल्स-III	2004-05 से 08-09	थाडलासकेन, अमलारेम	2000	120.00	16.500		16.500
12. पश्चिमी खासी हिल्स-IV	2004-05 से 08-09	माथाडरायशान	2000	120.00	16.500		16.500
13. रि-भोई-III	2004-05 से 08-09	जिरांग, उमसरिंग	2000	120.00	16.500		16.500
14. दक्षिणी गारो हिल्स-III	2004-05 से 08-09	रोनाड़ा गासुयापाड़ा	2000	120.00	16.500		16.500
15. पश्चिमी गारो हिल्स-IV	2005-06 से 2009-10	गामबेगरे, दादेनगरे, रोंगग्राम, दालू दांगकरे	2500	150.00		20.630	20.630
16. पूर्वी खासी हिल्स-IV	2005-06 से 2009-10	माफलांग, मासाइनराम माइलियम	2500	150.00		20.630	20.630
17. पश्चिमी खासी हिल्स-V	2005-06 से 2009-10	नांगस्टोइन मैरांग माथडरायशान	1500	90.00		12.380	12.380
18. पूर्वी गारो हिल्स-IV	2005-06 से 2009-10	रांगजेंग रेसु खारकुटा, सांगसाक	2000	120.00		16.500	16.500
19. रि-भोई-IV	2005-06 से 2009-10	जिरांग, उमलिंग, उमसनिंग	1500	90.00		12.380	12.380
20. जैनलिया हिल्स-IV	2005-06 से 2009-10	थाडलासाकेन, लासकेन, अमलारेम	1500	90.00		12.380	12.380
21. दक्षिणी गारो हिल्स-IV	2005-06 से 2009-10	गासुपाड़ा, रोंगाड़ा	1000	60.00		8.250	8.250
22. पूर्वी खासी हिल्स-V	2005-06 से 2009-10	माइकेनरेउ	2000	120.00		16.500	16.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	पूर्वी खासी हिल्स-VI	2005-06 से 2009-10	माइफीम	1000	60.00			8.250		8.250
24.	पूर्वी खासी हिल्स-VII	2005-06 से 2009-10	माफलांग	1000	60.00			8.250		8.250
25.	पूर्वी खासी हिल्स-VIII	2005-06 से 2009-10	मुसाइनराम	1000	60.00			8.250		8.250
26.	पूर्वी खासी हिल्स-IX	2005-06 से 2009-10	मार्रिंगकेंग	1000	60.00			8.250		8.250
27.	पूर्वी खासी हिल्स-X	2005-06 से 2009-10	नाइनुरसिया	1000	60.00			8.250		8.250
28.	पूर्वी खासी हिल्स-XI	2005-06 से 2009-10	लैतकारोह	1000	60.00			8.250		8.250
29.	पूर्वी खासी हिल्स-XII	2005-06 से 2009-10	शेल्ला	1000	60.00			8.250		8.250
30.	पश्चिमी खासी हिल्स-VI	2005-06 से 2009-10	मैरांग	1000	60.00			8.250		8.250
31.	पश्चिमी खासी हिल्स-VII	2005-06 से 2009-10	माथडरायशान	1000	60.00			8.250		8.250
32.	पश्चिमी खासी हिल्स-VIII	2005-06 से 2009-10	नांगस्टोइन	1000	60.00			8.250		8.250
33.	पश्चिमी खासी हिल्स-IX	2005-06 से 2009-10	माकीरबात	1000	60.00			8.250		8.250
34.	पश्चिमी खासी हिल्स-X	2005-06 से 2009-10	रानीकोर	1000	60.00			8.250		8.250
35.	पश्चिमी खासी हिल्स-XI	2005-06 से 2009-10	मार्वेगकुट	1000	60.00			8.250		8.250

36. रि-भोई-V	2005-06 से 2009-10	उमसर्निंग	2000	120.00		16.500	16.500
37. रि-भोई-VI	2005-06 से 2009-10	उमर्लिंग	2000	120.00		16.500	16.500
38. रि-भोई-VII	2005-06 से 2009-10	पाथारखामाह	2000	120.00		16.500	16.500
39. जैनतिया हिल्स-V	2005-06 से 2009-10	थाडलास्केइन	1000	60.00		8.250	8.250
40. जैनतिया हिल्स-VI	2005-06 से 2009-10	अम्लारेम	1000	60.00		8.250	8.250
41. जैनतिया हिल्स-VII	2005-06 से 2009-10	लासकेइन	1000	60.00		8.250	8.250
42. जैनतिया हिल्स-VIII	2005-06 से 2009-10	खिलेहरायत	1000	60.00		8.250	8.250
43. पूर्वी गारो हिल्स-V	2005-06 से 2009-10	रेसुबेलपारा	1000	60.00		8.250	8.250
44. पूर्वी गारो हिल्स-VI	2005-06 से 2009-10	सामान्दा	1000	60.00		8.250	8.250
45. पूर्वी गारो हिल्स-VII	2005-06 से 2009-10	रांगजोंग	2000	120.00		16.500	16.500
46. पूर्वी गारो हिल्स-VIII	2005-06 से 2009-10	खरकुट्टा	2000	120.00		16.500	16.500
47. पूर्वी गारो हिल्स-IX	2005-06 से 2009-10	सांगसाक	1000	60.00		8.250	8.250
48. पश्चिमी गारो हिल्स-V	2005-06 से 2009-10	ददेनगरे	1000	60.00		8.250	8.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	पश्चिमी गारो हिल्स-VI	2005-06 से 2009-10	केमबेगरे	1000	60.00			8.250		8.250
50.	पश्चिमी गारो हिल्स-VII	2005-06 से 2009-10	रोंग्राम	1000	60.00			8.250		8.250
51.	पश्चिमी गारो हिल्स-VIII	2005-06 से 2009-10	दालू	1000	60.00			8.250		8.250
52.	पश्चिमी गारो हिल्स-IX	2005-06 से 2009-10	जिकजैक	1000	60.00			8.250		8.250
53.	पश्चिमी गारो हिल्स-X	2005-06 से 2009-10	टिकरीकिफा	1000	60.00			8.250		8.250
54.	पश्चिमी गारो हिल्स-XI	2005-06 से 2009-10	सालसेल्ला	1000	60.00			8.250		8.250
55.	पश्चिमी गारो हिल्स-XII	2005-06 से 2009-10	बेतासिंह	1000	60.00			8.250		8.250
56.	दक्षिणी गारो हिल्स-V	2005-06 से 2009-10	रोंगारा	1000	60.00			8.250		8.250
57.	दक्षिणी गारो हिल्स-VI	2005-06 से 2009-10	गासुआपाड़ा	1000	60.00			8.250		8.250
58.	दक्षिणी गारो हिल्स-VII	2005-06 से 2009-10	चौकपोट	1000	60.00			8.250		8.250
59.	दक्षिणी गारो हिल्स-VIII	2005-06 से 2009-10	बांघमारा	1000	60.00			8.250		8.250
60.	पश्चिमी गारो हिल्स-XIII	2006-07 से 2010-11	ददेनगरे	2000	120.00				16.50000	16.500
61.	पश्चिमी गारो हिल्स-XIV	2006-07 से 2010-11	गामबंगरे	1000	60.00				8.25000	8.250

62. पश्चिमी गारो हिल्स-XV	2006-07 से 2010-11	रोंग्राम	1000	60.00	8.25000	8.250
63. पश्चिमी गारो हिल्स-XVI	2006-07 से 2010-11	दालू	1000	60.00	8.25000	8.250
64. पश्चिमी गारो हिल्स-XVII	2006-07 से 2010-11	जिकजैक	1000	60.00	8.25000	8.250
65. पश्चिमी गारो हिल्स-XVIII	2006-07 से 2010-11	टिकरीकिला	1000	60.00	8.25000	8.250
66. पश्चिमी गारो हिल्स-XIX	2006-07 से 2010-11	सेलसेल्ला	1000	60.00	8.25000	8.250
67. पश्चिमी गारो हिल्स-XX	2006-07 से 2010-11	बेतासिंह	1000	60.00	8.25000	8.250
68. पूर्वी खासी हिल्स-XIII	2006-07 से 2010-11	पाइनुरसिया	1000	60.00	8.25000	8.250
69. पूर्वी खासी हिल्स-XIV	2006-07 से 2010-11	मार्सिगकैंग	1000	60.00	8.25000	8.250
70. पूर्वी खासी हिल्स-XV	2006-07 से 2010-11	माफलांग	1000	60.00	8.25000	8.250
71. पूर्वी खासी हिल्स-XVI	2006-07 से 2010-11	मासाइनराम	1000	60.00	8.25000	8.250
72. पूर्वी खासी हिल्स-XVII	2006-07 से 2010-11	माइलियम	1000	60.00	8.25000	8.250
73. पूर्वी खासी हिल्स-XVIII	2006-07 से 2010-11	माकइनरिउ	2000	120.00	16.50000	16.500
74. पूर्वी खासी हिल्स-XIX	2006-07 से 2010-11	लैतकरोह	1000	60.00	8.25000	8.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	पूर्वी खासी हिल्स-XX	2006-07 से 2010-11	शेल्ला	1000	60.00				8.25000	8.250
76.	पश्चिमी खासी हिल्स-XXII	2006-07 से 2010-11	नांगस्टोइन	1000	60.00				8.25000	8.250
77.	पश्चिमी खासी हिल्स-XXIII	2006-07 से 2010-11	मैरांग	1000	60.00				8.25000	8.250
78.	पश्चिमी खासी हिल्स-XXIV	2006-07 से 2010-11	मथाडरायसेन	1000	60.00				8.25000	8.250
79.	पश्चिमी खासी हिल्स-XXV	2006-07 से 2010-11	माकाइरवात	2000	120.00				16.50000	16.500
80.	पश्चिमी खासी हिल्स-XXVI	2006-07 से 2010-11	रानीकोर	2000	120.00				16.50000	16.500
81.	पश्चिमी खासी हिल्स-XXVII	2006-07 से 2010-11	मार्थेगकुट	1000	60.00				8.25000	8.250
82.	पूर्वी गारो हिल्स-X	2006-07 से 2010-11	रांगजेंग	1000	60.00				8.25000	8.250
83.	पूर्वी गारो हिल्स-XI	2006-07 से 2010-11	रेसुवेलपाड़ा	1000	60.00				8.25000	8.250
84.	पूर्वी गारो हिल्स-XII	2006-07 से 2010-11	सांगसाक	2000	120.00				16.50000	16.500
85.	पूर्वी गारो हिल्स-XIII	2006-07 से 2010-11	खरकुट्टा	2000	120.00				16.50000	16.500
86.	पूर्वी गारो हिल्स-XIV	2006-07 से 2010-11	सामांदा	1000	60.00				8.25000	8.250

87. रि-भोई-VIII 2010-11	2006-07 से	जिरंग	2000	120.00				16.50000	16.500
88. रि-भोई-IX 2010-11	2006-07 से	उमलिंग	2000	120.00				16.50000	16.500
89. रि-भोई-X 2010-11	2006-07 से	उमसलिंग	2000	120.00				16.50000	16.500
90. जैनतिया हिल्स-IX	2006-07 से 2010-11	थाइलासकेन	1500	90.00				12.38000	12.380
91. जैनतिया हिल्स-X	2006-07 से 2010-11	लासकेन	1500	90.00				12.38000	12.380
92. जैनतिया हिल्स-XI	2006-07 से 2010-11	अम्लारेम	1000	60.00				8.25000	8.250
93. जैनतिया हिल्स-XII	2006-07 से 2010-11	खलेहरायत	1000	60.00				8.25000	8.250
94. जैनतिया हिल्स-XIII	2006-07 से 2010-11	सैपुंग	1000	60.00				8.25000	8.250
95. दक्षिणी गारो हिल्स-IX	2006-07 से 2010-11	गासुयापाड़ा	1000	60.00				8.25000	8.250
96. दक्षिणी गारो हिल्स-X	2006-07 से 2010-11	रांगाड़ा	1000	60.00				8.25000	8.250
97. दक्षिणी गारो हिल्स-XI	2006-07 से 2010-11	चौकपोट	1000	60.00				8.25000	8.250
98. दक्षिणी गारो हिल्स-XII	2006-07 से 2010-11	बाघमारा	1000	60.00				8.25000	8.250
उप योग			147500	8850.00	231.00	115.50	689.79870	508.43191	1542.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मणिपुर										
1.	विष्णुपुर-II	2003-04 से	विष्णुपुर 07-08	6000	360.00	49.50				49.500
2.	चुराचन्दपुर-II	2003-04 से 07-08	चुराचन्दपुर	6000	360.00	49.50				49.500
3.	चान्देल-II	2003-04 से 07-08	माची	6000	360.00	49.50				49.500
4.	इम्फाल पूर्वी-II	2003-04 से 07-08	इम्फाल पूर्वी	6000	360.00	49.50				49.500
5.	तामेगलोंग-II	2003-04 से 07-08	तामेगलोंग	6000	360.00	49.50			99.00000	148.500
6.	चान्देल-III	2004-05 से 08-09	खेंगजोए	6000	360.00		49.500			49.500
7.	तामेंगलोंग-III	2004-05 से 08-09	तामेङ	6000	360.00		49.500			49.500
8.	इम्फाल पूर्वी-III	2004-05 से 08-09	इम्फाल पूर्वी-II सी.डी.	5000	300.00		41.250			41.250
9.	सेनापती-IV	2004-05 से 08-09	पुरूल	6000	360.00		49.500			49.500
10.	उखरूल-III	2004-05 से 08-09	फुंगयार	6000	360.00		49.500			49.500
11.	विष्णुपुर-III	2004-05 से 08-09	मोरिरांग डी.सी.	5000	300.00		41.250			41.250
12.	चुराचन्दपुर-III	2004-05 से 08-09	थानलोन	6000	360.00		49.500			49.500

13. चुराचन्दपुर-IV	2005-06 से 2009-10	तिमाइमुख	6000	360.00			49.500		49.500
14. चान्देल-IV	2005-06 से 2009-10	तेंगनौपाल (मोरे)	6000	360.00			49.500		49.500
15. इम्फाल पूर्वी-IV	2005-06 से 2009-10	इम्फाल पूर्वी-I	6000	360.00			49.500		49.500
16. इम्फाल पूर्वी-V	2005-06 से 2009-10	इम्फाल पूर्वी-II	5000	360.00			41.250		41.250
17. इम्फाल पूर्वी-VI	2005-06 से 2009-10	इम्फाल पूर्वी-III	6000	360.00			49.500		49.500
18. सेनापती-V	2005-06 से 2009-10	पाओमाता सैइकुल तथा सैतु	8000	480.00			66.000		66.000
19. उखरूल-IV	2005-06 से 2009-10	चिंगई टी.डी.	6000	360.00			49.500		49.500
20. तामेंगलोंग-IV	2005-06 से 2009-10	तोऊसेम	6000	360.00			49.500		49.500
21. चुराचन्दपुर-V	2006-07 से 2010-11	तिपइमुख	6000	360.00				49.50000	49.500
22. चान्देल-V	2006-07 से 2010-11	तेंगनौपाल	5000	300.00				41.25000	41.250
23. चान्देल-VI	2006-07 से 2010-11	चान्देल	8000	480.00				66.00000	66.000
24. तामेंगलोंग-V	2006-07 से 2010-11	नन्गुबा	6000	360.00				49.50000	49.500
उप योग			144000	8640.00	247.50	330.00	404.2500	305.2500	1287.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मिजोरम										
1.	ऐजवाल-V	2003-04 से 07-08	फुलेन	8000	480.00	66.00				66.000
2.	चम्पई-III	2003-04 से 07-08	नगोपा	8000	480.00	66.00				66.000
3.	कोलासिब-III	2003-04 से 07-08	थिंगडावल	8000	480.00	66.00				66.000
4.	लंगलई-III	2003-04 से 07-08	लंगलई	8000	480.00	66.00				66.000
5.	ममित-III	2003-04 से 07-08	रीक	8000	480.00	66.00				66.000
6.	लांगतलई-III	2004-05 से 08-09	लांगतलई	8000	480.00		66.000			66.000
7.	सैहा-III	2004-05 से 08-09	तुईपांग	8000	480.00		66.000			66.000
8.	लंगलई-IV	2004-05 से 08-09	बुन्हमुन	8000	480.00		66.000			66.000
9.	ममित-IV	2004-05 से 08-09	प. फैलांग	8000	480.00		66.000			66.000
10.	सेरछिप-III	2004-05 से 08-09	पू. लंगदार	8000	480.00		66.000			66.000
11.	ऐजवाल-VI	2005-06 से 2009-10	ऐवाक	8000	480.00			66.000		66.000
12.	ऐजवाल-VII	2005-06 से 2009-10	दारलांन	8000	480.00			66.000		66.000

13. ऐजवाल-VIII	2005-06 से 2009-10	फुलेन	8000	480.00	66.000	66.000
14. चम्फई-IV	2005-06 से 2009-10	खावंग	8000	480.00	66.000	66.000
15. चम्फई-V	2005-06 से 2009-10	नगोपा	8000	480.00	66.000	66.000
16. कोलासिब-IV	2005-06 से 2009-10	थिंगदाल	8000	480.00	66.000	66.000
17. लांगतलई-IV	2005-06 से 2009-10	लांगतलई	8000	480.00	66.000	66.000
18. लांगतलई-V	2005-06 से 2009-10	लांगतलई	8000	480.00	66.000	66.000
19. लांगतलई-VI	2005-06 से 2009-10	चांगटे	8000	480.00	66.000	66.000
20. लांगतलई-V	2005-06 से 2009-10	लंगसेन	8000	480.00	66.000	66.000
21. लांगतलई-VI	2005-06 से 2009-10	हनाहथियाल	8000	480.00	66.000	66.000
22. लांगतलई-VII	2005-06 से 2009-10	लंगसेन	8000	480.00	66.000	66.000
23. ममित-V	2005-06 से 2009-10	रीक	8000	480.00	66.000	66.000
24. ममित-VI	2005-06 से 2009-10	याविनाम	8000	480.00	66.000	66.000
25. सेरछिप-IV	2005-06 से 2009-10	सेरछिप	8000	480.00	66.000	66.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	सैहा-IV	2005-06 से 2009-10	सांगेऊ	8000	480.00			66.000		66.000
27.	सैहा-V	2005-06 से 2009-10	तुईपांग	8000	480.00			66.000		66.000
28.	ऐजवाल-IX	2006-07 से 2010-11	(हमागकेलुई), मौलखांग, सिवमुई, लंगदेई	8000	480.00				66.00000	66.000
29.	चम्फई-VI	2006-07 से 2010-11	तेंगसा, वापर, हामुनहमेलथा	8000	480.00				66.00000	66.000
30.	कोलासिब-V	2006-07 से 2010-11	खामराग, थिगदाल तथा ऐजवाल ब्लाक, सेरखान मइदम (रसथाली), होरटोकी, बकबन्नई	8000	480.00				66.00000	66.000
31.	लांगतलई-III	2006-07 से 2010-11	पैइथेर, वन्हनी, सैकाह, रूलकौल, सैजवाह-पूर्वी	8000	480.00				66.00000	66.000
32.	लांगतलई-VIII	2006-07 से 2010-11	बोरपुई, देंगसुर, बंगतंग, खालेक, दमपुई, थेन्हलम, कौनपुरी, दामगौन	8000	480.00				66.00000	66.000
33.	ममित-VII	2006-07 से 2010-11	लेंगपुई, सैतला, रापुईछिप, हमुनपुई, सेर्हमुन, बुंघमुन	8000	480.00				66.00000	66.000
34.	सैहा-VI	2006-07 से 2010-11	यांगलिंग, छेहलुई, माहरेह, चापुई, खोपाल, सैतलई	8000	480.00				66.00000	66.000
35.	सेरछिप-V	2006-07 से 2010-11	वांचेंगपुई, लंगफो, हमुनजायल	8000	480.00				66.00000	66.000
	उप योग			280000	16800.00	330.00	330.00	1122.0000	528.0000	2310.00

नागालैण्ड

1. तुइनसांग-IV	2003-04 से 07-08	नोकलाक तथा थोनोकइनू	8000	480.00	66.00	132.00	132.00		330.000
2. दीमापुर-III	2003-04 से 07-08	नीउलैण्ड	8000	480.00	66.00	132.00	132.00		330.000
3. फेक-IV	2003-04 से 07-08	सेखरूजु	8000	480.00	66.00	132.00	132.00		330.000
4. किपहिरे	2003-04 से 07-08	किपहिरे, सितिमी तथा पुंगरो	8000	480.00	66.00	132.00	132.00		330.000
5. मोन-III	2003-04 से 07-08	तिजित तथा चेन	8000	480.00	66.00	132.00	132.00		330.000
6. किपहिरे-II	2004-05 से 08-09	कपहिरे, सितिमी	8000	480.00		66.000	132.00		198.000
7. कोहिमा-VIII	2004-05 से 08-09	चिफोबोजू, तसेमिनयू	8000	480.00		66.000	132.00		198.000
8. वोखा-IV	2004-05 से 08-09	भांडारी वोजहुरो-रलान	8000	480.00		66.000	132.00		198.000
9. मोकोकचुंग-IV	2004-05 से 08-09	ओंगपांगकोंग, मांगकोलेंबा	8000	480.00		66.000	132.00		198.000
10. तुइनसांग-V	2004-05 से 08-09	चेसोर, सामालोर	8000	480.00		66.000	132.00		198.000
11. लोंगलेंग-I	2005-06 से 2009-10	लोंगलेंग तथा तामलु	8300	498.00			68.480	136.96000	205.440
12. किपहेरी-III	2005-06 से 2009-10	पुंगरो	8200	492.00			202.950		202.950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	पेरेन-I	2005-06 से 2009-10	तेनिंग	8000	480.00			198.000		198.000
14.	जुनहेबोटो-V	2005-06 से 2009-10	टोकिये	8000	480.00			198.000		198.000
15.	मोन-IV	2005-06 से 2009-10	तिजित/चेन	8000	480.00			198.000		198.000
16.	तुइनसांग-VI	2006-07 से 2010-11	नोकसेन	8000	480.00				66.00000	66.000
17.	मोकाकचुंग-V	2006-07 से 2010-11	मांगकोलेम्बा	8000	480.00				66.00000	66.000
18.	वोखा-V	2006-07 से 2010-11	भंडारी तथा वोजहुरो	8000	480.00				66.00000	66.000
	उप योग			**144500**	**8670.00**	**330.00**	**990.00**	**2185.43000**	**334.96000**	**3840.39**
	सिक्किम									
1.	पूर्वी सिक्किम-VIII	2003-04 से 07-08	कहानी, वरदंग, पश्चिमी तथा केन्द्रीय पंदाम, दुगा, पचाक, कामेरे, साजोंग	6000	360.00	49.50				49.500
2.	प. सिक्किम-III	2003-04 से 07-08	युकसोंग, केतचुएरी, दराप, ताशीडिंग गेजंग, जील, हाथीदुंगा, सोरेंग, चोंग, रेशी, चुंमवंग	6000	360.00	49.50				49.500
3.	उत्तरी सिक्किम-III	2003-04 से 07-08	लाचेन, लाचुंग, मेंसिथांग, ताशंगथांग टौंग	6000	360.00	49.50	99.000			148.500
4.	प. सिक्किम-IV	2004-05 से 08-09	सेगांग, सेललंग	1637	98.22		13.510			13.510

5. पूर्वी सिक्किम-VIII	2004-05 से 08-09	तुमिन, चादेय, पातुक, रेकडांग, तीनतंक, सिंगवेल, अरितार (डुंगडुंग), सिमिक, बुदंग	6000	360.00	49.50				49.500
6. पूर्वी सिक्किम-IX	2004-05 से 08-09	संगानेवास, लिंगताम, अरितार	5469	328.14		45.120			45.120
7. पूर्वी सिक्किम-X	2004-05 से 08-09	नन्दोक, तेम्फयाक, मिंटु	3349	200.94		27.630			27.630
8. पूर्वी सिक्किम-XI	2005-06 से 2009-10	लिंगसे, डौगडंग, कामडौंग, वाइयांग, बैंग, चिसोपामी, रापडांग, तसलार्गथांग, तिरकुतांग वन बंजरभूमि	4075	244.50			33.620		33.620
9. प. सिक्किम-V	2005-06 से 2009-10	तसोजो, खेचुपारी, थिंगलेर (I और II), मालीसिंगलीतान, तिंगबरूम, योपंग, सिंगरैंगपुंग, नाम्बू, बाराप	2160	129.60			17.820		17.820
10. प. सिक्किम-VI	2005-06 से 2009-10	लाबडांग, कोंगरी, गंगायाप, लसोचोरांग	2000	120.00			16.500		16.500
11. प. सिक्किम-VII	2005-06 से 2009-10	यांगथांग, तिकजेक, सरडौंग, सपोंग, वांगटेन	787	47.22			6.490		6.490
12. मंगन उत्तरी सिक्किम-IV	2005-06 से 2009-10	चुंगथान	5320	319.20			43.890		43.890
उप योग			**48797**	**2927.82**	**148.50**	**234.76**	**118.32000**	**0.0000**	**501.58**
त्रिपुरा									
1. उत्तरी त्रिपुरा-II	2004-05 से 08-09	पानीसागर, गौरनगर, कमारघाट	5944	356.64		49.038			49.038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	दक्षिणी त्रिपुरा-III	2004-05 से 08-09	राजनगर, बागफा, ओमपिकारबक, किला, अमारपुर, सतचन्द, रूपाइचारी	6752	405.12		55.700		111.41000	167.110
3.	पश्चिमी त्रिपुरा-II	2004-05 से 08-09	कल्याणपुर	3860	231.60		31.850		63.69000	95.540
4.	धालई-II	2004-05 से 08-09	चोमानु	2250	135.00		18.560			18.560
5.	उत्तरी त्रिपुरा-III	2004-05 से 08-09	दासदा, कुमारघाट, कदमतला	2463	147.78		20.320			20.320
6.	पश्चिमी त्रिपुरा-III	2004-05 से 08-09	विशालगढ़, मेलाघर, तेलैयामुरा, जिरानिया, हेजामारा, मंडलदुक्की, तुलाशिखर	3890	233.40		32.093		64.19000	96.283
7.	दक्षिणी त्रिपुरा-IV	2004-05 से 08-09	रूपईचारी, सतचन्द, वगाफा	2370	142.20		19.553			19.553
8.	उत्तरी त्रिपुरा-IV	2005-06 से 2009-10	दासदा, पेचारथाल, दामचेरा, जम्पुई हिल, कुमारघाट	7100	426.00			58.580		58.580
9.	दक्षिणी त्रिपुरा-V	2005-06 से 2009-10	रूपईचारी, कारबुक, ओमपीकिला, बगाफा, अमरपुर, राजनगर	5900	354.00			48.680		48.680
10.	पश्चिमी त्रिपुरा-IV	2005-06 से 2009-10	पदमाबिल, तुलाशिखर, तेलियामोरा तथा मुंगईकामी	2850	171.00			23.510		23.510
11.	धालई-III	2005-06 से 2009-10	सलेमा, मानु, अम्बासा	7500	450.00			61.880		61.880

12. धालई-IV	2005-06 से 2009-10	सलेमा, चामानु, अम्बासा	2050	123.00			16.910		16.910
13. धालई-V	2006-07 से 2010-11	चामानु, मानु, गन्दाचेरा	6600	396.00				54.45000	54.450
14. उत्तरी त्रिपुरा-V	2006-07 से 2010-11	दासदा, दमचेरा, जमपुई-हिल	6800	408.00				56.10000	56.100
15. दक्षिणी त्रिपुरा-VI	2006-07 से 2010-11	रूपईचारी	3700	222.00				30.52500	30.525
16. पश्चिमी त्रिपुरा-V	2006-07 से 2010-11	मि	2900	174.00				23.92500	23.925
उप योग			**72929**	**4375.74**	**0.00**	**227.11**	**209.56000**	**404.29000**	**840.96**
योग - पूर्वोत्तर राज्य			1471226	88273.56	2244.00	4714.753	7705.89320	3229.59691	17894.243
कुल योग - आई.डब्ल्यू.डी.पी.			5935647	356138.84	8228.63	14111.24133	31387.816	18810.427	72395.30

विवरण-II

राज्यों में डी.पी.ए.पी. (हरियाली) के अंतर्गत (वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान) स्वीकृत प्रस्ताव और जारी की गई निधियां

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या			नीचे दी गई अवधि के दौरान जारी निधियां (लाख रुपये में)		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	287	287	342	968.62	968.63	2736.96
2.	बिहार	60	68	90	202.5	229.5	304
3.	छत्तीसगढ़	116	116	135	391.5	634.27	723.85
4.	गुजरात	250	250	290	843.75	843.75	1411.7
5.	हिमाचल प्रदेश	40	40	47	135	135	212.38
6.	जम्मू-कश्मीर	66	66	77	222.75	222.75	259.87
7.	झारखंड	200	200	234	675	675	789
8.	कर्नाटक	227	227	265	766.13	887.62	1554.33
9.	मध्य प्रदेश	269	269	310	907.87	1930.27	1935.11
10.	महाराष्ट्र	296	303	360	999	1022.62	1598.95
11.	उड़ीसा	146	146	170	492.75	492.74	1220.42
12.	राजस्थान	96	96	115	324	384.75	609.78
13.	तमिलनाडु	160	160	190	540	1346.52	1004.69
14.	उत्तर प्रदेश	160	160	190	540	695.23	1570.59
15.	उत्तरांचल	90	90	105	303.75	525.99	777.84
16.	पश्चिम बंगाल	72	72	80	243	243	387.66
	कुल	2535	2550	3000	8555.62	11237.64	17097.15

विवरण-III

राज्यों में डी.डी.पी. (हरियाली) के अंतर्गत (वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान) स्वीकृत प्रस्ताव और जारी की गई निधियां

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या			नीचे दी गई अवधि के दौरान जारी निधियां (लाख रुपये में)		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1.	आंध्र प्रदेश	110	110	134	371.25	371.25	452.25
2.	गुजरात	298	298	370	1005.175	1005.75	1248.75
3.	हरियाणा	118	118	140	398.25	479.05	472.5
4.	हिमाचल प्रदेश	49	38	46	165.37	128.25	155.25
5.	जम्मू-कश्मीर	41	40	50	138.38	135	168.75
6.	कर्नाटक	166	166	198	560.25	958.5	668.25
7.	राजस्थान	780	830	1062	2632.5	3319.39	3584.25
	योग	1562	1600	2000	5271.175	6397.19	6750

किशनगंगा जल विद्युत परियोजना

1454. श्री मिलिन्द देवरा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान की आपत्तियों को दूर करने के लिए जम्मू और कश्मीर में किशन गंगा जल विद्युत परियोजना में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की संस्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या अब यह परियोजना पूर्व नियोजित स्टोरेज-कम-हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना न रहकर एक "रन ऑफ द रीवर" परियोजना होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे विद्युत उत्पादन क्षमता प्रभावित होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) सरकार ने जम्मू व कश्मीर में केन्द्रीय क्षेत्र में नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एन.एच.पी.सी.) द्वारा 330 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाली किशन गंगा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना के मूल्य को कम करने और घाटी की जातीय एवं सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ विभिन्न जीव-विषमता के संरक्षण के लिए संशोधित योजना प्रतिपादित की है।

संशोधित योजना में, बांध की ऊंचाई 77 एम से 33.48 एम तक कम कर दी गई है। जलाशय की लाइव क्षमता 173.75 मि. क्यूबिक मीटर (एम.सी.एम.) से 7.55 एम.सी.एम. तक कम कर दी गई है। बांध की ऊंचाई और जलाशय की लाइव क्षमता में कमी से जनसंख्या के विस्थापन एवं पश्चातवर्ती पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एण्ड आर) प्रभावों में कमी आएगी।

(ग) से (ङ) संशोधित योजना के अंतर्गत, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना अब रन आफ द रिवर योजना होगी। परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता अपरिवर्तित रहेगी और ऊर्जा उत्पादन 1437.03 मिलियन यूनिट से कम होकर 1350.03 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष होगा, जो लगभग 6% कम है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की जनगणना

1455. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले लोगों के बारे में किस वर्ष में अंतिम जनगणना कराई गई थी;

(ख) क्या जनगणना रिपोर्ट जारी करने में कोई विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान बी.पी.एल. परिवारों की संख्या कम हुई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या 1993-94 से गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की शृंखला का लोगों की गरीबी को कम करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गरीबी हटाने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं; और

(ज) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या घटाने के लिए क्या नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की अंतिम जनगणना 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कराई गई है और इस संबंध में निर्देश सितंबर, 2002 में जारी किए गए थे। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.यू.सी.एल. बनाम भारतीय संघ के मामले में 5-5-2003 को 2001 की रिट याचिका सं. 196 में दिए गए आदेश, जिसमें भारत सरकार को यह निदेश दिया गया था कि वे राज्य सरकारों पर मौजूदा बी.पी.एल. सूची में से किसी भी नाम को हटाने के लिए दबाव न डालें, की वजह से बी.पी.एल. जनगणना, 2002 के परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

(घ) से (च) योजना आयोग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों की संख्या का आकलन एन.एस.एस.ओ. द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात कराए गए उपभोक्ता व्यय के नमूना सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए किए गए गरीबी के अंतिम आकलन से पता चलता है कि देश की 26.10% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है जबकि वर्ष 1993-94 में यह लगभग 36 प्रतिशत था। ग्रामीण विकास मंत्रालय स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रम आदि जैसे अनेक गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सरकार की नई पहल है जिसमें ऐसे ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को, जो शारीरिक श्रम वाले कार्य करना चाहता है, को कम से कम 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाता है। इस कार्यक्रम को 2 फरवरी, 2006 से देश के 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। समय-समय पर इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से कराया जाता है। मूल्यांकन अध्ययनों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की कमी के संबंध में इन कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं।

(छ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए अनुमानों के अनुसार देश में गरीबी के अनुपात में कमी के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका था। देश में गरीबी के सतत् विस्तार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बाधाओं और अनम्यताओं को दोषी माना जा सकता है जो विकास की गरीबी उपशमन दर को कम प्रभावी बना देती है। असमान कृषि विकास, उन क्षेत्रों की धीमी प्रगति जहां कि रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं, की वजह से विकास के लाभ विभिन्न वर्गों और श्रेणी के लोगों तक एकसमान रूप से नहीं पहुंचे हैं।

(ज) 11वीं योजना के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में कमी और उन पर खर्च की जाने वाली अनुमानित धनराशि के लक्ष्य तैयार नहीं किए गए हैं।

कर विभाग में भ्रष्टाचार

1456. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.डी.टी. तथा सी.बी.ई.सी. में भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारियों की, कर अपवंचकों के साथ मिलीभगत से है;

(ख) अब तक कितने भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान की गई है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध लंबित सतर्कता मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे सभी भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी हां, कुछ मामलों में।

(ख) अब तक पहचाने गए भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता के लंबित मामले निम्नानुसार हैं:-

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

वर्ष	केन्द्रीय जांच ब्यूरो वाले मामले	विभागीय मामले
2003	14	32
2004	13	62
2005	30	55
कुल	57	149

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

वर्ष	भ्रष्टाचार के मामलों में दर्ज किए गए सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की सं.	ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध लंबित सतर्कता मामलों की सं.
2003-04	231	112
2004-05	203	129
2005-06	281	213
2006-07 (जुलाई, 06 तक)	66	55

(ग) ऐसे सभी भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों/समय सीमा के आधार पर प्रत्येक वर्ष सतर्कता मामलों के निपटान हेतु कार्रवाई योजना तैयार करना, सतर्कता मामलों की आवधिक पुनरीक्षा करना, नियमित विभागीय कार्रवाई का लगातार परिवीक्षण करना, जहां कहीं भी आवश्यक हो आरोप ज्ञापनों को शीघ्रता से जारी करना, जांच अधिकारियों और प्रस्तुतीकरण अधिकारियों की शीघ्रता से नियुक्ति करना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड

1457. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री काशीराम राणा:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों द्वारा किसानों से कितनी ब्याज दर वसूल की जा रही है;

(घ) किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे को और सुधारने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड न जारी करने के लिए किसानों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) 31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) एवं वाणिज्य बैंकों द्वारा देश भर में कुल 590.93 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) जारी किए गए। के.सी.सी. योजना के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के विचारार्थ बैंकों से कहा गया है कि वे उन किसानों, जिनमें चूककर्ता, जबानी पट्टेदार, काश्तकार इत्यादि हों, जिन्हें किसी

न किसी कारण से के.सी.सी. योजना के दायरे से बाहर किया गया हो तथा नए किसानों को के.सी.सी. के दायरे में लाने का प्रयास करें। किसानों की खपत आवश्यकता के उचित संघटक सहित कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों के लिए सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण को शामिल करने हेतु इस योजना के क्षेत्र को भी बढ़ाया गया है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि कृषि ऋण केवल के.सी.सी. के माध्यम से ही दिए जाएं।

जहां तक ब्याज-दर का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 2.00 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज की दर आधार प्राथमिक उधार दर (बी.पी.एल.आर.) से अधिक न हो। सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ब्याज-दर को पूर्णतः अविनियमित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 के दौरान 3.00 लाख रुपए तक के मूलधन तक की राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से अल्पावधि उत्पादन ऋण प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2% की सरकारी ब्याज सहायता प्रदान करने तथा आर.आर.बी. एवं सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

(ङ) और (च) जब कभी भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें बैंकों को अग्रेषित कर दिया जाता है।

बायो डीजल का उत्पादन

1458. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान बायोईंधन का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या बायो डीजल सस्ता तथा प्रदूषणरहित है;

(ग) यदि हां, तो बायो डीजल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कुछ लोगों ने बायो डीजल के उत्पादन का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके विरोध की प्रकृति किस प्रकार की है;

(च) क्या सरकार को राज्यों में बायो डीजल संयंत्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) भारत में वाणिज्यिक स्तर पर बायो-डीजल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) बायो-डीजल पर्यावरणीय दृष्टि से एक अनुकूल ईंधन है। इंजनों में बायो-डीजल से किए गए अध्ययनों से पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी का पता चला है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बायो-डीजल पर एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया गया है जिसके अंतर्गत 4 लाख हैक्टेयर वन और गैर-वन बंजर भूमि पर जटरोफा करकस (रतनजोत) के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण पर बल दिया गया है। बायो-प्रौद्योगिकी विभाग ने जटरोफा की उन्नत किस्म की वृक्षारोपण सामग्री के उत्पादन और प्रदर्शन पर एक माइक्रो-मिशन कार्यक्रम आरंभ किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्तूबर, 2005 में एक बायो-डीजल खरीद नीति की घोषणा की जो 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी हुई है। इस नीति के अनुसार, तेल विपणन कंपनियां बायो-डीजल के आपूर्तिकर्ताओं से 25 रु. प्रति लीटर की दर से बायो-डीजल की खरीद करेंगी।

(घ) और (ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को बायो-डीजल के उत्पादन के खिलाफ कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) और (छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय को बायो-डीजल पर राष्ट्रीय मिशन की प्रदर्शन परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नर्सरियों में जटरोफा के पौधे लगाने के लिए नौ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और राजस्थान को 49 करोड़ रु. की राशि जारी की।

चीन की कंपनियों को जगह का आबंटन

1459. डा. चिन्ता मोहन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन की कुछ कंपनियों ने खुदरा बाजार में प्रवेश हेतु दिल्ली में मॉल खोलने के लिए जगह के आबंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि उसे ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिला उद्यमियों को ऋण

1460. श्री बालासाहिब विखे पाटील:

श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत महिला उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) क्या महिला उद्यमियों को अपने लघु उद्योग चलाने के लिए बैंकों द्वारा अन्य एजेंसियों की तुलना में अधिक ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महिला उद्यमियों हेतु ब्याज दर घटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) उन महिला उद्यमियों, जिन्हें ऋण दिया गया है, के प्रतिशत से संबंधित ब्यौरा एकत्र नहीं करता है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को दिए गए ऋण से संबंधित विवरण निम्नांकित है:-

(राशि लाख रुपये में)

मार्च को समाप्त वर्ष	महिलाओं को दिया गया ऋण		निवल बैंक ऋण की तुलना में %
	खातों की संख्या	बकाया राशि	
2004	6411802	2629211.57	4.71
2005	7745628	3973284.90	5.44
2006	8161244	5122424.59	5.37

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्तूबर, 1994 से 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों पर प्रभारित होने वाली ब्याज-दर को अविनियमित कर दिया है। ब्याज-दरों को बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्वयं ही निर्धारित करते हैं। 2 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे आधार प्राथमिक उधार दर (बी.पी.एल.आर.) से अधिक ब्याज-दर प्रभारित न करें। तद्नुसार, बैंक अब बी.पी.एल.आर. एवं प्रचलित दिशा-निर्देशों के अध्यधीन विशेष उधारकर्ताओं पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज-दर निर्धारित कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के ऋणों एवं महिला उद्यमी सहित विभिन्न उधारकर्ता श्रेणी हेतु अलग-अलग बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज की दर से संबंधित सूचना पृथक् रूप से नहीं जुटाता।

विद्युत का आवंटन

1461. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

श्री चन्द्रभूषण सिंह:

श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की वर्तमान आवश्यकता कितनी है तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा वास्तव में कितनी विद्युत की आपूर्ति की जाती है;

(ख) राज्यों को विद्युत आवंटन के संबंध में क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने लिए अतिरिक्त विद्युत आवंटन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 2006) के दौरान विद्युत की राज्यवार मांग तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली विद्युत की अनुसूची संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ख) क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादक केन्द्रों की 85% क्षमता को सामान्यतः निश्चित आधार पर संघटक राज्यों को

आबंटित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को निश्चित (फर्म) विद्युत का आबंटन, विद्युत आबंटन के केंद्रीय फार्मूले के अनुसार किया जाता है। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त केंद्रीय आयोजना सहायता और पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ऊर्जा खपत को बराबर महत्व दिया जाता है। अप्रैल, 2000 से, इस फार्मूले को दिशा निर्देश के रूप में माना जा रहा है। शेष 15% क्षमता को केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आकस्मिक तथा मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आबंटित किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों पर उस आवेदन की प्रकृति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों इत्यादि की संबंधित विद्युत आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

विवरण

अप्रैल-जून, 2006 की अवधि में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ऊर्जा की मांग तथा निर्धारित आहरण

राज्य/केन्द्र प्रणाली	उर्जा की मांग (मि.यू.)	निर्धारित ऊर्जा (मि.यू.)						
		एनटीपीसी	एनएचपीसी	एनपीसी	एनएलसी	एसजेवी एनएल	नीपको	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ	359	132.99	53.85	10.59	0.00	25.13	0.00	222.56
दिल्ली	6,208	2521.38	459.33	41.35	0.00	477.39	0.00	3499.44
हरियाणा	6,473	986.50	535.55	91.54	0.00	382.95	0.00	1996.54
हिमाचल प्रदेश	1,142	268.63	182.01	9.73	0.00	183.99	0.00	644.35
जम्मू-कश्मीर	2,568	732.21	835.18	81.91	0.00	197.66	0.00	1846.96
पंजाब	9,454	1307.49	782.68	161.60	0.00	494.04	0.00	2745.81
राजस्थान	7,909	1470.60	392.44	201.70	0.00	224.41	0.00	2289.14
उत्तर प्रदेश	14,200	4236.95	589.83	194.87	0.00	404.45	0.00	5426.10
उत्तरांचल	1,373	486.76	152.49	9.25	0.00	2.39	0.00	650.89
पश्चिमी क्षेत्र								
छत्तीसगढ	3,522	451.93	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00	475.41
गुजरात	15,128	2346.07	0.00	131.41	0.00	0.00	0.00	2477.48
मध्य प्रदेश	8,621	2663.30	0.00	89.59	0.00	0.00	0.00	2752.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	27,520	4137.86	0.00	194.31	0.00	0.00	0.00	4332.17
गोवा	619	463.23	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	468.48
दमन और दीव	376	241.09	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	245.49
दादर नगर हवेली	700	539.22	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	548.33
दक्षिणी क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	14,254	2409.45	0.00	54.72	376.63	0.00	0.00	2840.80
कर्नाटक	9,582	1763.46	0.00	218.61	614.75	0.00	0.00	2596.81
केरल	3,685	1544.24	0.00	112.91	351.91	0.00	0.00	2009.07
तमिलनाडु	15,339	2287.83	0.00	758.07	953.91	0.00	0.00	3999.81
पांडिचेरी	458	310.51	0.00	22.19	149.66	0.00	0.00	482.37
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	1,952	1800.92	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1819.74
झारखंड	1,011	377.20	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	387.98
डीवीसी	2,708	94.27	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	102.36
उड़ीसा	4,098	1164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.33
पश्चिम बंगाल	6,974	1172.04	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.42
सिक्किम	52	108.50	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	119.28
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
अरुणाचल प्रदेश	56	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	109.03	112.66
असम	1,037	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00	719.39	743.82
मणिपुर	108	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	96.07	119.07
मेघालय	333	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	140.87	148.64
मिजोरम	57	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	61.09	64.68
नागालैंड	86	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	70.48	75.35
त्रिपुरा	190	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	136.93	145.94

वार्षिक रिटर्न के माध्यम से जानकारी

1462. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) म्युचुअल फंड्स तथा रिजर्व बैंक में वार्षिक जानकारी रिटर्न (ए.आई.आर.) के माध्यम से किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान ए.आई.आर. से मिलने वाली जानकारी के बारे में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस प्रणाली में परिवर्तनों की प्रक्रिया चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वित्त वर्ष, 2004-05 से संबंधित वार्षिक सूचना विवरणियों में निहित सूचना से यह पता चलता है कि उस वर्ष के दौरान 2 लाख रुपए अथवा इससे अधिक के म्युचुअल फंडों में संव्यवहारों की कुल संख्या 6,42,415 थी, जिसकी धनराशि 7,76,158 करोड़ रु. थी। इसी अवधि के लिए 5 लाख रुपए अथवा इससे अधिक के आर.बी.आई. बांडों में निवेश की कुल संख्या 74, 330 थी जिसकी धनराशि 3,16,307 करोड़ रु. थी। वित्त वर्ष 2005-06 से संबंधित वार्षिक सूचना विवरणियां 31 अगस्त, 2006 को देय होंगी।

(ख) वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान, वार्षिक सूचना विवरणियों में निहित सूचना के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई निम्नवत् है:-

(i) वार्षिक सूचना विवरणियों में निहित संव्यवहारों का पार्टी-वार मिलान किया गया है;

(ii) एक कंप्यूटरीकृत चयन प्रक्रिया के माध्यम से संवीक्षा हेतु मामलों का चयन करने के लिए इस सूचना का उपयोग किया गया है;

(iii) उन व्यक्तियों जिनके पैनों का उल्लेख वार्षिक सूचना विवरणी दाखिलकर्ता द्वारा नहीं किया गया था, को पत्र/सांविधिक नोटिस भेजे गए हैं जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपना पैन प्रस्तुत करें और यदि इससे पूर्व उन्होंने विवरणी दाखिल नहीं की है तो अपनी आय की विवरणियां दाखिल करें। इसके अतिरिक्त, उन विहित व्यक्तियों जिन्होंने वार्षिक सूचना विवरणी दाखिल नहीं की थी, को नोटिस भेजे गए हैं।

(ग) और (घ) इस समय सात ऐसे संव्यवहार हैं जिन्हें वार्षिक सूचना विवरणी में सूचित किया जाना आवश्यक है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण, 2006 में यह घोषणा की है कि सरकार का इरादा वार्षिक सूचना विवरणी में सूचित किए जाने वाले कतिपय और संव्यवहारों को विहित किए जाने का है। इस प्रयोजनार्थ नए संव्यवहारों को शीघ्र विहित किया जाएगा।

ग्रामीण ऋण

1463. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1990 के आरंभ में आर्थिक सुधारों के शुरू होने के बाद से सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सहकारी समितियों से छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों को दिए जाने वाले ग्रामीण ऋण में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 तथा 2003 से 2006 तक छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों को प्रदान किए गए ग्रामीण ऋण का वर्षवार प्रतिशत क्या है; और

(ग) ग्रामीण ऋण में कमी होने के क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में कुल कृषि ऋण बकायों की तुलना में छोटे किसानों/सीमांत किसानों (एस.एफ./एम.एफ.) की हिस्सेदारी में नब्बे के दशक के प्रारंभ के 47% से सुधार होकर 2001-02 के दौरान लगभग 49% हो गया है। यह ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) द्वारा अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) एस.टी. (एस.ए.ओ.) हेतु एस.एफ./एम.एफ. को जारी किए गए ऋण में वर्ष 1996-97 के 52% की तुलना में वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान 61% की वृद्धि हुई है, संलग्न विवरण-II में यह आंकड़े देखे जा सकते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) द्वारा संवितरित कुल ऋणों का लगभग 50 प्रतिशत कृषि एवं इससे जुड़े क्रियाकलापों के लिए है। यह निर्देश दिया गया है कि आर.आर.बी. द्वारा किया जाने वाला अधिकांश वित्तपोषण एस.एफ. एवं एम.एफ. श्रेणी के किसानों के लिए होना चाहिए। वर्ष 2005-06 के उपलब्ध अनंतिम आंकड़े के अनुसार आर.आर.बी. द्वारा जारी 14076.16 करोड़ रुपए के कृषि ऋण में से 8972.69 करोड़ रुपए (59.70%) का ऋण एस.एफ./एम.एफ. के लिए था।

विवरण-I

छोटे और सीमांत किसानों को बकाया ऋण (जून के अन्त की स्थिति के अनुसार)

खातों की संख्या: हजारों में (राशि: करोड़ रुपए)

वर्ष	एक हैक्टेयर तक (हजारों में)		1-2 हैक्टेयर (हजारों में)		कुल बकाया (हजारों में)		एस.एफ./एम.एफ. को लिये जाने वाले कुल ऋण का %
	खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि	
1990-91	6,136.8	2,894.5	4,345.8	2,870.3	14,045.3	12,388.6	46.53
1991-92	6,062.5	3239.2	4439.0	3049.6	14170.0	13346.2	47.12
1992-93	6,057.3	3437.4	4459.8	3328.0	14394.7	14209.6	47.61
1993-94	6,007.2	3595.3	4282.4	3410.7	13926.4	14907.7	47.00
1994-95	5,462.9	3888.5	4046.5	3658.6	13001.8	15906.3	47.45
1995-96	5,556.9	4325.6	4254.9	4295.0	13273.2	17884.7	48.20
1996-97	5,296.4	4893.9	4219.2	5032.9	13090.3	20396.2	48.67
1997-98	4,890.2	5,057.8	4,033.5	5,441.7	12,278.0	22,251.6	47.19
1998-99	4,407.8	5,511.4	3,710.6	5,679.9	11,506.9	23,842.3	46.94
1999-00	4,543.9	6,184.6	3,777.2	6,445.4	11,700.0	27,348.9	46.18
2000-01	4,600.2	7,214.8	3,688.6	7,308.3	11,844.1	31,486.0	46.13
2001-02	4,901.6	8,759.1	3,960.80	9686.4	12,256.8	37,528.9	49.15

विवरण-II

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) द्वारा दिये गए अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) ऋण

(राशि: करोड़ रुपए)

वर्ष	डीसीसीबी द्वारा जारी अल्पावधि कृषि ऋण	कॉलम 2 में से एस.एफ./ एमएफ को जारी ऋण	कॉलम 3 से कॉलम 2 का प्रतिशत
1	2	3	4
1996-97	9,327.28	4,834.48	52

1	2	3	4
1997-98	10,443.89	5,744.14	55
1998-99	12,490.00	6,884.00	55
1999-00	15,225.00	8,642.00	57
2000-01	18,024.20	9,967.00	54
2001-02	19,068.48	9,186.53	48
2002-03	20,374.58	11,158.51	55
2003-04	21,232.99	12,292.19	58
2004.05	25,864.92	15,683.29	61

[हिन्दी]

छोटे कस्बों तथा शहरों के डिजीटल मानचित्र

1464. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार प्रशासन मूलभूत अवसंरचना तथा योजना में सुधार के लिए उपग्रहों की सहायता से देशभर के छोटे कस्बों तथा शहरों के डिजीटल मानचित्र तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के किस प्रकार से लोगों के लिए लाभकारी होने की संभावना है;

(ग) उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस योजना के आरंभिक चरण में किन-किन राज्यों तथा कितने शहरों और छोटे कस्बों को शामिल करने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय ने मार्च, 2006 में राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एन.यू.आई.एस.) स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य शहरी सूचकांकों तथा क्षमता निर्माण के लिए मानक तैयार करने हेतु मॉडम आंकड़ा स्रोतों का उपयोग करते हुए शहरी आयोजना के विभिन्न स्तरों के लिए घटक तथा स्थानिक सूचना आधार विकसित करना है। एन.यू.आई.एस. स्कीम के दो घटक हैं:- (i) शहरी आयोजना की स्थानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी स्थानिक सूचना प्रणाली (यू.एस.आई.एस.) तथा (ii) कस्बा स्तर पर शहरी आंकड़ा आधार तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शहरी आंकड़ा बैंक तथा सूचकांक (एन.यू.डी.बी. एंड आई.)। इस स्कीम में देशभर के 137 कस्बे/नगर शामिल हैं।

एन.यू.आई.एस. स्कीम का लक्ष्य शहरी स्थानीय निकायों की आयोजना, विकास तथा प्रबंध के लिए एक व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित करना है। डिजीटल नक्शे तथा जी.आई.एस. आंकड़ा आधार से (i) मास्टर प्लान, (ii) क्षेत्रीय प्लान, (iii) उपयोगिता प्लान तथा (iv) विस्तृत नगर नियोजन स्कीमें तैयार करने में मदद मिलेगी। डिजीटल सूचना अवस्थापना विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण मानीटरिंग तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंध आदि के लिए भी उपयोगी होगी।

(ग) 137 नगरों/कस्बों में एन.यू.आई.एस. स्कीम के कार्यान्वयन की कुल अनुमानित लागत 68.28 करोड़ रु. है।

(घ) योजना के प्रथम चरण में एन.यू.आई.एस. स्कीम के अंतर्गत 137 कस्बे तथा नगर शामिल किए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत शामिल किए जाने वाले नगरों तथा कस्बों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:-

राज्य	नगरों/कस्बों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	6

1	2
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	5
बिहार	5
छत्तीसगढ़	5
गोवा	5
गुजरात	6
हरियाणा	5
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू-कश्मीर	5
झारखंड	5
कर्नाटक	6
केरल	5
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	6
मणिपुर	2
मेघालय	2
मिजोरम	2
नागालैंड	2
उड़ीसा	6
पंजाब	6
राजस्थान	6
सिक्किम	2
तमिलनाडु	6
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	6
उत्तरांचल	5
पश्चिम बंगाल	6
संघ शासित प्रदेश	7 (प्रत्येक संघ शासित प्रदेश के लिए एक)

एन.टी.पी.सी. की विद्युत परियोजनाएं

1465. श्री तूफानी सरोज: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने 1989 और 1999 के दौरान गैस आधारित कुछ विद्युत संयंत्रों को चालू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. ने अपने पहले के निर्णय के विपरीत इनमें से कुछ संयंत्रों को चलाने के लिए नापथा तथा डीजल का प्रयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई कितनी अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ेगी?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1989 से 1999 के दौरान चालू किए गए नेशनल पावर कारपोरेशन के गैस/तरल ईंधन आधारित कंबाईंड साइकिल विद्युत संयंत्र के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र/यूनिट का ब्यौरा	ईंधन (प्राथमिक/गौण)	क्षमता	जब से यूनिटें चालू हैं
1	2	3	4	5
1.	अंता गैस पावर प्लांट	गैस/नाप्था	419 मेगावाट	1989

1	2	3	4	5
2.	औरैया गैस पावर प्लांट	गैस/नाप्था	652 मेगावाट	1989-1990
3.	दादरी गैस पावर प्लांट	गैस/एच.एस.डी.	817 मेगावाट	1992-1994
4.	कवास गैस पावर प्लांट	गैस/नाप्था	645 मेगावाट	1992-1993
5.	झनोर गांधार गैस पावर प्लांट	गैस/	648 मेगावाट	1994-1995
6.	राजीव गांधी (कायमकुलम) कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट	नाप्था/	350 मेगावाट	1998-1999
7.	फरीदाबाद गैस पावर प्लांट जीटी सं. 1 व 2	गैस/नाप्था	286 मेगावाट	1999

(ग) और (घ) जी नहीं। एन.टी.पी.सी. ने उक्त संयंत्रों को चलाने के लिए ईंधन के संबंध में अपना निर्णय नहीं बदला है। जैसा कि आरंभ में संकल्पित था:-

- झनोर गांधार गैस विद्युत संयंत्र प्राथमिक ईंधन के रूप में गैस का उपयोग करता है (इसमें तरल ईंधन प्रयोग करने का प्रावधान नहीं है) तथा कायमकुलम कम्बाइंड साइकिल विद्युत संयंत्र प्राथमिक ईंधन के रूप में नाप्था का प्रयोग करता है।

- अंता जी.पी.पी., औरैया जी.पी.पी., दादरी जी.पी.पी., कवास जी.पी.पी. और फरीदाबाद जी.पी.पी. प्राथमिक ईंधन के रूप में गैस का तथा वैकल्पिक ईंधन के रूप में नाप्था का प्रयोग करते हैं (दादरी जी.पी.पी. के मामले में हाईस्पीड डीजल), यदि गैस की आपूर्ति कम हो तथा संयंत्र को नाप्था पर चलाने की लाभार्थी की मांग हो। ईंधन के रूप में गैस के स्थान पर नाप्था के प्रयोग की स्थिति में अतिरिक्त लागत लगभग 2.60 रुपये प्रति यूनिट है। वस्तुतः केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ निर्धारण के समय वैकल्पिक ईंधन मामले पर पहले ही विचार कर लिया है।

सुरक्षा कारणों से विनिर्माता की सिफारिशों के अनुसार इनमें से कुछ संयंत्र स्टार्ट-अप और शट डाऊन के दौरान डीजल का भी प्रयोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

पानी की उच्च दरें

1466. श्री एम. शिवन्ना: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारका के निवासियों को आपूर्ति किए जा रहे पानी के लिए उच्च दरें वसूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के निवासियों को गंदे तथा कीचड़ वाले पानी की आपूर्ति की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह सूचित किया है कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली विकास प्राधिकरण को द्वारका के लिए थोक जल दरों पर जल दरों पर जल मुहैया कराता है, और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारका के निवासियों को जल का वितरण करते समय इन थोक दरों में बूस्टिंग प्रभार जोड़ देता है।

(ग) और (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि द्वारका के निवासियों को वितरित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्धारित मानकों के अनुसार जल की आपूर्ति थोक आधार पर की जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी यह बताया है कि स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है तथा यदि कोई स्थानीय शिकायत प्राप्त होती है तो इसको दूर किया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशी बैंक

1467. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने और कौन-कौन से विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त बैंकों की राज्यवार कितनी शाखाएं हैं;

(ग) क्या सरकार नए विदेशी बैंकों को देश में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विदेशी बैंकों के क्या नाम हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) 30-4-2006 की स्थिति के अनुसार, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की संख्या एवं शाखाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) दिनांक 28-2-2005 को भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा जारी की गई "भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति से संबंधित रूपरेखा" के अनुसार, भारत में पहली बार बैंकिंग कारोबार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले नए विदेशी बैंक, एकल पद्धति उपस्थिति मानदंड का अनुसरण करके, शाखा उपस्थिति द्वारा परिचालन कर सकते हैं अथवा 100% पूर्णतः स्वाधिकृत सहायता संस्था (डब्ल्यू.ओ.एस.) स्थापित करने का विकल्प अपना सकते हैं। वर्ष 2006 में, आस्ट्रेलिया के नैशनल आस्ट्रेलिया बैंक लिमिटेड को मुम्बई में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है।

विवरण

30-04-2006 की स्थिति के अनुसार भारत में विदेशी बैंक शाखाओं की सूची

क्रम संख्या	बैंक का नाम	स्थान	शाखाओं की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	ए.बी.एन.-एमरो बैंक	मुंबई-3 शाखाएं, कोलकाता-3, नई दिल्ली-4, चेन्नई-2, पुणे, हैदराबाद, वडोदरा, बंगलौर, नोएडा, गुड़गांव, सूरत, लखनऊ, पानीपत, मंगलूर, मुरादाबाद में एक-एक शाखा	23
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	मुम्बई, बंगलौर में एक-एक	2
3.	अमेरिकन एक्सप्रैस बैंक लि.	मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, नई दिल्ली, बंगलौर हैदराबाद, पुणे में एक-एक	7
4.	अरब बंगलादेश बैंक लि.	मुम्बई	1
5.	बैंक इन्टरनैशनल इंडोनेशिया	मुम्बई	1
6.	एंटवर्प डायमंड बैंक एन.वी.	मुम्बई	1
7.	बैंक ऑफ अमेरिका एन.ए.	मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, नई दिल्ली, बंगलौर में एक-एक	5

1	2	3	4
8.	बैंक ऑफ बेहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी.	मुम्बई, हैदराबाद में एक-एक	2
9.	बैंक ऑफ सिलोन	चैन्नई	1
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	मुम्बई, बंगलौर, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर में एक-एक	5
11.	बैंक ऑफ टोकियो मित्सूबिशी लि. यू.एफ.जे.	मुम्बई, नई दिल्ली, चैन्नई में एक-एक	3
12.	बार्क्लेज बैंक पी.एल.सी.	मुम्बई	1
13.	बी.एन.पी. परीबस	मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे, अहमदाबाद में एक-एक	8
14.	जे.पी. मोर्गन चेज बैंक एन.ए.	मुम्बई	1
15.	सिटी बैंक एन.ए.	मुम्बई-6, कोलकाता-2, नई दिल्ली-5, चैन्नई-2, बंगलौर-2, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, वडोदरा, जयपुर, लुधियाना, कोयम्बटूर, गुड़गांव, चंडीगढ़, कोचीन, सूरत, नोएडा, लखनऊ, फरीदाबाद, वाशी (नवी मुम्बई), नासिक, औरंगाबाद, इंदौर, भुवनेश्वर,पांडिचेरी, जालंधर, भोपाल में एक-एक	39
16.	केलयान बैंक	मुम्बई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, बंगलौर में एव ·एक	5
17.	चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	नई दिल्ली	1
18.	चौहंग बैंक	मुम्बई	1
19.	डी.बी.एस. बैंक लि.	मुम्बई, नई दिल्ली में एक-एक	2
20.	डॉयच बैंक	मुम्बई-2, नई दिल्ली, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, गुड़गांव में एक-एक	8
21.	मिजूहो कारपोरेट बैंक लि.	मुम्बई	1
22.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन	मुम्बई-10, कोलकाता-7, नई दिल्ली-5, बंगलौर-2 चेन्नई-2, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, जयपुर, गुड़गांव, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़, पुणे, नोएडा, कोयम्बटूर, लुधियाना, कोच्चि, वडोदरा, इंदौर, पुणे, नागपुर में एक-एक	42

1	2	3	4
23.	करुंग थाई बैंक पी.एल.सी.	मुम्बई	1
24.	मशरेक बैंक पी.एस.सी.	मुम्बई, नई दिल्ली में एक-एक	2
25.	ओमान इंटरनैशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	मुम्बई, कोचीन में एक-एक	2
26.	सोसाइटी जनरैल	मुम्बई, नई दिल्ली में एक-एक	2
27.	सोनाली बैंक	कोलकाता, सिलीगुडी में एक-एक	2
28.	स्टेन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	मुम्बई-18, कोलकाता-15, चेन्नई-4, नई दिल्ली-15 कोचीन-2, बंगलौर-2, पुणे, कानपुर, अहमदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, चंडीगढ़, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, वडोदरा, भोपाल, सूरत, जालंधर, सिकंदराबाद, अमृतसर, नागपुर, राजकोट, पटना, गुड़गांव, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, इंदौर में एक-एक	81
29.	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस	मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद में एक-एक	3
		कुल	253

[अनुवाद]

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम

1468. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगरपालिका निगम अधिनियम की धारा 507 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने अर्थात् भूमि को शहरी भूमि के रूप में घोषित किये जाने के बाद दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के उपबन्ध शहरीकरण के रूप में घोषित इस प्रकार के सभी गांवों में क्रियान्वित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बीमा कंपनियां

1469. श्री ब्रजेश पाठक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी बीमा कंपनियां पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी निजी बीमा कंपनियां कौन-कौन सी हैं; और

(ग) सरकार/आई.आर.डी.ए. द्वारा ऐसी निजी बीमा कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जैसा कि बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में अपने दायित्वों को पूर्णतया निभाती हैं। ऐसे कुछ दृष्टांतों में, जहां बीमा कंपनियां परिचालन के प्रारंभिक स्तर पर होने के कारण नियत वित्तीय

वर्ष में अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैं तो प्राधिकरण ने ऐसी कंपनियों को कमी को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिनका अनुपालन कंपनियों द्वारा किया गया था। बीमा कंपनियों के नाम, निर्धारित लक्ष्य तथा उनके द्वारा वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

गैर-जीवन बीमाकर्ता-ग्रामीण क्षेत्र

(हामीदार की गई सकल डायरेक्ट प्रीमियम का प्रतिशत)

बीमाकर्ता	2002-03		2003-04		2004-05	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
रॉयल सुन्दरम	3.00	3.85	5.00	6.13	5	6.06
टाटा ए.आई.जी.	3.00	3.06	5.00	5.59	5	7.98
रिलायंस	3.00	3.02	5.00	5.69	5	5.08
इफको टोकियो	5.00	5.42	5.00	5.57	5	7.40
आई.सी.आई.सी.आई. लाम्बार्ड	3.00	2.21	5.00	5.27	5	5.60
बजाज एलायंज	3.00	5.87	5.00	5.73	5	9.40
एच.डी.एफ.सी. छब	2.00	1.07	3.00	3.00	5	5.12
चोलामंडलम	2.00	0.11	3.00	4.46	5	5.22

जीवन बीमाकर्ता-ग्रामीण क्षेत्र

(हामीदार की गई पॉलिसियों की संख्या का प्रतिशत)

बीमाकर्ता	2002-03		2003-04		2004-05	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
अलायंज बजाज	9.00	16.70	12.00	12.95	14.00	15.84
आई.एन.जी. वैश्य	9.00	35.38	12.00	13.27	14.00	15.24
ए.एम.पी. सन्मार	9.00	9.24	12.00	13.26	14.00	16.19

1	2	3	4	5	6	7
एस.बी.आई. लाइफ	9.00	15.48	12.00	14.03	14.00	21.92
टाटा ए.आई.जी.	9.00	9.99	12.00	14.22	14.00	18.00
एच.डी.एफ.सी. स्टैन्डर्ड	12.00	12.30	14.00	19.23	16.00	20.60
आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडेंशियल	12.00	12.02	14.00	14.85	16.00	16.00
बिरला सनलाइफ	12.00	16.09	14.00	16.70	16.00	24.00
अवीवा	7.00	0.56	9.00	18.73	12.00	20.10
कोटक महेन्द्रा ओ.एम.	9.00	15.78	12.00	14.00	14.00	15.72
मैक्स न्यू यार्क	12.00	12.05	14.00	16.56	16.00	18.75
मेट लाइफ	9.00	25.97	12.00	27.17	14.00	15.67
सहारा*	–	–	–	–	2.92	27.34

*वर्ष 2004-05 में परिचालन आरम्भ किए गए बीमाकर्ता

[अनुवाद]

महिलाओं द्वारा अनुसंधान कार्य

1470. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महिलाओं का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आगतों के साथ सशक्तीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्ष 2005-06 के दौरान स्वीकृत एवं 2006-07 के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजना द्वारा कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई और चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की "महिलाओं के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी" स्कीम, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के "जैव-प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण और महिला विकास कार्यक्रम" और विज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के "महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं उपयोग कार्यक्रम" नामक विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करता आ रहा है ताकि महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी से अधिकारिता प्रदान की जा सके। समुचित प्रौद्योगिकी के विकास और अनुकूलन, क्षमता निर्माण और दक्षता विकास के द्वारा प्रामाणिक प्रौद्योगिकियों का हस्तान्तरण इन स्कीमों के मुख्य उद्देश्य हैं। महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2002 में महिला वैज्ञानिकों के लिये एक फैलोशिप स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों में उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिकों को प्रतिवर्ष लगभग 200 फैलोशिप (अध्येतावृत्तियां) प्रदान की जाती हैं अर्थात प्राथमिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक मुद्दों के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित स्व-नियोजन अवसरों हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। महिला वैज्ञानिकों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिये विज्ञान पर एक महिला कार्यबल की भी स्थापना सरकार द्वारा की गई है।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान महिला स्वास्थ्य एवं पोषण, सूचना प्रौद्योगिकी, फसलोत्तर प्रौद्योगिकियां, प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर उपयोग, मछलीपालन, पशु चारा और आहार और

जैविक खादों जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 48 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चार स्थानों पर महिला प्रौद्योगिकी पार्कों की सुविधा प्रदान की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिकारिता प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे ही प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 2006-07 के दौरान परियोजनायें चलाई जा रही हैं।

(घ) देश के विभिन्न भागों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय एवं अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों में इन स्कीमों से बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुए हैं। यह स्कीमें हमेशा चलने वाली हैं और संपूर्ण देश में व्यापक रूप से इनका कार्यान्वयन किया जाता है तथा यह बाद में भी परिणाम देती हैं, अतः प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभार्थियों की सही संख्या का अनुमान देना संभव नहीं हो पाया है।

एम.आर.टी.पी. आयोग

1471. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम.आर.टी.पी.) आयोग अनुचित तथा अवरोधक व्यापार कार्यों के संबंध में जांच एवं उपयुक्त कार्रवाई करता है;

(ख) यदि हां, तो 2005-06 के दौरान अभी तक कितने मामलों की जांच की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए जांच परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन जांच परिणामों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम.आर. टी.पी.) आयोग में वर्ष 2005 तथा 2006 (जून तक) के दौरान प्राप्त, निपटान किए गए तथा लम्बित अनुचित व्यापार प्रथा (यू.टी.पी.) तथा अवरोधक व्यापार प्रथा (आर.टी.पी.) के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	मामलों का प्रकार	वर्ष के आरंभ में लम्बित	संस्थित मामलों की संख्या	निपटान किए गए मामले	वर्ष के अन्त में लम्बित
2005	यू.टी.पी.	568	112	74	606
	आर.टी.पी.	367	35	64	338
2006 (जून तक)	यू.टी.पी.	606	52	99	559
	आर.टी.पी.	338	30	53	315

(ग) और (घ) एम.आर.टी.पी. आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है और इसके आदेश खुले न्यायालय में घोषित किए जाने वाले न्यायिक प्रकृति के होते हैं। एम.आर.टी.पी. आयोग के निष्कर्ष/आदेशों की प्रतियां सरकार को केवल तब ही दी जाती है जब सरकार एक पक्ष हो। वर्ष 2005 तथा 2006 (आज तक) के दौरान इस मंत्रालय को एम.आर.टी.पी. आयोग से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें सरकार से और कार्रवाई की अपेक्षा की गई हो।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता

1472. श्री बसुदेव आचार्य:

श्री हंसराज जी. अहीर:

श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चीन सहित अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) व्यवस्था और एफ.डी.आई. अंतप्रर्वाहों के संबंध में तुलनात्मक विवरण क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में क्षेत्रवार तथा राज्यवार कितना एफ.डी.आई. अंतप्रर्वाह हुआ;

(ग) क्या एफ.डी.आई. आकर्षित एवं प्राप्त करने में भारत को मूलभूत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या एफ.डी.आई. के माध्यम से प्राप्त निधियों का उपयोग देश में अवसंरचना विकास के लिए किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो सड़क, पेयजल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी निधियों के वितरण का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारत और चीन में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एफ.डी.आई. अंतर्वाह नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

एफ.आई.डी. अंतर्वाह (मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	भारत	चीन
2002	3449	52743
2003	4269	53505
·2004	5335	60630

स्रोत: विश्व निवेश रिपोर्ट 2005 (यू.एन.सी.टी.ए.डी.)

टिप्पणी: चीन का एफ.डी.आई. प्रवाह का डाटा सकल आधार पर है न कि निवल या भुगतानों के शेष के आधार पर।

हालिया विगत में चीन ने विश्व व्यापार संगठन में अपने अभिगमन के संदर्भ में की गई वचनबद्धताओं को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के औद्योगिक मार्गदर्शन के लिए सूचीपत्र में संशोधन किया है। "प्रोत्साहित" श्रेणी में अनेक उद्योग जोड़े गए हैं जबकि कुछ उद्योगों को घरेलू अर्थव्यवस्था के अत्यधिक निवेश को नियंत्रित करने के उद्देश्य से "प्रोत्साहित" से "अनुमत" श्रेणी में पुन: श्रेणीकृत किया गया है। देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास योजना, 2005 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों, उन्नत विनिर्माण, आधुनिक सेवाओं तथा कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण में प्रोत्साहन देकर इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

भारत में, निवेश आयोग पर घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार के निजी निवेशकों को आकृष्ट करने का उत्तरदायित्व डाला गया है। फरवरी, 2006 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तथा सहबद्ध प्रक्रियाविधियों की व्यापक समीक्षा की गई तथा परिणामस्वरूप अनेक यौक्तिकीकरण उपाय आरंभ किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के अलावा, कतिपय क्षेत्रों में विद्यमान सरकारी तथा/अथवा विनियामक अभिकरणों से अनेकानेक अनुमोदनों की आवश्यकता को समाप्त करना, स्वचालित मार्ग को और क्षेत्रों तक विस्तारित करना तथा नए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमत करना शामिल है।

(ख) अगस्त, 1991 से मार्च, 2006 की अवधि के दौरान देश में क्षेत्रकवार तथा क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी अंतर्वाह (यथा उपलब्ध) संलग्न विवरण-I तथा II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय दर-निर्धारण संगठनों के एक समूह द्वारा निरंतर सर्वाधिक आकर्षक निवेश गंतव्यों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत अपनी उच्च कुशल तथा लागत-प्रभावी श्रमशक्ति से न केवल बिजनेस प्रोसेस बहिस्रोतण के लिए अपार अवसर उपलब्ध करा रहा है बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में (नालेज प्रोसेस आऊट सोर्सिंग) तथा इंजीनियरी के क्षेत्र में (इंजीनियरी प्रोसेस आऊट सोर्सिंग) महत्वपूर्ण शृंखला के लिए भी उच्च योग्यता प्राप्त श्रमशक्ति के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करा रहा है।

(ङ और च) दूरसंचार, ईंधन (विद्युत एवं तेल शोधनशाला) जैसे अवसंरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में निर्दिष्ट किए गए हैं।

विवरण-I

क्षेत्रक-वार प्राप्त किए गए एफ.डी.आई. अंतर्वाह का विवरण (अगस्त 1991 से मार्च, 2006 तक)

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्रक	एफ.डी.आई. अंतर्वाहों की राशि	
		(रुपए)	(अमरीकी डालर)
1	2	3	4
1.	इलेक्ट्रिक उपकरण (कम्प्यूटर साफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिकी सहित)	237,094.42	5,495.61

1	2	3	4
2.	दूर-संचार	143.368.31	3,372,28
3.	परिवहन उद्योग	133,151.21	3,177.60
4.	सेवा क्षेत्रक	128,042.14	3,091.14
5.	ईंधन (विद्युत और तेल शोधन)	109,762.46	2,581.37
6.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	85,798.49	2,142.54
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	47,022.55	1,178.70
8.	औषध और भेषज	43,114.49	1,007.33
9.	सीमेंट और जिम्पस उत्पाद	32,312.52	746.79
10.	धात्विक उद्योग	28,162.67	654.63
11.	परामर्शी सेवाएं	20,985.03	459.80
12.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी	19,320.65	492.41
13.	कपड़ा (रंजित, प्रिंटेड सहित)	17,748.52	450.02
14.	व्यापार	14,967.81	379.05
15.	कागज उत्पाद सहित कागज और गुदा	14,047.15	363.46
16.	होटल और पर्यटन	13,840.69	322.99
17.	कांच	10,304.68	255.65
18	रबर पदार्थ	9,849.07	233,60
19.	औद्योगिक मशीनरी	8,683.77	214.54
20.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	8,464.77	233.34
21.	कृषि मशीनरी	6,897.63	166.63
22.	मशीन टूल्स	6,642.70	155.69
23.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	4,668.78	107.12
24.	चिकित्सीय एवं शल्य चिकित्सा एप्लायंसेज	4,482.41	101.87
25.	साबुन, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री	3,949.99	89.98
26.	मृत्तिका शिल्प	3,495.32	89.70

1	2	3	4
27.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	3,352.09	73.91
28.	उर्वरक	3,292.93	78.22
29.	किण्वन उद्योग	3,157.70	75.52
30.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	1,968.06	51.97
31.	वनस्पति तेल और वनस्पति	1,497.63	37.39
32.	सरेस और जिलेटिन	1,475.76	36.04
33.	इलेक्ट्रिकल को छोड़कर प्राइम मूवर्स	1,055.74	30.61
34.	औद्योगिक उपस्कर	841.72	22.06
35.	शर्करा	719.45	17.27
36.	वैज्ञानिक उपस्कर	616.37	14.85
37.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्म और कागज	607.54	15.25
38.	रंजक सामान	592.04	16.01
39.	बॉयलर्स और भाप उत्पादक संयंत्र	182.75	5.01
40.	रक्षा उद्योग	2.37	0.05
41.	गणितीय, सर्वेक्षण और आरेखण	0.15	0.00
42.	विविध उद्योग	179982.61	4266.88
	कुल	**1,355,523.15**	**32,305.87**
43.	अंतप्रर्वाह का आगम 1999 से 2004	98,689.96	2,178.72
44.	भारतीय रिजर्व बैंक - एन.आर.आई. योजनाएं	84,269.48	2,509.86
45.	मौजूदा शेयरों की अधिप्राप्ति* (1996 से 1999)	72,780.18	1,848.86
46.	स्टॉक अदला-बदली	2,848.71	61.20
	कुल जोड़	1,614,111.48	38,904.51

टिप्पणी: 1. एफ.डी.आई. अनुमोदनों के प्रति ए.डी.आर./जी.डी.आर./एफ.सी.सी.बी. के माध्यम से अंतर्वाह को शामिल नहीं किया गया है।

2. *1996 से पहले के आंकड़े आर.बी.आई. द्वारा नहीं दिए गए है और 2000 से अंतर्वाह को देश/क्षेत्रक विशिष्ट मार्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है।

विवरण-II

प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों के क्षेत्र-वार/राज्य-वार ब्यौरे[1]

(भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को यथासूचित) (जनवरी 2000 से मार्च, 2006 तक)

क्र. सं.	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय[2]	शामिल राज्य	एफ.डी.आई. अंतर्वाहों की राशि	
			करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डालर
1	2	3	4	5
1.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा का भाग	23,074.29	5,116.9
2.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और द्वीव	20,535.68	4,533.5
3.	बंगलौर	कर्नाटक	6,984.17	1,546.3
4.	चेन्नई	तमिलनाडु और पांडिचेरी	5,432.52	1,193.2
5.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	3,083.46	681.7
6.	अहमदाबाद	गुजरात	2,883.90	631.9
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	1,481.41	320.3
8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1,277.24	280.7
9.	पणजी	गोआ	494.42	107.6
10.	कोची	केरल, लक्ष्यद्वीप	333.45	73.6
11.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	315,88	70.6
12.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	168.84	37.3
13.	गुवाहाटी	असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	41.74	9.0
14.	जयपुर	राजस्थान	18.76	4.2
15.	पटना	बिहार, झारखंड	2.74	0.6
16.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.03	0.0
17.	अनिर्दिष्ट[3]		27,764.24	6,118.8
	कुल		**93,892.76**	**20,726.3**

1	2	3	4	5
18.	अंतर्वाहों का आगम (2000 से 2004 तक)		8,962.22	1,962.8
19.	अदला-बदली स्टॉक		284.87	61.2
20.	भारतीय रिजर्व बैंक-अनिवासी भारतीय योजनाएं		589.15	134.4
	कलु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह (जनवरी, 2000 से मार्च, 2006 तक)		103,729.00	22,884.7

[1] केवल "इक्विटी पूंजी संघटक" शामिल हैं।

[2] क्षेत्रवार एफ.डी.आई. अंतर्वाहों को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय रिजर्व बैंक-क्षेत्रवार अंतर्वाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[3] निवासियों से अंतरण द्वारा विद्यमान शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से अंतर्वाहों के द्योतक हैं। इसके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्र-वार सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन

1473. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ राज्यों में बिजली बोर्डों को समाप्त कर दिया गया है अथवा अभी तक कंपनियों के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार से राज्य विद्युत बोर्ड को यथा विद्यमान रूप में बनाए रखने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के पारित होने के पूर्व विभिन्न राज्यों ने राज्य विद्युत सुधार अधिनियम पारित कर लिया था जिसमें उनके राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन का प्रावधान था।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172(क) में प्रावधान है कि नियत तारीख, अर्थात् 10 जून, 2003 से एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य पारेषण यूटिलिटी तथा लाईसेंसी माना जाएगा।

अब तक 12 राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन कर लिया है। उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश ने अब तक अपने-अपने राज्य विद्युत सुधार अधिनियम के अंतर्गत अपने राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कर लिया है। असम और महाराष्ट्र ने विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कर लिया है। असम राज्य विद्युत बोर्ड केवल विद्युत व्यापार के लिए लाइसेंसी के रूप में कार्यरत है।

(ग) और (घ) नौ राज्यों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे उनके राज्य विद्युत बोर्डों के एस.टी.यू. तथा लाइसेंसी के रूप में कार्य करने के लिए समय विस्तार देने पर सहमति दें। इसके अलावा असम सरकार ने अपने राज्य विद्युत बोर्ड के केवल व्यापार कार्य के समिति कार्य हेतु समय-विस्तार मांगा है। इसी संबंध में हाल ही में केरल सरकार से उनके राज्य विद्युत बोर्ड को बनाए रखने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है।

अधिनियम, की धारा 172(क) में पुनः प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड को अधिनियम के

प्रावधानों के लागू होने के एक वर्ष के बाद भी उस अवधि के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटी या लाइसेंसी के रूप में कार्य करने को अधिकृत कर सकती हैं, जैसा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच परस्पर सहमति हो।

केन्द्र सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172(क) के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्डों को बनाए रखने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों के अनुरोध को मानती रही है।

केरल के लिए उधार की उच्चतम सीमा

1474. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल राज्य के उधारों पर उच्चतम सीमा आरोपित की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की उच्चतम सीमा के क्या कारण हैं जबकि राज्य को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 6210 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना के लिए 7246 करोड़ रुपए की आवश्यकता है; और

(ग) राज्य को वित्तीय संकट में मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के राजकोषीय घाटे तथा वर्ष 2006-07 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटे (4380 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखते हुए स्वयं राज्य द्वारा तैयार किए गए राजकोषीय सुधार संबंधी उपायों में दी गई अधिकतम सीमा के अनुसार ही इस राज्य के लिए उधार की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, ताकि 2008-09 तक राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक नियंत्रित रखा जा सके। राज्य द्वारा उधार लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय राज्य की ऋण वहनीयता को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) उधार लेने की अधिकतम सीमा में किसी प्रकार की छूट देने का अर्थ यह होगा कि राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की शेष अवार्ड अवधि के दौरान ऋण माफी जैसे इंसेंटिव को छोड़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, 6210 करोड़ रुपए वाली वार्षिक योजना की वित्त-पोषण स्कीम यह दर्शाती है कि राज्य लघु बचतों के तहत् 2950 करोड़ रुपए की उगाही के लिए प्रतिबद्ध है।

यदि राज्य यह महसूस करे कि वह छोड़ी गई ऋण माफी की लागत को वहन कर सकता है तथा लघु बचतों के तहत 2950 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि उगाह सकता है तो राज्य की अधिकतम ऋण-सीमा को संशोधित किया जा सकता है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा

1475. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अपारंपरिक संसाधनों के माध्यम से 2,500 मेगावाट बिजली क्षमता बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष 12,500 करोड़ रु. का निवेश आकर्षित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने विद्यमान रियायतों के अतिरिक्त कुछ प्रोत्साहनों के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित अवमूल्यन, रियायती शुल्क और करों से राहत शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में अक्षय विद्युत को अधिमान्य शुल्क-दर दी जाती है। 10वीं योजना के लिए ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत हेतु 3075 मेगावाट का लक्ष्य है जिसकी तुलना में उक्त योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 4630 मेगावाट की क्षमता संस्थापित की गई है जिसमें अधिकांशतः निजी निवेश के माध्यम से 2000 मेगावाट की संस्थापना वर्ष 2005-06 के दौरान ही की गई है।

(ग) और (घ) विद्यमान नीति के साथ अक्षय विद्युत हेतु 10वीं योजना हेतु 3075 मेगावाट का लक्ष्य पहले ही पार कर लिया गया है। राजकोषीय और अन्य प्रोत्साहनों को तर्कसंगत किया जाना एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

आय कर अधिनियम में संशोधन

1476. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर कानून के पुनर्लेखन हेतु गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। आशा है कि रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरलीकरण से संबंधित कार्य अत्यधिक बोझिल एवं समय साध्य प्रक्रिया है। कानून को पुनःलिखते समय इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसमें मौजूदा कानून का प्रत्येक पहलू पूरी तरह से परिलक्षित हो। वर्तमान में, विभिन्न मसौदों का मिलान अपने अंतिम चरण में है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी प्रबंध कार्यक्रम

1477. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काष्ठेत्तर वन उत्पाद आधारित लघु वन उत्पाद और उद्योगों के अध्ययनों में प्रौद्योगिकी प्रबंध कार्यक्रम लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) ऐसे अध्ययनों के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) अभी तक पूरा किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के प्रौद्योगिकी प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु राज्यों के लिए लघु वन उत्पाद आधारित उद्योगों पर अध्ययन शुरू किए गए/किए गए हैं। इन अध्ययनों के परिणाम थे: उक्त क्षेत्रों में लघु वन उत्पादों की लगभग 300 भिन्न-भिन्न किस्में उपलब्ध हैं जैसे आंवला, चिरौंजी, महुआ, बेलपत्र, तेंदु पत्तियां, अश्वगंधा आदि; ऐसे उद्योग, जो कच्चे माल के रूप में लघु वन उत्पाद पर आधारित हैं; आयुर्वेदिक और हर्बल औषध उद्योग, आसवन तेल उद्योग तथा प्राकृतिक कीटनाशी और जीवनाशी उद्योग, लघु वन उत्पाद के मूल्य में वृद्धि के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं अति संवेदनशील तरल निस्सारण, शीत शुष्कन, माइक्रोवेव सहायता प्राप्त निस्सारण तथा क्रायोजैनिक पेषण प्रौद्योगिकियां; तथा लघु वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों में लघु वन उत्पाद की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों/उत्पादकों को प्रेरित करने और लघु वन उत्पाद के मूल्य में वृद्धि करने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकियों के अन्तरण के लिए अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और उद्योगों के बीच घनिष्ठ संबंधों और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

(ग) ऐसे अध्ययनों के उद्देश्य थे: विभिन्न क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद की उपलब्धता का मूल्यांकन करना; ऐसे उद्योगों का मूल्यांकन करना जो कच्चे माल के रूप में लघु वन उत्पाद पर आधारित हैं, कच्चे माल के रूप में लघु वन उत्पाद पर आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों के सृजन के लिए उपायों का सुझाव देना; मूल्य वृद्धि के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करना; लघु वन उत्पाद आधारित उद्योगों में निर्यात/आयात के रूख का मूल्यांकन करना; तथा क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां विकसित करना।

(घ) अब तक महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए बैठक

1478. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य स्तर पर जिला कलक्टरों की बैठक आयोजित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बैठक की कार्यसूची क्या है;

(ग) क्या ऐसी बैठकें पहले भी आयोजित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय इस समय ग्रामीण विकास के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य स्तर पर जिला समाहर्ताओं की बैठक आयोजित करने पर विचार नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसी कोई बैठक पहले आयोजित नहीं की है।

शहरी अवसंरचना के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका

1479. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी नवीकरण मिशन में भागीदार बनने हेतु निजी कंपनियों को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में निजी भागीदारी के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) भारत सरकार ने 63 चुनिन्दा शहरों में शहरी अवस्थापना सेवाओं के एकीकृत विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करने पर बल देते हुए दिनांक 3-12-2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) आरंभ किया है, इन सेवाओं में आवास, जल आपूर्ति, सफाई स्लम सुधार, समुदाय शौचालय/स्नानघर इत्यादि शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु पात्र सेक्टरों में पार्किंग लॉट/स्थल से संबंधित परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के आधार पर होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु पात्र अन्य सभी सेक्टरों में भी सार्वजनिक निजी भागीदारी का स्वागत है।

भारत सरकार ने "भारत में शहरी जल और सफाई सेवाओं में सफल सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु दिशानिर्देश" तैयार किए हैं तथा सभी राज्यों को उनकी सूचना और निर्देशन के लिए परिचालित किए हैं राज्यों द्वारा बुनियादी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु इन दिशानिर्देशों को अपनाया जाना है। दिशानिर्देशों की विशेषताएं इस प्रकार है:-

(i) सुधार आरम्भ करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क/रोड मैप।

(ii) राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकाय तथा सुधार सलाहकारों द्वारा कार्यान्वयन व्यवस्था।

(iii) कानूनी व संस्थायी फ्रेमवर्क, विनियामक तंत्र, उपयोगी शासन संरचना के जरिए समर्थकारी स्थिति उत्पन्न करना।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी (पी.एस.पी.) का चयन और क्रियान्वयन करना तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रबंधन करना।

ज्वारीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना

1480. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत के लिए ज्वारीय ऊर्जा को काम में लाने के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना के द्वारा ज्वारीय ऊर्जा की संभावना की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए पहचान किए गए तटीय क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने दुर्गाद्वानी, सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल में 3.65 मेगावाट क्षमता की ज्वारीय विद्युत प्रदर्शन परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन की उच्च लागत और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की कमी के कारण देश में अब तक कोई ज्वारीय विद्युत परियोजना आरंभ नहीं की गई है।

राज्य वित्त निगम

1481. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुप्ता समिति ने राज्य वित्त निगम के पुनर्गठन संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या अनुशंसाएं की गई हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राज्य वित्तीय निगमों (एस.एफ.सी.) की कार्यप्रणाली की जांच करने तथा उनके पुनर्गठन एवं पुनरुद्धार के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई. के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जी.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित गुप्ता समिति ने जनवरी, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने सिफारिश की थी कि एस.एफ.सी. के पुनर्गठन/पुनर्पूंजीकरण के लिए 3600 करोड़ रुपये के निवेश की लागत का निर्वहन भारत सरकार (900 करोड़ रुपये), भारतीय रिजर्व बैंक (900 करोड़ रुपये), राज्य सरकारों (900 करोड़ रुपये), आई.डी.बी.आई. (450 करोड़ रुपये) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (450 करोड़ रुपए) द्वारा किया जाना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हुडको के लिए कर मुक्त बांड

1482. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको का विचार कर मुक्त बांड जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो हुडको द्वारा आवास परियोजनाओं के लिए किस तरीके से निधियों की व्यवस्था किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर मुक्त बाण्डों के जरिए धन जुटाने के लिए हडको को स्वीकृति नहीं मिली है। इसलिए हडको द्वारा कर मुक्त बाण्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आवास तथा अवस्थापना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए हडको द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित स्रोतों से धन जुटाए जाने की संभावना है:

1. बैंकों, वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण
2. राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के तहत सार्वजनिक जमा स्कीम
3. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय ऋण जब कभी अनुमोदित हो
4. सिक्यूरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के दिशानिर्देशों के तहत जारी कर योग्य अपरिवर्तनीय दीर्घावधि और अल्पावधि बाण्डों के जरिए पूंजी बाजार से ऋण।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की लंबित योजनाएं

1483. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री जुएल ओराम:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उड़ीसा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत सृजन की विशाल संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धि क्या है;

(ग) क्या ऐसी कोई परियोजनाएं सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) उड़ीसा सहित देश में पवन, लघु पनबिजली और बायोमास जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अनुमानित संभाव्यता 84,000 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 10वीं योजना के लिए ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत हेतु 3075 मेगावाट का लक्ष्य है जिसकी तुलना में उक्त योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 4630 मेगावाट की क्षमता संस्थापित की गई है जिसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु नियमित आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। कभी-कभी ये प्रस्ताव अपूर्ण अथवा योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं। पूर्ण प्रस्तावों पर बजटीय प्रावधान के अध्यधीन विचार कर उन्हें अनुमोदित किया जाता है जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

विवरण-I

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अनुमानित ऊर्जा संभाव्यता के विवरण

(मेगावाट में)

क्र. सं.	संसाधन	सूचक अनुमानित संभाव्यता
1.	बायो विद्युत (कृषि अवशिष्ट)*	16,000[1]
2.	पवन विद्युत	45,000[2]
3.	लघु पन बिजली (25 मेगावाट तक)	15,000
4.	सहउत्पादन-खोई	5,000
5.	अपशिष्ट से ऊर्जा:	
	म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा	2,000
	औद्योगिक उपशिष्ट से ऊर्जा	1,000
	कुल **	84,000

* इसमें 45,000 मेगावाट की संभाव्यता शामिल नहीं है जो लगभग 20 मिलियन हैक्टेअर बंजर भूमि पर 10 एम.टी./हैक्टेअर/वर्ष काष्ठ बायोमास के उत्पादन से प्राप्त होती है जो 30% की प्रणाली क्षमता और 75% पी.एल.एफ. के साथ 4000 के कैल/किग्रा. है। इस अनुमानित संभाव्यता को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख अंतर मंत्रालयी पहल करने की आवश्यकता होगी जिसमें अन्य के अलावा कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय शामिल होंगे।

** इसमें सौर विद्युत की संभाव्यता शामिल नहीं है जो भविष्य में होने वाले विकास पर निर्भर है जब सौर प्रौद्योगिकी ग्रिड विद्युत अनुप्रयोगों के लिए किफायती होगी।

[1] यद्यपि, यह संभाव्यता अतिरिक्त कृषि-अवशिष्टों पर आधारित है, व्यवहार में, बायोमास विद्युत उत्पादन इकाईयां तकनीकी-आर्थिक कारणों से वन-अवशिष्टों के प्रयोग को वरीयता देती हैं।

[2] 12 हैक्टेअर/मेगावाट की आवश्यकता वाले पवन फार्मों के लिए उपलब्ध अनुमानित क्षेत्र के 3% के साथ 250 वाट/मी.^{2} या इससे अधिक के पवन घनत्व वाले स्थल। यदि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार 300 वाट/मी.^{2} या इससे अधिक पवन घनत्व वाले स्थलों को उपयुक्त स्थलों के रूप में समझा जाता है तो ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत के लिए तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य संभाव्यता अपेक्षाकृत कम हो सकती है।

विवरण-II

दसवीं योजना अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान संस्थापित ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता के राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत	लघु पनबिजली	बायो विद्युत		सौर विद्युत	कुल क्षमता
				बायोमास विद्युत	अपशिष्ट से ऊर्जा		
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(केडब्ल्यूपी)	(मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.50	28.10	178.05	13.15		247.80
2.	अरुणाचल प्रदेश		12.18				12.18
3.	असम		0.11				0.11
4.	बिहार		5.50				5.50
5.	छत्तीसगढ़		10.80	16.50			27.30

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा						0.00
7.	गुजरात	171.26			0.50		171.76
8.	हरियाणा		14.40	2.00			16.40
9.	हिमाचल प्रदेश		40.24				40.24
10.	जम्मू-कश्मीर		16.50				16.50
11.	झारखंड						0.00
12.	कर्नाटक	515.80	172.28	148.88			836.96
13.	केरल		15.10				15.10
14.	मध्य प्रदेश	17.65	2.20	1.00			20.85
15.	महाराष्ट्र	590.50	3.75	11.50			605.75
16.	मणिपुर		0.75				0.75
17.	मेघालय		0.01				0.01
18.	मिजोरम		0.02				0.02
19.	नागालैंड		0.80				0.80
20.	उड़ीसा		6.00				6.00
21.	पंजाब		19.35	16.00	1.00	0.20	36.55
22.	राजस्थान	323.44		15.30		0.10	338.84
23.	सिक्किम		6.00				6.00
24.	तमिलनाडु	2037.08	3.80	68.00	3.50		2112.38
25.	त्रिपुरा						0.00
26.	उत्तर प्रदेश		3.60	75.00	7.00		85.60
27.	उत्तरांचल		17.30			0.05	17.35
28.	पश्चिम बंगाल		9.02				9.02
29.	अंडमान एवं निकोबार					0.10	0.10
30.	चंडीगढ़						0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दादर एवं नागर हवेली						0.00
32.	दमन एवं दीव						0.00
33.	दिल्ली						0.00
34.	लक्षद्वीप					0.25	0.25
35.	पांडिचेरी					0.03	0.03
	अन्य	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	कुल (मेगावाट)	3684.23	387.81	532.23	25.15	0.73	4630.15

सौर ऊर्जा

1484. श्री दुष्यंत सिंह:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सहायता की मदद से चलाई जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं की संख्या एवं उनसे सृजित ऊर्जा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने मंजूरी के लिए मंत्रालय को नए योजना प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की उम्मीद है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से देश में कुल 32 ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र संस्थापित किए गए हैं। समग्र रूप से 2.1 मेवा. की क्षमता के इन संयंत्रों से एक वर्ष में लगभग 2.52 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है। 32 ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तथा पंजाब राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों ने क्रमशः 500 किवा.पी., 500 किवा.पी. और 1 मेवा.पी. की समग्र क्षमता के ग्रिड-इंटरएक्टिव प्रकाशवोल्टीय संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय संयंत्रों की स्थापना करने के लिए कोई नई परियोजना मंजूर नहीं की गई है क्योंकि मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 में ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों पर योजना को बंद कर दिया है।

विवरण

ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय संयंत्रों की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नोडल एजेंसी	राज्य	एस.पी.वी. संयंत्र क्षमता (किवा.पीक)
1	2	3	4	5
1.	ए.पी.एस.ई.बी. भवन, हैदराबाद	ए.पी.टी.आर.ए.एन.सी.ओ.	आन्ध्र प्रदेश	100

1	2	3	4	5
2.	नील द्वीप समूह	बिजली विभाग	अंडमान एवं निकोबार	50
3.	हैवलोक द्वीप समूह	बिजली विभाग	अंडमान एवं निकोबार	50
4.	अपेडा भवन	अपेडा	अरुणाचल प्रदेश	25
5.	विद्युती भवन	ए.एन.ई.आर.टी.	केरल	25
6.	किल्टन द्वीप समूह	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
7.	मिनिकॉय	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
8.	कडमट	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	150
9.	एंड्रोट द्वीप समूह	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
10.	कवारती	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
11.	अगाती	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
12.	कल्पेनी द्वीप समूह	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
13.	जैतपुरा कलां	एम.पी.यू.वी.एन.	मध्य प्रदेश	100
14.	मुख्य सचिवालय भवन	डी.आर.डी.ए.	पांडिचेरी	25
15.	बाजक	पेडा	पंजाब	50
16.	खाटकर कलां	पेडा	पंजाब	200
17.	पेडा भवन, चंडीगढ	पेडा	पंजाब	25
18.	मिनी सचिवालय, चंडीगढ	पेडा	पंजाब	50
19.	विधान भवन, जयपुर	रेडा	राजस्थान	25
20.	गांव गोरिर	आर.आर.ई.सी.एल.	राजस्थान	100
21.	सरकारी सचिवालय, जयपुर	रेडा	राजस्थान	25
22.	एस.जी. पलायम	टी.एन.ई.बी.	तमिलनाडु	25
23.	एस.एन. पलायम	टी.एन.ई.बी.	तमिलनाडु	25
24.	कल्याणपुर-अलीगढ	नेडा	उत्तर प्रदेश	100
25.	हरिया	नेडा	उत्तर प्रदेश	100
26.	सराय सादी	नेडा	उत्तर प्रदेश	100

1	2	3	4	5
27.	नेडा भवन, लखनऊ	नेडा	उत्तर प्रदेश	25
28.	आई.आर.ई.पी. प्रशिक्षण केन्द्र, चिनहट	नेडा	उत्तर प्रदेश	25
29.	विधान भवन, देहरादून	उरेडा	उत्तरांचल	25
30.	सचिवालय, देहरादून	उरेडा	उत्तरांचल	25
31.	विद्युत भवन, कोलकाता	वब्रेडा	पश्चिम बंगाल	25
32.	विकल्प शक्ति भवन, कोलकाता	वब्रेडा	पश्चिम बंगाल	25
	कुल			2100

प्रत्येक संयंत्र से लगभग 1200 कियाघं./किवा.पी./वर्ष के उत्पादन होने का अनुमान है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमाराशि

1485. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल कितनी धनराशि जमा थी और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि जमा की गई;

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जमा की गई धनराशि में से दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त जमा धनराशि में से उनके प्रायोजक बैंकों के पास कितनी धनराशि शेष है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) गत तीन वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की जमाराशि नीचे दी गई हैं।

राशि (करोड़ रुपये में)

वर्ष	जमाराशि	निवेश
2004	56350.08	36135.00
2005	62143.00	36781.57
2006	72510.00	38441.72

तथापि, 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार, आर.आर.बी. में कुल जमाराशि से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान, सभी आर.आर.बी. द्वारा, उपलब्ध जमाराशि में से, दिये गए ऋणों और अग्रिमों की राशि, जिसकी गणना कुल जमाराशि में से उधार को घटाकर की गई है, निम्नानुसार है:-

राशि (करोड़ रुपये में)

वर्ष	बकाया ऋण और अग्रिम	उपलब्ध जमाराशि, जिसमें से ऋण और अग्रिम दिये गए
2004	26113.86	51754.52
2005	32870.03	56618.68
2006	39764.39	66082.15

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एस.एफ.आई.ओ. द्वारा जांच

1486. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) द्वारा कितनी कम्पनियों के विरुद्ध अभी भी विचारण चल रहा है और कितनी कम्पनियों को आरोप मुक्त कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई कम्पनियां एस.एफ.आई.ओ. द्वारा दोषी करार दिए जाने के पश्चात् उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए जाने के बावजूद भी जाली नामों से अपना व्यापार कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के अन्तर्गत 34 कम्पनियों की जांच का कार्य एस.एफ.आई.ओ. के कार्यालय के निरीक्षकों को सौंपा गया है। 15 कम्पनियों के बारे में जांच का कार्य पूरा हो गया है और शेष कम्पनियों की जांच का कार्य प्रगति पर है सिवाय एक मामले में जिसमें माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जांच के आदेश को रद्द कर दिया गया था। जांच के परिणामों के आधार पर, इस मंत्रालय द्वारा अभियोजन की स्वीकृति ले ली गई है। कम्पनी और इसके अधिकारियों के विरुद्ध मामलों पर सक्षम न्यायालयों द्वारा विचार किया जा रहा है। एस.एफ.आई.ओ. ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है।

(ख) और (ग) उन कम्पनियों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिनके विरुद्ध एस.एफ.आई.ओ. के द्वारा जांच की जा रही है और मामलों को रजिस्टर कर रखा है, और जो जाली नामों से व्यापार कर रही है।

[अनुवाद]

डी.एम.आर.सी. को घाटा

1487. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो निगम (डी.एम.आर.सी.) समान्तर बस मार्गों के होने की वजह से यात्रियों की संख्या में कमी और भारी घाटा उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डी.एम.आर.सी. ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) डी.एम.आर.सी. के लाभ में वृद्धि और इसकी दक्षता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) किसी एक नगर में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को अलग-अलग परिचालकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रणालियों के रूप में न लेकर एक समन्वित प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। अतः विभिन्न परिचालकों द्वारा कुछ हद तक समानांतर परिचालन से भी नहीं बचा जा सकता। तथापि, मेट्रो में सवारियों की संख्या तथा दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने (i) 65 विशेष मेट्रो फीडर रुट बनाए हैं तथा (ii) इन रुटों पर ग्रामीण परिवहन वाहन (आर.टी.वी.) के परिचालन हेतु 356 परमिट जारी किए गए है। इसके अलावा विभिन्न मेट्रो स्टेशनों के पास होकर निकलने वाले बस रूटों पर बड़ी संख्या में चल रही दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस.टी.ए.) की बसें भी डी.एम.आर.सी. के लिए फीडर का ही प्रयोजन पूरा कर रही है।

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट

1488. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिमारपुर, दिल्ली में स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट (डब्ल्यू.टी.ई.) ने लगभग 16 वर्षों के अन्तराल के बाद उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ एक बार पुनः कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो 16 वर्षों तक इसके कार्य न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या संयंत्र को 21 दिनों कैं बाद बंद कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसको किस देश से कितनी कीमत पर खरीदा गया था;

(च) इसके चालू रहने की अवधि के दौरान कितनी ऊर्जा उत्पादित की गई थी;

(छ) क्या वर्ष 2003 के दौरान लखनऊ स्थित 84 करोड़ रु. वाला डब्ल्यू.टी.ई. संयंत्र आरंभ होने के 8 महीनों बाद बंद कर दिया गया; और

(ज) यदि हां, तो इसको बंद करने के क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) वर्ष 1987 में तिमारपुर, दिल्ली में स्थापित किए गए अपशिष्ट भस्मीकरण संयंत्र को पुनः चलाने का प्रस्ताव नहीं है। मुख्य रूप से दिल्ली नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए गए कचरे की गुणवत्ता और संयंत्र के डिजाइन के बीच तालमेल न होने के कारण मार्च, 1987 और अप्रैल, 1989 के

बीच किए गए प्रायोगिक प्रचालनों से इस संयंत्र के सफलतापूर्वक प्रचालन का प्रदर्शन नहीं हो सका। तब इस संयंत्र को बंद करने का निर्णय लिया गया।

(ङ) 3.75 मेगावाट क्षमता के इस संयंत्र का डिजाइन और संस्थापना मैसर्स वोलुन्द मिल्जोटेक्नीक, डेनमार्क द्वारा लगभग 20.70 करोड़ रु. की कुल लागत पर टर्न-की आधार पर की गई।

(च) इस संयंत्र को नियमित प्रयोग में नहीं लाया जा सका, तथापि, प्रायोगिक प्रचालनों के दौरान कुछ दिन, रूक-रूककर 3.6 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हुआ।

(छ) और (ज) लखनऊ में बायोमिथेनेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट से 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र की स्थापना एक निजी विकासकर्त्ता द्वारा 76.00 करोड़ रु. की लागत पर की गई। इस संयंत्र की कमीशनिंग जो अगस्त, 2003 में आरंभ हुई, को विकासकर्त्ता द्वारा दिसम्बर, 2004 में बंद कर दिया गया। प्रचालनात्मक समस्याओं का संबंध परियोजना में संस्थापित अप्रभावी पृथक्करण प्रणाली और संयंत्र पर उपलब्ध अपशिष्ट की गुणवत्ता, दोनों से हो सकता है। परियोजना-प्राधिकारियों द्वारा इसे पुनः आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कर वसूली

1489. डा. चिन्ता मोहन:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार बकाया वास्तविक कर राशि कितनी है;

(ख) वर्ष 2006-07 के लिए बकाया करों की वसूली के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) वास्तविक बकाया धनराशि और वसूली के लक्ष्य में अंतर के क्या कारण हैं; और

(घ) जून, 2006 के अंत तक बकाया करों की कितनी वसूली की गयी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार बकाया वास्तविक कर राशि निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ों में)

प्रत्यक्ष कर	1,11,798
अप्रत्यक्ष कर	23,866

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में बकाया करों की वसूली के लिए लक्ष्य निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ों में)

प्रत्यक्ष कर	11,741
अप्रत्यक्ष कर	2,450

(ग) बकाया की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। पुराने मामले जबकि समाप्त हो जाते हैं, नये मामले आ जाते हैं। बकाया की बड़ी राशि विभिन्न कानूनी प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी जाती है। बी.आई.एफ.आर. के समक्ष लंबित मामलों, बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा ले ली गयी परिसम्पत्तियों, चूककर्ताओं का पता न लगने अथवा परिसम्पत्तियां उपलब्ध नहीं होने, स्थगन लंबित आवेदनों अथवा मामले जिनमें अपील दायर करने के लिए समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, आदि के कारण पर्याप्त बकाया ऐसा भी है जिस पर कोई स्थगन नहीं है।

(घ) जून, 2006 के अंत तक वसूले गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बकाया करों की राशि निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ों में)

प्रत्यक्ष कर	3,002
अप्रत्यक्ष कर	566

[अनुवाद]

विनिर्माण निवेश क्षेत्र

1490. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए पांच विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एम.आई.आर.) की स्थापना के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। विनिर्माण निवेश क्षेत्र विनिर्माण अभिवृद्धि को प्रोत्साहन देने हेतु पहलों में से एक है। यह अभी संकल्पनात्मक चरण पर है।

ग्रामीण सड़कों में सुधार

1491. श्री रघुनाथ झा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से गोवर्धन, बरसाना, कोकिला वन और वृंदावन तक और बहादुरगढ़ से बारास्ता झज्जर, बेरीताल और बेरी से नजफगढ़ तक अधिकतर ग्रामीण सड़कें बुरी स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) 'ग्रामीण सड़कें' राज्य का विषय है और राज्य सरकारें ऐसी सड़कों को अच्छी हालत में रखने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय निर्धारित आबादी वाली सड़क संपर्क विहीन बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए सभी राज्यों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) कार्यान्वित करता है जिसमें कोर नेटवर्क में मौजूदा पात्र ग्रामीण सड़कों की मरम्मत भी शामिल होगी। पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ऐसे सड़क कार्यों को शुरू करने के प्रस्ताव पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा पहल की जानी है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य सड़क परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित सड़क कार्य मंजूर किए गए हैं:-

(i) गोवर्धन तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2

(ii) बरसाना तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2

(iii) कोकिला वन तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2

(iv) वृंदावन तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2

हरियाणा सरकार ने यह जानकारी दी है कि पी.एम.जी. एस.वाई. के अंतर्गत वर्ष 2004 में झज्जर से बेरी तक सड़क की मरम्मत की गई थी, किन्तु कुछ स्थानों में मिट्टी की खराब स्थिति के कारण सड़कें धंस गई हैं और जब कभी भी जरूरत पड़ेगी उनमें मरम्मत का कार्य किया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार ने ढांसा बॉर्डर से झज्जर तक सड़कों की मरम्मत का कार्य भी शुरू किया है।

[हिन्दी]

पवन और अपशिष्ट पदार्थ से विद्युत

1492. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री सुब्रत बोस:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार अपशिष्ट पदार्थों और पवन से विद्युत उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार की सहायता से विभिन्न राज्यों में कितनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक विद्युत परियोजना द्वारा कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या अपशिष्ट पदार्थों और पवन से विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की संभावना का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से आठ राज्यों में 40.8 मेगावाट समग्र क्षमता की 18 अपशिष्ट से ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाएं और नौ राज्यों में 70.9 मेगावाट समग्र क्षमता की 36 प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, निजी निवेश के माध्यम से देश में लगभग 5350 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में पवन और बायोमास संसाधनों से विद्युत उत्पादन के लिए संसाधन मूल्यांकन किए जा रहे हैं।

पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पवन-सौर हाइब्रिड प्रणालियों और बायोमास गैसीफायरों की संस्थापना की जा रही है।

मंत्रालय द्वारा फसल अवशिष्टों तथा कृषि-औद्योगिक अपशिष्टों जैसे बायोमास संसाधनों सहित विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और विद्युतीकृत जनगणना गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

(ङ) मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को अपशिष्ट से ऊर्जा परियोनजाओं के लिए 9.60 करोड़ रु. और प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए 12.36 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

[अनुवाद]

भारत और सी.आई.एस. देशों के बीच समझौता

1493. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत और स्वतन्त्र राष्ट्रकुल देशों के बीच उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग और व्यापार संबंधी समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2005-2006 के दौरान विभिन्न देशों के साथ प्रौद्योगिकी से संबंधित हस्ताक्षरित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत वाणिज्य विभाग ने सी.आई.एस. देशों को भारत के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए 31 मार्च, 2003 को 'फोकस: सी.आई.एस. कार्यक्रम' प्रारंभ किया है। प्रारंभ में यह कार्यक्रम सी.आई.एस. देशों अर्थात् कजाखस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजर्बेजान और यूक्रेन पर केन्द्रित किया गया है तथा बाद में इसका विस्तार रूसी फेडरेशन, बेलारूस, आर्मेनिया, मॉलदोवा और जोर्जिया में किया जाएगा।

विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) तथा वाणिज्य विभाग ने वर्ष 2005-2006 के दौरान मैसर्स मिटकॉन कंसेल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, पुणे को "भारत और स्वतंत्र राष्ट्र कुल देशों के बीच उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग और व्यापार का संवर्धन करने" संबंधी एक परियोजना संयुक्त रूप से सौंपी है। सौंपने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:- उन विशेष भारतीय आपूर्तिकर्त्ताओं की पहचान करना जिनकी प्रौद्योगिकियां और परियोजनाएं सी.आई.एस. देशों से प्रासंगिक हैं; सी.आई.एस. क्षेत्र में विशेष सहयोगी एजेंसियों और व्यावसायिक भागीदारों की पहचान करना; और परियोजना कार्यान्वयन के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं तथा क्रेताओं के बीच परस्पर अन्तरक्रिया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में सुविधा प्रदान करना।

(ग) परियोजना के लिए 37.26 लाख रुपये की कुल निधियां आबंटित की गई हैं जिसमें डी.एस.आई.आर. का हिस्सा 20 लाख रुपये और वाणिज्य विभाग का हिस्सा 17.26 लाख रुपये है।

(घ) उक्त परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान भारत और लक्षित सी.आई.एस. देशों के बीच अभी तक प्रौद्योगिकी संबंधी कोई परियोजना हस्ताक्षरित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

एन.ई.आर. द्वारा धनराशि का उपयोग

1494. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लोक कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कापार्ट) का बजटीय प्रावधान कितना रहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) हेतु इसका आबंटन कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या एन.ई.आर. के बजटीय आबंटन का वास्तव में उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो कितनी राशि का उपयोग किया गया और उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान अव्ययगत केन्द्रीय संसाधन पूल में कितनी धनराशि डाली गयी;

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों से कापार्ट के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी मंजूरी दी गई;

(च) कापार्ट के इस क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ग-वार रिक्तियों सहित कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(छ) क्या पटना के क्षेत्रीय प्रतिनिधि और संयोजक सदस्य एन.ई.आर. में दोहरा पदभार भी संभाले हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो नियमित संयोजक की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपार्ट के लिए कुल बजटीय प्रावधान और कपार्ट द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) को किया गया आबंटन निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल बजटीय प्रावधान	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटन का प्रतिशत
2003-04	50.00	4.00 (8%)
2004-05	65.00	4.00 (6.15%)
2005-06	70.00	3.00 (4.29%)

(ख) और (ग) कपार्ट द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र को किए गए बजटीय आबंटन का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है और किए गए आबंटन की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा उपयोग की गई वास्तविक राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि
2003-04	4.00	1.56
2004-05	4.00	1.80
2005-06	3.00	5.26
कुल	11.00	5.62

(घ) कपार्ट में उपयोग न की गई निधियों को केन्द्रीय संसाधनों के अव्यपगत पूल में डालने की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक वर्ष के अंत में खर्च न की गई शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाता है।

(ङ) गुवाहाटी स्थित कपार्ट के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या और उक्त अवधि के दौरान वर्षवार अनुमोदित राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की कुल सं.	अनुमोदित परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि
2003-04	193	57	1.50
2004-05	156	66	1.86
2005-06	292	41	1.43
कुल	641	164	4.79

(च) गुवाहाटी स्थित कपार्ट के क्षेत्रीय कार्यालय की कार्यबल स्थिति और श्रेणीवार रिक्त स्थान नीचे दिए अनुसार हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मौजूदा स्थिति	रिक्त पद
1.	क वर्ग	शून्य	एक
2.	ख वर्ग	3	शून्य
3.	ग वर्ग	2	शून्य
4.	घ वर्ग	4	शून्य

(छ) जी, हां।

(ज) सदस्य संयोजक के रूप में कार्य करने हेतु एक सक्षम एवं प्रतिबद्ध अधिकारी की नियुक्ति के लिए कपार्ट गहन प्रयास कर रहा है।

नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम

1495. श्री सीताराम सिंह:

श्री गणेश प्रसाद सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों ने नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन, 1976 को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का भी प्रस्ताव इस अधिनियम को समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक अस्तित्व में आने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित राज्यों द्वारा शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 को निरस्त किया गया है:-

(i) हरियाणा

(ii) पंजाब

(iii) उत्तर प्रदेश

(iv) गुजरात

(v) कर्नाटक

(vi) मध्य प्रदेश

(vii) राजस्थान

(viii) उड़ीसा

(ix) रा.रा.क्षे. दिल्ली के संघ शासित प्रदेश

(x) पांडिचेरी

(xi) चंडीगढ़

(ग) शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 को पहले ही केन्द्र सरकार द्वारा शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरस्तीकरण अधिनियम, 1999 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजनैतिक दलों को भूमि आबंटन

1496. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजनैतिक दलों से इनके आवासीय बंगले खाली कराने संबंधी उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय को देखते हुए इन्हें भूमि आबंटन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या इस प्रकार की नीति के अनुसार अनुसरण के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भूमि के आवंटन के लिए एक नीति बनायी

है बशर्ते भूमि उपलब्ध हो। सरकार द्वारा घोषित इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त उन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों तथा राज्य के मान्यता प्राप्त दलों पर विचार किया जाएगा जिनके कम से कम सात (7) संसद सदस्य (दोनों सदनों को मिलाकर) हो;

(ii) राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दल के रूप में अपनी स्थिति एवं मान्यता की पुष्टि करने वाला भारतीय निर्वाचन आयोग का एक प्रमाम पत्र प्रस्तुत करना चाहिए;

(iii) यदि राजनीतिक दलों ने अपने कार्यालय के उद्देश्य से विट्ठलभाई पटेल हाउस में सरकारी बंगला/सुइट ले रखा हो तो उन्हें आवंटित किए गए प्लॉट पर कार्यालय भवन के निर्माण के तुरंत बाद या खाली प्लॉट का कब्जा लेने से तीन वर्षों के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, उस बंगले/सुइट को खाली करना होगा।

(iv) आवंटित भूमि पर निर्मित भवन का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक इकाई के साथ-साथ दलों की अन्य शाखाओं/संगठन के लिए किया जाना चाहिए। इन परिसरों का उपयोग केवल कार्यालय के उद्देश्य के लिए किया जायेगा। इन प्लॉटों की उपकिरायेदारी इस संबंध में सांस्थानिक प्लॉटों के लिए जारी निर्देशों/प्रतिबंधों द्वारा शासित होगी;

(v) इन परिसरों का उपयोग रिहायशी/व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा;

(vi) भूमि लीज होल्ड आधार पर आवंटित की जाएगी तथा आवंटन की तिथि को प्रचलित जोनल परिवर्ती सांस्थानिक दर से प्रीमियम का भुगतान करने पर आवंटन किया जाएगा। आवंटी दल प्रीमियम के 2.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भूमि-किराया का भुगतान भी करेगा। इन आवंटनों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी;

(vii) दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों की संख्या के अनुसार राजनीतिक दलों को आवंटन के लिए विचार करने योग्य भूमि की मात्रा निम्न प्रकार से होगी:-

(क) कुल 15 सांसदों वाले दलों के लिए 500 वर्गमीटर;

(ख) 16 से 25 तक सांसदों वाले दलों के लिए 1000 वर्गमीटर;

(ग) 26 से 50 तक सांसदों वाले दलों के लिए 2000 वर्गमीटर;

(घ) 51 से 100 तक सांसदों वाले दलों के लिए एक एकड़;

(ङ) 101 से 200 तक सांसदों वाले दलों के लिए दो एकड़;

(च) 201 तथा उससे अधिक सांसदों वाले दलों के लिए 4 एकड़;

(viii) राजनीतिक दलों को आवंटित भूमि में एक अथवा अधिक प्लॉट हो सकते हैं;

(ix) यदि किसी राजनीतिक दल को पहले भूमि आवंटित की गई है तो उपर्युक्त मानकों के अनुसार पहले से आवंटित भूमि को घटाते हुए फिर से आवंटन पर विचार किया जाएगा;

(x) विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के दिल्ली राज्य यूनिट के मामले में निम्नलिखित दो श्रेणियों के लिए 500 वर्गमीटर तक की भूमि के आवंटन पर विचार किया जाएगा:

(क) राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के दिल्ली राज्य यूनिटों का दिल्ली विधान सभा में प्रतिनिधित्व हो; तथा

(ख) राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के दिल्ली राज्य यूनिटों के दिल्ली राज्य विधानसभा में कम से कम सात (7) विधायक हों;

(xi) अन्य मान्यताप्राप्त राज्य स्तर के राजनीतिक दलों, जिनके कम से कम 4 सांसद दोनों सदनों के मिलाकर हों, को विट्ठलभाई पटेल हाउस में कार्यालय स्थल आवंटित करने पर विचार किया जाएगा;

(xii) किसी राजनैतिक दल के समाप्त होने पर भूमि वापस ले ली जाएगी। तथापि दल का विभाजन होने पर लीज की गई भूमि न्यायालय/निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराधिकारी निर्धारित किए गए गुट (गुटों) को दे दी जाएगी। इस प्रकार की आकस्मिकता से उत्पन्न किसी

अप्रत्याशित स्थिति में अलग-अलग मामले के आधार पर निर्णय किया जाएगा;

(xiii) आवंटिती स्थानीय निकाय, भूमि तथा विकास कार्यालय और दिल्ली नगर कला आयोग से भवन निर्माण नक्शे अनुमोदित करवाने के बाद ही निर्माण करेंगे;

(xiv) आवंटित भूमि पर अतिक्रमण/संरचना, यदि कोई हो तो उसको हटाने की जिम्मेदारी आवंटिती की होगी;

(xv) प्लाट पर वृक्ष, यदि कोई हो तो सरकारी संपत्ति होगा और उसे सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना हटाया नहीं जाएगा;

(xvi) आवंटिती अपनी लागत से एक समझौता ज्ञापन और पट्टा विलेख निष्पादित करेंगे;

(xvii) प्रारंभ में भूमि का कब्जा प्रीमियम, पहले छः महीनों के अग्रिम भूमि किराए का भुगतान करने और समझौता ज्ञापन निष्पादित करने पर लायसेंस आधार पर दिया जाएगा। प्रीमियम के रूप में जमा की गई धनराशि को समझौते के उचित निष्पादन के लिए प्रतिभूति माना जाएगा और निर्धारित समय में समझौता ज्ञापन की शर्तें सफलतापूर्वक पूरी होने पर भूमि लीज पर दी जाएगी और प्रतिभूति प्रीमियम तथा लायसेंस शुल्क भूमि किराया हो जाएगा;

(xviii) निम्नलिखित परिस्थितियों में आवंटन निरस्त/रद्द किया जा सकता है:

(क) यदि आवंटिती आवंटन/समझौता ज्ञापन/पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार प्रीमियम तथा भूमि किराया अथवा अन्य किसी सरकारी देयराशि का भुगतान करने में असफल रहता है;

(ख) यदि दल कब्जा सौंपे जाने के तीन वर्ष के अन्दर भवन का निर्माण न कर सके;

(ग) यदि परिसर का प्रयोग उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि आवंटित/लीज पर दी गई है, से इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो;

(घ) यदि आवंटिती भवन निर्माण उपनियमों/अन्य सांविधिक दिशानिर्देशों, जिसमें मास्टर प्लान भी शामिल है, का उल्लंघन करें; तथा

(ङ) आवंटन पत्र अथवा समझौता ज्ञापन अथवा पट्टा विलेख, जिसे बाद में निष्पादित किया जाना है, में निर्धारित किसी शर्त का उल्लंघन करने पर;

(ग) कोई औपचारिक विचार-विमर्श नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

1497. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाएं कब तक पूरी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, नहीं। विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए राज्यों को कोई सहायता मुहैया नहीं करायी है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एम.यू.टी.पी.) नाम की एक परियोजना चल रही है जो 6 नवम्बर, 2002 को आरंभ की गयी थी। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक की कुल सहायता 542 मिलियन अमरीकी डालर है। 542 मिलियन अमरीकी डालर की कुल ऋण राशि में से 30 जून, 2006 तक 176 मिलियन अमरीकी डालर संवितरित की गई है। परियोजना के लिए ऋण की अंतिम तारीख 30 जून, 2008 है।

एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन और उपयोग

1498. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोई कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक परिसम्पत्तियों के सृजन और इसके क्रियान्वयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) एस.जी.आर.वाई. के इन दिशा-निर्देशों द्वारा आम व्यक्ति किस प्रकार लाभान्वित होता है; और

(ङ) एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) एस.जी. आर.वाई. के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई अलग से कोष नहीं बनाया गया है। तथापि, जिला पंचायत/डी.आर.डी.ए. को एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत संसाधन सीधे रिलीज किए जाते हैं जिन्हें जिले में जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायतों तथा ग्राम पंचायत के बीच 20:30:50 के अनुपात में वितरित किया जाना होता है। जिला पंचायतों तथा मध्यवर्ती पंचायतों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैयक्तिक लाभार्थियों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के समूह को आर्थिक परिसंपत्तियां/कार्य उपलब्ध कराने के लिए अपने वार्षिक आबंटन का 22.5% खर्च करना होता है जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बसावटों में आवश्यकता आधारित ग्रामीण अवसंरचना के सृजन के लिए अपने आबंटन का 50% खर्च करना होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिला पंचायत तथा मध्यवर्ती पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों से (i) मृदा एवं नमी संरक्षण, (ii) लघु सिंचाई (iii) पेयजल स्रोतों की पुनः भराई तथा भूजल स्तर को बढ़ाना, (iv) छोटे चैक डैमों/ग्राम तालाब/पोखरों आदि का निर्माण, (v) ग्रामीण संपर्क सड़कों/फार्म सड़कों का निर्माण, (vi) जल-निकासी कार्य, (vii) वनरोपण, (viii) प्राथमिक स्कूलों तथा उनके रसोईघर शैडों का निर्माण तथा सामुदायिक केन्द्रों, डिस्पेंसरियों, पंचायत घरों का निर्माण, हाटों का विकास आदि जैसे कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इसी प्रकार, ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों से ग्राम पंचायतों द्वारा लोगों की महसूस की गई आवश्यकता के अनुसार ग्राम पंचायतें ऐसे सभी कार्य शुरू कर सकती हैं जिससे टिकाऊ स्वरूप की उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है। ग्राम पंचायतें स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए अवसंरचना सहायता, कृषि क्रियाकलापों की सहायता के लिए अपेक्षित अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संपर्क सड़कों के लिए सामुदायिक अवसंरचना, अन्य सामाजिक-आर्थिक सामुदायिक परिसंपत्तियों तथा ग्राम तालाबों/पोखरों से गाद निकालने को तरजीह देंगी।

(घ) जिला पंचायत तथा मध्यवर्ती पंचायतों के 22.5% संसाधनों में से वैयक्तिक बी.पी.एल. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक परिसंपत्तियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अगर अलग-अलग व्यक्ति ऐसी परिसंपत्तियों के सृजन में लगे हुए हैं तो वे मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। समग्र रूप में समुदाय को एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरूप की सामाजिक आर्थिक परिसंपत्तियों के सृजन का लाभ मिलता है।

(ङ) एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए ग्रामवासियों की निगरानी समिति के गठन को पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाया गया है। समिति की अंतिम रिपोर्ट के साथ कार्य का समापन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होता है तथा इसे बाद में विचार-विमर्श के लिए ग्राम सभा की बैठक में रखा जाता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा शामिल किए गए राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्त्ता को क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा निष्कर्षों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य भी दिया जाता है। इसके बाद, संबंधित राज्य सरकारों को राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कार्यों की गुणवत्ता तथा प्रगति की जांच करने के लिए कार्यस्थलों का दौरा भी करते हैं।

आर एण्ड डी संस्थान

1499. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्वस्तरीय आर एण्ड डी संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो अवस्थिति-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। तथापि, नई विश्वस्तरीय अनुसंधान और विकास संस्थाओं को स्थापित करने के प्रस्तावों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, अनुसंधान के उभर रहे क्षेत्रों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय विज्ञान आयोग

1500. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में वैज्ञानिक समाचारों के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने और विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कार्यान्वित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विज्ञान को निचले स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों के जिलों में इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय विज्ञान आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि वैज्ञानिक समाचारों का प्रसार जन संचार माध्यमों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त ग्रामीण विकास एवं रोजगार योजनाएं

1501. **श्री भर्तृहरि महताब: क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गरीबी उन्मूलन हेतु लक्षित ग्रामीण पहल अवसंरचना योजना के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से उड़ीसा के तटीय जिलों में किन-किन ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण रोजगार योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक कोष से कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या सभी तटीय जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन जिलों को छोड़ा गया है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, नहीं। वर्तमान में, उड़ीसा राज्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ग्रामीण विकास और रोजगार संबंधी कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकिंग सुधार

1502. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करके प्रतिवर्ष 48 बिलियन अमरीकी डालर पूंजी की बचत की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भी देश में स्वदेशी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के डाटाबेस में देश भर में बैंकिंग क्षेत्र में किए जा रहे सुधार से बचायी जा सकने वाली अथवा बचायी गई राशि की मात्रा से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार को महत्व देने का अर्थ विविध, प्रभावी एवं तुलनात्मक वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देना था, जिसका मूलभूत उद्देश्य परिचालनात्मक लचीलापन, बेहतर वित्तीय अर्थक्षमता एवं संस्थागत मजबूती के माध्यम से संसाधनों की आबंटन संबंधी क्षमता में सुधार करना है। वर्ष

1991 से, बैंकिंग क्षेत्र में धीरे-धीरे विभिन्न सुधार उपाय लागू किये गए। इनमें शामिल हैं:-

- प्रेरक नीतिपरक माहौल तैयार करना - इस उपाय का उद्देश्य आरक्षित अपेक्षाओं, के रूप में सांविधिक पूर्वक्रय के उच्च स्तर को घटाना, नियंत्रित ब्याज-दर ढांचे का युक्तियुक्तकरण एवं उदारीकरण तथा कुछ क्षेत्रों के लिए ऋण के आबंटन को सरल बनाना।
- प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी करना, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली की क्षमता एवं उत्पादकता में सुधार हो सके।
- देशी बैंकों का स्वामित्व आधार व्यापक आधार वाला रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रचलनों की ओर अभिमुख होने के विचारार्थ व्यष्टिगत विवेकपूर्ण उपायों को लागू करना।
- विनियम एवं पर्यवेक्षण को मजबूत करना।
- भुगतान एवं निपटान प्रणाली की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए उपायों को लागू करना।
- बैंकिंग कारोबार करने के लिए कानूनी माहौल को मजबूती देना।
- बैंक के तुलन-पत्र में मानकों की पारदर्शिता एवं प्रकटन में सुधार।
- बैंकों में कंपनी अभिशासन में सुधार।
- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का चरणबद्ध कार्यान्वयन।
- पुनर्खरीद/प्रतिपुनर्खरीद लेन-देन का एक समान लेखा।
- ऋण वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों को और सुदृढ़ बनाया गया।
- आस्ति पुनर्गठन कंपनी (ए.आर.सी.आई.एल.) की स्थापना।
- संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना को जनवरी, 2006 में लागू किया गया है।
- बैंकों को कहा गया कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर निष्पक्ष प्रचलन संहिता तैयार करें।
- निष्पक्ष प्रचलन संहिता के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड की स्थापना की गई।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में बासेल-II कार्यान्वयन के लिए रूप-रेखा जारी की गई।

इन सुधार उपायों का भारत की बैंकिंग प्रणाली की सम्पूर्ण क्षमता एवं स्थायित्व पर व्यापक असर पड़ा है। भारतीय बैंकों की वर्तमान पूंजी पर्याप्तता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पूंजी पर्याप्तता के समान है। आस्ति गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है, इसके तहत बैंकिंग प्रणाली हेतु सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की प्रतिशतता में कमी आई है, यह 1998 में 14.4 प्रतिशत था जो मार्च, 2006 तक घटकर 3.4 प्रतिशत हो गया। सुधार उपायों का परिणाम बैंकों की लाभप्रदता में सुधार के रूप में सामने आया है। बैंकों के आस्ति-प्रतिफल (आर.ओ.ए.) में वृद्धि हुई जो 1991-92 के 0.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 में 0.88 प्रतिशत हो गया। इसे ध्यान में रखते हुए कि जहां वर्ष 2004 के लिए सार्वभौमिक स्तर पर आर.ओ.ए. 0.9 से 1.5 प्रतिशत के बीच रहा है, वहीं भारतीय बैंक भी बेहतर रहे। बैंकिंग क्षेत्र सुधार इस आवश्यकता पर भी बल देते हैं कि वास्तविक योजना तैयार कर मानव शक्ति संसाधनों का नवीकरण किया जाए तथा आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाया जाए ताकि परिचालन लागत को घटाया जा सके एवं लाभप्रदता में सुधार लाया जा सके।

[अनुवाद]

संयुक्त उद्यम विद्युत परियोजना की स्थापना

1503. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) और कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) का विचार उड़ीसा में 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन संयंत्र का संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) ब्राह्मिणी और चिकरो पाट्सीमल कोयला ब्लॉकों के खनन के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना के संबंध में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) लि. और कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के बीच विचार-विमर्श हुआ है। कोल खनन/विद्युत उत्पादन व्यावसाय में 50:50 इक्विटी भागीदारी सहित संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के लिए एन.टी.पी.सी. लिमिटेड और सी.आई.एल. के

बीच एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अन्य परियोजनाओं का चिन्हीकरण इस उद्देश्य के लिए गठित किए जाने वाले "जॉइन्ट बिजनिस डेवलपमेंट ग्रुप" द्वारा बाद में किया जाएगा।

मिसन-रीच

1504. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों के लक्ष्य को प्राप्त करने में मिशन - 'रेलीवेंस' एंड एक्सीलेंस (रीच) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) पूरे देश में कितने प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद (टी.आई.एफ.ए.सी.) कोर कार्य कर रहे हैं;

(ग) उक्त मिशन के लक्षित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मिशन-रीच द्वारा देश के युवाओं को कितना लाभ हुआ है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) टेक्नोलॉजी विजन 2020 के अनुसरण में टाइफैक ने रीच (शैक्षणिक संस्थानों में नई ऊंचाइयों की प्राप्ति में संगतता एवं उत्कृष्टता) मिशन आरंभ किया था जिसका उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ पाठ्यक्रम, अवसरों और निवेशों की सहक्रिया द्वारा उच्च शिक्षा प्रणाली में एक संरचनात्मक परिवर्तन लाना था:

(i) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के मानव संसाधनों का विकास

(ii) उद्योग और समाज की उच्च संगतता के चयनित क्षेत्रों में उच्च कोटि की शिक्षा देना

(iii) शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के मध्य स्थायी संयोजन का सृजन

(iv) उत्कृष्टतापरक केन्द्रों के रूप में उद्योग से संगत चयनित इंजीनियरिंग विज्ञान और तकनीकी संस्थानों का उन्नयन करना तथा उन्नत मानवशक्ति के उभर रहे क्षेत्रों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय मानवशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा के स्तर को व्यापक बनाना।

(ख) वर्तमान में पूरे देश में अनेक विषयों में संगतता और उत्कृष्टता के 26 केन्द्र (कोर) कार्य कर रहे हैं।

(ग) मिशन में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विद्यमान इंजीनियरिंग, चिकित्सा और विज्ञान के कालेजों के उन्नयन पर विचार किया गया है। इससे अग्रणी प्रौद्योगिकी के उन्नत उभरते क्षेत्र में उद्योग और समाज की एक बहुत ही विशिष्ट प्रकृति की मांग को पूरा करने में सुगमता होगी। इस लक्षित कार्यक्रम की व्यापक विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) देशभर में शैक्षणिक संस्थानों में संगतता एवं उत्कृष्टता के टाइफैक-केन्द्रों (कोर) की स्थापना, यू.जी., पी.जी. एवं डाक्टोरल स्तरों पर शिक्षण/शिक्षा प्राप्ति की गुण - कोटि में वृद्धि के लिए नवीनतम सुविधाओं के साथ कोर को सुसज्जित किया गया है।

(ii) उद्योगों के लिए सीधे तौर पर संगत उन्नत स्तर के पाठ्यक्रमों को आरंभ करना (अब तक इन केन्द्रों में 30 पाठ्यक्रम आरंभ किये गये हैं: जिनमें से कुछ देश में पहली बार आरंभ किये गये हैं)।

(iii) देश भर में उच्च तकनीकी शिक्षा के व्यापक प्रसार और शिक्षण सहायता को सुनिश्चित करने के लिए सीखने की पद्धति हेतु प्रौद्योगिकी में अभिवृद्धि और विद्यार्थी समुदाय की बेहतर सेवा।

(घ) कोर कार्यक्रम के माध्यम से देश के युवाओं को होने वाले लाभों का सारांश इस प्रकार है:-

(i) टाइफैक-कोर द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों तथा उद्योगों द्वारा उनके इलए बहुत ही लाभकारी पाये गये हैं। इन टाइफैक-कोर के विशेषज्ञ क्षेत्रों में से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को रोजगार मिले हैं।

(ii) भारत में, जहां योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नियोजन का एक बड़ा मामला है, वहां टाइफैक-कोर के विद्यार्थियों का नियोजन रिकार्ड 90% से अधिक है।

(iii) टाइफैक-कोर, उद्योगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विद्यार्थियों को टेलर मेड लघु-अवधि-पाठ्यक्रमों एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को प्रदान करता है। यह उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करता है।

(iv) विद्यार्थी इन केन्द्रों में स्थापित नवीनतम सुविधाओं (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों) का उपयोग करते हुए वास्तविक उद्योग समस्याओं पर कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त करते हैं।

(v) टाइफैक-कोर के विद्यार्थियों को शामिल करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पत्रिकाओं, दोनों में अनेक

दस्तावेज प्रकाशित किये गये हैं। इससे उनके शैक्षणिक विश्वसनीयता स्थापित होने में मदद मिलती है।

स्कूलों के पट्टे रद्द करना

1505. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में पब्लिक स्कूल गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, क्या तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान न करने वाले इन स्कूलों के पट्टे रद्द कर दिए हैं और इन स्कूलों को भूमि को खाली करके इसका कब्जा वापस दिल्ली विकास प्राधिकरण को देने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त स्कूलों की भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है: और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) दिल्ली में निजी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अनेक स्कूलों द्वारा निःशुल्कता की शर्त का अनुपालन न किए जाने के संबंध में कार्रवाई करने का मुद्दा दिल्ली उच्च्य न्यायालय के समक्ष है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसने 4 स्कूलों तथा बाल भारती, स्कूल, पिनेकल स्कूल, ज्ञान मंदिर तथा रुकमनी देवी स्कूल का आबंटन रद्द कर दिया है। इन रद्द किए गए प्लॉटों का कब्जा केवल सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही पूरी होने पर ही लिया जा सकता है। तथापि, कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है क्योंकि पुनः कब्जा लेने के संबंध में दिल्ली उच्च्य न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है।

उड़ीसा को विश्व बैंक से ऋण

1506. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक उड़ीसा को 225 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण की निबंधन और शर्तें क्या है;

(ग) इसका उपयोग किन प्रयोजनों के लिए किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने दिसम्बर, 2004 में प्रथम चरण में 125 मिलियन अमरीकी डालर की राशि स्वीकृत की थी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या स्वीकृत ऋण का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए इन्हें मांगा गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) 225 मिलियन डालर का यह ऋण अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) ऋण (150 मिलियन डालर) और आई.डी.ए. ऋण (75 मिलियन डालर) का मिश्रण है। आई.बी.आर.डी. ऋण की वापसी अदायगी की अवधि 20 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है, ब्याज दर का निर्धारण 6 महीने की "लिबोर" जमा परिवर्तनीय ब्याज दर पर आधारित होता है और 0.75% का वचनबद्धता प्रभार लगता है। आई.डी.ए. ऋण की वापसी अदायगी की अवधि 35 वर्ष है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है और 0.75% का सेवा प्रभार तथा 0.35% का वचनबद्धता प्रभार लगता है।

(ग) इस ऋण का प्रयोजन समग्र आर्थिक विकास में तेजी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक, राजकोषीय और प्रशासनिक सुधारों के अनवरत कार्यान्वयन को सहायता पहुंचाना और तेजी से गरीबी उन्मूलन करना है। इस ऋण के कम से कम 60% का उपयोग पुराने महंगे ऋण की वापसी अदायगी करने के लिए और शेष का उपयोग सुधारों पर आने वाले खर्च को वित्तपोषित करने तथा विकासात्मक खर्चों को वित्तपोषित करने के अधिक महंगे स्रोतों को प्रतिस्थापित करने के तौर पर किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां।

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं

1507. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत धनराशि जारी करने हेतु राज्य-सरकारों की परियोजना-वार और राज्यवार कितनी परियोजनाएं लंबित है;

(ख) परियोजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितनी धनराशि की मांग की गई है और कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के कार्य के लंबित रहने के क्या कारण है; और

(घ) इन सभी परियोजनाओं हेतु धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत वर्तमान में 38 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। उनके परियोजना-वार एवं राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न है। छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के तहत वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा 27 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत धनराशि जारी नहीं की गयी है क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाना बाकी है। ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद धनराशि जारी की जाती है।

विवरण-I

मूल्यांकनाधीन परियोजनाओं की सूची (02-08-06 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	शहर का नाम	परियोजना का नाम	सेक्टर	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	विजयवाड़ा	बी.टी. रोड का प्रावधान	परिवहन	3.54
2.	विजयवाड़ा	सत्यनारायणपुरम रेलवे ट्रैक रोड को चार लेन के रोड में प्रवर्तित करना	परिवहन	14.40
3.	विशाखापट्टनम	मुदासरलोवा क्षेत्र में सड़कों का विकास	परिवहन	17.00
4.	विशाखापट्टनम	बीच फ्रंट महात्मा गांधी प्रतिमा से कैलाशगिरि तक का विकास	परिवहन	9.17
चंडीगढ़ (यूटी)				
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में 24x7 जल आपूर्ति के लिए जल आपूर्ति अवस्थापनाओं की समुचित मानीटरिंग और रिमोट कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली।	जलापूर्ति	21.36
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ कालका रोड पर एलवेटेड हाईवे	परिवहन	174.00
गुजरात				
1.	अहमदाबाद	बस त्वरित परिवहन प्रणाली	परिवहन	460.00
2.	सूरत	कपोधरा फायर स्टेशन पर फ्लाई ओवर ब्रिज	परिवहन	9.45

1	2	3	4	5
3.	सूरत	नानावरछा के समीप फ्लाई ओवर ब्रिज	परिवहन	7.88
4.	सूरत	यातायात पैकेज-I सूरत-डुमास और रेन्डर रेड के लिए कंक्रीट की सड़क	परिवहन	16.20
5.	सूरत	नवासरी रोड और बाराडोली रोड के लिए कंक्रीट की सड़क	परिवहन	42.54
6.	वडोदरा	सायाजी सरोबर-प्रतापपुरा प्रणाली की बहाली और सुदृढ़ीकरण	जलापूर्ति	15.01
मध्य प्रदेश				
1.	जबलपुर	जबलपुर स्टोर्म वाटर ड्रेनेज-ओमटी नाला प्राइमरी ड्रेन (फेज-I बैरल भाग)	जल निकासी	50.25
2.	इंदौर	इंदौर सीवरेज परियोजना	सीवरेज	325.00
3.	इंदौर	बस त्वरित परिवहन प्रणाली	परिवहन	868.15
महाराष्ट्र				
1.	ग्रेटर मुम्बई	मुम्बई-IV के लिए मिडल वैतरण जल आपूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	1326.33
2.	ग्रेटर मुम्बई	सीवरेज निपटान परियोजना (फेज-II)-प्राथमिकता कार्य	सीवरेज	5.02
3.	पुणे	पुणे में बस त्वरित परियोजना के लिए नेटवर्क विकास	परिवहन	1016.49
4.	नांदेड	गोदावरी नदी पर धार्मिक स्नान के लिए जलाशयों-अमदुरा जलाशय, वाजेगांव जलाशय का निर्माण	जल निकायों का संरक्षण	23.01
5.	नांदेड	असना नदी, त्रिकूट जलाशय पर धार्मिक स्नान के लिए जलाशयों का निर्माण	जल निकायों का संरक्षण	4.99
6.	नांदेड	शहरी सड़कों का सुधार	परिवहन	56.86
7.	नासिक	शुरू किए गए सीवरेज कार्य	सीवरेज	51.91
8.	नासिक	यातायात और परिवहन आयोजना	परिवहन	66.65
9.	पिंपरी चिंचवाड	जल निकास प्रणाली प्रस्ताव नं. 1	जल निकास	74.08
10.	पिंपरी चिंचवाड	जल निकास प्रणाली प्रस्ताव नं. 2	जल निकास	49.37

1	2	3	4	5
11.	पिंपरी चिंचवाड़	जल आपूर्ति प्रस्ताव नं. 1	जल आपूर्ति	90.92
12.	पिंपरी चिंचवाड़	जल आपूर्ति प्रस्ताव नं. 2	जल आपूर्ति	97.91
13.	पिंपरी चिंचवाड़	जल आपूर्ति प्रस्ताव नं. 3	जल आपूर्ति	86.09
14.	पिंपरी चिंचवाड़	जल आपूर्ति प्रस्ताव नं. 4	जल आपूर्ति	88.18
15.	पिंपरी चिंचवाड़	ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	37.64
16.	पिंपरी चिंचवाड़	खतरनाक कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	28.30
17.	पिंपरी चिंचवाड़	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-I	परिवहन	94.51
18.	पिंपरी चिंचवाड़	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-II	परिवहन	93.82
19.	पिंपरी चिंचवाड़	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-III	परिवहन	76.35
20.	पिंपरी चिंचवाड़	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-IV	परिवहन	64.43
21.	पिंपरी चिंचवाड़	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-V	परिवहन	91.37
22.	पिंपरी चिंचवाड़	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-VI	परिवहन	68.15
पश्चिमी बंगाल				
1.	कोलकाता	खरदाह, पानीहाटी, नार्थ डमडम, डमडम और साउथ डमडम में जल निकास रुकावट को दूर करने संबंधी ट्रांस म्युनिसिपल स्कीम	जल निकास	35.88

विवरण-II

राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एस.एल.एस.सी.) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची और राशि तथा 2006-07 के दौरान राशि जारी करने के लिए संस्तुति

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/शहर के नाम	क्षेत्र	स्वीकृत/राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा संस्तुत*
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	कडापा	सीवरेज	49.15
2.	मिरयालगुडा	सीवरेज	34.93
3.	नालगोंडा	सीवरेज	46.88
4.	प्रोदुतूर	सीवरेज	31.17
5.	नरसारावपेट	सीवरेज	26.41
6.	सूर्यापेट	जल आपूर्ति	23.48
7.	रायादुर्ग	जल आपूर्ति	42.39
8.	नालगोंडा	जल आपूर्ति	4.44
9.	कडापा	जल आपूर्ति	29.23
10.	प्रोदुतूर	जल आपूर्ति	16.8

1	2	3	4
11.	भीमुनिपट्टनम	जल आपूर्ति	10.64
12.	नरसरावपेट	जल आपूर्ति	11.64
13.	कादिरी	जल आपूर्ति	45.46
14.	निर्मल	जल आपूर्ति	27.09
15.	मछेरला	जल आपूर्ति	1.40
16.	नागारी	जल आपूर्ति	35.40
17.	जामालामादुगा	जल आपूर्ति	11.69
18.	ओंगोल	जल आपूर्ति	15.54
	योग		**463.74**
महाराष्ट्र			
1.	लातूर	सीवरेज/नालियों का निर्माण	55.31
2.	लातूर	सड़कें	52.26
3.	लातूर	विरासत क्षेत्र का विकास	0.63
4.	लातूर	पार्किंग स्थान	0.37
	योग		**108.57**
मध्य प्रदेश			
1.	इटारसी	जल आपूर्ति/सीवरेज	21.76
2.	बुदनी	जल आपूर्ति/सीवरेज	3.90
3.	जावरा	जल आपूर्ति/सीवरेज	9.57
4.	रेहती	सीवरेज	1.43
5.	दामोह	सड़कें	4.19
	योग		40.85

*राशियां जारी नहीं की गई हैं क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा करार ज्ञापन अभी हस्ताक्षर किया जाना है।

सुनामी की चेतावनी

1508. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में इंडोनेशिया में आए सुनामी/भूकंप की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 2004 में सुनामी के अनुभव को ध्यान में रखकर देश में तटीय क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को चेतावनी दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में कौन से एहतियाती कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार हिंद महासागर में सुनामी और तूफान महोर्मि के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित कर रही है। हिन्द महासागर में सुनामी और तूफान महोर्मि के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के चालू होने तक प्रथम उपाय के तौर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाली स्वायत्तशासी संस्था, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद में एक अंतरिम सुनामी चेतावनी केन्द्र (आई.टी.डब्ल्यू.सी.) प्रचालित किया गया है। यह केन्द्र भारत मौसम विज्ञान विभाग, अमरीकी भूविज्ञान सर्वेक्षण से भूकंप संबंधी सूचना और जापान मौसम विज्ञान एजेंसी, प्रशांत सुनामी चेतावनी केन्द्र से सुनामी संबंधी परामर्श सूचनाएं प्राप्त करता है। संस्थापित ज्वारमापियों से इनकायस में डाटा प्राप्त किए जाते हैं और इनका उपयोग किसी सुनामी के उत्पन्न होने और आने की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। अंतरिम सुनामी चेतावनी केन्द्र (आई.टी.डब्ल्यू.सी.) चौबीस घंटे प्रचालित है तथा गृह मंत्रालय को संप्रेषित करने के लिए परामर्श सूचनाएं तैयार करता है।

17 जुलाई, 2006 के भूकंप जिससे, इंडोनेशियाई तट के हिस्सों में सुनामी उत्पन्न हुई थी के लिए जल स्तरीय प्रेक्षण किए गए। भारतीय तटों पर सुनामी के किसी खतरे का आभास नहीं हुआ। इस कारण से कोई भी चेतावनी जारी किए जाने पर विचार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

रत्नागिरी गैस आधारित विद्युत संयंत्र

1509. डा. चिन्ता मोहन:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नागिरि गैस आधारित विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजना को पुनः चालू करने के लिए अब तक कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(घ) निवेश की गई कुल पूंजी में हिस्से का संस्था-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) रत्नागिरी गैस एवं पावर प्राईवेट लिमि. 31 जुलाई 2006 तक पुनरुद्धार कार्यों में लगभग 250 करोड़ रुपये का खर्च कर चुका है।

(घ) निवेशित पूंजी का संस्थावार ब्यौरा निम्नवत है:-

संस्था का नाम	धनराशि (करोड़ रु. में)
एन.टी.पी.सी. लिमिटेड	500
गैल (इंडिया) लिमिटेड	500
आई.डी.बी.आई. लिमिटेड	188
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	126
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	153
केनरा बैंक	33
एम.एस.ई.बी. होल्डिंग कं. लिमिटेड (नॉन-कैश)	265
योग	1765

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1510. श्री सुग्रीव सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय और सहयोग करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान एशिया पेसिफिक सेंटर फॉर टेक्नोलोजी ट्रांसफर द्वारा क्या कार्यकलाप किए गए और वर्ष 2006-07 के दौरान क्या कार्यकलाप प्रस्तावित हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) डी.एस.आई.आर. प्रमुखतः यू.एन.-ए.पी.सी.टी.टी. के साथ समन्वय और सहयोग करता है। डी.एस.आई.आर. ए.पी.सी.टी.टी. का नोडल सरकारी विभाग है और ए.पी.सी.टी.टी. को संस्थागत और कार्यक्रम सम्बन्धी समर्थन प्रदान करता है। ए.पी.सी.टी.टी. यूनेस्केप का एक निकाय है, भारत में जिसके कार्यों का समन्वय वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाता है। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जिनके साथ डी.एस.आई.आर. ने सहयोग किया, यूनेस्को - एशिया प्रशांत सूचना नेटवर्क है।

(ग) ए.पी.सी.टी.टी. के उल्लिखित कार्यकलाप कैलेन्डर वर्ष 2005 और 2006 के लिए हैं, जैसाकि ए.पी.सी.टी.टी. में उनका रिकार्ड रखा गया है।

वर्ष 2005 के दौरान ए.पी.सी.टी.टी. के कार्यों में शामिल थे: क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना और राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रणालियों (एन.आई.एस.) के लिए राष्ट्रीय नीति निरूपण में अच्छे तरीकों का इस्तेमाल करना; लघु और मंझोले उद्यमियों (एस.एम.ई.) के बीच सीमापार व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण मध्यस्थों के नेटवर्क की स्थापना का सरलीकरण करना; वैबसाइट बनाना; नामतः बिजनेस - एशिया नेट तथा टेक्नोलॉजी 4 एस.एम.ई. नेट; नेटवर्क का संवर्धन नामतः एशिया प्रशांत परम्परागत औषध और हर्बल प्रौद्योगिकी (ए.पी.टी.एम.एन.ई.टी.) नेटवर्क तथा एशिया नेटवर्क और जैव प्रौद्योगिकी सूचना नेवर्टक (बिनेशिया); तथा प्रकाशन निकालना नामतः एशिया प्रशान्त टैक मानीटर तथा मूल्य वृद्धि प्रौद्योगिकी सूचना सेवा (वी.ए.टी.आई.एस.)।

वर्ष 2006 के लिए ए.पी.सी.टी.टी. के प्रस्तावित कार्यकलापों में शामिल हैः सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनीशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टैक्नोलॉजीस एंड इंस्टीट्यूशन्स (एस.आर.आई.एस.टी.आई.) जो भारत का एक गैर सरकारी संगठन है, के साथ विभिन्न कार्यकलाप आयोजित करने के सम्बन्ध में एक सहयोगी परियोजना पर कार्य करना, जो ग्रीन ग्रासरूट नवोत्पादों और परम्परागत जानकारी की खोज करने, प्रलेखन करने और प्रसार

करने के लिए अपेक्षित हैं, उपयुक्त क्रियाविधि के माध्यम से ए.पी.टी.एम.एन.ई.ए.टी. और बी.आई.एन.ए.एस.आई.ए. नेटवर्कों को सुदृढ़ करना; और एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक अनुसंधान और विकास नेटवर्क स्थापित करने के लिए नए परियोजना प्रस्तावों का निरूपण करना तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना।

प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

1511. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अनेक प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है परंतु वह इनको हस्तांतरित नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रौद्योगिकियों को कब तक हस्तांतरित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रौद्योगिकियों के विकास वाली विभिन्न अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) परियोजनाओं की सहायता के साथ-साथ अनेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों को भी सहायता प्रदान करता है। ऐसी परियोजनाएं आमतौर पर शैक्षिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा चलाई जाती हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत विकसित प्रौद्योगिकियों के स्थानान्तरण तथा इस प्रकार सृजित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का दायित्व संबंधित संस्थाओं का है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वरिष्ठ नागरिकों को आयकर राहत

1512. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री सज्जन कुमार:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री के.सी. सिंह "बाबा":

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बचत योजनाओं के नाम क्या हैं जिनमें देश के नागरिकों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को आयकर राहत दी जाती है;

(ख) क्या सरकार ने लघु बचतों पर आयकर राहत के संबंध में विभिन्न बैंकों/डाक घरों को कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों/योजनाओं में एकरूपता लाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) ऐसी विभिन्न बचत स्कीमें हैं जिनमें व्यष्टि (जिनमें वरिष्ठ नागरिक नागरिक भी शामिल है) निवेश कर सकते हैं और आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के अंतर्गत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

(ii) इक्विटी लिंक्ड बचत स्कीम, 2005

(iii) बैंक सावधि जमा स्कीम, 2006

(ख) और (ग) सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के संबंध में बैंकों/डाकघरों को अनुदेश जारी किए हैं। उन्हें अनुदेश दिया गया है कि ऐसी स्कीम से उद्भूत होने वाले ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती की जानी आवश्यक है क्योंकि इस पर छूट प्राप्त नहीं है। तथापि, वरिष्ठ नागरिक (एक ऐसा व्यक्ति जो वित्त वर्ष के दौरान किसी समय 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है) द्वारा फार्म सं. 15 ज अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा फार्म सं. 15 छ में एक घोषणा प्रस्तुत करने पर कि उस वित्त वर्ष के लिए आंकलित आय पर कर शून्य है, कोई कर कटौती नहीं की जाएगी। ये अनुदेश वेबसाइट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. फिन मिन. एन.आई.सी.इन (आर्थिक कार्य विभाग, बजट प्रभाग) पर उपलब्ध हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चूंकि प्रत्येक मंत्रालय के अंतर्निहित लक्ष्य भिन्न-भिन्न

हैं, अतः विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों/स्कीमों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए समरूपता लाना संभव नहीं है।

विदेशों से ऋण

1513. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

श्री के.एस. राव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 2006 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडिया पेज रूपीज 406 करोड़ टू लेन्डर्स फॉर डिलेड प्रोजेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान परियोजना-वार विदेशों से प्राप्त कौन-कौन से ऋणों का समय पर उपयोग नहीं किया जा सका;

(ग) परियोजना-वार इसके क्या कारण हैं;

(घ) विलम्ब के कारण सरकार द्वारा कितनी दण्ड राशि का भुगतान किया गया/किया जाना है;

(ङ) क्या सरकार ने विदेशों से प्राप्त ऋणों का समय पर उपयोग करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन परियोजनाओं में उक्त दिशानिर्देशों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारत सरकार को इस विषय में दि. 28 जून, 2006 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। हालांकि, यह समाचार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान के बारे में गलत जानकारी देता है। अपनी निधियों की वचनबद्धता के लिए विकास भागीदार द्वारा लगाए गए प्रभार को वचनबद्धता प्रभार कहा जाता है। विदेशी सहायता में, किसी परियोजना को विलम्ब से निष्पादित करने के लिए अर्थ दण्ड लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 2003-04 से 005-06 के दौरान हस्ताक्षरित ऐसी कोई नई परियोजना नहीं है जिसमें प्राप्त हुए विदेशी ऋणों को सहमत परियोजना अवधि के दौरान उपयोग में न लाया गया हो।

(ङ) से (छ) कार्यान्वयन प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि वे परियोजना दस्तावेज में परियोजना के लिए निर्धारित मानदण्डों और अवधि का अनुपालन करें। सहायता के उपयोग को सुधारने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में राज्यों और केन्द्र सरकार के बजटों में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना, अधिप्राप्ति की प्रक्रियाओं को सुसाध्य बनाना, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता के प्रवाह में से मध्यस्थता समाप्त करना, कुछ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना मानीटरिंग यूनिटों को सुदृढ़ बनाना, राज्यों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना और परियोजनाओं की नियमित पुनरीक्षा करना आदि शामिल हैं। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों सरकारों जैसे परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण, मुकदमेबाजी आदि की समस्याओं जैसे अनेक विविध अप्रत्याशित अवरोधों के अन्तर्गत कार्य करते हैं और इससे कई बार परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हो जाता है।

चुनाव सुधार

1514. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चुनाव एवं राजनीतिक सुधारों संबंधी तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार चुनाव सुधार लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग कई बाधाओं के कारण चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ है; और

(घ) यदि हां, तो मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं को शामिल करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) सरकार को निर्वाचन और राजनीतिक सुधार संबंधी तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन से कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि फरवरी, 2006 में एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म द्वारा पटना में आयोजित निर्वाचन और राजनीतिक सुधार संबंधी सम्मेलन में अपनाए गए संकल्प की एक प्रति आयोग को प्राप्त हुई थी। निर्वाचन आयोग ने संकल्प में अंतर्विष्ट प्रस्तावों की समीक्षा की थी। ये प्रस्ताव आयोग द्वारा सरकार को जुलाई, 2004 और अक्तूबर, 2005 में पहले से भेजे गए निर्वाचन सुधार संबंधी प्रस्तावों के सेट में

सम्मिलित हैं। जब सरकार इन प्रस्तावों की समीक्षा कर रही थी, उस समय राज्य सभा के सभापति ने निर्वाचन सुधारों के विषय को समीक्षा और रिपोर्ट दिए जाने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट कर दिया। सरकार कोई कार्रवाई करने से पूर्व समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

(ग) और (घ) उठाया गया मुद्दा विनिर्दिष्ट नहीं है। तथापि, निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि आयोग सभी पात्र व्यक्तियों को उनके नामों को निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित कराए जाने में समर्थ बनाने और मतदान के सुचारू संचालन के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है।

पैन कार्ड

1515. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बायोमेट्रिक कार्ड आयकर निर्धारितियों के लिए वहनीय होंगे;

(ख) यदि हां, तो इन्हें किस मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रणाली में बायोमेट्रिक फीचरों को लागू करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है जिसमें बायोमेट्रिक पैनकार्डों के मूल्य निर्धारण तथा सामर्थ्य का मुद्दा भी शामिल है।

(ग) इसके कार्यान्वयन की समय सीमा नहीं बतायी जा सकती क्योंकि यह मामला अभी विचाराधीन है।

ब्रिटिश गैस से निवेश प्रस्ताव

1516. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैस वितरण और संप्रेषण अवसंरचना विकसित करने हेतु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में पूर्ण स्वामित्व वाली तीन अनुषंगी कंपनियां स्थापित करने के लिए ब्रिटिश गैस (बीजी) के भारत में 90 मिलियन डालर निवेश करने के प्रस्ताव को स्थगित रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ब्रिटिश गैस को अनुमति प्रदान करने से पूर्व उसके भारतीय सहयोगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) से मंतव्य जानना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को गैस वितरण और पारेषण अवसंरचना के विकास के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों की स्थापना हेतु मैसर्स ब्रिटिश गैस (बीजी) एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड, यू.के. से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रत्येक प्रस्ताव में 30 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी निवेश है। प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) के विचारार्थ लंबित हैं जो अपूर्ण हैं क्योंकि 'मौजूदा' संयुक्त उद्यमों के संयुक्त उद्यम साझेदारों से प्रेस विज्ञप्ति 1 (2005 शृंखला) के संदर्भ में अनापत्ति प्रमाणपत्र/अभ्युक्तियां कंपनी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) द्वारा अधिसूचित की गई प्रेस विज्ञप्ति 1 (2005 शृंखला) के अधीन अपेक्षा के अनुसार ऐसे मामलों में, जहां विदेशी निवेशक का 'उसी' क्षेत्र में संयुक्त उद्यम मौजूद है, सरकार को यह सुनिश्चित करने में समर्थ बनाने के लिए कि नए उद्यम से मौजूदा संयुक्त उद्यम (उद्यमों) के हित को खतरा हो सकता है अथवा नहीं, मौजूदा संयुक्त उद्यम (उद्यमों) (जेवी) के साझेदार (साझेदारों) की टिप्पणियां अपेक्षित हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से मौजूदा संयुक्त उद्यम के साझेदारों की टिप्पणियां मंगाने और उन्हें एफ.आई.पी.बी. को संसूचित करने का अनुरोध किया गया है।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन

1517. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्यक्रम के समय से परिणामों की घोषणा होने तक इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) में गड़बड़ी न हो सके किसी वैज्ञानिक संस्था की राय ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के बारे में अब तक किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाए किये गए हैं; और

(ङ) उन विकसित देशों का ब्यौरा क्या है जो चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के उपयोग से संबंधित विषय को वर्ष 1990 में सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव सुधार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें अनेक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। उस समिति के समक्ष मशीनों के कार्यकरण का प्रदर्शन किया गया था और यद्यपि समिति उनके कार्यकरण के संबंध में संतुष्ट थी किन्तु उसने मशीनों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए एक अन्य तकनीकी विशेषज्ञ समिति को नियुक्त किया। प्रोफेसर एस. सम्पत, प्रोफेसर पी.वी. इंद्रेसन और डा. सी. राव कसरबदा से मिलकर बनी तकनीकी समिति ने सभी तकनीकी पहलुओं से मशीनों की सूक्ष्म जांच की और एक मत से बिना कोई और विलंब किए इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग करने की सिफारिश की।

(ग) निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के संबंध में अभी तक प्राप्त शिकायतों की प्रकृति निम्नानुसार है:-

(i) तकनीकी दोष

(ii) गलत ढंग से चलाना

(iii) बटन, स्विच, केबल और लाइट/लैम्प समस्या

(iv) प्रदर्श न होना/स्मरण शक्ति समाप्त हो जाना

(v) बैटरी खराब हो जाना

(vi) बीप आवाज की समस्या

(घ) निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) निर्वाचनों से पूर्व, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की विनिर्माता फर्में, अर्थात् मैसर्स इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद और मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बैंगलौर, दोषों का पता लगाने के लिए प्राथमिक स्तर की जांच करती हैं। तत्पश्चात् दोषों को दूर किया जाता है या ऐसी इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को जिनकी आसानी से मरम्मत नहीं की जा सकती है, पृथक् रखा जाता है और उनका उपयोग नहीं किया जाता है।

(ii) ऐसी इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को, जिनमें मतदान के दौरान कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, नई मशीनों से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(iii) प्रदर्श न होने/स्मरण शक्ति समाप्त हो जाने की दशा में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों से परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरक प्रदर्श इकाइयों का उपयोग किया जाता है।

(iv) निर्वाचनों के पश्चात् विनिर्माता फर्में उपर्युक्त दोषों वाली इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की, ऐसे दोषों के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षा करती हैं।

(v) मतदान कार्मिकों द्वारा इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के गलत ढंग से उपयोग को रोकने के लिए आयोग निर्वाचनों से पूर्व समय-समय पर इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के उपयोग संबंधी व्यापक प्रशिक्षण का संचालन करता है।

(ङ) निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि ऐसे विकसित देशों के, जो निर्वाचन प्रक्रिया में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज

1518. **श्रीमती प्रतिभा सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राज्य के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में केन्द्रीय सहायता कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी,हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में प्रस्तावों के क्षेत्रवार ब्यौरों की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 03-8-2006 को घोषित वित्तीय पैकेज/सहायता में शामिल घटकों की स्थिति

पैकेज	मंत्रालय	अनुमानित लागत	2005-06 में जारी मौजूदा निधि	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
परियोजना/स्कीम/क्षेत्र	**रेलवे**			
1. (i) भानुपल्ली से बिलासपुर का विकास-110 कि.मी.		1200 करोड़ रुपए		वित्तीय मूल्यांकन कर लिया गया है।
(ii) नांगल तलवारा रेलवे लाइन का निर्माण		400 करोड़ रुपए		राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज कर रही है, ताकि ट्रैक 2008 तक पूरा हो सके।
(iii) बद्दी-चंडीगढ़ ब्रॉडगेज (बड़ी) लाइन का निर्माण		200 करोड़ रुपए		परियोजना का सर्वेक्षण रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
(iv) इनलैंड कन्टेनर डिपो बद्दी में				कॉनकॉर द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन जारी है।
2.	**मानव संसाधन विकास**			
3 विश्वविद्यालयों में अवसंरचना का स्तरोन्नयन		20 करोड़ रुपए	5 करोड़ रुपए	वर्ष 2006-07 में कृषि मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के लिए 4.31 करोड़ रुपए और डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के लिए 4.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। कृषि मंत्रालय ने शेष बची 9.54 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 04-05-2006 को योजना आयोग को लिखा है।

1	2	3	4	5
3.	पेयजल आपूर्ति			
पेयजल सुविधाओं के अंतर्गत आंशिक तौर पर कवर किए गए आवासीय इलाकों को कवर करने के लिए 2007 तक यूनीवर्सल कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत विशेष परियोजना		518 करोड़ रुपए	2005-06 के दौरान राज्यों को 188.95 करोड़ रुपए की राशि का एकमुश्त विशेष आबंटन जारी किया गया।	वर्ष 2006-07 के लिए ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी. के लिए आबंटन 96.63 करोड़ रुपए है।
4.	ग्रामीण विकास			
लगभग 250 व्यक्तियों की आबादी वाली 257 पंचायतों को जोड़ने/कवर करने के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत विशेष सहायता			सड़क से जोड़ने के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत स्वीकृत 425 करोड़ रुपए स्वीकृत।	चालू वर्ष के दौरान अब तक 128.68 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
5.	नागर विमानन			
(i) 45 सीटों के ए.टी.आर. हवाई जहाज उड़ाने की सुविधा के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के मामले में रनवे को 460 फीट तक बढ़ाना		लगभग 100 करोड़ रुपए		कांगड़ा हवाई अड्डे पर रनवे (हवाई पट्टी) का विस्तार करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे को पहुंचाने वाली एप्रोच रोड को नए सिरे से तैयार किए जाने की जरूरत है। 33.34 लाख रुपए की लागत से यह काम किया जा चुका है।
(ii) संचार उपस्कर लगाने के साथ-साथ कुल्लू हवाई अड्डे का विस्तार				लागत अंतिम रूप से निर्णीत नहीं हुई है और प्रस्ताव नागर विमानन के पास लंबित है।
(iii) हैलीकॉप्टर/रनिंग हेलीकॉप्टर सेवाओं की प्राप्ति के वित्तपोषण का व्यावहारिक न हो पाना		प्रति हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए का अंतराल		प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

6. पर्यटन			
(i) 8-10 निर्दिष्ट केन्द्रों पर पर्यटन का संवर्द्धन	97 करोड़ रुपए	भारत सरकार ने निम्न-लिखित तीन स्कीमों के लिए 8.96 करोड़ रुपए की सहायता जारी की है:- 1. पर्यटन रिसोर्ट केन्द्र (घोसी बहल) के निर्माण के लिए 0.24 करोड़ रुपए। 2. चम्बा सर्किट के एकीकृत विकास के लिए 6.32 करोड़ रुपए। 3. मंडी-बिलासपुर पर्यटन परियोजना के एकीकृत विकास के लिए 2.40 करोड़ रुपए।	
7. व्यय विभाग			
2005-06 के लिए 400 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता टाइड नहीं होगी		अनुदान के तौर पर वित्त मंत्रालय ने 360 करोड़ रुपए (90 प्रतिशत) जारी कर दिए हैं और टीएफसी की सिफारिशों के आधार पर शेष 40 करोड़ रुपए (10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से उगाहा जाएगा)।	योजना आयोग द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए 475 करोड़ रुपए का विशेष योजना आबंटन किया गया है।

1	2	3	4	5
	विद्युत			
8. एन.जे.पी.सी. में हिमाचल प्रदेश के इक्विटी शेयर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना		मूल्यांकित नहीं किया गया		रामपुर हाइडल परियोजना में पहले की 25 प्रतिशत इक्विटी को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने भारत सरकार सिद्धान्ततः सहमत हो गई है।
	सूचना एवं प्रसारण			
9. लाहौल सपीति और किन्नौर (राज्य के आदिवासी क्षेत्रों) के दूरदराज जिलों में 20,000 सेट टॉप डी.टी.एच. बॉक्स निःशुल्क उपलब्ध करने हेतु अनुरोध		मूल्यांकित नहीं किया गया	भारत सरकार डी.टी.एच. बॉक्सों की आपूर्ति के लिए पंगी और भारमौर क्षेत्र शामिल करने पर सहमत हो गई है।	
	वित्त			
10. ऋण निवृत्ति एवं क्षेत्रगत सुधार के लिए संरचनात्मक समायोजन ऋण सुविधा				04 मई, 2006 को प्राप्त प्रस्ताव पर संकल्पना नोट की जांच जारी है।
	जल संसाधन			
11. पिछड़े क्षेत्रों में घनत्व आधारित सिंचाई स्कीम के लिए प्रस्ताव		242.00 करोड़ रुपए	भारत सरकार ने 25.69 करोड़ रुपए की परियोजना सहायता को मंजूरी दे दी है।	प्रस्तावों पर भारत निर्माण के अंतर्गत विचार किया जा रहा है।

द्विपक्षीय नीति

1519. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जी-8 देशों से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में गैर-सरकारी संगठनों को इस प्रकार की विकास सहायता नहीं दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार को जी-8 देशों से वर्ष 2005-06 के दौरान (12 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार) द्विपक्षीय विकास सहायता की निम्नलिखित राशि प्राप्त हुई हैं:-

देश	वर्ष 2005-06 में प्राप्त विदेशी सहायता (करोड़ रु. में)
जापान	2746.69
यूनाइटिड किंगडम	1371.49
जर्मनी	191.38
संयुक्त राज्य अमरीका	52.66
फ्रांस	23.21
रशिया संघ	1107.29
कनाडा	0.16
इटली	0.00

(ग) विदेशी सहायता गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध होती है। गैर-सरकारी संगठनों और स्वायत्तशासी संस्थानों को द्विपक्षीय सहायता के प्रवाह को सुसाध्य बनाने की एक सरलीकृत नीति प्रचालन में है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजे पुनः समवेत हुई

(**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*)

...(*व्यवधान*)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रेडिंग लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों की मंजूरी के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 13 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(6)/2004-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2006 जो 8 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(5)/2003-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4573/2006)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं श्री हंसराज भारद्वाज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 29 के अंतर्गत राष्ट्रीय कर अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2005 जो 9 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 9 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4574/2006)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 170 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2005-06 के लिए कारपोरेशन बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4575/2006)

(दो) वर्ष 2005-06 के लिए देना बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदम।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4576/2006)

(तीन) वर्ष 2005-06 के लिए पंजाब और सिंध बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4577/2006)

(चार) वर्ष 2005-06 के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4578/2006)

(पांच) वर्ष 2005-06 के लिए विजया बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4579/2006)

(छह) वर्ष 2005-06 के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4580/2006)

(सात) वर्ष 2005-06 के लिए इंडियन बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4581/2006)

(आठ) वर्ष 2005-06 के लिए आंध्रा बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4582/2006)

(2) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत वर्ष 2005-2006 के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4583, 4584, 4585 तथा 4586/2006)

(3) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 15-5-2006-बी.ओ.ए. द्वारा यह घोषणा की गई है कि बैंककारी विनियमन

अधिनियम, 1949 की धारा 10ख की उपधारा (9) के उपबंध उस सीमा तक जब तक कि वे चार महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक का कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से बैंक को रोकते हैं, 1 जुलाई, 2006 से 31 अक्तूबर, 2006 तक अथवा दि कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड में नियमित प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, उक्त बैंक पर लागू नहीं होंगे।

(दो) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 15-5-2006-बी.ओ.ए. द्वारा यह घोषणा की गई है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध 1 जुलाई, 2006 से 31 अक्तूबर, 2006 तक चार महीने की अवधि के लिए अथवा दि कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड में नियमित प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, उक्त बैंक पर लागू नहीं होंगे।

(तीन) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 15-5-2006-बी.ओ.ए. द्वारा यह घोषणा की गई है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ख की उपधारा (9) के उपबंध उस सीमा तक जब तक कि वे चार महीने से अधिक की अवधि के लिए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से बैंक को रोकते हैं, 3 जुलाई, 2006 से 2 नवम्बर, 2006 तक अथवा दि गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड में नियमित अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, उक्त बैंक पर लागू नहीं होंगे।

(चार) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 15-5-2006-बी.ओ.ए. द्वारा यह घोषणा की गई है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध 3 जुलाई, 2006 से 2 नवम्बर, 2006 तक चार महीने की अवधि के लिए अथवा दि गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड में नियमित अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, उक्त बैंक पर लागू नहीं होंगे।

(ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 4587/2006)

(4) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 253(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 26 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 31 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण में) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल.टी. 4588/2006)

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2006 जो 20 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1152(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1153 (अ) जो 20 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सार्वजनिक सुविधाओं को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) के प्रयोजनार्थ अवसंरचनात्मक सुविधा के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4589/2006)

(6) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्रदत्त वस्तुओं पर प्रतितुलनकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति अवधारण) संशोधन नियम, 2006 जो 28 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 123 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4590/2006)

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 122(अ) जो 1 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री विजय हान्डिक]

(9) उपर्युक्त (8) म उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4591/2006)

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2005 जो 19 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.आर./ए.एम.ई.एन.डी. 01/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 7 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी.सी.सी./ एच.आर.एम. 98 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 28 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एत.ओ./पी./ आई.आर./आर.एस. 169 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2005 जो 8 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.ए.डी./एस.यू.पी./177/49 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2005 जो 15 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.ओ./एच.आर.डी./आई.आर.पी./2005-06/ 1592 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4592/2006)

(11) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या रेफ. डी.ई.बी.सी. सं. 1 जो 31 दिसंबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, इम्प्लाइज को-आपरेटिव गारंटी फंड विनियमन का निरसन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4593/2006)

अपराह्न 3.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

नौवां और दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के नौवें और दसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनसे संबंधित कार्यवाही सारांश सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 3.01½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): मैं आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोध के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 3.02 बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) "जनशक्ति योजना, मशीनरी का उपयोग और कोल इंडिया लिमिटेड में आउटसोर्सिंग" विषय के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का अठारहवां प्रतिवेदन; और

(2) "अवैध खनन को रोकना" विषय के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 19वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 3.02½ बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 3.2¾ बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं श्री अनीश जे. मित्रा, जनरल सेक्रेटरी तथा अन्य, ऑल इंडिया एलायंस एयर इम्प्लाइज यूनियन, मकान सं. 802, पॉकेट-I, सेक्टर 14, द्वारका, नई दिल्ली-110075 द्वारा आमेलन के तौर-तरीकों, वेतन संरक्षण और अन्य सेवा शर्तों सहित रोजगार से संबंधित उनकी शिकायतों के बारे में हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत की।

(ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4594/2006)

अपराह्न 3.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सभा द्वारा 1 अगस्त, 2006 की बैठक में पारित छावनी विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 2 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक 2006 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 1 अगस्त, 2006 को पारित छावनी विधेयक 2006 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 3.03¼ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं कार्य मंत्रणा समिति का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 3.03½ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं सोमवार, 7 अगस्त, 2006 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान किए जाने वाले सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं, इसमें सम्मिलित हैं:-

1. आज की कार्य-सूची से आगे ले जाये गये सरकारी-कार्य की किसी भी मद पर विचार।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

2. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना:-

(क) छावनी विधेयक, 2006; और

(ख) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006

3. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना:-

(क) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005; और

(ख) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2006

4. (क) वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य); और

(ख) वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उनके यहां से सारा लीक किया गया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मल्होत्रा जी, अभी माननीय सदस्यों के सबमिशन्स हैं। आप तो सीनियर मैम्बर हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): सभापति महोदय, नटवर जी कहते हैं कि मेरे पास बहुत सी ऐसी सीक्रेट चीजें हैं, जो मैं बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.04 बजे

(इस समय श्री संतोष कुमार गंगवार और कुछ अन्य सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री शैलेन्द्र कुमार।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। शिक्षा बिल से अभिभावक की जिम्मेदारी को हटाते हुए उसे राज्य की जिम्मेदारी की जाए।

शिक्षा बिल के अंदर सभी प्रकार के स्कूलों को जवाबदेही के दायरे में लाया जाये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री कैलाश मेघवाल, श्री मनसुखभाई डी. वसावा, श्री श्रीपाद येसो नाईक, डा. कर्ण सिंह यादव, श्री हंसराज जी. अहीर, श्री पी.एस. गढवी, श्री सुनील खां।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कॉलिंग अटेंशन - श्री ब्रजेश पाठक

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, आज प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस का दिन है, इसलिए कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया कोऑपरेट कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

लोक सभा तीन बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए)*

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य - मद संख्या 14 पर विचार करेगी। श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.30¼ बजे

इस समय श्री खारबेल स्वाईं और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 2 अगस्त, 2006 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 2 अगस्त, 2006 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 15 - श्री सरबनंदा सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे।

अब श्री आरुन रशीद बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आसन पैरों पर है, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं बोल रहा हूं। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): गैर सरकारी सदस्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.32 बजे

अध्यक्षपीठ द्वारा टिप्पणी

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आज सदन में प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस है, उसे यदि रोकेंगे तो यह भारत की संसद के इतिहास में एक नई परम्परा होगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पूरा देश हमें देख रहा है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें और प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस चलने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आज पूरा देश देख रहा है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आसन को भी तो बोलने दें। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय संसद में क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्राइवेट मैम्बर बिल को रोका जा रहा है, यह नयी स्थिति पैदा हो रही है, अजब स्थिति पैदा हो रही है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्राइवेट बिजनैस संचालित नहीं होने दिया जा रहा है, यह कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: एक नयी परिस्थिति, एक नयी परम्परा पैदा हो रही है, भारतीय लोकतंत्र में, भारत के संसदीय इतिहास में अजीब मिसाल पैदा हो रही है, यह अच्छी बात नहीं है। आज पूरा देश हमको और आपको देख रहा होगा। हम सभी लोग संसद में मौजूद हैं प्राइवेट मैम्बर बिजनैस के लिए, लेकिन दु:खद स्थिति पैदा हो रही है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय सांसद कृपया अपनी सीटों पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जो नारे लगाये जा रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। माननीय सदस्यों द्वारा लंग्स-पावर से सदन को चलने से रोकना क्या सही बात है?

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): संसदीय इतिहास में यह पहली बार है कि प्राइवेट मैम्बर बिजनैस को रोका जा रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह अच्छी परम्परा नहीं है, यह नयी परम्परा डाली जा रही है, संसदीय लोकतंत्र में नयी परम्परा डाली जा रही है, लंग्स-पावर से प्राइवेट मैम्बर बिजनैस को रोका जा रहा है, यह नयी स्थिति पैदा की जा रही है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा सोमवार, 7 अगस्त, 2006 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 3.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 7 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	डा. चिन्ता मोहन श्री रामजीलाल सुमन	181
2.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	182
3.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	183
4.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री कीर्ति वर्धन सिंह	184
5.	श्री गुरूदास दासगुप्त	185
6.	श्री बी. विनोद कुमार	186
7.	श्री रामदास आठवले प्रो. महादेवराव शिवनकर	187
8.	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री नवीन जिन्दल	188
9.	श्री एल. राजगोपाल	189
10.	श्री तूफानी सरोज	190
11.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	191
12.	श्री रघुनाथ झा श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	192
13.	श्री अर्जुन सेठी श्री जसुभाई धानाभाई बारड	193
14.	श्रीमती मेनका गांधी श्री सुबोध मोहिते	194
15.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार श्री बालासाहिब विखे पाटील	195
16.	श्री बसुदेव आचार्य	196
17.	श्री थावरचन्द गेहलोत श्री अनंत कुमार	197
18.	श्री सीताराम सिंह	198
19.	श्री प्रभुनाथ सिंह श्री आर. प्रभु	199
20.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1472
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1414, 1419, 1434, 1475, 1492
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1379, 1414, 1472, 1476
4.	अजय कुमार, श्री एस.	1413
5.	आठवले, श्री रामदास	1464
6.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	1429
7.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1512
8.	बारड, श्री जसुभाई धानाभाई	1444, 1457, 1484, 1485
9.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1403
10.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1377, 1441
11.	बोस, श्री सुब्रत	1492
12.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1463
13.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1431
14.	चावडा, श्री हरिसिंह	1418
15.	चिन्ता मोहन, डा.	1459, 1489, 1502, 1509
16.	चौधरी, श्री अधीर	1414
17.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1463, 1490, 1503

1	2	3
18.	देवरा, श्री मिलिन्द	1397, 1454, 1488, 1506
19.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1514
20.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1515
21.	जगन्नाथ, डा. एम.	1408
22.	झा, श्री रघुनाथ	1468, 1491
23.	जिन्दल, श्री नवीन	1449, 1455
24.	जोशी, श्री प्रहलाद	1472
25.	करूणाकरन, श्री पी.	1438
26.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1405, 1486
27.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1381, 1445, 1508
28.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1387
29.	कृष्ण, श्री विजय	1435
30.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1411, 1473
31.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1457, 1489, 1509
32.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1391, 1482, 1499, 1507
33.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1433, 1481
34.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1420
35.	महताब, श्री भर्तृहरि	1392, 1483, 1501
36.	माने, श्रीमती निवेदिता	1515
37.	मिडियम, डा. बाबू राव	1440
38.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1436
39.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	1404
40.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1458
41.	मोहन, श्री पी.	1399
42.	मोहिते, श्री सुबोध	1446, 1462

1	2	3
43.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1415
44.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	1427, 1460
45.	नायक, श्री अनन्त	1390, 1451
46.	नायक, श्रीमती अर्चना	1439
47.	निखिल कुमार, श्री	1414
48.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	1388, 1450
49.	ओराम, श्री जुएल	1389, 1451, 1483
50.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1383, 1457
51.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1384, 1447, 1487, 1497
52.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1380, 1443, 1496
53.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1467
54.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1393, 1470, 1471, 1493, 1504
55.	पाठक, श्री ब्रजेश	1406, 1469, 1492
56.	पाठक, श्री हरिन	1404
57.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1460
58.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1431
59.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1492
60.	पटले, श्री शिशुपाल	1457
61.	प्रभु, श्री आर.	1428
62.	राजगोपाल, श्री एल.	1448
63.	राणा, श्री काशीराम	1385, 1457
64.	राव, श्री के.एस.	1513
65.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1417, 1492
66.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1432

1	2	3
67.	रावले, श्री मोहन	1423
68.	रावत, श्री अशोक कुमार	1457
69.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	1407, 1461, 1467, 1470
70.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1462
71.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1430
72.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1416
73.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1402, 1480, 1513
74.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1458
75.	सज्जन कुमार, श्री	1422, 1512
76.	संगलिअना, डा. एच.टी.	1425
77.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1396, 1453, 1494, 1517
78.	सरोज, श्री तूफानी	1465
79.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1461, 1512
80.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1386
81.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1395, 1507
82.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1414, 1419, 1434, 1475, 1492
83.	शिवन्ना, श्री एम.	1401, 1466
84.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1457
85.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1400, 1478
86.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1398, 1455
87.	सिंह श्री चन्द्रभूषण	1429, 1461, 1479
88.	सिंह, श्री दुष्यंत	1437, 1484
89.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	1436, 1495
90.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1456, 1505, 1511, 1519

1	2	3
91.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	1518
92.	सिंह, श्री राकेश	1421
93.	सिंह, श्री सीताराम	1452, 1495
94.	सिंह, श्री सुग्रीव	1393, 1471, 1493, 1510, 1512
95.	सिंह, श्री उदय	1409
96.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	1442, 1500
97.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1404
98.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1382
99.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1461
100.	सुमन, श्री रामजीलाल	1457, 1502
101.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1424
102.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1378
103.	थामस, श्री पी.सी.	1410
104.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1412, 1418, 1457
105.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1426, 1461, 1477, 1498
106.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1456, 1467
107.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1394, 1474
108.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1414, 1434, 1475, 1492
109.	विनोद कुमार, श्री बी.	1516
110.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1385, 1412
111.	यादव, श्री गिरिधारी	1456
112.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1457
113.	यादव, श्री राम कृपाल	1455
114.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1414

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य		
पृथ्वी विज्ञान	:	200
वित्त	:	183, 184, 189, 199
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
विधि और न्याय	:	
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	:	187, 192
विद्युत		181, 185, 188, 191, 193, 196, 197
ग्रामीण विकास	:	194, 198
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		
शहरी विकास	:	182, 186, 190, 195.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	1471, 1486
पृथ्वी विज्ञान	:	1421, 1426, 1435, 1508
वित्त	:	1377, 1380, 1381, 1383, 1384, 1390, 1391, 1394, 1398, 1399, 1400, 1403, 1407, 1409, 1410, 1412, 1415, 1419, 1420, 1425, 1428, 1431, 1438, 1443, 1444, 1445, 1447, 1451, 1452, 1456, 1457, 1460, 1462, 1463, 1467, 1469, 1472, 1474, 1476, 1481, 1485, 1489, 1490, 1497, 1502, 1506, 1512, 1513, 1515, 1516, 1518, 1519
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	1379, 1386, 1397, 1482
विधि और न्याय	:	1392, 1423, 1514, 1517
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	:	1411, 1429, 1458, 1475, 1480, 1483, 1484, 1488, 1492
विद्युत	:	1382, 1389, 1401, 1408, 1417, 1422, 1424, 1437, 1446, 1450, 1454, 1461, 1465, 1473, 1503, 1509
ग्रामीण विकास	:	1378, 1387, 1388, 1395, 1396, 1404, 1414, 1418, 1427, 1440, 1441, 1449, 1453, 1455, 1478, 1491, 1494, 1498, 1501

विज्ञान और प्रौद्योगिकी	: 1416, 1433, 1434, 1439, 1448, 1470, 1477, 1493, 1499, 1500, 1504, 1510, 1511
शहरी विकास	: 1385, 1393, 1402, 1405, 1406, 1413, 1430, 1432, 1436, 1442, 1459, 1464, 1466, 1468, 1479, 1487, 1495, 1496, 1505, 1507

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/21/10/2006 (एन.)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।